

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09 रक्षा मंत्रालय भारत सरकार



रक्षा मंत्रालय
भारत सरकार



वार्षिक रिपोर्ट

2008-2009



वार्षिक रिपोर्ट

2008-09



रक्षा मंत्रालय
भारत सरकार

विषय सूची

1	सुरक्षा परिवेश	1
2	रक्षा मंत्रालय का गठन तथा कार्य	11
3	भारतीय सेना	21
4	भारतीय नौसेना	31
5	भारतीय वायुसेना	41
6	तटरक्षक	49
7	रक्षा उत्पादन	55
8	रक्षा अनुसंधान तथा विकास	79
9	अंतर सेवा संगठन	105
10	भर्ती एवं प्रशिक्षण	117
11	भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास तथा कल्याण	139
12	सशस्त्र सेनाओं तथा सिविल प्राधिकारियों के बीच सहयोग	151
13	राष्ट्रीय कैडेट कोर	159
14	विदेशों के साथ रक्षा सहयोग	169
15	समारोह और अन्य कार्यक्रम	179
16	सतर्कता इकाइयों के क्रियाकलाप	193
17	महिलाओं का सशक्तीकरण और कल्याण	197

परिशिष्ट

I	रक्षा मंत्रालय के विभागों के कार्यों की सूची	203
II	1 जनवरी, 2008 से आगे पदासीन मंत्री, सेनाध्यक्ष और सचिव	207
III	रक्षा मंत्रालय के कार्य-निष्पादन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी एंड ए जी) की अद्यतन रिपोर्ट का सार	208

सुरक्षा परिवेश



सियाचिन में चौकसी

भारत का प्रत्येक पड़ोसी देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है जिससे अनेक राजनैतिक अनुभव और प्रयोग सामने आ रहे हैं। आतंकवाद का भय और हथियारों की होड़, नशीली दवाएँ और परमाणु प्रौद्योगिकी का विस्तार खतरे उत्पन्न किए हुए हैं जिस पर सतत ध्यान देने की जरूरत है

1.1 21वीं सदी के पहले दशक में यह अधिकाधिक रूप से स्पष्ट हो गया है कि सीमाओं से होने वाले सुरक्षा संबंधी खतरे अनियंत्रित हो रहे हैं। भारत एक कठिन पड़ोस में रह रहा है। भारत का प्रत्येक पड़ोसी देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है जिससे अनेक राजनैतिक अनुभव और प्रयोग सामने आ रहे हैं। इनमें से अधिकांश परिवर्तन बिना रुकावट के हो रहे हैं और इनसे जनतंत्र का विस्तार हुआ है। फिर भी, आतंकवाद का भय और हथियारों की होड़, नशीली दवाएँ और परमाणु प्रौद्योगिकी का विस्तार खतरे उत्पन्न किए हुए हैं जिस पर सतत ध्यान देने की जरूरत है। इस क्षेत्र के मध्य में स्थित भारत आर्थिक-क्रियाकलापों का केंद्र, जनतंत्र का मार्गदर्शक, स्थायित्व का गढ़ और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व एवं अहिंसा का हिमायती बना हुआ है।

वैश्विक सुरक्षा परिवेश

1.2 वर्ष 2008 के घटनाक्रमों, विशेषकर वैश्विक वित्तीय प्रणाली के सामने आई चुनौतियों ने वैश्विक सुरक्षा परिवेश में अभूतपूर्व तनाव उत्पन्न किया है। वैश्विक वित्तीय संकट से आर्थिक मंदी की स्थिति बन गई। अधिकांशतः विनियामक प्रणाली की असफलता के कारण अमरीकी वित्तीय प्रणाली की अस्थिरता अर्थ-व्यवस्था में फैल गई और अनेक देशों में आर्थिक वृद्धि की गति मंद हो गई।

1.3 संयुक्त राज्य अमरीका में नए प्रशासन द्वारा कार्य संभालने के बाद अमरीकी विदेशी एवं सुरक्षा

नीतियों पर निगरानी रखी जा रही है क्योंकि इनका वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों और सुरक्षा परिवेश पर महत्वपूर्ण प्रभाव होने की आशा की जाती है। आतंकवाद के विरुद्ध अमरीकी नेतृत्व में किए गए युद्ध ने मिश्रित परिणाम प्रदर्शित किए हैं। इराक में सुरक्षा स्थिति काफी सुधर गई है। तालिबान के पुनः सक्रिय हो जाने से अफगानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति खराब हो गई है। नीति संबंधी पुनरीक्षा के बाद मार्च, 2009 में अमरीका ने क्षेत्रीय प्रयासों पर जोर देते हुए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए एक व्यापक नई कार्य-योजना की घोषणा की। मुम्बई में हुए आतंकी हमलों के बाद अमरीका का लक्ष्य अल-कायदा और पाकिस्तान में उसके सुरक्षित ठिकानों को तहस-नहस करना और उसे हराना है तथा पाकिस्तान या अफगानिस्तान में उनकी वापसी को रोकना है।

1.4 वर्ष 2008 में भारत और रूस के बीच सामरिक-सहभागिता को और सुदृढ़ किया गया था। रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे सामरिक महत्व के क्षेत्रों में सहयोग को 2008 में और आगे बढ़ाया गया। सोवियत संघ के राष्ट्रपति श्री दमित्री मेदवेदेव की 4-5 दिसंबर, 2008 को भारत की राजकीय यात्रा के दौरान कुडनकुलम और अन्य स्थानों पर अतिरिक्त परमाणु यूनिटों के निर्माण और भारत-रूस संयुक्त मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम संबंधी करारों पर हस्ताक्षर किए गए।

1.5 भारत और ई यू सामरिक दृष्टि से भागीदार हैं। यूरोप भारत का एक बड़ा व्यापार एवं आर्थिक क्षेत्र का भागीदार है और हमारे आर्थिक एवं राजनैतिक संबंधों को सुदृढ करना एक महत्वपूर्ण नीति की अनिवार्यता है। भारत-ईयू वार्षिक सम्मेलन सितंबर, 2008 में मर्सीलिस में आयोजित किया गया जिसमें संयुक्त कार्यवाही योजना की पुनरीक्षा की गई। शांति एवं संपूर्ण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए भारत-ईयू क्रियाकलापों का पता लगाया गया। भारत ने ईयू के साथ एक वार्षिक सुरक्षा वार्ता की।

1.6 भारत और जापान ने एक सामरिक एवं वैश्विक भागीदारी स्थापित की है जो साझे हितों एवं मूल्यों तथा एशिया एवं उससे आगे शांति, स्थायित्व एवं विकास को बढ़ावा देने के हित में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर आधारित है। दोनों देश आतंकवाद से लड़ने, शांति स्थापित करने और आपदा प्रबंधन सहित संचार की समुद्री लाइनों की सुरक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में पारस्परिक हितों की साझेदारी करते हैं। सुरक्षा सहयोग संबंधी संयुक्त घोषणा में इस दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया गया है जिस पर 22 अक्टूबर, 2008 को प्रधान मंत्री की जापान यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों देश संयुक्त घोषणा के आधार पर एक विशिष्ट कार्यवाही योजना तैयार करने को सहमत हो गए हैं।

1.7 अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ईरानी परमाणु कार्यक्रम के बारे में चिंतित है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद् संकल्प 1835, जिसे सितम्बर, 2008 में अंगीकृत किया गया था, में ईरान की सरकार से आग्रह किया गया था कि वे सभी यूरेनियम

भारत की 'लुक ईस्ट' नीति में एशिया में दीर्घकालिक आर्थिक विकास, परस्पर निर्भरता और समृद्धि की स्थितियां सृजित करने के लिए दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ प्रगतिशील एवं बहु-आयामी मेलजोल निहित है।

संवर्धन से संबंधित और अन्य विस्तार संवेदी परमाणु क्रियाकलाप रोक दें। गाजा पट्टी में इजरायली रक्षा बलों द्वारा किए गए व्यापक हमलों के कारण पश्चिमी एशिया की स्थिति और अधिक तनावपूर्ण होने से बदतर हो गई। पश्चिम एशिया के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा क्षेत्रों सहित इस क्षेत्र में उसके महत्वपूर्ण हित हैं। अतः भारत इस क्षेत्र में स्थायित्व बढ़ाना चाहता है। मध्य एशियाई क्षेत्र ऊर्जा संसाधनों से भी परिपूर्ण है। मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के ऐतिहासिक और सभ्यता संबंधी संबंध हैं और इस क्षेत्र में स्थायित्व को बढ़ाने के लिए वह अनातिक्रमणशील और सहयोगी प्रयत्नों में लगा हुआ है।

1.8 भारत की 'लुक ईस्ट' नीति में एशिया में दीर्घकालिक आर्थिक विकास, परस्पर निर्भरता और समृद्धि की स्थितियां सृजित करने के लिए दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ प्रगतिशील एवं बहु-आयामी मेलजोल निहित है। 'आसियान' क्षेत्रीय फोरम एवं पूर्व एशिया सम्मेलन में भारत की भूमिका का लक्ष्य इस क्षेत्र में स्थायित्व एवं शांति की नई संरचना का निर्माण करना है।

1.9 अफ्रीकी क्षेत्र, सुरक्षा और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में परिवर्तन प्रभावी प्रणालियों से होकर गुजर रहा है। पूर्वी अफ्रीका के अपतटों में व्यापारिक पोतों को समुद्री उकैती का निशाना बनाने की बढ़ती हुई घटनाएं समुद्री मार्ग की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। सोमालिया का आतंकवादियों, जिनका अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से संबंध है, के कार्यक्षेत्र का केन्द्र बन जाना, विश्व की बहुत बड़ी चिंता का कारण

है। इस क्षेत्र में समुद्री डकैती से लड़ने में भारतीय नौसेना सक्रिय रूप से कार्य कर रही है।

भारत का क्षेत्रीय सुरक्षा परिवेश

1.10 भारत को अपने भावी विकास और खुशहाली के लिए सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण परिवेश की जरूरत है। इस दिशा में कार्य करते हुए भारत ने व्यापार, निवेश और सेवाओं के द्वारा अपने विकास में अपने पड़ोसियों को हिस्सा देने का प्रयत्न किया है। इसके साथ-साथ भारत अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा एवं बचाव के सभी उपाय भी करता रहा है।

भारत ने व्यापार, निवेश और सेवाओं के द्वारा अपने विकास में अपने पड़ोसियों को हिस्सा देने का प्रयत्न किया है। इसके साथ-साथ भारत अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा एवं बचाव के सभी उपाय करता रहा है।

1.11 अफगानिस्तान में स्थायित्व हमारे सामरिक हित में है। इसीलिए भारत ने युद्ध से तहस-नहस अफगानिस्तान की आधार सुविधाओं के पुनर्निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में इसकी स्वदेशी क्षमता के विकास के लिए भारी निवेश किया है। अफगानिस्तान में आंतरिक सुरक्षा स्थिति के लगातार बिगड़ जाने और 2006 से तालिबान, अल-कायदा और अन्य आतंकी गुटों के अस्तित्व में आने से संपूर्ण दक्षिणी और मध्य एशियाई क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। आतंकवादियों ने 7 जुलाई, 2008 को काबुल में भारतीय दूतावास



रक्षा मंत्री जम्मू और कश्मीर में बारामूला में सैनिकों को संबोधित करते हुए

पर हमला किया जिसमें दूतावास के पांच कर्मचारी और बड़ी संख्या में अफगानी नागरिक मारे गए, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि वहां पुनर्निर्माण और विकास के भारत के प्रयासों का इन गुटों द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से विरोध किया गया। दक्षिणी और पूर्वी अफगानिस्तान में सुरक्षा पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास से घनिष्ठ रूप में संबंधित है जहां के अभयारण्य इन आतंकी गुटों को आश्रय प्रदान करते हैं और वे यहां से अपने कार्यकलाप चलाते हैं। अफगानिस्तान के उग्रवादी एवं आतंकवादी संगठन पाकिस्तान से कार्य कर रहे संगठनों से मिल गए हैं, जिनको अधिकतर सरकारी एजेंसियों का संरक्षण प्राप्त है और इसके कारण भारत का बाह्य सुरक्षा परिवेश अत्यधिक खराब हो चुका है।

1.12 पाकिस्तान में सुरक्षा से संबंधित घटनाक्रमों का भी हमारे क्षेत्रीय सुरक्षा परिवेश पर प्रभाव पड़ता रहा है। यद्यपि पिछले वर्ष की तरह 'फाटा' क्षेत्र और उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत समग्र रूप से उग्रवादी क्रियाकलापों और हिंसा के प्रमुख क्षेत्र बने रहे, परंतु इस वर्ष पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद सहित सारे पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पाकिस्तान में उग्रवादी एवं आतंकवादी संगठनों में बेरोकटोक बढ़ोत्तरी होने से युद्ध-विराम उल्लंघनों, नियंत्रण रेखा के पार निरंतर घुसपैठ और बड़े आतंकवादी हमलों में भी बढ़ोत्तरी हो गई। इन सभी से भारत-पाक सम्मिलित वार्ता प्रक्रिया में अत्यधिक दबाव पड़ा है। नवंबर, 2008 में मुम्बई पर आतंकवादी हमले और इस स्पष्ट प्रमाण से कि यह हमला पाकिस्तान द्वारा नियोजित और संचालित था, इस वार्ता में इसके बाद विराम लग गया।

1.13 पाकिस्तान में उग्रवादी और आतंकवादी संगठनों के बढ़ते कदम और यह वास्तविकता कि उनमें से अनेक का भारत के विरुद्ध आतंकवादी हमले का ज्ञात रिकार्ड रहा है, एक सुरक्षा चुनौती है जिसके हमारे लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इन संगठनों के पाकिस्तान सरकार की एजेंसियों के साथ निरंतर संबंधों ने हमारी वर्तमान परिस्थितियों के लिए अधिक मुश्किलें और खतरे बढ़ा दिए हैं। अतः आंतरिक और सीमावर्ती क्षेत्रों, दोनों रूपों में सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करना हमारी सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता है। पाकिस्तान का सैनिक और अर्ध-सैनिक प्रशासन का इतिहास हमारे सामने के खतरों की गंभीरता को प्रदर्शित करता है।

1.14 भारत की चीनी गणराज्य के साथ सामरिक और सहयोगी भागीदारी है जिसमें 2008-09 के उच्च-स्तरीय दौरों के समय और अधिक प्रगति हुई है। दोनों देश समानता के आधार पर मित्रता और विश्वास का संबंध बनाने में लगे हुए हैं जिसमें प्रत्येक एक-दूसरे की चिंताओं और आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील है। दोनों देशों की सशस्त्र सेनाएं 2007 से संयुक्त सैन्य अभ्यासों, नियमित रक्षा वार्ता और सैन्य शिष्टमंडलों के आदान-प्रदान के द्वारा आपसी समझ बढ़ाने में लगी हुई हैं। भारत और चीन सीमा के प्रश्न पर वार्ता में भी लगे हुए हैं और सीमा संबंधी मुद्दे को अंतिम रूप से तय किए जाने तक पारस्परिक सहमतिपूर्ण विश्वास उत्पन्न करने वाले उपायों के कार्यान्वयन के माध्यम से सीमा क्षेत्रों में शांति कायम रखने को सहमत हो गए हैं।

1.15 भारत ने 2008 में चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी श्वेत-पत्र में चीन के इस बयान को ध्यान में रखा है कि वह वर्तमान या भविष्य में कभी भी

आधिपत्य की आकांक्षा या सैन्य विस्तार का कार्य नहीं करेगा, भले ही वह कितना भी विकसित हो जाए। भारत ने पिछले 20 वर्षों में चीन के रक्षा व्यय में दो अंकीय वृद्धि को भी नोट किया है जिससे गुणवत्ता एवं मात्रा, दोनों के संदर्भ में इसके रक्षा बलों में महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण हुआ है। चीन ने अपने श्वेत-पत्र में सामरिक मिसाइल और अंतरिक्ष स्थित साधन तैयार करने और गहरे जल में संक्रियात्मक कार्यों के लिए अपनी ब्लू-वाटर नौसेना तेजी से बढ़ाने, आधार संरचना के व्यवस्थित उन्नयन, टोह और निगरानी, सीमा क्षेत्रों में तुरंत कार्रवाई और प्रचालनात्मक क्षमताओं के जो लक्ष्य बताए हैं, उनका भारत के पड़ोस में समग्र सैन्य परिवेश पर प्रभाव पड़ेगा। इसके परिणामस्वरूप, चीन की रक्षा आधुनिकीकरण आवश्यकताओं की निकट भविष्य में इस दृष्टि से सावधानीपूर्वक

मानीटरिंग की जरूरत होगी कि इनका भारत की रक्षा एवं सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। इसी तरह, हमारे पड़ोस में पाकिस्तान और अन्य देशों को इसकी सैन्य सहायता एवं उनके साथ सहयोग तथा चीन और पाकिस्तान द्वारा अवैधानिक रूप से कब्जे में लिए गए जम्मू एवं कश्मीर के क्षेत्र से होकर पाकिस्तान और अन्य देशों के साथ संयोजनता (कनेक्टिविटी) बढ़ाने की संभावना का भारत पर सीधा सैन्य प्रभाव भी पड़ेगा। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता को सुरक्षित रखने के सभी आवश्यक उपाय करते हुए भारत चीन से अपनी रक्षा नीति और कार्यों में अधिक पारदर्शिता एवं खुलापन रखने को कहेगा।

1.16 नेपाल में वर्ष के दौरान राजशाही से जनतंत्रीय सरकार के रूप में एक बड़ा राजनैतिक परिवर्तन



भारतीय वायुसेना हवाई प्रदर्शन टीम 'सारंग' कार्यवाई के दौरान

हुआ है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ने श्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' को नया प्रधानमंत्री बनाकर एक मिली-जुली सरकार का गठन किया। नई सरकार के गठन के बाद जो द्विपक्षीय उच्च-स्तरीय दौरे किए गए, उनमें सितंबर और नवंबर, 2008 में नेपाल के नए प्रधान मंत्री की भारत यात्रा, नवंबर, 2008 में विदेश मंत्री की नेपाल यात्रा शामिल हैं जिनके दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंध आगे बढ़ाने के लिए अपनी सहमति दी। विद्यमान द्विपक्षीय कार्य-प्रणाली को पुनः सक्रिय बनाया गया है। नेपाल में शांति प्रक्रिया के लिए अनेक चुनौतियां हैं। नेपाल में अस्थिरता की स्थिति, विशेषकर दोनों देशों के बीच खुली सीमा को देखते हुए, भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती है। भारत की रुचि इस बात में है कि नेपाल में स्थायित्व एवं खुशहाली हो।

1.17 भूटान के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध हैं। नए संविधान के ढांचे के अंतर्गत मार्च, 2008 में यहां चुनाव सम्पन्न किए गए। भारत और भूटान ने वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप मैत्री की एक नई संधि पर भी हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने भूटान की नवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन में सहायता देकर उसके साथ अपने राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध और गहरे करने की नीति जारी रखी। भारत भूटान के प्रशासन को अपनी सहायता जारी रखने के लिए वचनबद्ध है। हाल ही में, भूटानी सरकार ने राष्ट्र के गणतंत्रीकरण की अपनी योजनाएं तैयार की हैं। इस परिवर्तन को पूरा करने के लिए भारत ने भूटान को सभी संभव सहायता देने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। भूटान ने पारस्परिक सुरक्षा के हित में भारतीय विद्रोही गुटों के सैन्य शिविरों और आधार या संक्रियाओं के विरुद्ध कार्य करने में साहस एवं अच्छे पड़ोसी होने का परिचय दिया है।

1.18 बांग्लादेश की गतिविधियों का भारत की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा काफी लंबी है। भारत ने विकासात्मक और सुरक्षा मुद्दों सहित विभिन्न प्रकार की वार्ताएं बांग्लादेश के साथ शुरू की हैं। 'केयरटेकर' सरकार के दो वर्ष के शासन के बाद बांग्लादेश में जनतंत्र की पुनः बहाली इस क्षेत्र एवं भारत-बांग्लादेश संबंधों के लिए एक सकारात्मक घटना है। दिसंबर, 2008 में आयोजित चुनावों में अवामी लीग के नेतृत्व वाले ग्रांड अलायंस ने जातीय संसद में तीन चौथाई से अधिक बहुमत प्राप्त किया। नई सरकार के अधीन बांग्लादेश से आशा की जाती है कि वह सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। भारत द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने के प्रयास कर रहा है, विशेषकर इसके राज्य क्षेत्र से संचालित भारत से दुश्मनी रखने वाले पूर्वोत्तर तथा अन्य बलों के भारतीय विद्रोही गुटों के संबंध में भारत की सुरक्षा की चिंता के परिप्रेक्ष्य में ऐसा किया जा रहा है।

1.19 समीक्षाधीन वर्ष में श्रीलंका में सुरक्षा स्थिति में बड़ा परिवर्तन हुआ है। आंतरिक संघर्ष शुरू होने से लेकर अब तक लिट्टे के अधिकार वाले क्षेत्रों में नियंत्रण प्राप्त करने में श्रीलंका की सेना ने सफलता प्राप्त कर ली है। इस संघर्ष में लोगों की काफी जानें गई हैं जिसके लिए भारत चिंतित है और प्रभावित सिविल नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए उसने सक्रियता से कार्य किया है। भारत ने इस संघर्ष के राजनैतिक समाधान की पैरवी की है और वह संगठित श्रीलंका के अंदर तमिल आबादी सहित सभी समुदायों के हितों को ध्यान में रखते हुए संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति वचनबद्ध है।

1.20 मालदीव भारत का मित्र पड़ोसी देश है जो हिंद महासागर के सामरिक क्षेत्र में स्थित है। मालदीव में जनतांत्रिक चुनाव हुए जिससे सरकार बदल गई है। पारंपरिक रूप से भारत के मालदीव के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा बनाने के लिए वह कार्य करता रहेगा। मालदीव के राष्ट्रपति की भारत की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के अनेक द्विपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए रक्षा संबंध इस क्षेत्र में स्थिरता के आधार हैं।

1.21 म्यांमार दक्षिण और दक्षिणपूर्व एशिया तीनों के मिलन स्थान पर सामरिक रूप से अवस्थित है जो व्यापक सुरक्षा हितों के संदर्भ में भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जब मई, 2008 में 'नरगिस' चक्रवात ने म्यांमार तट को तहस-नहस कर दिया था तो भारत ने म्यांमार को तुरंत राहत सहायता प्रदान की थी। मई, 2008 में एक जनमत संग्रह के बाद म्यांमार द्वारा नया संविधान अंगीकार करने से 2010 में चुनावों का मार्ग प्रशस्त हुआ। भारत की इच्छा है कि म्यांमार सजातीय समूहों सहित एक पूर्ण एवं व्यापक राष्ट्रीय समझौता प्रक्रिया के साथ एक मजबूत एवं स्थिर म्यांमार बने। वर्ष-भर उच्च-स्तरीय दौरों और नियमित परामर्शों का दौर चलता रहा। भारत म्यांमार को आर्थिक, ऊर्जा और विद्युत क्षेत्रों में शामिल कर रहा है।

1.22 भारत की विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधकता क्षेत्रीय सुरक्षा संगठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। न्यूनतम प्रतिरोध का रुख बनाए रखते हुए भारत ने गैर-परमाणु हथियारों वाले देशों के विरुद्ध उनका पहले प्रयोग न करने या प्रयोग ही न

न्यूनतम प्रतिरोध का रुख बनाए रखते हुए भारत ने गैर-परमाणु हथियारों वाले देशों के विरुद्ध उनका पहले प्रयोग न करने या प्रयोग ही न करने की नीति की घोषणा की है।

करने की नीति की घोषणा की है। भारत ने परमाणु परीक्षण पर एक स्वैच्छिक, एकपक्षीय स्थगन अवधि (मोरेटोरियम) बनाए रखना भी जारी रखा। भारत ने सर्वजनीनता, भेदभाव न रखने और प्रभावकारी अनुपालन के सिद्धांतों पर आधारित वैश्विक निःशस्त्रीकरण के लक्ष्य का भी निरंतर पालन किया है।

1.23 भारत अपनी बढ़ती हुई विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परमाणु शक्ति को एक सुरक्षित, हानिरहित और साफ ऊर्जा संसाधन के रूप में देख रहा है। सितंबर, 2008 में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एन एस जी) ने एक निर्णय लिया जिसमें भारत को अंतराष्ट्रीय समुदाय के साथ पूर्ण सिविल परमाणु सहयोग करने हेतु समर्थ बनाया गया है। भारत ने नागरिक परमाणु सुविधा हेतु सुरक्षाओं के अनुप्रयोग (आई एस एस ए) पर आई ए ई ए के साथ एक करार पर भी हस्ताक्षर किए। एन एस जी के निर्णय के बाद भारत ने फ्रांस, रूस, अमरीका और कजाकिस्तान के साथ परमाणु सहयोग करार किए हैं जिनसे भारत के परमाणु ऊर्जा उद्योग के विकास और अपनी अत्यधिक बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।

1.24 पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में विशाल हिंद महासागर तक फैले लंबे तट क्षेत्र की पृष्ठभूमि में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने की आवश्यकता को देखना होगा। तटों के किनारे बड़े हुए क्रियाकलापों और बड़े नगरों के विकास ने इस आवश्यकता को और भी बढ़ा दिया है।

1.25 पिछले वर्षों में तट क्षेत्रों की सुरक्षा, समुद्री

डकैती, ऊर्जा सुरक्षा, डब्ल्यू एम डी, आतंकवाद, आदि जैसे समुद्री मुद्दे भारत की सुरक्षा में महत्वपूर्ण कारक बन चुके हैं। हिंद महासागर के हिस्सों में डकैती को रोकने में भारतीय नौसेना ने उत्कृष्ट भूमिका निभाई है। भारतीय नौसेना के प्रयत्नों की व्यापक रूप से सराहना की गई है और क्षेत्रीय एवं वैश्विक सुरक्षा में इसका योगदान है।

भारतीय नौसेना को समुद्री सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है जिसमें तटीय और अपतटीय सुरक्षा शामिल है।

शामिल है। तटरक्षक, राज्य समुद्री पुलिस और अन्य केन्द्रीय एवं राज्य एजेंसियों द्वारा नौसेना की मदद की जाएगी। महानिदेशक, तटरक्षक को कमांडर, कोस्टल कमांड के रूप में नामित किया गया है और वह तटीय सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों में केन्द्र और राज्य एजेंसियों

के बीच समग्र समन्वय के प्रति उत्तरदायी होगा।

1.26 समुद्र के रास्ते से कराची से मुम्बई आए एक आतंकवादी दल द्वारा मुम्बई में किए गए आतंकी हमले ने भारत की सुरक्षा में समुद्री क्षेत्र के महत्व को एक बार फिर-से उजागर किया है। भारतीय नौसेना को समुद्री सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है जिसमें तटीय और अपतटीय सुरक्षा

1.27 संयुक्त संक्रिया केंद्रों की स्थापना सहित तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा, बढ़ती हुई समुद्री चुनौतियों का सामना करने और तटीय निगरानी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तटरक्षक के साधनों और जनशक्ति को बढ़ाया जा रहा है।



मैरीन कमांडो कार्रवाई करते हुए

तटीय सुरक्षा की निरंतर और समन्वित मानीटरिंग की एक प्रणाली स्थापित कर दी गई है ।

आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां

1.28 देश के आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य को मोटे तौर पर विभिन्न घटनाक्रमों के संदर्भ में देखा जा सकता है जिसके अलग-अलग रूप हैं, जैसे अलगाववाद, हिंसा का जातीय एवं अन्य रूप, जम्मू एवं कश्मीर में विघटनकारी/आतंकवादी/उग्रवादी क्रियाकलाप, कुछ पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषकर असम, मणिपुर और नागालैंड में विद्रोह, कुछ राज्यों, विशेषकर आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में नक्सली हिंसा, देश के अंदर विभिन्न भागों में समय-समय पर आतंकी हमले और बम विस्फोटों की घटनाएं आदि, साम्प्रदायिक तनाव और हिंसा, छिटपुट घटनाएं एवं आंदोलन, जो बड़े पैमाने पर आंदोलनों एवं हिंसा, आदि के द्वारा जन-व्यवस्था को प्रभावित करते हैं ।

1.29 उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए जहां देश की संपूर्ण स्थिति 2008 के दौरान अधिकांशतः नियंत्रण में थी, वहां नवंबर, 2008 में मुम्बई के आतंकी हमले सहित देश के विभिन्न भागों में अनेक बड़ी आतंकी घटनाएं और बम विस्फोट, आदि हुए जिन्होंने आंतरिक सुरक्षा की स्थिति के बारे में गंभीर चिन्ताएं उत्पन्न कीं । साम्प्रदायिकता के संदर्भ में भी जहां अधिकांशतः स्थिति नियंत्रण में रही, वहां देश के कुछ हिस्सों, विशेषकर उड़ीसा में साम्प्रदायिक हिंसा की चिन्ताजनक घटनाएं हुईं जिस कारण देश के कुछ अन्य राज्यों में भी साम्प्रदायिक तनाव एवं झगड़े हुए। वर्ष के दौरान बड़े और लंबे समय

तक आंदोलनों की कुछ घटनाएं हुईं जिनसे लोगों के आम जीवन में रुकावट आई और लोक व्यवस्था में बाधा पहुंची जिसके उदाहरण हैं—अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के अनुसरण में राजस्थान में गूजरो का आंदोलन, अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड को भूमि हस्तांतरण से संबंधित विवाद के परिप्रेक्ष्य में जम्मू एवं कश्मीर में आंदोलन और अलग गोरखालैंड राज्य की मांग के संदर्भ में पश्चिम बंगाल में आन्दोलन ।

1.30 मुम्बई आतंकी हमले के बाद सरकार ने आंतरिक सुरक्षा-तंत्र को और सुदृढ़ करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी की स्थापना, आतंकवाद के विभिन्न रूपों से निपटने के लिए अवैधानिक क्रियाकलाप रोकथाम संशोधन अधिनियम, 2008 बनाना और सभी अन्य केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ आसूचना की साझेदारी के लिए आसूचना ब्यूरो में मल्टी-एजेंसी सेंटर (एम ए सी) को चौबीसों घंटे प्रचालित करना शामिल है। सुरक्षा बलों, कानून प्रवर्तन मशीनरी का सुदृढ़ीकरण और विभिन्न एजेंसियों एवं राज्यों के साथ आसूचना एवं समन्वय को भी प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है ।

1.31 भारत को हतोत्साहित करने वाली सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो इस संघर्ष श्रृंखला की हर कड़ी में विद्यमान हैं। ये चुनौतियां एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और ये राजनैतिक, आर्थिक, सैन्य और प्रौद्योगिकी प्रकार की हैं, जिसके परिणामस्वरूप इनका समाधान भी इन्हीं से निकाला जाना है जिसके लिए देश और इसके रक्षा बल पूर्ण रूप से तैयार हैं ।

रक्षा मंत्रालय का गठन तथा कार्य



प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री संयुक्त कमांडर सम्मेलन में तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ

इस मंत्रालय का मुख्य काम रक्षा और सुरक्षा संबंधी सभी मामलों में नीति बनाना और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सेना मुख्यालयों, अंतर सेवा संगठनों, उत्पादन स्थापनाओं और अनुसंधान तथा विकास संगठनों को भेजना है

संगठनात्मक गठन और कार्य

2.1 स्वतंत्रता के बाद रक्षा मंत्रालय का गठन एक कैबिनेट मंत्री के अधीन किया गया था और प्रत्येक सेना को उसके अपने कमांडर-इन-चीफ के अधीन रखा गया। 1955 में, कमांडर-इन-चीफ का सेनाध्यक्ष, नौसेनाध्यक्ष तथा वायुसेनाध्यक्ष के रूप में पुनः नामकरण किया गया था। नवंबर, 1962 में रक्षा उपस्करों के अनुसंधान, विकास तथा उत्पादन संबंधी कार्य के लिए रक्षा उत्पादन विभाग का गठन किया गया था। नवंबर, 1965 में, रक्षा आवश्यकताओं के आयात प्रतिस्थापन के लिए योजनाएं बनाने और उनके कार्यान्वयन के लिए रक्षा पूर्ति विभाग बनाया गया था। बाद में, इन दोनों विभागों को मिलाकर रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग बना दिया गया था। वर्ष 2004 में रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग का नाम बदलकर रक्षा उत्पादन विभाग रख दिया गया। 1980 में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग बनाया गया। वर्ष 2004 में भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग बनाया गया।

2.2 रक्षा सचिव, रक्षा विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं, और इसके अलावा, मंत्रालय के चारों

विभागों के कार्यों में समन्वय बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी हैं।

विभाग

2.3 इस मंत्रालय का मुख्य काम रक्षा और सुरक्षा संबंधी सभी मामलों में नीति बनाना और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सेना मुख्यालयों, अंतर-सेवा संगठनों, उत्पादन स्थापनाओं और अनुसंधान तथा विकास संगठनों को भेजना है। मंत्रालय को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि सरकार के नीति-निर्देशों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाए और अनुमोदित कार्यक्रमों का निष्पादन आबंटित संसाधनों के अंतर्गत किया जाए।

2.4 इन विभागों के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं-

- (i) रक्षा विभाग, एकीकृत रक्षा स्टाफ, तीनों सेनाओं और विभिन्न अंतर सेवा संगठनों से संबंधित कार्य करता है। यह विभाग रक्षा बजट, स्थापना मामलों, रक्षा नीति, संसदीय मामलों, अन्य देशों के साथ रक्षा सहयोग और रक्षा संबंधी सभी कार्यकलापों के समन्वय संबंधी कार्य के लिए भी उत्तरदायी है।

- (ii) रक्षा उत्पादन विभाग के प्रमुख एक सचिव हैं और यह विभाग रक्षा उत्पादन कार्यों, आयात किए जाने वाले सामान, उपस्करों और कलपुर्जों के देशीकरण, आयुध निर्माणी बोर्ड और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों की विभागीय उत्पादन इकाइयों के बारे में योजना तैयार करने तथा उन पर नियंत्रण रखने से संबंधित कार्य करता है।
- (iii) रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग के प्रमुख एक सचिव हैं जो रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी हैं। इसका कार्य सैन्य उपस्करों और संभारतंत्र से संबंधित वैज्ञानिक पहलुओं पर सरकार को सलाह देना और तीनों सेनाओं द्वारा अपेक्षित साज-समान के अनुसंधान, डिजाइन और विकास कार्यों के लिए योजनाएं तैयार करना है।
- (iv) भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के प्रमुख एक सचिव हैं और यह विभाग भूतपूर्व सैनिकों के सभी पुनर्वास, कल्याण तथा पेंशन संबंधी मामलों को देखता है।

2.5 रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विभागों और वित्त प्रभाग द्वारा निपटाई जाने वाली मदों की सूची इस रिपोर्ट के परिशिष्ट-1 में दी गई है।

मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ


2.6 राष्ट्र के उच्चतर रक्षा प्रबंधन की समीक्षा करने के लिए कारगिल संघर्ष के बाद वर्ष 2000 में गठित मंत्री-समूह की सिफारिश के आधार पर मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ का गठन 01 अक्टूबर, 2001 को किया गया था। तब से मुख्यालय एकीकृत रक्षा

स्टाफ, नीति, सिद्धान्त, युद्ध लड़ने और अधिप्राप्ति के एकीकरण के जरिए सशस्त्र सेनाओं के बीच एकजुटता एवं सहक्रिया उत्पन्न करने वाले संगठन के रूप में कार्य कर रहा है।

2.7 सेनाओं में एकजुटता: निर्णय लेने, संक्रियाओं, परिप्रेक्ष्य आयोजना, सेनाओं के विकास, आसूचना, सिद्धान्त, प्रशिक्षण, संभारिकी, कार्मिक प्रबंधन, संचार और सूचना युद्धपद्धति के कार्य में एकजुटता लाने में सुधार करने के लिए कई समितियां गठित की गई हैं। सूचना सुरक्षा, समाघात पहचान, परिशुद्धता बल, एरिया मिसाइल रक्षा, आतंकवाद और एकीकृत संभारिकी सहायता पर नए अंतर सेवा कार्यकारी समूह गठित किए गए हैं।

2.8 रक्षा आयोजना प्रक्रिया: रक्षा आयोजना प्रक्रिया को मंत्री-समूह की सुरक्षा संबंधी रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई के भाग के रूप में सदृढ किया जा रहा है। मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ द्वारा मसौदा राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति और रक्षा आयोजना दिशा-निर्देश तैयार कर लिए गए हैं और उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। रक्षा क्षमता रणनीति और रक्षा क्षमता योजना तैयार की जा रही है।

2.9 संयुक्त सिद्धान्त : जल-थल संक्रियाओं के लिए संयुक्त सिद्धान्त और सामरिक तथा संक्रियात्मक स्तर के कार्यों के लिए संयुक्त विशेष बलों के नियोजन हेतु सिद्धान्त क्रमशः 9 सितंबर एवं 30 सितंबर 2008 को जारी किए गए थे। संयुक्त मनोवैज्ञानिक संक्रिया सिद्धान्त, उप-परम्परागत युद्ध पद्धति पर संयुक्त सिद्धान्त, संयुक्त अंतरिक्ष सिद्धान्त और संयुक्त समुद्री संक्रिया संबंधी सिद्धान्त तैयार किए जा रहे हैं।



तीनों सेनाध्यक्षों द्वारा संयुक्त विशेष बल सिद्धांत का विमोचन

2.10 बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास : रक्षा प्रबंधन कॉलेज ने मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के तत्वावधान में एकीकृत शांति सहायता कार्रवाई पर संयुक्त राष्ट्र के अधिदेशाधीन एक अभ्यास, 'अमन सेना', 21 से 29 मई, 2008 तक चलाया। भारत द्वारा संचालित यह अभ्यास अपनी तरह का पहला प्रयास था जिसमें भारत के 45 अफसरों के अलावा हिंद महासागर क्षेत्र के 13 देशों की सशस्त्र सेनाओं के 35 अफसरों को संयुक्त राष्ट्र शांति सहायता की जटिल कार्रवाई के पहलुओं की जानकारी दी गई।

2.11 रक्षा सूचना प्रौद्योगिकी परामर्शदात्री समिति : यह समिति, रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र सेनाओं, विद्वत्परिषद

और उद्योग के मध्य संयुक्त विचार-विमर्श के लिए गठित की गई है ताकि रक्षा मंत्रालय और इसके तहत तीनों सेनाओं और विभिन्न संगठनों में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी मामलों के कार्यान्वयन में एक पूर्णतः एकीकृत अभिगम के लिए सहक्रिया की जा सके और दिशा-निर्देशन दिया जा सके। सीआईएससी इस समिति के अध्यक्ष हैं और इसमें रक्षा मंत्रालय, तीनों सेनाओं, संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय व रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के सदस्य, विद्वत्परिषद, उद्योग व अन्य सरकारी संगठनों के सहयोजित सदस्य हैं।

2.12 उत्कृष्टता का केंद्र : सूचना सुरक्षा और सूचना आश्वासन के क्षेत्र में उपलब्ध स्वदेशी उत्पादों का विकास और उन्हें ग्राहक के अनुकूल बनाने के लिए, रक्षा मंत्रालय की ओर से प्रारंभिक वित्तपोषण के साथ, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी क्रिया-कलापों के लिए आई आई टी खडगपुर में सूचना आश्वासन संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। यह केंद्र, रक्षा मंत्रालय और तीनों सेनाओं के लिए सूचना आश्वासन से सम्बद्ध अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की व्यवस्था के लिए प्रमुख संगठन होगा।

2.13 संयुक्त युद्धपद्धति अध्ययन केन्द्र : मुख्य संरक्षक, रक्षा मंत्री के नेतृत्व में उदीयमान थिंक टैंक संगठन, संयुक्त युद्धपद्धति अध्ययन केन्द्र ने रक्षा रणनीति और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में बौद्धिक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए बहुत से कार्य किए। इनमें से 'युद्ध लड़ने का भारतीय तरीका' और 'बल प्रदर्शन का भारतीय अनुभव' पर संगोष्ठियों का आयोजन तथा 'भारत चीन सुरक्षा गतिकी' और 'मध्य एशिया संबंधी परिप्रेक्ष्य और उसका भारत पर प्रभाव' पर गोल-मेज विचार-विमर्श प्रमुख थे। राष्ट्रीय सुरक्षा निर्णयन के लिए संयुक्त रूपरेखा के विकास संबंधी एक अध्ययन में प्रारंभिक कार्य किया गया है।

2.14 जल-थल युद्धपद्धति पर सेमिनार : जल-थल युद्धपद्धति पर एक त्रि-सेना सेमिनार 19 से 20 जनवरी, 2009 तक पुणे में आयोजित किया गया। राष्ट्र के अग्रणी सामरिक विश्लेषकों ने सेमिनार में पेपर प्रस्तुत किए। सेमिनार में सेनाध्यक्षों और सेवारत तथा सेवानिवृत्त वरिष्ठ अफसरों ने भाग लिया।

2.15 डायमंड जुबली री-यूनियन : पुणे में स्थित देश की अग्रणी त्रि-सेना सैन्य प्रशिक्षण संस्था राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ने 6 से 8 दिसंबर, 2008 तक अपनी डायमंड जुबली री-यूनियन मनाई। भारत के राष्ट्रपति इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। पंजाब और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपालों के अलावा सेवारत और सेवानिवृत्त स्नातकों ने इस ऐतिहासिक स्मरणोत्सव को मनाने के लिए कई प्रकार के क्रिया-कलापों में भाग लिया।

सेना मुख्यालय

2.16 तीनों सेना मुख्यालयों अर्थात् सेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय और वायुसेना मुख्यालय क्रमशः सेनाध्यक्ष, नौसेनाध्यक्ष और वायुसेनाध्यक्ष के अधीन कार्य करते हैं। उनके प्रधान स्टाफ अफसर उनकी सहायता करते हैं। रक्षा विभाग के अधीनस्थ अंतर सेवा संगठन, तीनों सेनाओं की सामान्य जरूरतों जैसे चिकित्सा सुविधा, जनसंपर्क, रक्षा मुख्यालयों में सिविलियनों के कार्मिक प्रबंधन के कार्यों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी हैं।

2.17 रक्षा संबंधी क्रियाकलापों से जुड़ी कई समितियां रक्षा मंत्री की सहायता करती हैं। सेनाध्यक्षों की समिति सेनाध्यक्षों के लिए सेनाओं के क्रियाकलापों संबंधी मामलों पर चर्चा करने और मंत्रालय को सलाह देने के लिए भी एक मंच है। सेनाध्यक्षों की समिति के प्रमुख का पद सबसे अधिक सेवा काल वाले सेनाध्यक्ष को दिया जाता है और परिणामस्वरूप यह तीनों सेनाओं को मिलता रहता है।

2.18 पहली जनवरी, 2008 से आगे रक्षा मंत्रालय के मंत्रियों, सेनाध्यक्षों और मंत्रालय के विभागों के

सचिवों और सचिव (रक्षा वित्त)/वित्त सलाहकार (रक्षा सेवाएं) के पदों पर कार्यरत अधिकारियों से संबंधित सूचना इस रिपोर्ट के परिशिष्ट-II में दी गई है।

सशस्त्र सेना अधिकरण की स्थापना

2.19 सरकार ने सेना अधिनियम, 1950, नौसेना अधिनियम, 1957 और वायुसेना अधिनियम, 1950 के अध्यक्षीन व्यक्तियों के कमीशन, नियुक्तियों, प्रवेश और सेवा संबंधी शर्तों से संबंधित विवादों और शिकायतों के अधिनिर्णय अथवा विचारण के लिए और उपर्युक्त अधिनियमों के तहत आयोजित कोर्ट मार्शलों के आदेशों, निष्कर्षों अथवा दण्ड से उत्पन्न अपीलों और उनसे जुड़े या आनुषंगिक मामलों की व्यवस्था के लिए एक सशस्त्र सेना अधिकरण की स्थापना करने का निर्णय किया है।

2.20 सशस्त्र सेना अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का 55) दिनांक 28.12.2007 को अधिसूचित किया गया है। यह अधिनियम 15 जून, 2008 से लागू हुआ है। अधिकरण की स्थापना को अभी अधिसूचित किया जाना है। सशस्त्र सेना अधिकरण की प्रधान पीठ नई दिल्ली में स्थापित की जा रही है। अधिकरण की नई दिल्ली स्थित प्रधान पीठ और चंडीगढ़ व लखनऊ में स्थित क्षेत्रीय पीठों में से प्रत्येक में तीन-तीन न्यायालय और जयपुर, कोच्चि, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई स्थित क्षेत्रीय पीठों में से प्रत्येक में एक-एक न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ए.के.माथुर ने इस अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में प्रभार ग्रहण किया है।

सशस्त्र सेना अधिकरण अधिनियम, 2007 15 जून, 2008 से लागू हुआ है। इसकी प्रधान पीठ नई दिल्ली में स्थित होगी और उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायामूर्ति ए. के. माथुर ने इस अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में प्रभार ग्रहण किया है।

रक्षा (वित्त)

2.21 रक्षा मंत्रालय में वित्त प्रभाग, वित्तीय प्रभाव डालने वाले सभी मामलों का कार्य देखता है। इस प्रभाग के प्रमुख सचिव (रक्षा वित्त)/ वित्त सलाहकार (रक्षा सेवाएं) हैं और यह रक्षा मंत्रालय के साथ पूर्णतः एकीकृत है तथा एक सलाहकार की भूमिका भी निभाता है।

2.22 अधिक समाघात तैयारी और तेजी से निर्णय लेने को सुकर बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय, वित्त प्रभाग से परामर्श करके संवर्धित वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करता है। इन शक्तियों के प्रयोग में पारदर्शिता और निर्धारित नीति संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया और रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल 2005 में प्रकाशित किए गए थे। रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया पूंजी अर्जन से और रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल राजस्व अधिप्राप्तियों से संबंधित है। वर्ष 2006 से प्राप्त किए गए अनुभवों को शामिल करने के लिए रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया और रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल में संशोधन किए गए थे।

2.23 रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया 2006, पूंजीगत अर्जन प्रक्रियाओं के लिए दिशा-निर्देशों को औपचारिक रूप देने का प्रयास था। उस सारांश में आवधिक समीक्षा हेतु प्रावधान शामिल किया गया था क्योंकि यह माना गया था कि आगे सुधार के लिए हमेशा गुजांइश रहेगी। विगत दो वर्षों के अनुभव और इसके कार्यान्वयन से जुड़े लोगों से प्राप्त जानकारी रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया, 2008 में शामिल की गई है।

2.24 रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया 2008 का उद्देश्य रक्षा सेनाओं द्वारा मांगी गई क्षमताओं के रूप में उनकी अनुमोदित जरूरतों की शीघ्रता से अधिप्राप्ति सुनिश्चित करना है। यह उच्चतम स्तर की ईमानदारी और जनता के प्रति जवाबदेही, कार्यों में पारदर्शिता, मुक्त प्रतियोगिता और निष्पक्षता पर जोर देती है। इसके अलावा, रक्षा उपस्करों में

आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लक्ष्य को भी ध्यान में रखा जाता है। इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन निहित हैं जिनका उद्देश्य अधिप्राप्ति ढांचे को मजबूत बनाना और उसे अधिक पारदर्शी तथा निष्पक्ष बनाना है। इनमें अनुरोध प्रस्ताव के हिस्से के रूप में परीक्षण प्रणाली का विस्तृत विवरण शामिल है ताकि विक्रेताओं को प्रारम्भ से ही उन प्रक्रियाओं की जानकारी हो जिनके द्वारा उनके उत्पादों का मूल्यांकन किया जाएगा। परीक्षण के दौरान विक्रेताओं को दिए जाने वाले निर्देश और अयोग्य ठहराए जाने के कारणों सहित, यदि कोई हों, मूल्यांकन के परिणाम अब उन्हें लिखित रूप में सूचित किए जाएंगे और उनका रिकार्ड रखा जाएगा। इसके अलावा, ऑफसेट नीति, जिसमें परियोजनाओं में शामिल विदेशी विक्रेताओं से भारतीय फर्मों और संयुक्त उद्यमों में सक्रिय रूप से निवेश करने की अपेक्षा की गई है, में ऑफसेट क्रेडिट बैंकिंग को शामिल करके उसे युक्तिसंगत बनाया गया है, जिससे विदेशी सहभागी भावी दायित्व की प्रत्याशा में ऑफसेट कार्यक्रम बना सकेंगे।

2.25 रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल, 2006 में राजस्व बजट से अधिप्राप्तियां करने हेतु अपनाई जाने वाली

रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया 2008 का उद्देश्य शीघ्रता से अधिप्राप्ति सुनिश्चित करना है और जनता के प्रति उच्च स्तर की जवाबदेही तथा कार्यों में पारदर्शिता, मुक्त प्रतियोगिता और निष्पक्षता पर जोर देना है।

प्रक्रिया निहित है। इस मैनुअल में, रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल, 2006 के प्रख्यापन के समय से हासिल किए गए अनुभव को ध्यान में रखते हुए, सेनाओं और रक्षा मंत्रालय के अन्य विभागों के परामर्श से संशोधन किया गया है। मार्च, 2009 में जारी किया गया संशोधित रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल 2009 पहली जून, 2009 से लागू है।

2.26 रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल 2009 में निर्धारित प्रक्रिया रक्षा मंत्रालय और रक्षा सेवाओं के सभी स्कंधों और तटरक्षक तथा जे ए के एल आई जैसे संगठनों पर लागू होगी, जिनके लिए बजटीय आबंटन किया जाता है। संशोधित मैनुअल, कुछ पूंजीगत मदों, चिकित्सा उपस्करों (राजस्व और पूंजीगत दोनों ही शीर्षों के तहत) की अधिप्राप्ति और अन्य मंत्रालयों और विभागों द्वारा रक्षा सेवाओं को दिए गए अनुदान से की गई खरीद पर भी लागू होगा। आयुध निर्माणियां और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन अपने मैनुअलों का अनुसरण करते रहेंगे, जिन्हें रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल, 2009 के अनुरूप बनाने हेतु उनकी समीक्षा किए जाने की आवश्यकता होगी।

2.27 संशोधन का मुख्य उद्देश्य इस प्रक्रिया को सरल बनाना, पारदर्शिता और औचित्य से समझौता किए बिना पर्याप्त लचीलापन मुहैया करना और रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल 2006 के तहत खरीद प्रस्तावों पर कार्रवाई करते समय महसूस की गई कठिनाइयों को दूर करना रहा है। रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया 2009 में दो नए अध्याय जोड़े गए हैं। इनमें से एक अध्याय का

संबंध आंशिक/संपूर्ण रिफिट/पोतों/पनडुब्बियों/क्राफ्टों की मरम्मत का कार्य/परिसंपत्तियां भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निजी गोदीबाड़ों/ट्रेड को देने से है। दूसरे अध्याय का संबंध डिजाइन, विकास और निर्माण संबंधी संविदाओं से है। इससे स्वदेशीकरण और आयात प्रतिस्थापन के उद्देश्य से विकासात्मक क्रयादेश देना आसान हो जाएगा।

2.28 रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में अधिप्राप्ति प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और स्पष्टता लाने की दृष्टि से खरीद प्रबंधन - 2006 दस्तावेज में व्यापक संशोधन किए गए हैं।

2.29 वित्त प्रभाग रक्षा सेवाओं के लिए प्राक्कलन तैयार करता है और उनकी मानीटरी करता है, रक्षा मंत्रालय के लिए सिविल प्राक्कलन तैयार करता है और रक्षा पेंशन के बारे में प्राक्कलन तैयार करता है। वर्ष 2006-07 और वर्ष 2007-08 के लिए वास्तविक व्यय के साथ-साथ वर्ष 2008-09 के लिए संशोधित प्राक्कलन तथा वर्ष 2009-10 के लिए बजट प्राक्कलन का ब्यौरा इस अध्याय के अंत में सारणी संख्या 2.1 तथा चार्ट के रूप में दर्शाया गया है।

2.30 रक्षा मंत्रालय के कार्यकरण पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की अद्यतन रिपोर्ट का सारांश इस वार्षिक रिपोर्ट के परिशिष्ट- III में दिया गया है।


सारणी 2.1

रक्षा व्यय का सेना/विभाग-वार ब्यौरा


(करोड़ रु0 में)

सेना/विभाग (राजस्व + पूंजी)		2006-07 वास्तविक	2007-08 वास्तविक	2008-09 संशोधित आकलन	2009-10 बजट आकलन
सेना		39577.85	45803.35	59058.57	76117.23
नौसेना		16198.16	15885.41	17312.77	20604.02
वायुसेना		24274.24	23593.95	29271.37	34432.26
रक्षा उत्पादन विभाग	आयुध निर्माणी महानिदेशालय	-252.70	-38.89	1502.18	1505.45
	गुणता आश्वासन महानिदेशालय	335.87	331.92	517.57	562.50
	योग	83.17	293.03	2019.75	2067.95
रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग		5361.22	6104.54	6937.54	8481.54
योग		85494.64	91680.28	114600.00	141703.00

रक्षा व्यय का सेना/विभाग-वार ब्यौरा



कुल रक्षा व्यय 2009-10 के प्रतिशत के रूप में
सेना/विभाग-वार व्यय



भारतीय सेना



एक टी-90 टैंक सेना दिवस परेड के दौरान सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए

भारतीय सेना सीमा पर सजग रहकर चौकसी करती है और किसी भी तरह के बलिदान के लिए तैयार रहती है ताकि देश के लोग शांति तथा सम्मान से जी सकें

3.1 उच्च प्रौद्योगिकी पर आधारित अचूक हथियारों को शामिल करने से भविष्य के युद्धों की घातक क्षमता कई गुणा बढ़ गई है। आज सेना के सामने मौजूद खतरों का दायरा बढ़ गया है, जिसमें न्यूक्लियर से लेकर परंपरागत और अन्य कई तरह के खतरे शामिल हैं, साथ ही आतंकवाद भी कई सिरों वाले दैत्य की तरह मुंह उठाए खड़ा है। अत्यधिक उग्र मौसम अर्थात् ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर और भयंकर सरदी, घने पर्वतीय जंगल और रेगिस्तान की गरमी और धूल भरे अंधड़ पर भी ध्यान देना जरूरी है। सफलता हासिल करने की प्रबल इच्छा शक्ति, अपनी भारी जिम्मेदारियों को सहर्ष स्वीकार करना और दूसरों के लिए अपनी जान न्योछावर करने का जोश, सेना के ऐसे मूल्य हैं जो सभी जवानों में कूट-कूट कर भरे हैं।

3.2 भारतीय सेना ने सदैव अपनी बहादुरी, वीरता, बलिदान और धैर्य की परंपरा का सदैव पालन किया है। यह सीमा पर सजग रहकर चौकसी करती है और किसी भी तरह के बलिदान के लिए तैयार रहती है ताकि देश के लोग शांति तथा सम्मान से जी सकें।

सेना का आधुनिकीकरण

3.3 यदि भविष्य में दूर की सोचते हुए सेना के आकार, संख्या और भूमिका के बारे में व्यावहारिक दूरदर्शिता से काम लें तो सेना के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया पर तेज़ी से काम करना और प्रौद्योगिकी प्रक्रिया पर 'खतरे और क्षमता पर आधारित सेना' तैयार करने की दिशा

में काम करना जरूरी हो जाता है। सेना को बहुआयामी परिवर्तनों के लिए तैयार होना होगा और आने वाले समय की प्रत्याशित चुनौतियों को देखते हुए सदैव 'तैयार और संगत सेना' का रूप लेना होगा।

3.4 **मैकेनाइज़्ड सेना** : मैकेनाइज़्ड सेना, रक्षा सेनाओं का एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य अंग है, विकट समाघाती क्षमता और ऑपरेशनल महत्व वाली इस सेवा में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी परिवर्तन किए जा रहे हैं। मैकेनाइज़्ड सेना के आधुनिकीकरण का काम चल रहा है, जिसके तहत मैसर्स बीडीएल के साथ बीएमपी-2 और टी-90 टैंकों के लिए अतिरिक्त एटीजीएम लेने का करार किया गया है। आईसीवी बीएमपी-2/2 की मौजूदा एनबीसी प्रणाली, फायर डिटेक्शन और सप्रेसन प्रणाली को अपग्रेड करके और साथ ही एक नया और उन्नत पावर पैक मुहैया करवा कर इन्हें आधुनिक बनाया जा रहा है। आईसीवी बीएमपी-2 के लिए पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली प्राप्त करने का काम अंतिम चरण में है। एचएमवी टाटरा पर लगे अतिरिक्त बीएफएसआर भी खरीदे जा रहे हैं।

3.5 **तोपखाना** : तोपखाना, लंबी दूरी और बेहतर फायर क्षमता वाली गनों, मिसाइलों और रॉकेट प्रणालियों तथा साथ ही अत्याधुनिक निगरानी प्रणालियों की शृंखला प्राप्त करने जा रहा है। इससे तोपखाने की रेंज, अचूकता और घातक क्षमता बढ़ जाएगी और यह आने वाले समय में, ऑपरेशनों और लड़ाइयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ-साथ अधिक शक्तिशाली सेना बन जाएगी।

3.6 हथियार प्रणाली

(क) ब्रह्मोस हथियार प्रणाली : लगभग 290 किलोमीटर की रेंज वाली ब्रह्मोस सुपरसॉनिक क्रूज़ मिसाइल, हर मौसम के अनुकूल 'फायर-एंड-फॉरगेट' मिसाइल है जो ज़मीन, समुद्र, समुद्र के नीचे और आसमान से लॉन्च की जा सकती है।



(ख) स्मर्च मल्टी रॉकेट लॉन्चर प्रणाली (एमएलआरएस) : रूस में बनी इस बहु-उपयोगी और विध्वंसक मल्टी रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का प्रयोग सेना में पहले से ही किया जा रहा है।

(ग) पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली (एमबीआरएलएस) : यह स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। आशा है कि इसका पहला कन्साइनमेंट शीघ्र ही सेना को सौंप दिया जाएगा।



3.7 वाहन प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करना : जीआरएडी बीएम-21 का मौजूदा वाहन प्लेटफॉर्म 1980 का बना हुआ है और अब इसे अपग्रेड करने की आवश्यकता है। इसके लिए अपग्रेड वाहन प्लेटफॉर्म खरीदने की प्रक्रिया पर काम चल रहा है।

3.8 स्वदेशी 130 मिमी. कार्गो गोला-बारूद का विकास : आयुध फैक्टरी बोर्ड ने आईएमआई, इज़रायल के तकनीकी सहयोग से बनाए गए स्वदेशी 130 मिमी. कार्गो गोला-बारूद का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया।

3.9 इलैक्ट्रॉनिक फ्यूज़ : परीक्षण मूल्यांकन की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद प्वाइंट विस्फोट के लिए 105 मिमी., 103 मिमी. और 155 मिमी. गनों के इलैक्ट्रॉनिक फ्यूज़, वीटी और कैरियर शैल सेना को दिए गए।

3.10 अपग्रेड किए हुए स्वदेशी फॉरवर्ड ऑब्ज़र्वेशन सिमुलेटर : भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बंगलुरु ने एक स्वदेशी फॉरवर्ड ऑब्ज़र्वेशन सिमुलेटर तैयार करने में सफलता हासिल की।

3.11 संयुक्त प्रशिक्षण : एसएएफ़ तोपखाना के कार्मिकों को तोपखाना स्कूल, देवलाली में प्रशिक्षण देने के लिए भारत और सिंगापुर के बीच एक दीर्घकालिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र सेनाओं के बीच नवंबर 2008 में एक द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास ('अग्नि वारियर अभ्यास') आयोजित किया गया।

सेना हवाई रक्षा

3.12 मुख्य रूप से पुरानी मिसाइल प्रणालियों को प्रतिस्थापित करने और एडी गन प्रणालियों के लिए नई सामान्य प्रणालियां प्राप्त करने पर ज़ोर दिया जा रहा है। निगरानी और फायर नियंत्रण क्षमताओं को बढ़ाने

के लिए 3डी सामरिक नियंत्रण रडार और मौजूदा फायर नियंत्रण रडारों के उत्तरवर्ती रडार प्राप्त करने की योजना बनाई गई है।

सेना विमानन

3.13 मौजूदा हेलीकॉप्टर बेड़े की जगह बेहतर क्षमताओं और वहन-क्षमता वाले टोही और निगरानी हेलीकॉप्टर प्राप्त करके सेना विमानन को शक्तिशाली बनाने की प्रक्रिया पर काम चल रहा है। सेना स्वदेश में निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर पर आधारित हथियारबंद प्लेटफॉर्म खरीदने की प्रक्रिया में भी लगी हुई है।

इंजीनियर

3.14 इंजीनियर कोर की क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए मौजूदा पुल प्रणालियों की जगह अत्याधुनिक स्वदेशी पुलों का इस्तेमाल करने की योजना पर काम चल रहा है, जिससे हमारी फील्ड फॉर्मेशनों की सामरिक संचलन क्षमता बढ़ जाएगी। मिट्टी ढोने के नये प्लांट और सामान को इधर-उधर रखने वाली क्रेन भी खरीदी जा रही हैं ताकि सैनिकों की थकान को कम किया जा सके।

सिगनल

3.15 सिगनल कोर ने भारतीय सेना के विभिन्न नेटवर्कों को मिलाकर एक नेटवर्क बनाने के कई बड़े कार्य किए हैं। एस्कॉन और कमान एकीकृत नेटवर्क लिंक को इकट्ठा कर एक सेना नेटवर्क बनाया गया है। रक्षा संचार नेटवर्क, तीनों सेनाओं की एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो सेना, नौसेना, वायुसेना और आईडीएस के सामरिक घटकों के बीच संपर्क सूत्र स्थापित करेगी। एस्कॉन को अपग्रेड करने की योजना बनाई गई है, जिससे एकीकृत निगरानी प्रणाली और एस्कॉन हॉट स्पॉट की शुरुआत की जा

सकेगी। फील्ड फार्मेशनों को फ्रीक्वेंसी हॉपिंग क्षमता और डाटा ट्रांसफर सुविधा वाले नये स्वदेशी रेडियो सेट दिए गए हैं ताकि सेना की नेटवर्क सेंट्रिसिटी क्षमता बेहतर बनाई जा सके।

इन्फैंट्री

3.16 इस क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इन्फैंट्री के लिए अत्याधुनिक प्रणालियों की आवश्यकता है। इसके लिए मुख्य रूप से फायर क्षमता और निजी सुरक्षा बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए बेहतर क्वालिटी के निजी हथियार, थर्मल इमेजिंग यंत्र, सुरंग संरक्षित वाहन और बेहतर रेडियो संचार प्रणालियां प्राप्त की जा रही हैं। इन्फैंट्री के इस्तेमाल के लिए बूट एंटी माइन की आपूर्ति के लिए करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। विद्रोह रोधी कार्रवाइयों के लिए बुलेट प्रूफ वाहन और शॉट गन खरीदी जा रही हैं। 26/11 जैसी घटनाओं ने

तत्काल कार्रवाई के लिए सभी इन्फैंट्री बटालियनों को भली-भांति लैस करने की जरूरत को बढ़ा दिया है। इसके लिए इन्फैंट्री बटालियनों की घातक प्लाटूनों के लिए विशेष सामान की खरीद की जा रही है।

3.17 संचार प्रणालियों के लिए कंटेनर-वाहनों और हल्के विशेष वाहनों (बहु-उपयोगी) का परीक्षण मूल्यांकन चल रहा है और आशा है कि अगले वित्त वर्ष में ये खरीद लिए जाएंगे।

प्रादेशिक सेना

3.18 प्रादेशिक सेना एक स्वैच्छिक, अंशकालिक सेना है, जिसमें वे भारतीय नागरिक शामिल हैं जो कहीं और भी काम करते हैं और राष्ट्रीय संकट की अवस्था में देश की सुरक्षा बनाए रखने के लिए कुछ भी कर गुज़रने को तत्पर रहते हैं, जिससे नियमित सेना को उनकी



सेनाध्यक्ष पाइपिंग सेरिमनी में प्रसिद्ध क्रिकेटर कपिल देव को प्रादेशिक सेना में औपचारिक रूप से शामिल करते हुए

स्थायी ड्यूटी से कुछ राहत मिल जाती है, साथ ही वे प्राकृतिक आपदाओं के दौरान स्थिति को संभालने और अनिवार्य सेवाएं बनाए रखने में सिविल प्राधिकारियों की मदद करने को भी तैयार रहते हैं।

3.19 अतिरिक्त कंपनियों का गठन : मार्च 2008 में 127 इन्फैंट्री बटालियन टीए (इको) और 130 इन्फैंट्री बटालियन टीए (इको) के लिए दो-दो अतिरिक्त कंपनियों का गठन किया गया। इनके लिए निधियों की व्यवस्था उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा की जा रही है।

3.20 उत्तर कमान में टीए ग्रुप मुख्यालय का गठन: उत्तर कमान में टीए ग्रुप मुख्यालय गठित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है।

राष्ट्रीय राइफल

3.21 राष्ट्रीय राइफल आज भी भारतीय सेना का बगावत-रोधी/आतंकवाद - रोधी सेनांग है। आजकल जिस प्रकार के अचूक ऑपरेशन किए जाते हैं, उससे हमारी सेवा में हताहतों की संख्या में भारी कमी आई है। राष्ट्रीय राइफल की संक्रियात्मक कार्यवाही अनुकरणीय है। सैन्य टुकड़ियों के उच्च प्रेरणा स्तर, बेहतरीन आसूचना नेटवर्क और स्थानीय लोगों और सिविल प्रशासन के साथ अच्छे संबंधों के कारण ऐसा किया जा सका। परंतु, छद्म युद्ध में सफलता हासिल करने की हमें भारी कीमत चुकानी पड़ी। हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किए गए अनथक प्रयासों में राष्ट्रीय राइफल के अनेक जाँबाज़ अफ़सरों और जवानों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी।

उपलब्धियां

3.22 राष्ट्रीय राइफल की फार्मेशनों और यूनिटों ने जनवरी 2008 से मार्च 2009 के बीच जो उपलब्धियां हासिल कीं, वे तालिका 3.1 और 3.2 में दी गई हैं।

जनवरी 2008 से मार्च 2009 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय राइफल ने 224 आतंकवादियों को मार गिराया और 116 को गिरफ्तार किया।

तालिका 3.1

राष्ट्रीय राइफल द्वारा निष्क्रिय किए गए आतंकवादी (जनवरी 2008 से मार्च 2009 तक)		
(i)	मारे गए	224
(ii)	आत्मसमर्पण किया	27
(iii)	गिरफ्तार किए गए	116

तालिका 3.2

राष्ट्रीय राइफल द्वारा बरामद किए गए हथियार और गोला-बारूद (जनवरी 2008 से मार्च 2009 तक)		
(i)	राइफल (हर प्रकार की)	322
(ii)	पिस्तौल	134
(iii)	एलएमजी/यूएमजी	14
(iv)	आरएल/यूबीजीएल	58
(v)	ग्रेनेड	1507
(vi)	देशी विस्फोटक यंत्र	145
(vii)	आरएस	159
(viii)	विस्फोटक	549.9 किग्रा.
(ix)	गोला-बारूद	46,307 राउंड

3.23 सम्मान और पुरस्कार : सेना की महान परंपराओं को कायम रखते हुए राष्ट्रीय राइफल ने सराहनीय कार्य-कुशलता से आतंकवाद से लड़ते हुए अपनी क्षमता साबित की। राष्ट्रीय राइफल की यूनिटों और कार्मिकों द्वारा प्राप्त किए गए सम्मान और पुरस्कार इस बात का सबूत हैं कि राष्ट्रीय राइफल ने विभिन्न ऑपरेशनों में स्थिति में सामान्य रूप से सुधार करने में सफलता हासिल की। जनवरी 2008 से 26 जनवरी, 2009 तक इसके द्वारा प्राप्त पुरस्कारों की सूची तालिका 3.3 में दी गई है।

तालिका 3.3

क्रमांक	पुरस्कार	कुल संख्या
(क)	अशोक चक्र	02
(ख)	कीर्ति चक्र	07
(ग)	अति विशिष्ट सेवा मेडल	03
(घ)	शौर्य चक्र	20
(ड.)	सेना मेडल (बहादुरी)	109
(च)	सेना मेडल (कर्तव्यपरायणता)	15
(छ)	विशिष्ट सेवा मेडल	18
(ज)	मैशन-इन-डिस्पैच	49
(झ)	सेनाध्यक्ष प्रशंसा पत्र	157
	कुल	380

विद्रोह-रोधी कार्रवाइयां और आंतरिक सुरक्षा संबंधी हालात

3.24 राष्ट्र आज जिन चुनौतियां का सामना कर रहा है वे बहुत ही अलग किस्म की, गंभीर और जटिल हैं। परम्परागत/परामाणु युद्धों के बढ़ते खतरों, हमारी अनिर्धारित सीमाओं की चौकसी, जम्मू-कश्मीर में छद्म युद्ध से लड़ना और उत्तर-पूर्व में बढ़ती अनेक बगावतों का सामना करने के लिए भारतीय सेना को बहुआयामी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, सेना देश की आंतरिक सुरक्षा को होने वाले नक्सलवादी खतरों और आतंकवाद से जूझ रही है।

जम्मू-कश्मीर

3.25 इस राज्य की सुरक्षा संबंधी स्थिति पर सुरक्षा बलों का कड़ा नियंत्रण है। सेना द्वारा घुसपैठ-रोधी कड़े तरीके अपनाए जाने और लगातार चलाए गए आतंकवाद-रोधी आपरेशनों के कारण आतंकवादियों

जनवरी, 2008 से मार्च 2009 की अवधि के दौरान भीतरी क्षेत्र में 383 आतंकवादी मारे गए और 193 को बंदी बनाया गया।

की हिंसक वारदातें पिछले वर्ष की अपेक्षा काफी कम हो गई हैं। इस तरह तैयार किए गए सुरक्षित परिवेश में राज्य में हाल ही में हुए विधान सभा चुनावों में भारी संख्या में मतदान हुआ, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बनाने में काफी सहयोग मिला।

सीमाओं पर स्थिति

3.26 (क) **नियंत्रण रेखा/अंतर्राष्ट्रीय सीमा-रेखा** : वर्ष 2008 में नियंत्रण रेखा/अंतर्राष्ट्रीय सीमा-रेखा पर गोलाबारी की घटनाओं में वृद्धि हुई। जनवरी 2008 से मार्च 2009 तक गोलाबारी की 87 घटनाएं हुईं जिनमें से 51 घटनाएं पाकिस्तान द्वारा युद्धविराम का उल्लंघन करने संबंधी हैं जिनमें पाकिस्तानी चौकियों ने घुसपैठ रोकने के लिए तैनात की गई हमारी सेना और निगरानी ग्रीड को, सम्भवतः उसे छिन्न-भिन्न करने और घुसपैठ कराने के लिए, निशाना बनाया। निर्धारित तंत्र के जरिए पाकिस्तानी प्राधिकारियों को पाकिस्तानी सेना द्वारा युद्धविराम का उल्लंघन किए जाने के बारे में बार-बार बताया गया।

(ख) **घुसपैठ** : घुसपैठ रोकने के लिए घुसपैठ-रोधी उपाय, विशेष रूप से गर्मी के दौरान और अधिक बेहतर बनाए गए। यह प्रयास सफल हुआ। जनवरी 2008 से मार्च 2009 के दौरान अनुमानतः 57 घुसपैठिए ही भारतीय सीमा में प्रवेश कर सके जबकि वर्ष 2007 में इसी अवधि के दौरान 311 घुसपैठिए भारतीय सीमा पार कर गए। आतंकवादी अभी भी घुसपैठ करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस दौरान घुसपैठ के 44 प्रयासों को नाकाम कर दिया गया और 61 आतंकवादी कार्रवाई में मारे गए।

3.27 **भीतरी क्षेत्र की स्थिति** : जनवरी 2008 से मार्च 2009 के दौरान सेना ने 383 आतंकवादियों

को मार गिराया और 193 बंदी बना लिए गए, 73 आतंकवादी इस प्रक्रिया में मारे गए। इस दौरान आतंकवादियों के नेतृत्व को सफलतापूर्वक निशाना बनाते हुए 66 मध्यम स्तर के लीडरों का सफाया कर दिया गया।

उत्तर-पूर्व

3.28 पूर्वोत्तर के राज्यों की सुरक्षा की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। सेना, केंद्र/राज्य सरकारों के अन्य बलों की सहायता से बगावत-रोधी और आतंकवाद-रोधी ऑपरेशनों में आगे बढ़कर निरंतर काम कर रही है। सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए लगातार ऑपरेशनों के दबाव ने बहुत से भूमिगत ग्रुपों को युद्धविराम लागू करने अथवा सरकार के साथ बातचीत शुरू करने पर मजबूर कर दिया है।

3.29 **असम** : असम में सेना द्वारा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, असम के विरुद्ध की जा रही निरंतर कार्रवाई से 476 से अधिक उल्फा काडर मारे गए अथवा बंदी बना लिए गए। उल्फा काडरों का मनोबल टूटने से आत्मसमर्पण करने वालों का तांता लग गया और जनवरी 2008 से मार्च 2009 के बीच 382 से अधिक उल्फा काडरों ने

आत्मसमर्पण किया। इसी तरह का दबाव डाले जाने से 28 बटालियन के रैंकों में बुरी तरह से फूट पड़ गई और बहुत-से काडरों ने सरकार से युद्ध-विराम लागू करने का अनुरोध किया। जनता शांति-बहाली की कार्रवाइयों का जोर-शोर से समर्थन कर रही है और वरिष्ठ उल्फा नेताओं पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वे समझौता वार्ता के लिए तैयार हो जाएं।

3.30 असम में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी), डिमासा हलम डोगा (डीएचडी) और यूनाइटेड पीपल्स डेमोक्रेटिक सॉलिडेरिटी (यूपीडीएस) जैसे अन्य छोटे-छोटे भूमिगत ग्रुपों के साथ 'ऑपरेशन रोको' समझौतों का पालन किया जा रहा है। तथापि, दक्षिणी असम में साल की शुरुआत में ही, डीएचडी-डीएचडी(जे) के अलग-अलग हुए गुटों ने निरंकुश हत्याएं और जबरन वसूली की, जिसका महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं की परियोजनाओं (सड़क और रेल) के कामों पर बुरा असर पड़ा। परिणामस्वरूप, सेना ने इस क्षेत्र में कार्रवाई तेज की, जिससे स्थिति में काफी सुधार हुआ।

3.31 **नागालैंड** : नागालैंड में एनएससीएन (आईएम) और एनएससीएन (के) बीच आपसी गुटबंदी झगड़े बढ़ते



रक्षा मंत्री, सेनाध्यक्ष, रक्षा सचिव और अन्य वरिष्ठ अफसर अरुणाचल प्रदेश स्थित तवांग के युद्ध स्मारक में

ही जा रहे हैं। सीएफजीआरएस के दायरे के भीतर काम कर रही सेना और असम राइफल की यूनिटें एनएससीएन के गुटों के बीच बढ़ती हिंसा को कम करने और सिविलियनों की सुरक्षा करने में कामयाब रही।

3.32 मणिपुर : मणिपुर में, सेना और असम राइफल द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। जनवरी 2008 से मार्च 2009 के दौरान विभिन्न संगठनों के 279 कांड मारे गए और 1076 से अधिक बंदी बना लिए गए।

3.33 अगस्त 2008 में केंद्र और राज्य सरकार ने कुकी और ज़ोमी भूमिगत गुप्तों के साथ 'ऑपरेशन रोको समझौते' (सेना द्वारा 2005 में शुरू किया गया) को एक त्रिपक्षीय समझौते का औपचारिक रूप दिया। इससे मणिपुर के कुकी और ज़ोमी लोगों की आबादी वाले इलाकों में शांति बहाल की जा सकी जबकि मेतेई भूमिगत गुट अभी भी हिंसा पर उतारू है। कुकी गुप्तों के साथ समझौता किए जाने के बाद, मेतेई गुट पर भी शान्ति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए दबाव बढ़ रहा है।

3.34 त्रिपुरा : इस समय त्रिपुरा में भी स्थिति काफी बेहतर हो गई है, हालांकि भूमिगत गुप्तों द्वारा हिंसा की छुट-पुट घटनाओं को अभी भी अंजाम दिया जा रहा है। लगातार कार्रवाई द्वारा दबाव बनाने और राज्य सरकार द्वारा 'आत्मसमर्पण तथा पुनर्वास' नीति की घोषणा किए जाने के कारण इस दौरान विभिन्न भूमिगत गुप्तों के 441 कांडों ने आत्मसमर्पण कर दिया।

नक्सलवादी हिंसा

3.35 भारतीय सेना प्रभावित राज्यों में पुलिस तंत्र को मजबूत बनाने के लिए परामर्श और प्रशिक्षण देने में सहायता करके अपनी भूमिका अदा कर रही है। गृह मंत्रालय के अनुरोध पर भारतीय सेना के दलों ने छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड राज्यों की स्थिति

का सीधे ही जायजा लेने के लिए वहां का दौरा किया। प्रस्तुत की गई रिपोर्टों को गृह मंत्रालय ने अनेक सकारात्मक प्रभावों के साथ स्वीकार किया। बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों के लिए आतंकवाद-रोधी स्कूलों को मंजूरी दी जा चुकी है।

वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर स्थिति

3.36 चूंकि चीन, एशियाई सुरक्षा व्यवस्था में अपना महत्व स्थापित करना चाहता है इसलिए इसके सैन्य स्वरूप में गुणात्मक और संख्यात्मक वृद्धि होना तय है। हालांकि यह स्पष्ट रूप से चिंता का विषय है परंतु इससे बेवजह डरने का कोई कारण नहीं है।

3.37 वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। विश्वास कायम करने के उपाय किए जा रहे हैं। तथापि, भारतीय सेना का रुख अनवरत रूप से सजग, दृढ़ और उपयुक्त बना हुआ है।

संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना ऑपरेशनों में भारतीय सेना का योगदान

3.38 भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना ऑपरेशनों में सबसे अधिक योगदान देने वाला तीसरा देश है। भारतीय सेना इस समय चल रहे पांच शांति स्थापना मिशनों में भाग ले रही है। ये मिशन यूएनआईएफआईएल (लेबनान), एमओएनयूसी (कांगो), यूएनएमआईएस (सूडान), यूएनडीओएफ (गोलन हाईट्स) और ओएनयूसीआई (आइवरी कोस्ट) हैं।

3.39 भारत अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न मिशनों में दो सैन्य सलाहकार, 12 फोर्स कमांडर और एक डिवीजन कमांडर भेज चुका है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए अब तक 124 भारतीय जवान वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। विश्व शांति के महान उद्देश्य को पूरा करते हुए भारतीय सेना के कार्मिकों को 1 परमवीर चक्र, 5 महावीर चक्र, 1 कीर्ति चक्र, 19 वीर चक्र, 3 शौर्य चक्र, 4 युद्ध सेवा मेडल, 10 सेना मेडल और 2 विशिष्ट सेवा मेडल से नवाज़ा जा चुका है।

3.40 कांगो में भारतीय संयुक्त राष्ट्र मिशन संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र (सीयूएनपीके) : संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन में प्रतिनियुक्त भारतीय और विदेशी अफसरों को प्रशिक्षित करने के लिए नई दिल्ली में सितंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र स्थापित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र छह अंतरराष्ट्रीय सेमिनार, पांच राष्ट्रीय सेमिनार, कंटीजेंट अफसरों, सैन्य पर्यवेक्षकों, सिविल पुलिस, स्टाफ और संचारिकी अफसरों के लिए 22 अंतरराष्ट्रीय ट्रेनिंग कैम्पसूल, एक बहु-राष्ट्रीय शांति स्थापना ऑपरेशन अभ्यास (पीकेओ), अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापना प्रशिक्षण केंद्र संघ की एक वार्षिक कांफ्रेंस और छह द्विपक्षीय सेमिनारों का आयोजन कर चुका है और अब तक 71 देशों के 351 विदेशी प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

3.41 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2008 तक नेशनल डिफेंस कॉलेज, अब्जुआ, नाइजीरिया में अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापना प्रशिक्षण केंद्र संघ (आईएपीटीसी) के 14वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र को उसका सचिवालय बनाया गया। इस सम्मेलन में 30 देशों के 144 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

सैन्य खेलकूद

3.42 सेना की मिशन ओलंपिक विंग ने अनेक अंतरराष्ट्रीय मेडल जीत कर सेना की खेलकूद की महान परंपरा को कायम रखा है। बीजिंग ओलंपिक में पहली बार भारतीय सैन्य टुकड़ी ने हिस्सा लिया, जिसमें 6 खिलाड़ी शामिल थे।

3.43 बीजिंग ओलंपिक में सेना रोइंग नोड के तीन रोवरों ने देश का प्रतिनिधित्व किया। खेलकूद के लिए विश्व-स्तरीय ढांचा तैयार करने की प्रक्रिया के अंतर्गत एआरएन, पुणे में अंतरराष्ट्रीय स्तर का 2.2 किमी. लंबा रोइंग चैनल बन कर तैयार होने वाला है।

3.44 सेना खेलकूद संस्थान (एएसआई), पुणे के नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह ने 32 वर्ष पुराना रिकार्ड तोड़ते हुए 10,000 मीटर में नया राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया। सेना नौकायन नोड, मुंबई के मेजर एनएस जोहल नौकायन की फिन श्रेणी में सबसे ऊँची रैंकिंग वाले एशियाई हैं।

सम्मान और पुरस्कार

3.45 तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक अभियान पुरस्कार 2007: दो जूनियर कमीशनप्राप्त अफसरों (जेसीओ) को पर्वतारोहण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा वर्ष 2007 के तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक अभियान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है-

- (क) सूबेदार मोहिन्दर सिंह, शौर्य चक्र, डोगरा स्काउट्स
- (ख) सूबेदार नील चंद, शौर्य चक्र, डोगरा स्काउट्स

3.46 यह पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार के समकक्ष है। भारत के राष्ट्रपति ने 29 अगस्त 2008 को राष्ट्रपति भवन में इन दोनों जूनियर कमीशनप्राप्त अफसरों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया।

भारतीय नौसेना



भारतीय नौसेना—एक बहु-आयामी सेना

भारतीय नौसेना अपनी क्षमता, सामरिक हैसियत और हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी बलशाली मौजूदगी के कारण इस क्षेत्र में शांति, अमन और स्थिरता कायम रखने के लिए प्रेरणा स्रोत रही है

4.1 भारतीय नौसेना (भा नौ) अपनी क्षमता, सामरिक हैसियत और हिंद महासागर क्षेत्र (आई ओ आर) में अपनी बलशाली मौजूदगी के कारण वहां शांति, अमन और स्थिरता कायम रखने के लिए प्रेरणा स्रोत रही है। इसने मैत्री और सहयोग का हाथ बढ़ाकर अन्य समुद्री राष्ट्रों को भी इसमें शामिल किया है। हिंद महासागर के समुद्रों पर अपने व्यापार और ऊर्जा सप्लाई के लिए निर्भर रहने वाले राष्ट्रों के साथ-साथ हमारे पड़ोस के छोटे राष्ट्रों के लिए, भारतीय नौसेना ने अपने तटीय क्षेत्रों के समुद्रों में स्थिरता और शांति के उपाय सुनिश्चित किए हैं। अपने कार्यों को पूरा करने के लिए, भारतीय नौसेना क्षेत्रीय और क्षेत्र से बाहर की नौसेनाओं के साथ अपनी क्षमताओं, सहयोग और अंतः संक्रियात्मकता को बढ़ा रही है। समुद्र में डकैती और आतंकवाद से निपटने के अलावा, भारतीय नौसेना समुद्रों का सर्वेक्षण करने, मुसीबत में फंसे लोगों को खोजने एवं उनके बचाव (एस ए आर) की सुविधाएं उपलब्ध कराने, विशाल समुद्री क्षेत्र में नौचालन संबंधी चेतावनियों में तालमेल बनाए रखने और असंख्य ऐसे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कार्य भी करती है जिससे पूरे विश्व का समुद्री उद्योग और अर्थव्यवस्था सुचारु रह सके।

नई परियोजनाएं/शामिल करना

4.2 भारतीय नौसेना के बल स्तर में वृद्धि करने के लिए भारत और विदेशों में कई पोत, पनडुब्बियां, सर्वेक्षण

जलयान, अतिरिक्त सहायक जलयान इत्यादि निर्माणाधीन हैं। स्वदेशी विमान वाहक भी सी एस एल, कोच्ची में निर्माणाधीन है।

4.3 **डरबी फायरिंग** : भारतीय नौसेना ने मार्च 2008 में आई एन सी हैरियर से डबोलिम एयर टू एयर रेंज में डरबी मिसाइल की फायरिंग सफलतापूर्वक की। दृश्य रेंज से परे (बी वी आर) मिसाइल की भारतीय नौसेना द्वारा की गई यह प्रथम सफल फायरिंग थी।

4.4 **यू एच 3 एच को शामिल करना** : भारतीय नौसेना में छः यू एच 3 एच यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों को शामिल किया गया है। यू एच 3 एच हेलीकॉप्टरों के लिए गहन उड़ान प्रशिक्षण यूनिट (आई एफ टी यू) स्थापित की गई है। इस यूनिट को 23 मार्च, 2009 को भारतीय नौसेना वायु स्क्वाड्रन (आई एन ए एस) 350 के नाम से कमीशन किया गया।

प्रमुख अभ्यास

4.5 **डिफेंस ऑफ गुजरात एक्सरसाइज (डी जी एक्स 08)** : डी जी एक्स 08 का आयोजन 10 से 22 नवम्बर 2008 तक किया गया। भारतीय वायुसेना के जगुआर और मिराज वायुयानों सहित पश्चिम नौसेना कमान मुख्यालय के भा नौ पोतों ने इस अभ्यास में भाग लिया।

4.6 **ट्रॉपेक्स 08** : वर्ष के दौरान पूर्वी समुद्री तट पर ट्रॉपेक्स 08 का आयोजन किया गया। इस अभ्यास



संयुक्त युद्धाभ्यास योजना

को तीन चरणों में बांटा गया – स्वतंत्र वर्कअप चरण, संयुक्त वर्कअप चरण और युद्धनीतिक चरण ।

4.7 **ट्रॉपेक्स 09** : 27 जनवरी से 25 फरवरी 2009 तक पश्चिमी तट पर ट्रॉपेक्स 09 का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में पूर्वी और पश्चिमी दोनों बेटों के पोतों ने भाग लिया ।

4.8 **तटरक्षा XXIII** : तटरक्षा का आयोजन वर्ष में दो बार किया जाता है जिसमें सेना, नौसेना, तटरक्षक, भारतीय वायु सेना, सीमा सुरक्षा बल, राज्य पुलिस और सीमा शुल्क विभाग हिस्सा लेते हैं । इस आयोजन का उद्देश्य क्रीक क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए विभिन्न एजेंसियों की प्रतिक्रियाएं जानना है । इस वर्ष थल और समुद्री सीमाओं से घुसपैठ को रोकने की हमारी

तैयारी को जानने के लिए इस अभ्यास का आयोजन 7 से 10 अप्रैल 2008 तक किया गया ।

4.9 **मिनी टेसेक्स 08** : मिनी टेसेक्स एवं एमफेक्स का आयोजन 10 से 28 सितम्बर 2008 तक अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में किया गया । इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के तीन पोतों ने भाग लिया ।

4.10 **हार्न ऑफ अफ्रीका पैट्रोल** : भारतीय नौसेना के तीन पोतों ने फ्रांसीसी नौसेना पोत कोरबेट के साथ मिलकर 11 से 15 अगस्त 2008 तक सोमाली तट से दूर संयुक्त गश्त लगाई । इस अभ्यास को "हार्न ऑफ अफ्रीका पैट्रोल" नाम दिया गया जिसका उद्देश्य सोमालिया के तट से परे हो रही निरंकुश समुद्री डकैतियों को रोकना था । एक फ्रांसीसी समुद्री

वायुयान (अटलांटिक) ने भी इस गश्त में भाग लिया और इसका संचालन डिजीबोटी से किया गया ।

4.11 शेषनाग 08 : अभियान संबंधी संक्रियाओं के क्षेत्र में तीनों सेनाओं द्वारा पहली बार किया गया जलथलीय योजना टेबल टॉप अभ्यास 4 से 13 अगस्त 2008 तक समुद्री युद्धपद्धति केन्द्र, विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया । वर्ष 2006 और 2007 में आयोजित इंडो-यू एस हाबूनाग श्रृंखला के अभ्यासों के परिणामस्वरूप इस टेबल टॉप अभ्यास पर विचार किया गया । शेषनाग 08 में भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं के कुल 38 अफसरों ने भाग लिया । इस अभ्यास से इन्फेंट्री ब्रिगेड को जलथलीय ब्रिगेड में बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई ।

4.12 बीचिंग अभ्यास : अंडमान और निकोबार फ्लोटिला के पोतों ने 2004 में आए सुनामी के बाद समुद्र

तटों को फिर से सही करने के लिए इस अवधि के दौरान कई द्वीपसमूहों पर कुल 261 बीचिंग संक्रियाएं पूरी कीं। दूर-दराज के द्वीपसमूहों में उपस्थिति बनाए रखने और अनधिकृत शिकार, गैर कानूनी आप्रवास और अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए 114 से भी अधिक तैनातियां की गईं । निर्बाध संचारिकी सहायता प्रदान करने के लिए द्वीपसमूहों के सभी पत्तनों पर लगातार दौरे किए जा रहे हैं ।

4.13 पनडुब्बी अभ्यास : पनडुब्बियों ने ट्रॉपेक्स 08 जैसे सभी बड़े अभ्यासों और सिम्बेक्स 08 तथा वरुणा 08 जैसे बहुराष्ट्रीय अभ्यासों में भाग लिया ।

4.14 ऑप डेमो/डिस्पले : भारतीय नौसेना के वायुयान (चेतक, डॉर्नियर और कामोव) ने 7 से 12 जनवरी, 2008 तक विजयवाड़ा में हुए आपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन में भाग लिया ।



प्रिडेटर ऑफ द डीप—पनडुब्बी हथियार



समुद्री डकैती-रोधी तैनाती

विदेशों में ऑपरेशन

4.15 **विदेशों में तैनातियां** : देश की विदेश नीति की सहायता के लिए भारतीय नौसेना पोतों द्वारा विदेशों में तैनातियां की गईं । ऐसे मिशन ध्वज प्रदर्शन, मित्र विदेशी देशों के साथ अच्छे संबंधों को बढ़ावा देने और विदेशी सहयोग को बढ़ाने के लिए हैं । 2008 में अदन की खाड़ी, लाल सागर, दक्षिण हिंद महासागर, दक्षिण चीन सागर और मलाका जलसंधि आदि में महत्वपूर्ण विदेशी तैनातियां की गईं ।

4.16 **प्रशिक्षण स्क्वाड्रन** : प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के एक हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना के प्रशिक्षण पोतों और

तटरक्षक बलों ने जनवरी 2008 में दक्षिण पूर्व एशिया में जकार्ता, बाली, सिंगापुर और फुकुट तथा सितम्बर 2008 में कोलंबो और मारीशस का दौरा किया ।

4.17 **दोहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी और सम्मेलन (डी आई एम डी ई एक्स)** कतर अमीरात नौसेना ने 17 से 19 मार्च 2008 तक दोहा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री

प्रदर्शनी के उद्घाटन की मेजबानी की जिसमें 20 देशों के पोतों ने भाग लिया । भा नौ पो व्यास और प्रलय (दोनों भारत में ही निर्मित पोत) ने डी आई एम डी ई एक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया । तैनाती के दौरान मस्कट और दोहा में पोतों को बुलाया गया ।

अदन की खाड़ी में अपहरण की घटनाओं को रोकने के लिए, भारतीय नौसेना ने वहां एक युद्धपोत 23 अक्टूबर 2008 से तैनात कर रखा है ।

4.18 **समुद्री डकैती-रोधी ऑपरेशन** : अदन की खाड़ी में अपहरण को रोकने के लिए तथा क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए भारतीय नौसेना ने वहां एक युद्धपोत 23 अक्टूबर 2008 से तैनात कर रखा है ताकि समुद्री डाकुओं को डराकर रोका जा सके और भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक पोतों (भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक पोतों द्वारा अपनाए जाने वाले मार्ग पर) को आश्वस्त किया जा सके ।

4.19 **बांग्लादेश को राहत सहायता** : जनवरी 08 में बांग्लादेश में "सिद्र" नामक चक्रवाती तूफान से भयंकर तबाही मची । राहत सहायता मुहैया कराने के लिए भारतीय नौसेना ने अवतरण पोत घड़ियाल और राहत सामग्री और 5000 टन चावल सहित दो एल एस टी को बांग्लादेश के लिए तैनात किया ।

4.20 **म्यांमार में ऑपरेशन सहायता** : अत्यंत भयानक चक्रवाती तूफान "नरगिस" द्वारा म्यांमार तट के आसपास मचाई गई तबाही के बाद भारतीय नौसेना के दो पोतों को अनिवार्य आपदा राहत ईंटों और अतिरिक्त स्टोर के साथ वहां भेजा गया । उन पोतों ने 7 मई 2008 को यांगून में राहत सामग्री उतारी ।

4.21 **आईडेक्स 09** : भा नौ पो सर्वेक्षक ने 22 से 26 फरवरी 2009 तक अबू धाबी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय रक्षा अभ्यास 09 (आईडेक्स 09) में भाग लिया ।

विदेशी सर्वेक्षण

4.22 **भा नौ पो निर्देशक और इन्वेस्टिगेटर** : जल सर्वेक्षकीय सहयोग के अनुसार, भा नौ पो निर्देशक और इन्वेस्टिगेटर ने 25 जनवरी से 24 अप्रैल 2008 तक



म्यांमार को सहायता

मालदीव, सेशेल्स और मॉरिशस के जलसर्वेक्षकीय और महाद्वीपीय उपतट का सर्वेक्षण किया। तैनाती के दौरान, पोत से सेशेल्स में चिकित्सा सामग्री और मारीशस में गोला बारूद भंडार पहुंचाया गया।

विदेशी नौसेनाओं के साथ अभ्यास

4.23 विदेशी नौसेनाओं के साथ सहयोग बढ़ाने की नीति को जारी रखते हुए, इस वर्ष कई अभ्यास किए गए। इन अभ्यासों के विस्तृत ब्यौरे आगे के पैराग्राफों में दिए गए हैं।

4.24 **मिलन 08** : मिलन 2008 का आयोजन 18 से 23 जनवरी 2008 तक पोर्ट ब्लेयर में किया गया। आठ विदेशी पोतों सहित और आस्ट्रेलिया, ब्रूनेई, बंगलादेश, इण्डोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, श्रीलंका, थाइलैंड और वियतनाम जैसे 11 देशों के 15 प्रतिनिधियों ने इस समारोह में भाग लिया। मिलन 08 के पूरा होने पर पोर्ट ब्लेयर के तट से दूर 23 से 25 जनवरी 2008 तक सिंगापुर नौसेना के साथ समुद्री गश्त वायुयान अभ्यास किया गया।

4.25 **सिम्बेक्स 08** : मार्च 2008 में पूर्वी समुद्री तट पर सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के साथ एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास, सिम्बेक्स का आयोजन किया गया। पहली बार बंगाल की खाड़ी में उन्नत स्तर के अभ्यास किए गए।

4.26 **इंडइंडो कॉरपैट** : 2002 में प्रारंभ होने के बाद से भारत और इण्डोनेशिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर प्रतिवर्ष दो बार समन्वित गश्त इंडइंडो कॉरपैट का आयोजन किया जाता है।

ग्यारहवीं कॉरपैट का आयोजन 6 से 26 मार्च 2008 तक किया गया।

4.27 **कॉकण 08** : तीसरा आई एन आर एन द्विपक्षीय अभ्यास कॉकण 08 का आयोजन मई 2008 में पश्चिमी समुद्री तट पर किया गया। इस अभ्यास में न्यूक्लियर चालित पनडुब्बी एच एम एस ट्रेफाल्गर सहित रॉयल नेवी के सात पोतों, एक फ्रांसीसी नौसेना पोत और भारतीय नौसेना के सात पोतों ने भाग लिया।

4.28 **वरुणा 08** : पूर्वी समुद्री तट पर मई 2008 में भारत-फ्रांस वार्षिक अभ्यास वरुणा 08 का आयोजन किया गया। भारतीय नौसेना की ओर से तीन पोतों और फ्रांसीसी नौसेना की ओर से डुप्लैक्स ने भाग लिया।

4.29 **आई बी एस ए एम ए आर** : दक्षिण अफ्रीका से लगे तट पर भारतीय नौसेना के दो पोतों ने 2 से 16 मई 2008 तक चले भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका समुद्री अभ्यास में भाग लिया। इस अभ्यास में ब्राजील के दो और दक्षिण अफ्रीका के चार नौसेना पोतों ने भाग लिया। इस तैनाती के दौरान, भारतीय नौसेना के पोतों ने मोजाम्बिक में मापुतो और नकाला, मालदीव में माले, मारीशस में पोर्ट लुई और सेशेल्स में पोर्ट विक्टोरिया में पड़ाव डाले।

4.30 **हाबुनाग 08** : सितम्बर 2008 में समुद्री युद्धपद्धति केन्द्र, विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना-अमरीकी नौसेना अभियान आपरेशन टेबल टॉप अभ्यास, हाबुनाग 08 का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में अमरीकी नौसेना/समुद्री कोर से कुल 17 अफसरों और भारतीय सशस्त्र सेनाओं से 42 अफसरों ने भाग लिया। इस अभ्यास में दोनों नौसेनाओं ने हिंद महासागर क्षेत्र में काल्पनिक द्वीपीय राष्ट्र में आए सुनामी के उपरान्त सीमित खतरे के वातावरण में मानवीय सहायता/आपदा



समुद्र में संयुक्त अभ्यास

राहत (एच ए/डी आर) मिशन पर संयुक्त रूप से संक्रियाएं करने पर विचार किया ।

4.31 **मालाबार 08** : भारत-अमरीकी द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास, मालाबार 08 का आयोजन 17 से 24 अक्टूबर 2008 तक गोवा के तट से दूर समुद्र में किया गया ।

अमरीकी नौसेना की ओर से सात पोतों ने इस अभ्यास में भाग लिया जिसमें विमान वाहक यू एस एस रोनाल्ड रीगन, एक लॉस एंजिल्स श्रेणी न्यूक्लियर पनडुब्बी (यू एस एस स्पिंगफील्ड) और पी 3 सी ओरियन वायुयान शामिल थे । भारतीय नौसेना की ओर से आठ पोतों, एक शिशुमार श्रेणी पनडुब्बी और वायुयानों (सी हैरियर सहित) ने भाग लिया ।

स्वदेश निर्मित भा. नौ. पो. केसरी को भारतीय नौसेना में अप्रैल 2008 में कमीशन किया गया जबकि तेजी से प्रहार करने वाले चेतलत और कार निकोबार नामक दो वाटर जेट क्राफ्ट 16 फरवरी 2009 को कमीशन किए गए ।

4.32 **समन्वित गश्त** : इण्डोनेशियाई नौसेना के साथ 13 से 30 अक्टूबर 2008 तक, थाई नौसेना (आर टी एन) के साथ 29 अक्टूबर से 5 नवम्बर 2008 तक और इण्डोनेशियाई नौसेना के साथ 5 से 26 मार्च 2009 तक समन्वित गश्त की गई ।

भारतीय नौसेना पोतों की कमीशनिंग और डिकमीशनिंग

4.33 स्वदेश निर्मित भा नौ पो केसरी को अप्रैल 2008 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया । दो वाटर जेट- तीव्र प्रहारक क्राफ्टों चेतलत और कार निकोबार को 16 फरवरी 2009 को चेन्नई

में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसी वर्ष भा नौ पो घोरपाड़, भा नौ पो एस डी बी टी-55 और भा नौ पो एस डी बी टी-56 को डिकमीशन किया गया।

प्रशिक्षण

4.34 शिप हैंडलिंग सिमुलेटर का कमीशन करना : 15 अप्रैल 2008 को

समुद्री युद्ध पद्धति केन्द्र (वाइजैग) में शिप हैंडलिंग सिमुलेटर (एस एच एस) को कमीशन किया गया। सिमुलेटर का इस्तेमाल कार्यकारी शाखा के उन प्रशिक्षण अफसरों के लिए किया जाता है जो विभिन्न भारतीय बन्दरगाहों में प्रवेश करने और उन्हें छोड़ने की जटिल प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं। सिमुलेटर में बड़ी संख्या में प्रमुख बन्दरगाहों, विभिन्न श्रेणी के पोतों और पनडुब्बियों की प्रतिकृतियां रखी गई हैं। कर्मीदल को भी एक दूसरे के बहुत करीब आने पर पोतों को मनुवर करने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है जैसा कि प्रायः समुद्र में संक्रियाओं के दौरान करना पड़ता है। एस एच एस भारतीय नौसेना द्वारा खरीदा गया ऐसा तीसरा सिमुलेटर है जो पोत हैंडलिंग में गुणतापूर्ण यथार्थ प्रशिक्षण देता है।

4.35 पनडुब्बी कंट्रोल रूम ट्रेनर : सिंधुघोष श्रेणी के पनडुब्बी कंट्रोल रूम ट्रेनर का वर्किंग मॉडल स्थापित किया गया। कंट्रोल रूम ट्रेनर में ई के एम पनडुब्बी कंट्रोल रूम और अन्य कक्ष होते हैं। सभी कक्ष इंटरकॉम और उपस्कर स्थिति सूचक यूनितों के जरिए कंट्रोल रूम से जुड़े होते हैं। यह पनडुब्बी ड्रिलों और विशिष्ट कक्षों के साथ ही पूरी पनडुब्बी से जुड़ी आपाती प्रक्रियाओं के आयोजन के दौरान प्रशिक्षु को कंट्रोल रूम का वास्तविक अहसास कराता है।

कार्मिकों को गुणतापूर्ण यथार्थ प्रशिक्षण देने के लिए एक शिप हैंडलिंग सिमुलेटर, सबमरीन कंट्रोल रूम ट्रेनर और इलैक्ट्रॉनिक सपोर्ट मैजर ट्रेनर स्थापित किए गए हैं।

4.36 इलैक्ट्रॉनिक युद्धपद्धति ट्रेनर: ई एस एम आपरेटरों को प्रशिक्षित करने के लिए सबमरीन स्कूल में एक इलैक्ट्रॉनिक सपोर्ट मैजर (ई एस एम) ट्रेनर स्थापित किया गया है। वाणिज्यिक पीसी पर प्री लोडेड सेल्फ सस्टेनिंग सिमुलेशन को प्रोटोटाइप मॉडल में परिवर्तित कर दिया गया है और इसका आपरेटर को अनुभव प्रदान

करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस परियोजना के लागू होने से प्रशिक्षण की गुणवत्ता में व्यापक तौर पर सुधार हुआ है।

4.37 पैरा जम्पिंग और स्काई डाइविंग प्रशिक्षण : नौसेना स्काई डाइविंग टीम और मार्कोस के प्रशिक्षण के लिए तथा बुनियादी स्काई डाइविंग कोर्सों के संचालन के लिए नौसेना वायुयानों और हेलिकाप्टरों (डॉर्नियर, सी किंग, यू एच 3 एच और चेतक) का इस्तेमाल किया गया। पिछले एक वर्ष में 1500 से भी अधिक पैरा / फ्री फॉल जम्प किए गए।

साहसिक कार्य और खेल-कूद

4.38 27वां भारतीय अंटार्कटिका अभियान : भारतीय नौसेना से एक अफसर और एक नौसैनिक ने 27वें भारतीय अंटार्कटिका अभियान में भाग लिया। इसके अलावा, एक अफसर और एक नौसैनिक को जनवरी 09 के अठाइसवें भारतीय अंटार्कटिका अभियान के लिए भी नामित किया गया।

4.39 द हिमालयन एडवेंचर ट्रेनिंग कैम्प (एच ए टी सी-08) : एच ए टी सी के प्रतिभागी नौसेना कार्मिकों के 12 से 16 वर्ष तक की आयु-वर्ग के बच्चे हैं। एच

ए टी सी 08 का आयोजन बकारटच, सोलंग में 20 मई से 4 जून 2008 तक किया गया । टीम ने व्यास नदी के उद्गम स्थल व्यास कुंड तक ट्रैकिंग की, साथ ही सोलंग में पैराग्लाइडिंग, रोहतांग पास में स्कीइंग और भुंतर में व्यास नदी पर व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग की ।

4.40 **ट्रैकिंग अभियान** : 12 से 15 मार्च 2008 तक ओखा से जूनागढ़ के बीच एक ट्रैकिंग अभियान आयोजित किया गया जिसका नारा था " स्वच्छ, हरित और पोलीथीन मुक्त भारत "। इस कार्यक्रम में डी एस सी के जवानों और सिविलियनों सहित 01 अफसर और 24 नौसैनिकों ने भाग लिया ।



भारतीय वायुसेना



एस यू-30

भारतीय वायुसेना (भा वा से) परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। इसमें न केवल बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण और नए उपस्करों को शामिल करने का काम चल रहा है अपितु साथ-ही-साथ संक्रियात्मक नियोजन में भी सैद्धांतिक परिवर्तन किए जा रहे हैं

5.1 भारतीय वायुसेना आज प्रगति की दिशा में एक पीढ़ी आगे पहुंच चुकी है और इसने युद्ध संबंधी उन्नत क्षमताएं हासिल कर ली हैं। इस बीच इसने देश और विदेश दोनों जगहों पर कई अंतरराष्ट्रीय अभ्यासों और मिशनों में अपने बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत अपनी व्यावसायिक प्रतिष्ठा को भी बराबर बेहतर बनाना जारी रखा हुआ है।

वायुयान अधिग्रहण

5.2 **एस यू-30 मार्क I:** भारतीय वायुसेना ने अपनी संक्रियात्मक स्क्वाड्रनों में अत्याधुनिक एस यू-30 मार्क-1 वायुयान शामिल किए हैं। हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड ने ब्लॉक-1 संविदा के क्रय में

पहले ही एस यू-30 मार्क-1 वायुयानों का निर्माण करके इनकी सुपुर्दगी भी कर दी है।

5.3 **हॉक ए जे टी :** वायुसेना स्टेशन बीदर में बीस हॉक ए जे टी वायुयान शामिल किए गए हैं। एच ए एल द्वारा हॉक वायुयानों का उत्पादन भी शुरू हो चुका है और भारतीय वायुसेना में इस श्रृंखला का पहला वायुयान संक्रियात्मक स्थिति में आ चुका है।

5.4 **विशेष ऑपरेशनों के लिए वायुयान (सी-130 जे-30) :** अमेरिका से विशेष ऑपरेशनों के लिए सी-130जे-30 वायुयान की खरीद संविदा पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। सी-130 जे-30 वायुयान दिन और रात में तथा प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों में काम करने में सक्षम है और यह अत्याधुनिक वैमानिकी उपस्करों से युक्त है।



हॉक ए जे टी



एसयू-30 आकाश में ही मिराज-2000 में पुनः ईंधन भरते हुए

5.5 अवाक्स : भारतीय वायु सेना की आक्रामक तथा रक्षात्मक दोनों संकियाओं को और कारगर बनाने के लिए वायुवाहित चैतावनी और नियंत्रण प्रणाली (अवाक्स) की अधिप्राप्ति की जारी रही है। अवाक्स वायुयानों को शामिल किए जाने से आपातकालीन परिस्थितियों में भारतीय वायुसेना की अपनी सैन्य क्षमता में भी वृद्धि होगी।

5.6 बोइंग बिजनेस जेट (बोइंग 737-700 आई जी डब्ल्यू) : भारतीय वायुसेना की वी वी आई पी स्क्वाड्रन के लिए मैसर्स बोइंग से तीन बोइंग बिजनेस जेट वायुयान बी बी जे खरीदे गए थे। इन तीन वायुयानों की सुपुर्दगी अगस्त 2008 और जनवरी 2009 के बीच की गई थी। इन्हें वी वी आई पी बेड़े में सफलतापूर्वक शामिल कर लिया गया है।

वायुयान/हैलीकॉप्टर अपग्रेड

5.7 मिग-29,मिराज-2000 और एम आई 17: मिग-29 के मिड लाइफ अपग्रेड और कुल तकनीकी मियाद के विस्तार के लिए आर ए सी मिग, रूस के साथ संविदा पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय

वायुसेना मिराज-2000 और जगुआर वायुयानों तथा एम आई-17 हैलीकॉप्टरों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इनका दर्जा बढ़ाने के मामले पर विचार कर रही है। जगुआर वायुयान बेड़े के वैमानिकी अपग्रेड का काम प्रगति पर है। जगुआर वायुयान को स्वदेशी डिजाइन में विकसित करके अपग्रेड करने का काम चल रहा है।

5.8 मौजूदा डी ओ-228 वायुयान का वैमानिकी अपग्रेड : डी ओ 228 वायुयान का नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल बिठाने के लिए सभी मौजूदा वायुयानों को नवीनतम वैमानिकी के साथ अपग्रेड किया जा रहा है।

5.9 ए एन-32 बेड़े का अपग्रेडेशन : ए एन-32 वायुयानों की 25 वर्षों की मौजूदा टी टी एल (कुल तकनीकी मियाद) वर्ष 2009 से पूरी होने जा रही है। वायुयानों का और इस्तेमाल करने के लिए समूचे ए एन-32 बेड़े की कुल तकनीकी मियाद को बढ़ा कर 40 वर्ष किया जा रहा है और मौजूदा आई सी ए ओ मानकों पर खरा उतरने के लिए इनमें प्रणालियों के नवीनतम संस्करण फिर से लगाए जा रहे हैं।



मिराज-2000 अपग्रेड



मिग-29 अपग्रेड



एम आई-17 अपग्रेड

स्वदेशीकरण

5.10 अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों का देश में विकास :

ओवरहॉल के लिए अपेक्षित अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों का स्वदेशीकरण एक सतत प्रक्रिया है। भारतीय वायुसेना के विभिन्न बेड़ों के लिए अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों की 80,000 से अधिक मदों का स्वदेशीकरण बेस मरम्मत डिपोओं बी आर डी द्वारा किया जा चुका है। भारतीय वायुसेना के स्वदेशीकरण प्रयासों में निजी क्षेत्र सक्रिय रूप से शामिल है। 2500 से अधिक विक्रेताओं ने भारतीय वायुसेना में अपना पंजीकरण करवाया है। भारतीय वायुसेना का बेस मरम्मत डिपो अब अल्प परिमाण, उच्च लागत,

उच्च प्रौद्योगिकी वाले अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों के स्वदेशीकरण की प्रक्रिया में है।

5.11 विकास परियोजनाएं : स्वदेशी स्थानापन्न पुर्जों के विकास के लिए भारतीय वायुसेना की बेस मरम्मत डिपो द्वारा अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों के विकास संबंधी विभिन्न परियोजनाएं शुरू की गई हैं। विभिन्न बी आर डी में लगभग 3.9 करोड़ रुपये लागत की विकास संबंधी परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

भारतीय वायुसेना के विभिन्न बेड़ों के लिए बेस मरम्मत डिपोओं द्वारा अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों की 80,000 से अधिक मदों के स्वदेशीकरण का काम पूरा कर लिया गया है।

5.12 एरोटायरों का स्वदेशी निर्माण: एरोटायरों के निर्माण के स्वदेशीकरण की प्रक्रिया में संवर्द्धन लाते हुए मैसर्स एम आर एफ ने चेतक हेलीकॉप्टरों के लिए टायर

बनाने का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। विभिन्न बेड़ों के लिए भारतीय वायुसेना अब तक इन्हें विदेशी मूल उपस्कर निर्माता (ओ ई एम) से खरीद रही थी।

5.13 अरेस्टर बैरियर का स्वदेशीकरण : वायुयान अरेस्टर बैरियर के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक दीर्घावधि योजना तैयार की गई है ताकि सभी आयातित बैरियरों को स्वदेशीकृत ए डी आर डी ई बैरियर के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सके। जहां 21 बैरियरों को पहले ही प्रतिस्थापित किया जा चुका है, 40 टी क्षमता और 20.4 टी क्षमता वाले कई बैरियर संस्थापन के चरण में हैं और कुछ को 11 वीं योजना में खरीदा जा रहा है। आयातित अरेस्टर बैरियर का अनुरक्षण और ओवरहॉल अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों का स्वदेशीकरण प्रगति के चरण में है। अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों की लगभग 800 मदों का स्वदेशीकरण पहले ही किया जा चुका है।

उड़ान संरक्षा

5.14 दुर्घटना आंकड़े : भारतीय वायुसेना में दुर्घटना दर में लगातार कमी आई है और यह दर 1971-72 में 1.48 से 2007-08 में 0.40 रह गई है। भारतीय वायुसेना ने दुर्घटना से बचने/उन्हें न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए विभिन्न सक्रिय उपाय अपनाए हैं और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नए सिरे से ऑपरेशनों में प्रशिक्षण और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर जोर दिया जा रहा है।

5.15 प्रमुख उपलब्धियां : 01 अप्रैल 2008 से लेकर आगे की अवधि की प्रमुख उपलब्धियां/घटनाएं इस प्रकार हैं :-

(क) **उड़ान संरक्षा संबंधी लेखा-परीक्षा:** वायु स्टाफ निरीक्षण निदेशालय के साथ मिलकर उड़ान स्टेशनों में नियमित तौर

पर उड़ान संरक्षा संबंधी लेखा-परीक्षा निरीक्षण किए जा रहे हैं।

(ख) **संक्रियात्मक जोखिम प्रबंधन (ओ आर एम):** फील्ड स्तर के कमांडरों को मिशन संबंधी निर्णय लेने में सहायता के एक साधन के रूप में ओ आर एम की संकल्पना शुरू की गई है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी निदेशालय (डी आई टी) ने इसके लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है। भारतीय वायुसेना के तीन उड़ान स्टेशनों में यह परीक्षाधीन है और एक बार सफल सिद्ध हो जाने के बाद इसे अन्य सभी बेसों में लागू करने का प्रस्ताव है।

(ग) **कृमिपालन :** वायुसेना स्टेशनों में वैज्ञानिक तरीके से कूड़े-कचरे का निपटान करने और उससे जुड़ी पक्षियों की गतिविधि संबंधी समस्या के निदान हेतु भारतीय वायुसेना ने अपने बेसों को "कचरारहित" रखने की योजना शुरू की है। इस योजना की बदौलत पर्यावरण और अधिक साफ-सुथरा हुआ है, पक्षियों की गतिविधियों में कमी आई है और फलस्वरूप उड़ान संरक्षा में वृद्धि हुई है। यह योजना सभी प्रमुख वायुसेना स्टेशनों में लागू की गई है।

(घ) **पक्षी दुर्घटनारोधी उपाय :** भारतीय वायुसेना द्वारा अपनाए गए विभिन्न पक्षी दुर्घटनारोधी उपायों के उत्साहवर्द्धक परिणाम देखने को मिले हैं। आंतरिक और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जैसे संस्थानों के पेशवर विशेषज्ञों द्वारा उड़ान स्टेशनों में पक्षियों के वायुयान से टकराने से होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आई है। पक्षियों के टकराव से बचने की सूचना देने वाले रेडार और अतिरिक्त माइक्रोलाइट वायुयानों की खरीद संबंधी कार्रवाई की जा रही है। पक्षी-विज्ञान संबंधी एक सेल स्थापित किया गया है जो आवधिक रूप से भी ऐसे बेसों में

भारतीय वायुसेना में दुर्घटना की दर में लगातार कमी आई है और यह 1971-72 में 1.48 से घट कर 2007-08 में 0.40 रह गई है।

पक्षियों को फंदों में पकड़कर उनका अध्ययन कर प्रत्येक पक्षी के लिए कुछ खास मापदण्ड तैयार करता है जिन्हें पक्षियों के खतरे को कम करने के लिए लागू किया जाता है।

- (च) **आई एफ एस में चलाए जा रहे कोर्स :** अनुदेशात्मक उड़ान स्कूल (आई एफ एस) ने दुर्घटनाओं को रोकने और उनकी जांच के लिए कार्मिकों को शिक्षित करने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम चलाए हैं। इन पाठ्यक्रमों में विश्व में उपलब्ध नवीनतम जानकारी और प्रौद्योगिकी को समेकित कर प्रस्तुत किया जाता है।
- (छ) **संयुक्त गुणवत्ता लेखा-परीक्षा :** तकनीकी खराबी संबंधी मसलों को न्यूनतम स्तर पर रखने के लिए उत्पादन और अनुरक्षण संबंधी सुविधाओं की संयुक्त गुणवत्ता लेखा-परीक्षा की गई है। संयुक्त टीम में एच ए एल के सदस्य शामिल हैं।
- (ज) **एफ ओ डी बचाव :** बाहरी वस्तु से होने वाली क्षति से बचाव (एफ ओ डी) के लिए प्रत्येक बेस की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित विशेष एफ ओ डी बचाव कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। साथ ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों और जो क्षेत्र एम आर एस की पहुंच में नहीं हैं, को साफ-सुथरा रखने के लिए विशेषज्ञ एफ ओ डी उपस्करों के अस्सी सेट के अलावा एक-सौ-बारह यांत्रिक रनवे स्वीपरों (एम आर एस) की खरीद की जा रही है।
- (झ) **एकीकृत उड़ान संरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आई एफ एम एस) :** उड़ान संरक्षा (डी एफ एस) वायुयान दुर्घटनाओं/घटनाओं के विस्तृत विश्लेषण और इनसे बचाव संबंधी आवश्यक उपाय करने के लिए इनका रिकॉर्ड रखता है। अनुसंधान और विश्लेषण सुविधाओं को बढ़ाने तथा अनेक प्रयोक्ताओं द्वारा एक ही समय में डेटा का उपयोग करने की सुविधा देने के

लिए 2005 में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित एक उन्नत परियोजना शुरू की गई थी। इस उद्देश्य से वेब आधारित एकीकृत उड़ान संरक्षा प्रबंधन प्रणाली आई एफ एस एम एस संस्थापित की गई है। ए एफ एनईटी परियोजना सुविधा के साथ आई एफ एस एम एस भारतीय वायुसेना में सभी अफसरों को उड़ान संरक्षा से संबंधित सूचना उपलब्ध कराएगा।

मार्गनिर्देशन और संचार सहायता

5.16 **रेडार :** इलेक्ट्रॉनी निगरानी को बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में जमीन स्थित रेडारों को शामिल किया जा रहा है। एरोस्टैट, मीडियम पावर रेडार (एम पी आर), लो लेवल लाइटवेट रेडार (एल एल एल डब्ल्यू आर), लो लेवल टांस्पोर्टेबल रेडार (एल एस टी आर) और निगरानी रेडार उपस्कर (एस आर ई) जैसे भिन्न-भिन्न श्रेणियों के रेडारों से हवाई क्षेत्र के प्रबंधन में अत्यधिक सुधार होगा।

5.17 **संचार उपस्कर :** भारतीय वायुसेना सभी क्षेत्रों के लिए अत्याधुनिक संचार उपस्कर हासिल कर रही है। इनमें गुप्त लेखन उपस्कर लगे सेटकॉम, एच एफ और वी/यू एच एफ सेट शामिल हैं जो सभी कमान, नियंत्रण और समाघात घटकों के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद संचार सुविधाएं मुहैया कराएंगे।

निर्माण कार्य सेवाएं

5.18 **हवाई क्षेत्रों के विकास के लिए निर्माण कार्य सेवाएं :** भारतीय वायुसेना हवाई क्षेत्रों को आने वाले वर्षों में एस यू 30 श्रेणी के वायुयानों, उड़ान ईंधन पुनर्भरण वायुयान (एफ आर ए) और विमानवाहित चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली (अवाक्स) विमानों के ऑपरेशनों का भार झेलना है। इसके अलावा संयुक्त प्रयोक्ता एरोडोम होने के नाते बड़ी संख्या में एयरबेसों को भारी/बड़े आकार वाले सिविल वायुयानों

द्वारा भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इन वायुयानों द्वारा अबाधित रूप से हवाई ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक है कि मौजूदा पट्टियों को उपयुक्त ढंग से अपग्रेड करके इन्हें सही स्थिति में रखा जाए। 2007-08 के दौरान 281.87 करोड़ रुपए की लागत पर पांच हवाई पट्टियों पर सतह ठीक करने के काम को मंजूरी दे दी गई है।

5.19 बोइंग बिजनेस जेट (737-700 आई जी डब्ल्यू) को शामिल करने के लिए अवसंरचना: भारतीय वायुसेना संचार स्क्वाड्रन में शामिल किए जाने वाले तीन कॉर्पोरेट जेट वायुयानों के लिए हैंगर, पार्किंग बे और तकनीकी स्थान के लिए निर्माण कार्य सेवाओं को एक विशेष परियोजना के रूप में निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 21.52 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। निर्माण कार्य तेज गति से प्रगति पर है।

5.20 इंटरएक्टिव फायर आर्म टेनिंग सिमुलेटर (आई एफ ए टी एस) : हवाई योद्धाओं की निशानेबाजी और फायर कौशल को बेहतर बनाने के लिए आई एफ ए टी एस की खरीद से संबंधित संविदा को पूरा कर लिया गया है। निर्धारित वायुसेना स्टेशनों में उपस्करों को संस्थापित करने का काम शीघ्र ही शुरू होगा।

समारोह

5.21 बर्लिन हवाई प्रदर्शनी में एडब्ल्यूएसओ की सहभागिता : 24 मई से 01 जून 2008 तक आयोजित बर्लिन हवाई-प्रदर्शन-2008 में एयर वारियर सिंफनी ऑर्केस्ट्रा की अत्यधिक सराहना हुई।

5.22 ध्वज/पताका प्रस्तुतीकरण समारोह : भारत के राष्ट्रपति ने 12 नवंबर 2008 को ए एफ टी सी, बंगलोर में 59 स्क्वाड्रन और ए एफ टी सी को ध्वज/पताका प्रदान की।



जर्मन चांसलर और रक्षा मंत्री मई, 2008 में हुई बर्लिन हवाई प्रदर्शनी में

5.23 108 स्क्वाड्रन और 105 एच यू को ध्वज प्रस्तुतीकरण : भारत के राष्ट्रपति ने वायुसेना स्टेशन, गोरखपुर में आयोजित समारोह परेड में 108 स्क्वाड्रन और 105 हेलीकॉप्टर यूनिट को "ध्वज" प्रदान किया। 108 स्क्वाड्रन का गठन 20 नवंबर 1959 को किया गया था। 23 नवंबर 1959 को गठित 105 हेलीकॉप्टर यूनिट भारतीय वायुसेना की दूसरी सबसे पुरानी हेलीकॉप्टर यूनिट है।

5.24 मिग-23 बी एन को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाना : भारतीय वायुसेना की मिग बटालियन राष्ट्र के प्रति 28 वर्षों की गौरवशाली सेवा के बाद 6 मार्च 2009 को सेवानिवृत्त हुई। इसकी आखिरी स्क्वाड्रन ने 221 स्क्वाड्रन, वायुसेना स्टेशन हलवारा में एक 'फेजिंग आउट समारोह' में उपयुक्त विदाई समारोह का आयोजन किया गया। वायुसेनाध्यक्ष ने इस समारोह की अध्यक्षता की। 221 स्क्वाड्रन के विंग कमांडर वाई जे जी और स्क्वाड्रन लीडर टी आर साहू ने वायुयान को आखिरी बार उड़ाया।

सुरक्षा

5.25 भारतीय वायुसेना का विशेष बल गरुड़ : हवाई ऑपरेशनों को और अधिक बलवर्द्धक बनाने



गरुड़ बल



भारत के राष्ट्रपति 105 हेलीकॉप्टर यूनिट को ध्वज प्रदान करते हुए और साथी सेनाओं के साथ संयुक्त आपरेशनों में तालमेल बिठाने के उद्देश्य से गरुड़ को एक विशेष जमीनी समाघात बल के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। वर्ष के दौरान गरुड़ बल ने एन एस जी के साथ एक संयुक्त अभ्यास का संचालन किया और भारतीय वायुसेना टुकड़ी के एक हिस्से के रूप में फ्लैग अभ्यास (सं. रा. अमेरिका) में भाग लिया।

5.26 सुरक्षा अवसंरचना का आधुनिकीकरण: बायोमीट्रिक आधारित पहुंच नियंत्रण प्रणाली, रात्रिदर्शी यंत्रों (एन वी डी) और स्मार्ट पावर फेंस द्वारा सुरक्षा अवसंरचना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

तटरक्षक



भारतीय तटरक्षक पोत 'संग्राम' कोरियाई तटरक्षक पोतों के साथ अभ्यास करते हुए



रक्षा मंत्री द्वारा 'भारतीय तटरक्षक पोत संकल्प' की कमीशनिंग

उपतटीय गश्ती पोत (ओपीवी) के बदले पहला 90 मीटर लंबा पोत 'विश्वस्त' का 04 जुलाई 2008 को मैसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा में जलावतरण किया गया है तथा शीघ्र ही पोत की कमीशनिंग की जा रही है। तटरक्षक के दूसरे नए पोतों में एक प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रहरी एक उपतटीय गश्ती पोत तथा दो अंतर्राधी नौकाएं शामिल हैं। दूसरा प्रदूषण नियंत्रण पोत जोकि मैसर्स एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड सूरत द्वारा तैयार किया जा रहा है, का 27 मार्च 2009 को जलावतरण किया गया है। इसके अलावा, ग्यारहवीं योजना में 04 डोरनियर वायुयानों, 03 चेतक हेलिकॉप्टरों सहित 27 और वायुयानों का प्रापण विभिन्न स्तरों पर चल रहा है। मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दो इंजन वाले 14 हेलिकॉप्टरों और 16 हल्के हेलिकॉप्टरों की अधिप्राप्ति करने हेतु मंजूरी प्रदान कर दी है। वायुयानों की संख्या संबंधी मौजूदा कमी को दूर करने के लिए भारतीय तटरक्षक बल ड्राईलीज के आधार पर दो इंजन वाले 8 हेलिकॉप्टरों तथा वेट

लीज के आधार पर स्थिर पंखवाले 12 वायुयानों की अधिप्राप्ति करने पर कार्रवाई कर रहा है।

महत्वपूर्ण लक्ष्य तथा उपलब्धियां

6.6 भारतीय तटरक्षक पोत संकल्प की कमीशनिंग: रक्षा मंत्री द्वारा अत्याधुनिक अपतटीय गश्ती पोत 'संकल्प' की 20 मई 2008 को कमीशनिंग की गई।

6.7 भारतीय तटरक्षक वायु एन्क्लेव पोरबंदर की कमीशनिंग : रक्षा राज्य मंत्री द्वारा भारतीय तटरक्षक वायु एन्क्लेव, पोरबंदर की 12 जून 2008 को कमीशनिंग की गई।

6.8 अपतटीय गश्ती पोत के प्रथम प्रतिस्थापन का जलावतरण : अपतटीय गश्ती पोत 'विश्वस्त' प्रथम 90 मीटर प्रतिस्थापन पोत का, 04 जुलाई 2008 को, जलावतरण किया गया था। पोत मैसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा द्वारा तैयार किया जा रहा है तथा शीघ्र ही इसकी कमीशनिंग की जाएगी।



रक्षा राज्य मंत्री द्वारा 'भारतीय तटरक्षक वायु एन्कलेव पोर्बंदर' की कमीशनिंग

6.9 भा.त.र. वायु स्टेशन दमन को मराठा लाइट इंफैंट्री रेजीमेंट के साथ अंतर्युक्त करना : भारतीय तटरक्षक वायु स्टेशन दमन तटरक्षक सेवा की पहली यूनिट है जिसको कि किसी सेना रेजीमेंट के साथ अंतर्युक्त किया गया है। भारतीय तटरक्षक वायु स्टेशन दमन के पास मराठा लाइट इंफैंट्री की जंगी पल्टन का स्मारक है, जिसने पुर्तगालियों से दमन हवाई पट्टी पर कब्जा किया था तथा बाद में 19 दिसंबर 1961 को दमन को स्वतंत्र कराया था।

6.10 अपतटीय गश्ती पोत आईसीजीएस विश्वस्त का जलावतरण : मैसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा में निर्माणाधीन तीन अपतटीय गश्ती पोतों में से प्रथम तटरक्षक पोत विश्वस्त का 04 जुलाई 2008 को जलावतरण किया गया। इसे एमटीयू ईंधन से प्रणोदित किए जाने के लिए अभिकल्पित किया गया है जिसमें 18000 किलोवाट ऊर्जा तैयार होती है जिससे पोत 12-14 नॉट की

वक्रगामी रफ्तार से 4500 समुद्री मील की वर्धित रेंज में चल सके। इसके अतिरिक्त, यह पोत प्रदूषण नियंत्रण तथा आंतरिक अग्निशमन की क्षमता से लैस है तथा पोत को मशीनरी तथा ब्रिज नियंत्रण के लिए एकीकृत प्लेटफार्म प्रबंधन पद्धति से सुसज्जित किया गया है।

6.11 छठे ए ओ पी वी की कमीशनिंग: भारतीय तटरक्षक के छठे ए ओ पी वी आईसीजीएस सम्राट की रक्षा मंत्री द्वारा 21 जनवरी 2009 को कमीशनिंग की गई है। इस पोत का निर्माण मैसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा द्वारा किया गया है। पोत की कुल लंबाई 105 मीटर है तथा 02 एमएएन मुख्य ईजनों से चालित है ताकि 23.5 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त की जा सके। यह पोत 25 दिनों तक 12 समुद्री मील की किफायती गति से समुद्र में रह सकता है। इस पोत में सीआरएन-91 गन लगी हुई

है तथा पोत समुद्र में प्रदूषण नियंत्रण ऑपरेशन चला सकता है।

6.12 द्वितीय प्रदूषण नियंत्रण पोत (एबीजीयार्ड 222) का जलावतरण : मैसर्स एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड सूरत द्वारा निर्मित द्वितीय प्रदूषण नियंत्रण पोत का 27 मार्च 2009 को जलावतरण किया गया है। पोत की लंबाई लगभग 94 मीटर है। यह पोत 20.6 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त कर सकता है। इस प्रदूषण नियंत्रण पोत की 12-14 समुद्री मील की वक्रमार्गी रफ्तार पर 6000 समुद्री मील की नौचालन क्षमता है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

6.13 विदेश में तैनाती

(i) भा.त.र. पोत वीर को हेलिकॉप्टर के साथ 1 ट्रेनिंग स्क्वाड्रन के भागीदार के तौर पर 24 मार्च से 11 अप्रैल 2009 के दौरान मस्कट,

बंदर अब्बास तथा अबू धाबी में तैनाती के लिए नामित किया गया।

(ii) **अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव सम्मेलन:** सोलास सम्मेलन के दौरान विश्व के खोज एवं बचाव संगठनों के बीच सहयोग बढ़ाने तथा समुद्र में संकटग्रस्त लोगों को बचाने के लिए समुद्री यातायात नियंत्रण हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय खोज एवं बचाव योजना स्थापित करने पर जोर दिया गया था। इसके पृष्ठपट में भारतीय तटरक्षक ने नई दिल्ली में 11 मार्च से 12 मार्च 2008 तक 'अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव' पर दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया। 16 देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भाग लेने आए विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों तथा बाद में समापन



रक्षा मंत्री अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए

चर्चा के दौरान प्रतिभागियों के बीच स्पष्ट प्रतिक्रिया तथा पारस्परिक सहयोग की चेतना जागृत हुई। रक्षा मंत्री ने 11 मार्च 2008 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में सम्मेलन का उद्घाटन किया। कुल 22 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया।

भारतीय तटरक्षक पोत और वायुयान विभिन्न खोज एवं बचाव ऑपरेशन करते हैं और उन्होंने समुद्र में 623 जानें बचाने में सहायता की।

के लिए खोज एवं बचाव पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2007 का ईस्सार सार खोज एवं बचाव पुरस्कार तटरक्षक पोत कस्तूरबा गांधी को वाणिज्यिक ट्रॉलर से अत्यंत प्रतिकूल मौसमी स्थितियों में कर्मीदल के 08 सदस्यों के प्राण बचाने तथा वाणिज्यिक पोत नोवा सी से चिकित्सा निकासी के लिए प्रदान किया गया।

(iii) **एनएमएसएआरबी की बैठक** : 08 मई

2008 को गोवा में राष्ट्रीय खोज एवं बचाव बोर्ड की 7वीं बैठक हुई। बैठक में "खोज एवं बचाव गतिविधियां 2007-2008 पर रिपोर्ट" तथा मछुवारों के लिए इसरो द्वारा विकसित "कम मूल्य पर संकट सूचना ट्रांसमीटर (डीएटी) पद्धति" पर प्रस्तुति दी गई। खोज एवं बचाव प्रस्तुतियों के बाद एमवी स्कैन ब्रैसिल को उनकी 16 अक्टूबर 2007 में एमबी गेरुडू द्वारा संकट सूचना पर द्रुत प्रतिक्रिया करने, जिसके फलस्वरूप 12 लोगों को बचाने में उनके योगदान

6.14 **ऑपरेशन** : भारतीय तटरक्षक पोत तथा वायुयान समुद्र में संकट में फंसे कर्मियों/पोतों को सहायता उपलब्ध कराने तथा सीमाशुल्क और दूसरे प्राधिकारियों को तस्करी-रोधी ऑपरेशनों में सहायता उपलब्ध कराने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। हमारे अनन्य आर्थिक क्षेत्र में 2.01 मिलियन वर्ग कि.मी. के लंबे समुद्री क्षेत्र की नियमित निगरानी रखी जाती है, ताकि अवैध रूप से मछली पकड़ने वालों को रोका जा सके। तटरक्षक के बड़े आपरेशनों का ब्यौरा तालिका 6.1 में दर्शाया गया है

तालिका 6.1

Ø-l a	'kq l s	01 t uojh 08 l s 31 ekpZ 2009 rd	
(i)	पकड़ा गया निषिद्ध माल	503.159 करोड़	5.5 लाख
(ii)	अवैध रूप से मछली पकड़ने वाले ट्रालरों की गिरफ्तारी	1055 नौकाएं 10037 कर्मी सदस्य	128 नौकाएं 802 कर्मी सदस्य
(iii)	तस्करी करने वाले पकड़े गए पोत	120 नौकाएं, 731 कर्मी सदस्य	14 नौकाएं, 16 कर्मी सदस्य
(iv)	खोज एवं बचाव अभियान	1297	103
(v)	खोज एवं बचाव उड़ानें	2460	159
(vi)	बचाए गए व्यक्ति	4815	623
(vii)	तेल बिखराव घटनाओं में प्रतिक्रिया	57	..
(viii)	देश से बाहर तेल बिखराव की घटनाएं	01	..

रक्षा उत्पादन



गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के यार्ड 1187 में आई सी जी एस "संकल्प" का जलावतरण

रक्षा उत्पादन विभाग सार्वजनिक तथा निजी, दोनों क्षेत्रों में रक्षा उपकरणों के स्वदेशीकरण, विकास तथा उत्पादन का कार्य करता है

7.1 रक्षा उत्पादन विभाग सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी-दोनों क्षेत्रों में रक्षा उपकरणों के स्वदेशीकरण, विकास तथा उत्पादन का कार्य करता है। इस विभाग में व्यापक उत्पादन अवसंरचना वाले सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम तथा आयुध निर्माणियां हैं। इनके उत्पादों में विमान, हेलिकॉप्टर, युद्धपोत, पनडुब्बी, भारी वाहन तथा अर्थमूवर्स, प्रक्षेपास्त्र, रक्षा क्षेत्र के लिए विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक यंत्र तथा संघटक और मिश्र धातु तथा विशेष प्रयोजन वाले इस्पात शामिल हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से निरंतर विकास हो रहा है। इस क्षेत्र में उद्योग, विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यमों के जरिए नई प्रौद्योगिकियां विकसित करके तथा उन्हें प्राप्त करके अपनी उत्पादन क्षमता को अद्यतन करने तथा उसमें सुधार लाने के निरंतर प्रयासरत हैं। वे रक्षा अनुसंधान स्थापनाओं द्वारा विकसित नए उत्पादों के वाणिज्यीकरण तथा यथासंभव स्वदेशी उत्पादन पर भी अपना ध्यान केंद्रित करते रहे हैं।

7.2 रक्षा उत्पादन विभाग के सीधे नियंत्रणाधीन प्रमुख संगठन इस प्रकार हैं-

- आयुध निर्माणी बोर्ड
- हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड
- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
- भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड
- माझगांव डॉक लिमिटेड
- गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
- गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
- भारत डायनामिक्स लिमिटेड
- मिश्र धातु निगम लिमिटेड
- गुणता आश्वासन महानिदेशालय
- वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय
- मानकीकरण निदेशालय
- रक्षा प्रदर्शनी संगठन

आयुध निर्माणियां

7.3 आयुध निर्माणी संगठन देश में विभागीय रूप में चलाया जाने वाला सबसे बड़ा तथा सबसे पुराना उत्पादन संगठन है। यह मुख्यतः सशस्त्र सेनाओं के लिए रक्षा साजो-सामान के विनिर्माण में लगा हुआ है। आयुध निर्माणियां रक्षा साजो-सामान के विनिर्माण में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थापित की गई थीं।

7.4 स्वतंत्रता पूर्व की निर्माणियों में सिविल क्षेत्र में पर्याप्त औद्योगिक अवसंरचना के न होने के कारण, न केवल अंतिम साजो-सामान के उत्पादन की अपितु मूल तथा मध्यवर्ती सामग्री के उत्पादन की भी क्षमताएं विद्यमान थीं। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में औद्योगिक अवसंरचना के क्रमिक विकास

के साथ, स्वतंत्रता के बाद स्थापित निर्माणियों के लघु तथा मध्यम स्तर के उद्योगों से अपनी आवश्यकता की चीजें प्राप्त की जा रही हैं।

7.5 **संगठन ढांचा:** आयुध निर्माणी बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा 9 कार्यात्मक सदस्य हैं। इनमें से पांच सदस्य प्रचालन डिवीजनों के अध्यक्ष हैं तथा चार सदस्य स्टाफ कार्यों के लिए हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने संसाधन आयोजना के बारे में उपयुक्त सूचना उपलब्ध कराने, उत्पादों की प्रौद्योगिकी के उन्नयन तथा आयुध निर्माणी बोर्ड के कुशलतापूर्वक कार्य संचालन के लिए एक विशेष बोर्ड का गठन किया है जिसमें रक्षा मंत्रालय, सेना तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रतिनिधित्व है।

7.6 **मानव संसाधन :** आयुध निर्माणियों में बड़ी संख्या में योग्य तथा अनुभवी कार्मिक हैं। एक अग्रणी प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी (एन ए डी पी), नागपुर समूह “क” अधिकारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करती है तथा 8 आयुध निर्माणी शिक्षण संस्थान (ओ एफ आई ओ एल) समूह “ख” अधिकारियों तथा कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। सभी आयुध निर्माणियों में औद्योगिक कर्मचारियों तथा ट्रेड प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्थान हैं।

आयुध निर्माणी संगठन देश में विभागीय रूप से चलाया जाने वाला सबसे बड़ा तथा सबसे पुराना उत्पादन संगठन है जिसकी स्थापना रक्षा साजो-सामान के विनिर्माण में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए की गई है।

7.7 **उत्पाद प्रोफाइल:** आयुध निर्माणियां रक्षा सेनाओं की उभरती मांगों को पूरा करने के लिए उत्पादों और उत्पादन प्रौद्योगिकियों का निरंतर उन्नयन करती रहती हैं। आयुध निर्माणियों की उत्पादन श्रृंखला इस प्रकार है :

शस्त्र मर्दे : लघु शस्त्र

(राइफल, पिस्तौल, कार्बाइन, मशीनगन), टैंक तोपें, टैंक-रोधी तोपें, फील्ड हावित्जर, आर्टिलरी तोपें, मोर्टार, वायु रक्षा तोपें तथा राकेट लांच तथा नौसेना तोप प्रणालियां।

गोलाबारूद मर्दे : उपर्युक्त सभी शस्त्र प्रणालियों के लिए गोलाबारूद, राकेट, प्रक्षेपास्त्र, मुखास्त्र, मोर्टार बम, पायरो तकनीक (धुंआ, प्रदीप्ति, संकेत), ग्रेनेड तथा बम, वायु सेना के लिए माइंस तथा फ्लेर्स, नौसेना गोलाबारूद, प्रणोदक तथा फ्यूज।

कवचित तथा परिवहन वाहन : टैंक टी-72 ‘अजेय’, टैंक टी-90, ‘भीष्म’, इंफैंक्ट्री युद्धक वाहन, कवचित एंबुलेंस, गोलीरोधी तथा सुरंग-रोधी वाहन, विशेष परिवहन वाहन तथा उनके रूपांतरण।

सैन्य सुविधा मर्दे : सेना तथा वायु सेना के लिए पैराशूट, उच्च तुंगता तथा युद्धक वस्त्र, विभिन्न प्रकार के टैंट, वर्दी तथा वस्त्र मर्दे, हल्के आक्रमण पुलों के लिए फ्लोट।

आप्टो इलेक्ट्रानिकी : कवचित वाहनों, इंफैंक्ट्री तथा आर्टिलरी प्रणालियों के लिए ऑप्टिकल उपकरण तथा आप्टो इलेक्ट्रानिक यंत्र/अग्नि नियंत्रण उपकरण।

अन्य : विमानन तथा अंतरिक्ष उद्योग के लिए विशेष एल्यूमीनियम मिश्रधातुएं, फील्ड, केबल, जल ब्राउजर आदि।

7.8 सिविल ट्रेड तथा निर्यात के क्षेत्र में विविधीकरण : नीतिगत रूप से सशस्त्र सेनाओं से अतिरिक्त कार्यभार प्राप्त करने के अलावा गैर-रक्षा ग्राहकों और निर्यात के क्षेत्र में विविधीकरण के जरिए सतत प्रयास करके भी क्षमता के इष्टतम उपयोग पर अधिक बल दिया जा रहा है।

7.9 उपलब्धियां : चालू वर्ष के दौरान आयुध निर्माणियों की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं

- (i) **ई-अधिप्राप्ति :** आयुध निर्माणी बोर्ड ने मिशन मोड परियोजना के अनुसार पारदर्शिता के लिए तथा अधिप्राप्ति प्रारंभ होने में लगने वाले समय में कमी करने के लिए सभी आयुध निर्माणियों में चरणबद्ध तरीके से ई-अधिप्राप्ति शुरू कर दी है।
- (ii) **पिनाका राकेट :** रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन और आयुध निर्माणी बोर्ड ने संयुक्त रूप से बहु-बैरल पिनाका राकेट का सफलतापूर्वक विकास किया है। वर्ष के दौरान एकमुश्त आपूर्ति शुरू कर दी गई है।
- (iii) **माइक्रो मिश्र धातु इस्पात :** धातु एवं इस्पात निर्माणी ईशापुर ने बंगाल इंजीनियरिंग तथा विज्ञान विश्वविद्यालय के सहयोग से 'माइक्रो मिश्र धातु इस्पात' नामक अत्यधिक क्षमता वाला इस्पात विकसित किया है जो सशक्तता में कोई कमी आए बगैर शास्त्रों का भार कम कर सकता है।
- (iv) **एंटी-मैटीरियल राइफल :** गृह मंत्रालय के लिए 20 मि0मी0 एंटी-मैटीरियल राइफल का उत्पादन किया गया है।

7.10 गुणता प्रबंधन : सभी आयुध निर्माणियों में पूर्ण गुणता प्रबंधन अवधारणा को लागू करने पर विशेष जोर दिया गया है। आयुध निर्माणियों ने आई एस ओ 9001:2000 के मानकों के अनुरूप गुणता प्रबंधन प्रणाली को अपना लिया है। आयुध निर्माणियों में सभी प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से प्रत्यायित कर दिया गया है तथा उन्होंने आई एस ओ/आई ई सी 17025 नए मानक अपना लिए हैं। भारतीय सेना को आपूर्ति किए जा रहे सभी उत्पादों/सामानों के लिए मई 2007 से वारंटी प्रणाली शुरू कर दी गई है।

7.11 आयुध निर्माणियों में स्व: प्रमाणन : आयुध निर्माणियों ने स्व: प्रमाणन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और ऐसा करके वे सशस्त्र सेनाओं को आपूर्ति किए गए उत्पादों की गारंटी देते हैं।

7.12 अनुसंधान तथा विकास : आयुध निर्माणियों में उत्पाद तथा प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए आंतरिक अनुसंधान तथा विकास संबंधी कार्यकलापों पर अधिक जोर दिया जा रहा है। रक्षा साजो-सामान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अद्यतन सोलिड माडलिंग तकनीकों तथा संवेदनशीलता विश्लेषण का इस्तेमाल किया जा रहा है। सी ए डी/सी ए एम के व्यापक प्रयोग से आदिरूप की संकल्पना के चरण से विकास तक की अवधि में काफी कमी आई है।

7.13 आधुनिकीकरण : संदर्शी योजना में प्रस्तावित उत्पादों की मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों आवश्यकताओं के अनुरूप संयंत्रों तथा मशीनरी को अद्यतन करने के प्रयोजन से आयुध निर्माणियों में अवसंरचना का आधुनिकीकरण करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वर्ष 2008-09 में 574 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की योजना है तथा ग्यारहवीं

योजनावधि में 2374 करोड़ रुपए के निवेश की योजना है।

हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड (एच ए एल)

7.14 हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड (एच ए एल) एक 'नवरत्न' दर्जा प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा उपक्रम है। यह कंपनी वांतरिक्ष के क्षेत्र में सामरिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तथा रक्षा सेनाओं को पूरा सहयोग प्रदान करने के लिए समर्पित है। एल ए एल ने पिछले कई वर्षों में लगातार बढ़ोतरी करते हुए 2008-09 में 10260.00 करोड़ रुपए का कारोबार किया है।

7.15 एच ए एल के प्रमुख कारोबार में स्थिर पंखी विमानों (युद्धक, प्रशिक्षक तथा परिवहन विमान) और हेलिकाप्टरों के अभिकल्प, विकास तथा उत्पादन, उनकी वैमानिकियों तथा सहायक पुर्जे, एरोस्पेस उत्पादों के

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने स्वदेश में अनुसंधान एवं विकास से 11 प्रकार के विमानों तथा लाइसेंस के अन्तर्गत 14 प्रकार के विमानों का उत्पादन किया है।

रख-रखाव, मरम्मत तथा ओवरहॉलिंग के जरिए जीवनकाल के दौरान उपभोक्ताओं को सहायता प्रदान करना तथा अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले विमानों और सेटेलाइटों के लिए संरचनाओं और एकीकृत प्रणालियों का उत्पादन करना शामिल है।

7.16 कंपनी ने आंतरिक अनुसंधान तथा विकास से 11 प्रकार के विमानों तथा लाइसेंस के अंतर्गत 14 प्रकार के विमानों का उत्पादन किया है। मौजूदा उत्पादन रेंज के प्रमुख के उत्पादन इस प्रकार हैं :-

- सुखोई-30 एम के आई
- जगुआर
- हॉक
- डोर्नियर 228
- ध्रुव (ए एल एच)
- चीतल हेलिकाप्टर



हथियारों से लैस 'ध्रुव' अपनी पहली उड़ान भरते हुए

7.17 हल्के युद्धक विमान तथा मध्यवर्ती जेट प्रशिक्षक विमान की सीमित श्रृंखला में उत्पादन शुरू कर दिया गया है तथा उन्हें प्रमाणीकरण के बाद क्रमशः 2009 तथा 2010 में सेना में शामिल कर लिया जाएगा।

7.18 हल्के युद्धक हेलिकॉप्टर के अभिकल्पन के कार्य में काफी प्रगति हुई है तथा प्रथम प्रोटोटाइप का निर्माण 2008 में शुरू हो चुका है।

7.19 जो नए अभिकल्प तथा विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं, वे हैं- पांचवीं पीढी का युद्धक विमान, बहु-भूमिका वाला परिवहन विमान, हल्का उपयोगिता हेलिकॉप्टर, मध्यम लिफ्ट हेलिकॉप्टर, टर्बोप्रॉप प्रशिक्षक तथा चालक रहित विमान।

7.20 कंपनी देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी प्रमुख भूमिका अदा करती हैं। अंतरिक्ष में छोड़े जाने वाले वाहन तथा सेटेलाइटों के लिए संरचनाएं तथा पूर्णतः एकीकृत असेंबलियों का उत्पादन एरोस्पेस डिवीजन द्वारा किया जाता है जो इसरो के लिए एरोस्पेस संरचनाओं की उत्पादन आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कार्यरत हैं।

7.21 उपलब्धियां :

- (i) कंपनी ने अप्रैल, 2008 से मार्च 2009 तक की अवधि के लिए बिक्री, उत्पादन मूल्य तथा लाभ जैसे प्रमुख कार्य निष्पादन मानदंडों के संदर्भ में वित्तीय लक्ष्य प्राप्त किए हैं।
- (ii) एच ए एल में उत्पादित प्रथम हॉक उन्नत जेट प्रशिक्षक विमान, अगस्त, 2008 में भारतीय वायु सेना को सौंप दिया गया था।
- (iii) इक्वेडर को 7 उन्नत हल्के हेलिकाप्टरों की आपूर्ति का आर्डर प्राप्त करके निर्यात में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है।
- (iv) नौसेना के लिए डी ओ-228 पर उन्नयित पर्यवेक्षक प्रशिक्षक के अभिकल्पन एवं विकास का कार्य पूरा कर दिया गया था।

(v) जी एस एल वी मेक-III के लिए द्रवित हाइड्रोजन तथा अन साइमेट्रिक डाइमिथाईल हेड्रेजाइन टैंकों का पहला सेट 16 अक्टूबर, 2008 को इसरो को सौंप दिया गया था। ये पहले 4 मीटर श्रेणी के टैंक थे जो प्रतिष्ठापूर्ण जिओसिन्क्रोनस सेटेलाइट लांच वाहन मेक-III के लिए बनाए गए थे जो जिओसिन्क्रोनस ओरबिट में 4-5 टन संचार सेटेलाइटों को ले जाने के लिए अभिकल्पित किए गए थे।

(vi) इसरो के चंद्रयान मिशन के लिए अंतरिक्ष वाहन संरचनाओं का भी उत्पादन किया गया था जिसे सफलतापूर्वक छोड़ा गया था।

(vii) 2007-08 में कंपनी के कार्य निष्पादन को लगातार 7वें वर्ष के लिए 'उत्कृष्ट' आंका गया था।

(viii) एच ए एल ने वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए 421 करोड़ रुपए का निर्यात किया था।

7.22 इस अवधि के दौरान कंपनी ने वर्ष 2006-07 के लिए समझौता ज्ञापन उत्कृष्ट पुरस्कार (प्रथम दस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) प्राप्त किया। एच ए एल यह पुरस्कार 2001-02 से लगातार प्राप्त कर रहा है।

7.23 कंपनी को सर्वश्रेष्ठ डिवीजन/निर्माणी पुरस्कार तथा ग्रुप व्यक्तिगत पुरस्कार श्रेणियों के अंतर्गत रक्षा मंत्री का उत्कृष्ट पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है।

7.24 एच ए एल की सभी डिवीजनों ने आई एस ओ 9001-2000 क्यू एम एस मानक की अपेक्षाएं कार्यान्वित कर ली हैं और प्रमाणन प्राप्त कर लिया है। सात डिवीजनों ने ए एस 9100 में उल्लिखित एरोस्पेस क्षेत्र गुणता प्रबंधन प्रणाली की अपेक्षाओं को भी कार्यान्वित कर लिया है और प्रमाणन प्राप्त कर

लिया है। इन डिवीजनों में से चार ने विशेष प्रक्रियाओं यथा एन डी टी, डीट ट्रीटमेंट, बेल्डिंग, आदि के लिए नेडकेप प्रमाणन (राष्ट्रीय एरोस्पेस रक्षा संविदाकार प्रत्यायन कार्यक्रम-यू एस ए) प्राप्त कर लिया है।

7.25 सोलह डिवीजनों ने आई एस ओ 14001-2004 ई एम एस मानक की अपेक्षाओं को कार्यान्वित कर दिया है तथा प्रमाणन प्राप्त कर लिया है।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बी ई एल)

7.26 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक बहु-प्रौद्योगिकी, बहु-उत्पाद वाली कंपनी है जो रडार तथा सोनार, संचार उपकरणों, ऑप्टो-इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध पद्धति, टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सामरिक उपकरणों के क्षेत्र में अपना प्रभुत्व रखती है। इसे 2007 में “नवरत्न” सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का दर्जा प्रदान किया गया था।

7.27 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने गत 5 वर्षों में 10% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की है। बी ई एल भारतीय रक्षा सेनाओं, अर्ध सैन्य बलों तथा आकाशवाणी, दूरदर्शन, बी एस एन एल, एम टी एन एल, वी एस एन एल, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, मौसम विज्ञान विभाग, रेलवे, आदि जैसे अन्य सरकारी उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रॉनिकी उपकरणों की आपूर्ति करता है। बी ई एल व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिकी उपकरणों की आपूर्ति भी करता है।

7.28 बी ई एल की जी ई - बी ई एल (जनरल इलेक्ट्रिक, अमेरिका) तथा बी ई एल-मल्टीटोन (मल्टीटोन, यू0 के0) के साथ दो संयुक्त उद्यम कंपनियां हैं तथा बी ई एल ऑप्टोनिक्स डिवाइसिस लिमिटेड नामक एक सहायक कंपनी है।

जी ई बी ई एल प्रा0 लि0 की स्थापना देश में पहली बार सी टी मैक्स तथा अन्य अद्यतन एक्स रे ट्यूबों के रूपांतरणों का विनिर्माण करने के लिए की गई थी। बी ई एल ऑप्टोनिक्स डिवाइसिस लिमिटेड (बी ई एल ओ पी) ने एक दशक से अधिक समय से सेना के लिए आई. आई. ट्यूबों का सफलतापूर्वक विनिर्माण करके उनकी आपूर्ति की है। सेना की उभरती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बी ई एल ओ पी का अब सुपरजेन/तीसरी पीढ़ी की ट्यूबों की अद्यतन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य करने का प्रस्ताव है।

7.29 अनुसंधान और विकास : बी ई एल अपने कुल कारोबार का लगभग 3% से 5% तक अनुसंधान और विकास पर व्यय कर रही है। बी ई एल में प्रत्येक 9 यूनितों/एस बी यू में विकास तथा इंजीनियरिंग समूहों की स्थापना की गई है। बेंगलूर में केंद्रीय विकास तथा इंजीनियरी समूह यूनित विकास तथा इंजीनियरी के लिए विशेषीकृत प्रौद्योगिकी मौड्यूलों का विकास कर रहा है। भावी क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु बेंगलूर और गाजियाबाद में केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक युद्ध पद्धति प्रणाली के विकास में प्रमुख योगदान हेतु नवीकरण के लिए 2007-08 सोडेट स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक बहुप्रौद्योगिकी, बहु-उत्पाद वाली कंपनी है जो रडार तथा सोनार, संचार उपकरणों, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिकी, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध पद्धति, टैंक इलेक्ट्रॉनिकी तथा सामरिक संघटकों के क्षेत्र में अपना प्रभुत्व रखती है।

7.30 2008-09 के दौरान शुरु किए गए नए उत्पाद : 2008-09 के दौरान विभिन्न उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए गए नए उत्पादों में डिजीटल मोबाइल रेडियो रिले, सीमा सुरक्षा बल के लिए विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, मिसाइल अप्रोच वार्निंग प्रणाली, के आई टी ई मेक-II, संकेत मेक-III, रडार फिंगर प्रिंटिंग प्रणाली, डिजीटल सिगनल एनेलाइजर प्रोसेसर, हल्के वाहन आधारित

डाइरेक्शन फाइंडिंग प्रणाली, टी आई साइट इगला तथा बी एफ एस आरएम आरएमए एसटी, उड़ान नियंत्रण पैनल, ए डी ई का एयरबोर्न इनकोडर डिकोडर, आई एफ एफ कैब्स, समकालिक आपूर्ति यूनिट तथा बी एस एन एल के लिए आई पी एम यू एक्स, सीमा सुरक्षा बल को विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क आदि शामिल हैं। इसके अलावा, संचार उपकरणों, तटीय संचार नेटवर्क उपकरणों का निर्यात भी किया जाता है।

7.31 उपलब्धियां :

- (i) बी ई एल ने गुणता अभिवृद्धि तथा संपूर्ण गुणता अभिवृद्धि तथा संपूर्ण गुणता प्रबंधन के लिए छह सिगमा अवधारणा को अपनाया है। 2007-08 के दौरान 138 छह सिगमा परियोजनाएं पूरी की गईं। सभी डिजीजनों/यूनिटों को आई एस ओ 9001 तथा आई एस ओ 14001 के लिए प्रमाणित किया गया है।
- (ii) बी ई एल ने सी आई आई एक्सिम बैंक उत्कृष्ट पुरस्कार के व्यापार उत्कृष्ट मॉडल को अपनाया है। 2008-09 के दौरान, 4 यूनिटों/उप यूनिटों को “उत्कृष्टता के लिए पूर्ण समर्पण” के लिए प्रमाणित किया गया है।
- (iii) 2008-09 के दौरान बी ई एल की तीन व्यापार यूनिटों को एरोस्पेस अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ए एस 9100 के लिए प्रमाणित किया गया है तथा चार और यूनिटों/उप यूनिटों को प्रमाणन हेतु चिन्हित किया गया है।
- (iv) पुणे यूनिट को अभिकल्प एवं विकास, उत्पादन, प्रतिष्ठापन तथा चिकित्सा उपकरणों की सर्विसिंग को शामिल करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक आई एस ओ 13485 : 2003 के लिए प्रमाणित किया गया है।

(v) बी ई एल ने बिक्री कारोबार के लगभग 3-4% की वार्षिक लागत कटौती प्राप्त की है।

7.32 **पुरस्कार** : बी ई एल ने 2006-07 के लिए संस्थागत श्रेणी में रक्षा मंत्री का उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त किया। बी ई एल ने अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी विकास तथा नवीकरण के लिए स्कोप प्रशंसा पुरस्कार प्राप्त किया। कंपनी ने 2008 के लिए भारतीय सामग्री प्रबंधन संस्थान का निकाय उत्कृष्टता पुरस्कार भी प्राप्त किया।

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बी ई एम एल लि०)

7.33 बी ई एम एल लि० एक लघु रत्न (श्रेणी-1) कंपनी है जो विभिन्न खनन तथा निर्माण उपकरणों, रक्षा उत्पादों तथा रेलवे एवं मेट्रो उत्पादों के अभिकल्पन, विनिर्माण, विपणन तथा बिक्री पश्चात सहयोग के कार्य में लगी हुई है। यह कंपनी अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न सिविल क्षेत्रों जैसे खनन, इस्पात, सीमेंट, विद्युत, सिंचाई, विनिर्माण, सडक निर्माण आदि में भी कार्यरत है। यह अपनी प्रौद्योगिकी डिजीजन के जरिए ई- इंजीनियरिंग हल उपलब्ध कराती है तथा अपनी विपणन डिजीजन के जरिए घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए गैर कंपनी उत्पादों, संघटकों, हिस्से-पुर्जों तथा सामान का विपणन करती है।

7.34 बी ई एम एल का निगम मुख्यालय बेंगलूर में और सभी विनिर्माण परिसर कर्नाटक राज्य में हैं। कंपनी की एक सहायक कंपनी विज्ञान उद्योग भी है जो इस्पात कास्टिंगों का विनिर्माण करती है। कंपनी का अंतर्राष्ट्रीय कारोबार एशिया, अफ्रीका, यूरोप तथा लेटिन अमेरिका में 50 से अधिक देशों में फैला है। कंपनी ने हाल ही में मलेशिया, ब्राजील तथा चीन में अपने कार्यालय खोले हैं।

7.35 बी ई एम एल भू आधारित उपकरणों जैसे तारा आधारित उच्च गतिशील ट्रक, कवचित रिकवरी वाहन,

भारी रिकवरी वाहन, पेंटून पुल प्रणाली, प्रक्षेपास्त्र परियोजनाओं के लिए वाहन, टैंक परिवहन ट्रेलर, मिलरेल वैगन तथा डिब्बों, माइन प्लो, क्रैश फायर टेंडर, विमान टोइंग ट्रैक्टर, विमान शस्त्र लोडिंग ट्राली, बी एम पी युद्धक वाहनों के लिए पारेषण तथा अंतिम ड्राइव प्रणालियों, युद्धक टैंकों के लिए सस्पेंशन प्रणालियों का विनिर्माण करती है। कंपनी, सीमा सडक महानिदेशालय तथा सेना को सीमा सडक निर्माण/रख-रखाव, बर्फ हटाने तथा अन्य सिविल कार्यों के लिए बुलडोजर, भूमि खोदने वाले यंत्र तथा मोटर ग्रेडर भी उपलब्ध कराती है।

7.36 बी ई एम एल ने स्वयं के लिए वर्ष 2013-14 तक, जोकि कंपनी का स्वर्ण जयंती वर्ष होगा, अपना कारोबार 5000 करोड़ रुपए पहुंचाने की चुनौती

रखी है। उक्त संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए अनेक कठिन तथा नवाचारी रणनीतिक कदम उठाए गए जिनके सकारात्मक परिणाम निकले हैं और गत पांच वर्षों में कार्य निष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार आया है। संगठनात्मक पुनर्गठन, लागत में कमी तथा लाभ में अभिवृद्धि आदि ऐसी कुछ बड़े रणनीतिक कदम उठाए गए जो लाभ तथा कार्य निष्पादन को बढ़ाने में सहायक हुए। “इन हाउस ओउटसोर्सिंग” की अवधारणा को शुरू किया गया जिससे उद्यमियों को कंपनी परिसर में ही निर्धारित मदों की प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर विनिर्माण एवं आपूर्ति करने की सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।

7.37 अनुसंधान तथा विकास : प्रौद्योगिकी डिवीजन संपूर्ण उत्पादन विकास चक्र में जिसमें अभिकल्पन,



बी.ई.एम.एल द्वारा रोटेम, दक्षिण कोरिया से लाइसेंस के तहत विनिर्मित मेट्रो कोच

प्रतिरूपण, विश्लेषण, अनुरूपण, प्रोटोटाइपिंग, परीक्षण करना एवं प्रलेखन शामिल है, में निरंतर समाधान और सेवाएं प्रदान करता है। इस डिवीजन में अधुनातन अवसंरचना तथा कौशल इस उद्योग में सर्वोत्तम के तुलनीय है। प्रौद्योगिकी डिवीजन इस समय चार अलग-अलग कारोबारी हिस्सो अर्थात् ऑटो, एरोस्पेस, रक्षा तथा लेखा एवं मेट्रो में काम कर रहा है।

7.38 कंपनी प्रमुख वैश्विक संगठनों जैसे उच्च क्षमता वाले डम्प ट्रकों के लिए टेरेक्स कारपोरेशन, अमेरिका तथा अधुनातन मेट्रो डिब्बों के लिए रोटेम, दक्षिणी कोरिया के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग कर रही है। आंतरिक अनुसंधान एवं विकास पर भी जोर दिया गया तथा आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए जिसके परिणामस्वरूप खनन तथा विनिर्माण उत्पाद, रक्षा उत्पाद और मेट्रो उत्पाद विकसित किए गए हैं।

7.39 समग्र गुणता, लागत प्रभावकारिता, कलात्मकता और उत्पादकता में महत्वपूर्ण सुधार लाने के लिए आधुनिकीकरण तथा उन्नयन परियोजनाओं के अंतर्गत बोर्ड द्वारा केपेक्स के लिए 2006-07 और 2007-08 में 418 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए।

7.40 **उत्पादकता में सुधार :** विभिन्न प्रयासों के परिणामस्वरूप विनिर्माण में 15% तथा एसेंबली क्षेत्रों में 25% क्षमता अभिवृद्धि हुई है। अकुशल तथा गैर तकनीकी कार्मिकों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाएं शुरू की गईं जिनसे कार्मिकों की संख्या में कमी आई है। इन उपायों के परिणामस्वरूप 5 वर्षों

में प्रति कर्मचारी कुल उत्पादन 9.00 लाख रुपए से बढ़कर 22.00 लाख रुपए से अधिक हो गया।

7.41 उपलब्धियां :

- (i) एक योजनागत विस्तारवादी कदम के रूप में कोलार गोल्ड फील्ड्स में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड (बी जी एम एल) के पास दो विनिर्माण सुविधाओं सहित अतिरिक्त भूमि (1109 एकड़) अधिग्रहित की गई। इन सुविधाओं में से एक को अब रेल डिब्बों के लिए रेल यूनिट-II के रूप में तथा दूसरी को खनन एवं विनिर्माण डिवीजन की सहायक यूनिट के रूप में स्थापित किया गया है।
- (ii) कंपनी के बेंगलूर परिसर को आवश्यक विनिर्माण आधारभूत सुविधाएं स्थापित करके मेट्रो के डिब्बों के विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित किया गया है जो मै0 रोटेम, दक्षिण कोरिया से आवश्यक प्रौद्योगिकी लेकर भारत में अपने ढंग का पहला केंद्र है। दिल्ली मेट्रो कारपोरेशन को गत 2 वर्षों के दौरान 220 डिब्बों से अधिक विनिर्मित करके आपूर्त किए गए हैं और दिल्ली मेट्रो कारपोरेशन के लिए मेट्रो डिब्बों के लिए आर्डर निष्पादन के अंतिम चरण में है।
- (iii) डीजल इंजनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए इंजन डिवीजन, मैसूर में एक नई प्रौद्योगिकी लाइन स्थापित की गई ।
- (iv) कंपनी ने 2007-08 में 200.62 करोड़ रुपए की तुलना में 2008-09 में कुल 304.78 करोड़ रुपए का निर्यात राजस्व अर्जित किया है जोकि गत वर्ष से 52% से भी अधिक की वृद्धि है।
- (v) विश्व बाजार में अपनी छाप को और आगे बढ़ाने के प्रयोजन से वर्ष के दौरान **बी ई एम एल**

(मलेशिया) एस डी एन, बी एच डी- शुरू किया गया जिससे एक वैश्विक वेयरहाउस प्राप्त होगा और दक्षिण पूर्व एशियाई बाजार में बी ई एम एल उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा।

- (vi) शंघाई में बी ई एम एल के चीन आउटसोर्सिंग कार्यालय ने आउटसोर्सिंग तथा हाई एण्ड माइनिंग उपस्करों के विपणन पर ध्यान केंद्रित करने की दृष्टि से अप्रैल, 2008 से अपना कार्य शुरू कर दिया है।
- (vii) बी ई एम एल ने रक्षा मंत्री का उत्कृष्ट पुरस्कार 'वर्ष 2006-07 के लिए निर्यात में सर्वोत्तम कार्य निष्पादन हेतु संस्थागत पुरस्कार' प्राप्त किया है।
- (viii) कंपनी ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नए रक्षा उत्पादों-थेल्स, फ्रांस की सहायक कंपनी मै0 टी डी ए आर्मामेंट्स के साथ स्व प्रणोदी माइन बरियर प्रणालियों और मै0 जनरल डॉयनामिक्स लैण्ड सिस्टम्स, कनाडा के साथ हल्के कवचित वाहनों तथा मै0 डब्ल्यू एफ ई एल लि0, यू0 के0 के साथ ड्राई सपोर्ट पुल प्रणाली के लिए रक्षा कारोबार किया है। बी ई एम एल ने रक्षा अनुप्रयोग तथा घरेलू आपूर्ति के लिए यूरो-II/यूरो-III अनुपालन के साथ तात्रा इंजनों के उत्पादन के लिए मै0 तात्रा, चेक गणराज्य के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा ओ ई एम और हिस्से-पुर्जों के वैश्विक आउटसोर्सिंग के लिए भी सहयोग किया है। इन इंजनों का उत्पादन, इंजन डिवीजन, मैसूर में किया जाएगा।
- (ix) बेंगलूर मेट्रो रेल कारपोरेशन को 1672.49 करोड़ रुपए की लागत पर 150 मेट्रो डिब्बों की आपूर्ति करने का प्रतिष्ठापूर्ण आर्डर बी ई एम एल को मिला और 16 फरवरी, 2009 को स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।
- (x) बी ई एम एल ने आधुनिकीकरण तथा विस्तार

के क्षेत्र में, एच एण्ड पी डिवीजन, के जी एफ में पारेषणों के विनिर्माण हेतु नई एसेंबली सुविधा तथा मैसूर कम्प्लेक्स में इंजनों के लिए नई स्वचालित एसेंबली लाइन की स्थापना का कार्य पूरा किया। बी ई एम एल, क्षमताओं को बढ़ाने के लिए संयंत्र तथा मशीनरी के आधुनिकीकरण के लिए 130 करोड़ रुपए देने के लिए भी वचनबद्ध है।

- (xi) वर्ष 2008-09 के दौरान गडग जिले में स्थित बी ई एम एल लि0 के 5 मेगावाट वाले विंड पावर जनरेशन यूनिट से राज्य ग्रिड को 3.42 करोड़ रुपए की बिजली की आपूर्ति की गई है।
- (xii) बी ई एम एल लि0 को सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंध-मझौले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम श्रेणी के लिए बेहतर और उत्कृष्ट योगदान देने के लिए 'स्कोप' पुरस्कार प्राप्त हुआ।

माझगांव डॉक लिमिटेड (एम डी एल)

7.42 माझगांव डाक लिमिटेड, देश का एक प्रमुख जलयान निर्माता है जो 6800 टन तक के भार वाले युद्धपोतों और 27000 भार (डी डब्ल्यू टी) तक के वाणिज्यिक जलयानों को बनाने में सक्षम है।

7.43 माझगांव डाक लिमिटेड विध्वंसकों, कार्वेट, पनडुब्बियों, नई पीढ़ी के स्टिलथ फ्रिगेटों, अपतटीय पेट्रोल गश्ती यानों सहित युद्धपोतों के तथा विभिन्न प्रकार के मर्चेन्ट यानों के निर्माण में लगा हुआ है और यह युद्धपोतों, पनडुब्बियों और मर्चेन्ट यानों की मरम्मत, तेल की खोज के लिए उनका आधुनिकीकरण करता है। यार्ड में, अपतटीय प्लेटफार्म का निर्माण और तेल की खोज के लिए अन्य कार्यकलाप और सामान्य हैवी इंजीनियरिंग कार्य भी किए जाते हैं।

7.44 कंपनी ने छह लिण्डर श्रेणी के फ्रिगेटों, तीन गोदावरी श्रेणी के फ्रिगेटों, एक कैडेट प्रशिक्षण पोत, तीन प्रक्षेपास्त्र कार्वेटों, चार प्रक्षेपास्त्र नौकाओं और तीन विध्वंसकों और दो पनडुब्बियों का निर्माण कर भारतीय नौसेना को इनकी आपूर्ति की एवं सात अपतटीय गश्ती जलयानों की आपूर्ति तटरक्षक बल को की।

7.45 माझगांव डॉक लिमिटेड ने देश-विदेश में विभिन्न ग्राहकों के लिए कार्गो पोतों, यात्री पोतों, आपूर्ति यानों, बहु प्रयोजनीय सहायता यानों, जल टैंकरों और विभिन्न किस्म के छोटे यान

जैसे टर्गो ड्रेजरों, मछली मारने वाली नौकाओं, बाजों और बोप्स, का निर्माण कर आपूर्ति की। कंपनी के पोत निर्माण प्रभाग को आई एस ओ 9001-2000 प्रमाण पत्र से प्रत्यायोजित किया गया है। सितंबर, 2006 में माझगांव डॉक लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया था।

7.46 उपलब्धियां :

(i) कंपनी को 2006-07 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंध-विशेष सांस्थानिक (टर्नअराउंड) के लिए अच्छे और उत्कृष्ट योगदान हेतु 'स्कोप' पुरस्कार प्राप्त हुआ। क्वालिटी सर्किल ग्रुप को क्वालिटी सर्किल के बारे में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन, 2008 में एक्सलेंट क्लास स्टडी अवाडर्स प्राप्त हुए।

(ii) दिनांक 25 फरवरी, 2008 को बार्ज की कील, यार्ड सं0 08013 की आधारशिला रखी गई। उन्होंने, जुलाई, 2008 में एम एस वी यार्ड सं0 26775 और 26784 की कील की भी आधारशिला रखी है।

मा0 डा0 लि0 ने छह लिण्डर श्रेणी के फ्रिगेटों, तीन गोदावरी श्रेणी के फ्रिगेटों, एक कैडेट प्रशिक्षण पोत, तीन प्रक्षेपास्त्र कार्वेटों, चार प्रक्षेपास्त्र नौकाओं, तीन विध्वंसकों और दो पनडुब्बियों का निर्माण कर भारतीय नौसेना को इनकी आपूर्ति की एवं सात अपतटीय गश्ती जलयानों की आपूर्ति तटरक्षक को की।

(iii) माझगांव डॉक लिमिटेड में ई आर पी का कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया है और यह कार्य प्रगति पर है।

(iv) वर्तमान में, माझगांव डॉक लिमिटेड दो प्रमुख पोत निर्माण परियोजनाओं के तहत अग्रिम पंक्ति के छह युद्धपोतों और एक अलग परियोजना के तहत छह पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है। नागरिक क्षेत्र में डी सी आई एल के लिए एक ड्रेजर का निर्माण किया जा रहा है और निर्यात आदेश के प्रति मैसर्स ग्रेटशिप ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर के लिए दो बहुउद्देश्यीय समर्थन जलयान निर्मित किए जा रहे हैं।

7.47 **आधुनिकीकरण** : माझगांव डॉक लिमिटेड, "माझगांव मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट (एम पी पी)" के माध्यम से अतिरिक्त सुविधाओं का सृजन करने में लगा हुआ है। इसमें इन सुविधाओं का सृजन किया जाना शामिल है अर्थात वेट वेसिन, माडयूलर वर्कशॉप, हैवी ड्यूटी गोलियाथ क्रेन, क्रेडल शाप और स्टोर्स। इन परियोजनाओं के माध्यम से जो आधारभूत ढांचा सृजित होगा उससे पोतों की निर्माण अवधि में कमी आएगी और जलयानों की शीघ्र सुपुर्दगी सुनिश्चित हो पाएगी। 6 फरवरी, 2009 को माझगांव डॉक आधुनिकीकरण परियोजना की आधारशिला रखी गई थी।

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जी एस एल)

7.48 गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जी एस एल) भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल और अन्यो के लिए मध्य आकार का अत्याधुनिक यानों का निर्माण करने वाले प्रमुख शिपयार्डों में से एक है। इसने 29 सितंबर, 1967 से अपने स्वयं के निदेशक मंडल के साथ कार्य

करना शुरू किया था। भारत सरकार ने मार्च, 2007 में इसे मिनी रत्न, श्रेणी-I के दर्जे से नवाजा है।

7.49 गोवा शिपयार्ड लिमिटेड आई एस ओ-9001 प्रमाणित कंपनी है। इस शिपयार्ड के उत्पाद रेंज में 105 मी0 के उन्नत अपतटीय गश्ती यान, 105 मी0 के नौसेना अपतटीय गश्ती यान, 90 मी0 के अपतटीय गश्ती यान, अपतटीय गश्ती यान, 50 मी0 के तीव्र गश्ती यान, प्रक्षेपास्त्र नौकाएं, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण यान, अतिरिक्त तीव्र प्रहारक यान, सेल प्रशिक्षण पोत, लैंडिंग यान उपयोगिता, सी वार्ड रक्षा नौकाएं, तारपीडो रिकवरी यान, यात्री यान, टग आदि शामिल हैं। अभी तक 182 यानों का निर्माण कर लिया गया है।

7.50 **विविधीकरण** : गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने मैसर्स वार्टशिला डिफेंस, फ्रांस के सहयोग से स्टर्न गियर उपस्करों की सुपुर्दगी करने में अपने कार्य का विस्तार किया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के लिए भा0 नौ0 पो0 शिवाजी, लोनावाला के समीप क्षति नियंत्रक सिमुलेटर और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के लिए समुद्र प्रशिक्षण सुविधा यूनिट में उत्तरजीविता के रूप में अपने कार्य का विस्तार किया है। इसके अलावा, भारतीय नौसेना के लिए अग्निशमन प्रशिक्षण यूनिट और उत्तरजीविता प्रशिक्षण सुविधा निर्माण के लिए प्रस्ताव पर कार्रवाई चल रही है।

7.51 कंपनी ने गृह मंत्रालय से आदेशों को पूरा करने के लिए कांच प्रबलित प्लास्टिक नौकाओं को बनाने के कार्य में लगकर अपने कार्यों को नानाविध किया है। कांच प्रबलित प्लास्टिक की इन नौकाओं का निर्माण करने के लिए समर्पित आधारभूत सुविधाएं पहले ही स्थापित कर ली गई हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, विमानन विशेषज्ञता के लिए तट आधारित परीक्षण सुविधा बनाने के कार्य में भी शामिल हो रहा है।

7.52 उपलब्धियां :

- (i) यार्ड के इतिहास में पहली बार 3674 करोड़ रुपए के कुल संविदा मूल्य के नौ प्रमुख जलयानों का एक साथ उत्पादन शुरू हुआ है। इनमें से तीन प्रोटोटाइप जलपोत हैं।
- (ii) पहली बार, सार्वजनिक-निजी क्षेत्र की साझेदारी की संकल्पना के तहत मैसर्स शोफ्ट इंजीनियर्स, बडौच, गुजरात को 90 मी0 ओ पी वी के लिए 1 डेक तक हल निर्माण के लिए कार्य पर लगाया गया।
- (iii) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को अगस्त, 2008 में 'सर्वोत्तम डिजाइन एफर्ट' 2006-07 और 'सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन शिपयार्ड' के लिए माननीय रक्षा मंत्री का उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- (iv) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 2007-08 के लिए 317.21 करोड़ रुपए का रिकार्ड उत्पादन मूल्य अर्जित किया है जो कंपनी के शुरू होने से अब तक सबसे अधिक है। कर कटौती के पश्चात लाभ 9.92 करोड़ रुपए से बढ़कर 69.96 करोड़ रुपए हो गया है। निवल मूल्य 175.29 करोड़ रुपए से बढ़कर 271.66 करोड़ रुपए हो गया है।
- (v) ए ओ पी वी श्रेणी के जलयानों के लिए पोत निर्माण अवधि कम करके 41 माह कर दी गई है।
- (vi) तीन जलयान रायल ओमानी नौसेना, ओमान-सल्तनत को निर्यात किए जा रहे हैं।
- (vii) जी एस एल द्वारा स्वयं परिकल्पित दो प्रोटोटाइप जलयानों ने जलावतरण शुरू कर दिया है।



रक्षा मंत्री अपतटीय गश्ती जलयानों के अभिकल्पन और निर्माण के लिए "अभिकल्पन प्रयास" हेतु गो.शि.लि. को उत्कृष्टता पुरस्कार देते हुए

7.53 पोत निर्माण:

- (i) **भारतीय नौसेना के लिए सुरंग प्रतिरोधी उपाय जलयान (एम सी एम वी) :** भारतीय नौसेना के लिए सुरंग प्रतिरोधी उपाय जलयान के श्रृंखलाबद्ध निर्माण हेतु जी एस एल को नामित कर दिया गया है। प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर एफ पी) 28 अगस्त, 2008 को जारी कर दिया गया था। उत्पादन 2011 से शुरू होने की संभावना है।
- (ii) **भारतीय नौसेना के लिए जल विहार प्रशिक्षण पोत (एस टी एस) :** आई एन एस तरंगिणी की तरह जल विहार प्रशिक्षण पोत (एस टी एस) के निर्माण के लिए 28 मार्च 2008 को भारतीय नौसेना के साथ संविदा पर हस्ताक्षर किए गए। 31 मार्च, 2008 से उत्पादन शुरू किया गया। गृह मंत्रालय के साथ "ग्लास रीइनफोर्सड प्लास्टिक" के लिए 190 करोड़

रुपए मूल्य की संविदा पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जी एस एल में जी आर पी नौकाओं के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टी ओ टी) हेतु मैसर्स मोटोमैरीन, ग्रीस को आर्डर दिया गया है।

- (iii) **आई एन एस हंस में तट आधारित परीक्षण सुविधा:** आई एन एस हंस, गोवा में तट आधारित प्रशिक्षण सुविधा की स्थापना के लिए जी एस एल को मुख्य निर्माणकर्ता के रूप में मनोनीत किया गया है।

7.54 **आधुनिकीकरण :** गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने सुनियोजित आधुनिकीकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है जिसके बाद यार्ड की क्षमता लगभग तीन गुना बढ़ जाने की आशा है। विश्व श्रेणी के परामर्शदाता मैसर्स हास्कोनिंग नीदरलैंड, बी वी, नीदरलैंड्स जी एस एल की आधुनिकीकरण परियोजना के लिए परामर्शदाता के रूप में कार्य कर रहे हैं। आधुनिकीकरण

परियोजना में आधुनिक इस्पात विनिर्माण सुविधा, पोत उठाने और अंतरित करने की प्रणाली, पोत निर्माण एवं मरम्मत के लिए सूखी जमीन की सुविधा, आधुनिक आउटफिट शाप्स, जी आर पी सुविधा और दो जेटीज (पोतघाट) शामिल हैं। इसके अलावा, यार्ड के पास समुद्रत सामग्री भंडारण एवं संचालन सुविधा, सुदृढ़ यांत्रिकी और विद्युत सुविधाएं तथा जनोपयोगी सुविधाएं भी होंगी। आधुनिकीकरण योजना की आयोजना 792 करोड़ रुपए के कुल अनुमानित परिव्यय पर की गई है जिसे चार चरणों में पूरा किया जाना है।

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड (जी आर एस ई) :

7.55 गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड (जी आर एस ई) ने भारत के बढ़ते हुए समुद्री हितों के साथ अपनी गति बनाए रखी है और अब इसे पूर्वी भारत में अग्रणी पोत निर्माता यार्ड एवं उच्च मूल्य, उच्च प्रौद्योगिकी, जटिल इंजीनियरी सामान के उत्पादनकर्ता के रूप में जाना जाता है। कंपनी को **श्रेणी 1 का "मिनी रत्न" दर्जा** प्रदान किया गया है। जी आर एस ई का मुख्य व्यापारिक क्रियाकलाप भारतीय नौसेना और तट रक्षक बल के लिए पोत निर्माण एवं पोतों की मरम्मत है जो कुल उत्पादन का लगभग 81% है। शेष 9% जलयान इंजीनियरी मर्दों, बेली ब्रिजों, परियोजना क्रियाकलाप और डीजल इंजनों से प्राप्त होता है। शिपयार्ड के पास पिछले 125 वर्षों की विशाल एवं विविध तकनीकी विशेषज्ञता एवं अनुभव है।

7.56 **आधुनिकीकरण** : राजा बागान डॉक (आर बी डी) का अधिग्रहण 01 जुलाई, 2006 को किया गया था। उक्त यूनिट का नवीकरण और उन्नयन किया जा रहा है। 2057 से लेकर 2063 संख्या तक के पहले सात पोत यार्ड्स का नौतल 27 जनवरी, 2007 से 29 जुलाई, 2008 तक लगाया गया था। पहले दो पोतों को 23 नवंबर, 2007, 27 नवंबर, 2007 को और अगले दो पोतों को 16 जुलाई,

2008 को जल में उतारा गया था। वाटरजेट एफ ए सी 2061, 2062 और 2063 का नौतल एक साथ 29 जुलाई, 2008 को लगा दिया गया है। इस प्रकार आर बी डी के अधिग्रहण से क्षमता में वृद्धि हो गई है।

7.57 पिछले कुछ समय से जी आर एस ई सामान्य नवीकरण और पुनर्स्थापन कार्यों के अलावा अपनी आधार सुविधाओं के उन्नयन एवं आधुनिकीकरण के लिए कार्य करता आ रहा है। जी आर एस ई के मुख्य यार्ड में आधुनिकीकरण परियोजना की आधारशिला 19 फरवरी, 2009 को रखी गई थी।

7.58 उपलब्धियां :

- (i) पूर्वी नौसेना कमान बेस, विशाखापतनम में 5 अप्रैल, 2008 को आई एन एस केसरी (यार्ड सं0 3015) की दूसरी श्रृंखला चालू की गई।
- (ii) इस श्रृंखला का तीसरा और अंतिम पोत ऐरावत (यार्ड सं0 3016) 30 मार्च, 2009 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया।
- (iii) जी आर एस ई यार्ड सं0 2067 और 2068 (एम वी लपथी और एम वी नार्थ बे) द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के लिए निर्मित दो यात्री-सह वाहन फेरीज को 21 जुलाई, 2008 से कार्य में लगाया गया।
- (iv) पहले दो वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट्स (डब्ल्यू जे एफ ए सी), आई एन एस कार निकोबार और आई एन एस चेटलेट (यार्ड सं0 2057 एवं 2058) 9 जनवरी, 2009 को भारतीय नौसेना को सौंपे गए।
- (v) अगले दो वाटरजेट फास्ट अटैक क्राफ्ट्स, यार्ड सं0 2059 और 2060 (आई एन एस सिंक और आई एन एस चेरियम) 16 जुलाई, 2008 को जलावरित किए गए।
- (vi) वाटरजेट फास्ट अटैक क्राफ्ट्स यार्ड सं0 2061, 2062 और 2063 का नौतल 29 जुलाई, 2008

को लगाया गया। जी आर एस ई के इतिहास में यह पहली बार है जब इन जलयानों को एक ही दिन जल में उतारा गया।

- (vii) जी आर एस ई ने 7 नवंबर, 2008 को नवाचार एवं आयात प्रतिस्थापन श्रेणियों में वर्ष (2006-07) का रक्षा मंत्रालय का उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त किया।

भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बी डी एल)

7.59 भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना निर्देशित मिसाइलों के निर्माण के लिए 1970 में की गई थी। यह विश्व के थोड़े से सामरिक उद्योगों में से एक है जिनके पास अत्याधुनिक मिसाइलों के उत्पादन की क्षमता है। आई जी एम डी पी के अंतर्गत स्वदेश में विकसित पृथ्वी मिसाइल

प्रणालियों के उत्पादन के अलावा भारत डायनामिक्स लिमिटेड रूस के सहयोग से कॉर्कर्स-एम और इनवार (3 यू बी के-20) एंटी गाइडेड मिसाइलों के उत्पादन में लगा हुआ है। कंपनी में ही विकसित सी एम डी एस (काउंटर मेजर्स डिस्पेंसिंग सिस्टम) को भारतीय वायु सेना द्वारा स्वीकार किया गया है। आकाश, नाग, आर्टिकल के-15 और अग्नि रूपांतर (ए1, ए2 और ए3) जैसे मिसाइलों के परीक्षणों के लिए मिसाइल उप प्रणालियां/मिसाइल एकीकरण प्रदान करके प्रौद्योगिकी आमेलन/अंगीकरण एवं सहायता प्रदान करने हेतु डी आर डी ओ के घनिष्ठ सहयोग में बी डी एल कार्य कर रहा है। कंपनी ने उन्नत हल्के तारपीडो (टी ए एल) और समकालिक इंजीनियरी मोड में हल्की माइन्स जैसी जलगत हथियार प्रणालियों के उत्पादन का उपक्रम किया है।

7.60 निर्यात : बी डी एल ने वर्ष 2007-08 के दौरान ई एल ओ पी, इजरायल को 1,56,966.50 अमरीकी



सचिव, रक्षा उत्पादन को भा0 डा0 लि0 की विभिन्न परियोजनाओं के बारे में अवगत कराया जा रहा है

डालर की कीमत के इंफ्लारेड रेडिएशन इंटरफरेंस इंडीकेटर्स (आई आर आई आई) का निर्यात किया है।

7.61 किफायत संबंधी उपाय : गुणवत्ता से कोई समझौता किए बिना कुशलतापूर्वक कार्य निष्पादन और उत्पादन की लागत कम करने के लिए कंपनी ने अनेक किफायती उपायों का कार्यान्वयन किया है। वच्चो माल, चालू कार्य और अतिरिक्त पुर्जों की सूची ईष्टतम स्तरों पर रखी जाती है। बिजली की खपत, नियत और परिवर्तनशील ऊपरी खर्चों तथा आकस्मिक व्यय की नियमित रूप से पुनरीक्षा की जा रही है और उनमें न्यूनतम काट-छांट की जा रही है।

मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)

7.62 मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि) का सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के रूप में 1973 में रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में निगमीकरण किया गया था जिसका उद्देश्य एरोनाटिक्स अंतरिक्ष, हथियारों, परमाणु ऊर्जा, नौसेना जैसे सामरिक क्षेत्रों के लिए आवश्यक उत्कृष्ट मिश्र धातुओं, टिटैनियम मिश्रधातुओं और विशेष प्रयोजनी इस्पात के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। हल्की चुंबकीय मिश्रधातुओं, नियंत्रित विस्तार मिश्रधातु एवं प्रतिरोधक मिश्रधातुओं जैसे इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रानिक अनुप्रयोग के लिए मालिबडेनम वायर्स एवं प्लेटों, टिटैनियम और स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स जैसे विशेष उत्पादों को तैयार करना भी उत्पादन का हिस्सा है।

7.63 उपलब्धियां :

- नए 6.5 टन के वैक्यूम इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेस की स्थापना, जो मिधानि के आधुनिकीकरण का महत्वपूर्ण उपस्कर है, वर्ष के दौरान पूरी कर ली गई है।
- मिधानि ने मैरेजिंग स्टील, टाइटेनियम मिश्रधातु, निकल और कोबाल्ट आधारित सुपर एलायज

(उत्कृष्ट मिश्रधातु), नायोबियम हैफनियम और बड़े आकार के छल्लों, प्लेटों, फोर्जिंग, राड्स (छड़ों) पत्रियों और तारों जैसे मिल रूपों में अनेक विशेष प्रयोजनी अति सुदृढ इस्पातों जैसी अनेक महत्वपूर्ण सामग्रियों का उत्पादन एवं उनकी आपूर्ति की है।

- वर्ष 2008-09 के दौरान टिटैनियम शॉप, वैक्यूम अर्क रिमेल्टिंग फर्नेस (वी ए आर-1) में 402 हीट्स (2011 टन) का रिकार्ड उत्पादन किया गया।
- मिश्र धातु इस्पात संयंत्र (ए एस पी), दुर्गापुर में एन 3 एम, एन 2 इस्पात की छः सिल्लियों को सीधे ही सिल्ली के स्तर से छड़ों (बिलेट्स) में मोड दिया गया जिससे उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि हुई। इस प्रक्रिया से मिधानि को फोर्जिंग आपरेशन और प्रसंस्करण समय में कमी लाने में होने वाले व्यय से बचत हुई।
- परमाणु अनुप्रयोग के लिए निकेल आधारित सुपर-एलॉय एस एन आई 693 एम तैयार किया, हथियारों में प्रयोग के लिए काफी कठोर लो-एलॉय स्टील तैयार किया, एरोस्पेस फास्ट नर प्रयोग के लिए अति उच्च शक्ति का लो एलॉय स्टील तैयार किया, परमाणु उपयोग के लिए 12% मार्टरनसाइटीक स्टेनलेस स्टील को परिष्कृत किया और कोल्ड-राल्ड अल्फा-बीटा टिटैनियम एलॉय तैयार किया।

आयुध निर्माणियों और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों (पी एस यू) द्वारा बिक्री

7.64 पिछले तीन वर्षों के दौरान आयुध निर्माणियों और रक्षा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा की गई बिक्री का कुल मूल्य तालिका 7.1 में दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और आयुध निर्माणियों ने वर्ष

तालिका 7.1

वर्ष	आयुध निर्माणियां कुल विक्री	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कुल विक्री	(करोड़ रुपए में) कुल योग
2006-07	6197.35	15849.30	22046.65
2007-08	6937.81	16763.00	23700.81
2008-09	7305.00	19864.00	27169.00

2008-09 के दौरान 859.60 करोड़ रुपए मूल्य की मदों का निर्यात किया।

रक्षा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और आयुध निर्माणियों ने वर्ष 2008-09 के दौरान 859.60 करोड़ रुपए कीमत की वस्तुओं का निर्यात किया।

स्वदेशीकरण

7.65 निजी क्षेत्र की भागीदारी : रक्षा उपस्करों को स्वदेशी रूप से तैयार करने के लिए जहां कहीं भी तकनीकी रूप से संभव और आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय की सिफारिश पर अनेक प्रकार के रक्षा उपस्करों के विनिर्माण के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डी आई पी पी) ने अभी तक निजी क्षेत्र की कंपनियों को 119 आशय पत्र (एल ओ आई), औद्योगिक लाइसेंस (आई एल) जारी किए हैं।

7.66 लाइसेंस के अधीन 26% तक स्वीकार्य विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) के साथ भारतीय निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए रक्षा उद्योग क्षेत्र खोल दिए जाने के परिणामस्वरूप अभी तक 6 संयुक्त उद्यम भारतीय और विदेशी कंपनियों के बीच गठित हो चुके हैं और विभिन्न रक्षा उपस्करों के विनिर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं।

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने रक्षा मंत्रालय की सिफारिश पर व्यापक रेंज में रक्षा उपस्करों के विनिर्माण हेतु निजी क्षेत्र की कंपनियों को अब तक, 119 आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी किए हैं।

गुणता आश्वासन महानिदेशालय

7.67 गुणता आश्वासन महानिदेशालय एक अंतर-सेवा संगठन है जो निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और आयुध निर्माणियों से सेना, नौसेना (नौसेना हथियार छोड़कर) और वायु सेना के लिए आम उपयोग की खरीदी गई वस्तुओं, सभी आयातित और स्वदेशी रक्षा स्टोर्स एवं उपस्करों के गुणता आश्वासन के लिए उत्तरदायी है। अतः देश की रक्षा संबंधी तैयारी में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

7.68 संगठनात्मक ढांचा और इसके कार्य : गुणता आश्वासन महानिदेशालय के दस तकनीकी महानिदेशालय हैं, जिनमें से प्रत्येक एक विशेष प्रकार के उपस्कर के लिए जिम्मेवार है। तकनीकी महानिदेशालय अपने संबंधित मुख्यालय, नियंत्रक

एवं गुणता आश्वासन स्थापना सहित कार्य उद्देश्य के लिए त्रिस्तरीय ढांचा में विभाजित है। इसके अलावा हथियारों के क्षेत्र में हथियारों और गोलाबारूद के प्रूफ का अधिकतम कार्यकुशलता प्राप्त करने के लिए इनका एकीकरण किया जाता है। इस संगठन द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं-

- (क) रक्षा भंडारों एवं उपस्करों जिनकी स्वदेशी तौर अथवा आयात के जरिए अधिप्राप्ति की गई हो, का गुणता आश्वासन।
- (ख) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित परियोजनाओं के उत्पादन में सहायता प्रदान करना।
- (ग) सेवा मुख्यालयों को तकनीकी सलाह प्रदान करना और मानकीकरण को बढ़ावा देना।
- (घ) खराबियों की जांच करना और उनके उपचारी उपायों के बारे में सलाह देना ताकि खराबियों को दूर/न्यूनतम किया जा सके।
- (ङ) ड्राइंगों विनिर्दिष्टियों तकनीकी प्रकाशनों और गुणता संबंधी अनुदेशों को तैयार करना, उन्हें अद्यतन बनाना तथा जारी करना।
- (च) गुणता आश्वासन महानिदेशालय की स्वीकृतियां/कार्य सुपुर्दगी सूची तथा रक्षा सामानों की सूची पत्र जारी करना।
- (छ) जनरल स्टाफ गुणता आवश्यकता (जी एस क्यू आर) तैयार समय तकनीकी सहायता प्रदान करना, परीक्षण मूल्यांकन, विकास आदि के दौरान सहभागिता, रक्षा भंडारों के शेल्फ जीवनकाल में विस्तार और रक्षा सामानों के उत्पादन के बाद सेवाएं उपलब्ध कराना।
- (ज) उत्पाद विशिष्ट स्व-प्रमाणीकरण देने के लिए मार्ग निर्देश/प्रबंध करना।

7.69 **उपलब्धियां** : गुणता आश्वासन महानिदेशालय संगठन की प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

तालिका 7.2

वर्ष	भंडारों का मूल्य (करोड़ रुपए में)
2006-2007	18,473.24
2007-2008	13,298.78
2008-2009 (फरवरी, 2009 तक)	13,805.44

वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय सैन्य विमानों, उनके हिस्से-पुर्जों तथा अन्य वैमानिकी भंडारों के लिए गुणवत्ता आश्वासन और अंतिम स्वीकृति प्रदान करने हेतु एक विनियामक प्राधिकरण है।

(क) **भंडारों का गुणता आश्वासन:** गुणता आश्वासन महानिदेशालय यह सुनिश्चित करता है कि भंडार सुनिश्चित तौर पर यथानिर्धारित विनिर्देशों और कार्य निष्पादन मापदंडों के अनुसार स्वीकार किया जाए। विगत तीन वर्षों के दौरान, भंडारों की गुणता आश्वासन का मूल्य इस प्रकार है :-

(ख) **स्व प्रमाणन** : रक्षा आश्वासन महानिदेशालय संगठन ऐसी गुणता के प्रति जागरूक फर्मों/विनिर्माताओं को स्व प्रमाणन का दर्जा प्रदान करता है जिन्होंने गुणता प्रबंधन प्रणालियां सुस्थापित की है तथा उत्तरोत्तर रक्षा आपूर्ति आर्डरों के निष्पादन के दौरान उत्पादन गुणवत्ता की लगातार प्रदर्शित किया है। आज की तारीख तक 58 विनिर्माताओं को स्व प्रमाणन दर्जा प्रदान किया गया है।

वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डी जी ए क्यू ए)

7.70 वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय सैन्य विमानों, उनके हिस्से-पुर्जों तथा अन्य वैमानिकी भंडारों के लिए गुणता आश्वासन और उनकी अंतिम स्वीकृति प्रदान करने हेतु एक विनियामक प्राधिकरण है। वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय रक्षा वायु भंडारों की अधिप्राप्ति और विनिर्माण के विभिन्न चरणों के दौरान रक्षा मंत्रालय, सेना मुख्यालयों, रक्षा सार्वजनिक सेवा के उपक्रमों और व्यापार स्रोतों को तकनीकी परामर्श देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

7.71 इस संगठन का संचालन एक महानिदेशक और विभिन्न क्षेत्रों के तकनीकी अफसरों जिन्हें गुणता आश्वासन प्रबंधन का प्रमाणिक अनुभव प्राप्त है, द्वारा किया जाता है और वे संगठन के दृष्टिकोण और मिशन के प्रति समर्पित हैं।

7.72 वर्ष 2008-09 के दौरान, 12746.32 करोड़ रुपए मूल्य के भंडारों के लिए गुणता आश्वासन कवरेज भी दिया गया है।

7.73 लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय/की गई पहल :

- (i) एम एस क्यू ए ए दल ने ब्रह्मोस के जमीनी सिस्टम के एक सेट के लिए गुणता आश्वासन कवरेज प्रदान किया।
- (ii) डी जी ए क्यू ए के तीन अधिकारियों ने डी आर डी ओ की परियोजना-तरंग के लिए कार्यनिष्पादन और अच्छे योगदान के लिए पुरस्कार प्राप्त किया।
- (iii) मिसाइल में वर्ष 2007 के लिए सफल अनुसंधान/उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी विकास के लिए डी जी ए क्यू ए के दो अधिकारियों को डी आर डी ओ के पुरस्कार दल में शामिल किया गया। पुरस्कार प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया।
- (iv) आयुध निर्माणियों को निवेश सामग्रियों के गुणता आश्वासन संबंधी उत्तरदायित्वों का अंतरण करने की बात को आयुध निर्माणी बोर्ड के साथ प्रारंभिक तौर पर दो वर्षों की अवधि के लिए अंतिम रूप दिया गया।
- (v) डी जी ए क्यू ए ने भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए 'हॉक' विमानों की गुणता आश्वासन के लिए सक्रिय तकनीकी योगदान प्रदान किया है।
- (vi) डी जी ए क्यू ए के अधिकारियों ने भारत तथा विदेशों में एम ए एफ आई परियोजनाओं के

तकनीकी मूल्यांकन में भारतीय वायुसेना की सहायता की है।

7.74 वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डी जी ए क्यू ए) से आयुध निर्माणी बोर्ड को निरीक्षण उत्तरदायित्वों का अंतरण : विनिर्माता द्वारा स्व प्रमाणन की दिशा में बढ़ने के इरादे से आयुध निर्माणी खमरिया, चांदा, अंबाझरी, भंडारा और गोलाबारूद निर्माणी किर्की द्वारा बनाए जाने वाले वायु शस्त्र भंडारों के मामले में संबंधित आयुध निर्माणियों को प्रयुक्त सामग्री तथा चरण/अंत चरण जांच, विक्रेता पंजीकरण की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। हथियार भंडारों के लिए प्रक्रिया में इस परिवर्तन के साथ वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय की विभिन्न स्थापनाएं महत्वपूर्ण चरणों में ही निरीक्षण का कार्य करेंगी जिसके बाद प्रूफ गुणता जांच इंजीनियरी, अभिमत स्थल पर जांच आदि करेंगी।

मानकीकरण निदेशालय

7.75 मानकीकरण निदेशालय का प्राथमिक उद्देश्य तीनों सेनाओं में उपस्करों और घटकों में उभयनिष्ठता स्थापित करना है ताकि रक्षा सेनाओं की वस्तु सूची को घटाकर न्यूनतम किया जा सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति निम्नलिखित तरीके से की जाएगी :

- (क) संयुक्त सेना विनिर्देशों, संयुक्त सेना अधिमानित रेजों, संयुक्त सेना युक्तियुक्त सूचियों, संयुक्त सेना दिशा निर्देशों, संयुक्त सेना नीति विवरणों, संयुक्त सेवा गुणात्मक आवश्यकताओं और स्वीकृति संबंधी अधिसूचनाओं जैसे मानकीकरण दस्तावेज तैयार करना।
- (ख) रक्षा सामान सूची को कूटबद्ध करना।
- (ग) प्रवेश नियंत्रण।

7.76 मानकीकरण और कूटबद्ध करने संबंधी कार्यकलापों की मानीटरी निम्नलिखित समितियां करती हैं :-

- (क) **मानकीकरण समिति** : यह एक शीर्ष निकाय है जो समग्र मानकीकरण नीति संबंधी दिशा निर्देश निर्धारित करती है।
- (ख) **अध्यक्ष, मानकीकरण समिति की उप समिति (सी सी एस एस सी)** : अपर सचिव (रक्षा उत्पादन) इसके अध्यक्ष हैं। यह समिति 13 उप समितियों के जरिए मानकीकरण कार्यकलापों को दिशा निर्देशित करती है।
- (ग) **रक्षा उपस्कर कूटबद्धीकरण समिति (डी ई सी सी)** : संयुक्त सचिव (आपूर्ति) इसके अध्यक्ष हैं। यह कूटबद्ध क्रियाकलापों का दिशा निर्देश और मानीटरी करती है।

7.77 महत्वपूर्ण उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

- (क) **मानकीकरण** : इस अवधि के दौरान 774 मानक दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं।
- (ख) **कूटबद्धीकरण** : वर्ष के दौरान 44,002 मदों को कूटबद्ध कर दिया गया है।
- (ग) **उन्नयन** : 3,727 मदों का उन्नयन कर दिया गया है।

7.78 **अलाइड कमेटी/135 में सदस्यता** : 10 जून, 2008 को अलाइड कमेटी के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत, उस अलाइड कमेटी/135 का सदस्य बन गया जो नाटो की कोडीकरण पद्धति के लिए एक शीर्ष निकाय है और जो वैश्विक संभार तंत्र और भागीदारी करने वाले देशों के प्रचालकों की प्रभाविकता और सक्षम दक्षता बढ़ाने तथा वैश्विक संभार प्रचालनों को सुचारु बनाने के लिए आवश्यक संपर्क प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। मानकीकरण निदेशालय, भारत के लिए एक राष्ट्रीय कोडीकरण ब्यूरो के रूप में कार्य करेगा।

योजना एवं समन्वय निदेशालय

7.79 योजना एवं समन्वय निदेशालय की स्थापना 1964 में देश में रक्षा उपस्करों के उत्पादन के लिए समग्र योजना तैयार करने के प्राथमिक उद्देश्य से की गई थी। यह रक्षा उत्पादन विभाग के संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य करती है तथा विभाग के विभिन्न शाखाओं को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। यह रक्षा अधिप्राप्ति परिषद, रक्षा उत्पादन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कवचित वाहनों और आयुध निर्माणी बोर्ड में शस्त्रों के विकास तथा उत्पादन से संबद्ध प्रमुख कार्यक्रम एवं परियोजनाओं, रक्षा अधिप्राप्ति में महत्वपूर्ण संचार और पोत निर्माण परियोजनाओं तथा आफसेट से संबद्ध गतिविधियों के लिए नोडल बिंदु है।

7.80 यह निदेशालय एस सी ए पी सी सी, एस सी ए पी सी एच सी और रक्षा अधिप्राप्ति परिषद के विचारार्थ एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय द्वारा परिचालित तीनों सेवाओं की पूंजीगत अधिप्राप्ति योजनाओं के श्रेणीकरण पर विचार बनाने में रक्षा उत्पादन विभाग में समन्वय रखता है। यह निदेशालय, रक्षा अधिप्राप्ति बोर्ड के समक्ष रखे जाने वाले एजेंडा पर विभाग के दृष्टिकोण का समन्वय करने के लिए एक केंद्रीय निकाय के रूप में भी कार्य करता है। यह निदेशालय उस डिफेंस आफसेट फैसिलिटेशन एजेंसी के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है, जो विदेशी विक्रेताओं को अपनी आफसेट संबंधी दायित्वों को पूरा करने के लिए 'एकल खिड़की' संगठन है।

रक्षा प्रदर्शनी संगठन

7.81 रक्षा प्रदर्शनी संगठन (डी ई ओ) को एक अंतर सेवा संगठन के रूप में 1981 में स्थापित किया गया था। यह भारतीय रक्षा उद्योग द्वारा विकसित और

विनिर्मित रक्षोन्मुखी उत्पादों और सेवाओं के लिए निर्यात में अभिवृद्धि करने के मूल दृष्टिकोण से देश और विदेश में रक्षा प्रदर्शनियों का आयोजन और समन्वय करता है।

7.82 स्थायी रक्षा प्रदर्शनी: रक्षा प्रदर्शनी संगठन द्वारा विशिष्ट मेहमानों, विदेशी गणमान्य व्यक्तियों, प्रतिनिधिमंडलों और क्रय मिशनों के लिए प्रगति मैदान, नई दिल्ली में प्रतिवर्ष रक्षा पंडालों में स्थायी रक्षा प्रदर्शनी लगाए रखता है

जो उन्हें भारतीय रक्षा उद्योगों द्वारा उत्पादित मदों और सेवाओं की रेंज तथा उनकी क्षमताओं की एक झलक प्रदान करती है।

7.83 भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला : प्रगति मैदान, नई दिल्ली में प्रतिवर्ष 14-27 नवंबर, तक आयोजित किए जाने वाले भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में रक्षा पंडाल लगाया जाता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले, 2008 के दौरान, आम लोगों को भारतीय रक्षा उद्योगों की बहुमुखी क्षमताओं और उत्पादों की एक झलक दिखाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों, आयुध निर्माणी बोर्ड, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय द्वारा विस्तृत प्रदर्शनियां लगाई गईं। सशस्त्र सेनाओं और तटरक्षक बल द्वारा प्रचार के लिए स्टाल भी सक्रिय किए गए।

7.84 भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां: भारतीय रक्षा उद्योगों को अपनी क्षमताओं के प्रदर्शन के लिए एक मंच उपलब्ध कराने के लिए रक्षा प्रदर्शनी संगठन भारत में दो द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां नामतः एयरो इंडिया और डिफेक्सपो इंडिया आयोजित करता है। एयरो इंडिया एयरोस्पेस तथा वैमानिकी उद्योग से संबंधित है जबकि डिफेक्सपो

रक्षा प्रदर्शनी संगठन भारतीय रक्षा उद्योग द्वारा विकसित और विनिर्मित रक्षोन्मुखी उत्पादों और सेवाओं के लिए निर्यात में अभिवृद्धि करने के मूल दृष्टिकोण से देश और विदेश में रक्षा प्रदर्शनियों का आयोजन और समन्वय करता है ।

इंडिया भू तथा नौसेना प्रणालियों से संबंधित है।

(क) **एयरो इंडिया :** एयरो इंडिया 2009 की सातवीं प्रदर्शनी 11 फरवरी से 15 फरवरी, 2009 तक आयोजित की गई थी। इस प्रदर्शनी को सिविल तथा सैन्य विमानन के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी उद्योगों का जोरदार समर्थन प्राप्त हुआ। इस प्रदर्शनी में 26 देशों से 600 से अधिक प्रदर्शकों ने अपने उत्पादों तथा सेवाओं को प्रदर्शित किया।

2 से 3 लाख से अधिक दर्शनार्थियों और 50,000 से अधिक कारोबारी आगंतुकों ने इस प्रदर्शनी का दौरा किया। 20 विदेशी विमानों और 60 भारतीय विमानों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया। 48 देशों के प्रतिनिधियों और विभिन्न प्रसिद्ध कंपनियों के कारोबारी प्रमुखों ने इस प्रदर्शनी का दौरा किया।

(ख) **डेफेक्सपो इंडिया :** डेफेक्सपो इंडिया 2008- अर्थात इस श्रृंखला की पांचवीं प्रदर्शनी का आयोजन भारतीय उद्योग महासंघ के साहचर्य में 16 से 19 फरवरी, 2008 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में किया गया। इसमें 32 देशों से 292 कंपनियों सहित 475 कंपनियों अभूतपूर्व रूप से भागीदारी की। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी रक्षा उद्योगों, आयुध निर्माणी बोर्ड और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, ने रक्षा पद्धतियों और सेवाओं की अपनी व्यापक रेंज दर्शाते हुए इस प्रदर्शनी में भाग लिया। डेफेक्सपो, 2008 के दौरान भारतीय रक्षा उद्योगों की अनुसंधान क्षमताओं को दर्शाने और भविष्य के निवेश के लिए भारतीय रक्षा बाजार को महत्वपूर्ण स्रोत स्थान बताते हुए उनकी निर्यात संभावनाओं को बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। 47 देशों से

उच्च स्तर के प्रतिनिधिमंडलों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया।

7.85 विदेश में रक्षा प्रदर्शनियां : रक्षा प्रदर्शनी संगठन, भारतीय रक्षा उद्योग की निर्यात को बढ़ावा देने की दृष्टि से उनके द्वारा तैयार किए जा रहे प्रमुख रक्षा उत्पादों के लिए भारत पंडाल लगाता है।

वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान क्वालालम्पुर, मलेशिया में डिफेंस सर्विसेज एशिया (21-24 अप्रैल, 2008 तक), बर्लिन, जर्मनी में बर्लिन एयर शो (27 मई से 1 जून, 2008 तक) और केपटाउन, दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीका एयरोस्पेस एण्ड डिफेंस (17-21 सितंबर, 2008 तक) में भारत पंडाल लगाए गए।

निवेश

(करोड़ रुपए में)

सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम	2006-07		2007-08		2008-09	
	इक्विटी	सरकारी ऋण	इक्विटी	सरकारी ऋण	इक्विटी	सरकारी ऋण
एच ए एल	120.50	-	120.50	-	120.50	-
बी ई एल	80.00	-	80.00	-	80.00	-
बी ई एम एल	36.87	-	41.77	-	41.77	-
एम डी एल	199.20	-	199.20	-	199.20	-
जी आर एस ई	123.84	-	123.84	-	123.84	-
जी एस एल	29.10	-	29.10	-	29.10	-
बी डी एल	115.00	-	115.00	-	115.00	-
मिधानि	137.34	-	137.34	-	146.34	-
कुल	841.85	-	846.75	-	855.75	-

कार्य संबंधी परिणाम उत्पादन और बिक्री मूल्य (करोड़ रुपए में)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	2006-2007		2007-2008		2008-09 (अंतिम)	
	उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य	उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य	उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य
एच ए एल	9201.88	7783.61	8791.52	8625.33	11162.38	10260.00
बी ई एल	4012.76	3952.70	4111.37	4102.54	5263.82	4618.74
बी ई एम एल	2590.75	2601.79	2826.95	2713.34	3178.20	3016.42
एम डी एल	1872.24	18.65	2,321.69	6.06	2532.00	14.00
जी आर एस ई	641.66	713.74	573.47	556.65	614.36	720.60
जी एस एल	267.07	152.79	317.21	26.94	477.05	464.03
बी डी एल	385.84	433.51	505.85	454.38	519.00	464.00
मिधानि	223.88	192.51	296.40	255.01	346.77	306.15
कुल	19196.08	15849.3	19744.46	16740.25	24093.58	19863.94

**आयुध निर्माणी बोर्ड का कार्य संबंधी परिणाम
उत्पादन और बिक्री मूल्य**

(करोड़ रुपए में)

2006-2007		2007-2008		2008-2009	
उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य	उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य	उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य
8282.72	6197.35	9312.62	6937.81	10603.00	7304.75

कर पश्चात लाभ

(करोड़ रुपए में)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	2007-08	2008-09
एच ए एल	1631.88	1559.40
बी ई एल	826.74	743.65
बी ई एम एल	225.65	248.40
एम डी एल	240.86	231.41
जी आर एस ई	74.47	44.48
जी एस एल	69.97	82.10
बी डी एल	47.65	40.00
मिधानि	35.54	40.38
कुल	3152.76	2989.82

रक्षा अनुसंधान तथा विकास



अस्त्र प्रक्षेपास्त्र

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन रक्षा प्रणालियों में आत्मनिर्भरता को लगातार बढ़ाने और देश के अनुसंधान तथा विकास ढांचे तथा क्षमता में वृद्धि करने के प्रति पूर्णतः समर्पित है

8.1 रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डी आर डी ओ) ने 01 जनवरी, 1958 को अपने प्रादुर्भाव से लेकर देश की एक बड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी शक्ति बनने तक एक लंबा रास्ता तय किया है। केवल 10 प्रयोगशालाओं के साथ एक छोटे से संगठन के रूप में आरंभ करके डी आर डी ओ ने बहुआयामी प्रगति की है और यह देशभर में फैली अपनी 50 प्रयोगशालाओं के व्यापक नेटवर्क के साथ एक मजबूत और परिपक्व संगठन के रूप में उभरकर सामने आया है।

8.2 डी आर डी ओ, रक्षा प्रणालियों में आत्मनिर्भरता को लगातार बढ़ाने और देश के अनुसंधान तथा विकास ढांचे और क्षमता में वृद्धि करने के प्रति समर्पित है। इसका सपना है कॉरपोरेट शक्ति को बढ़ाना, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देश को विदेशी प्रौद्योगिकियों की निर्भरता से मुक्त कराना और अत्यधिक संवेदनशील वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों में विशेषज्ञता के भंडार के रूप में कार्य करना। डी आर डी ओ रक्षा नीति की सहायता में रक्षा मंत्रालय को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सलाह प्रदान करने, सेना की संक्रियात्मक जरूरतों के लिए रक्षा उपस्कर का मूल्यांकन करने और रक्षा उद्योगों को अत्याधुनिक शस्त्र प्रणालियों के विकास के लिए हस्तांतरित की जाने वाली नई प्रौद्योगिकीय जानकारी पैदा करने जैसी बहुत-सी उल्लेखनीय भूमिकाएं निभा रहा है। आज डी आर डी ओ विश्व के सर्वोत्तम अनुसंधान तथा विकास संगठनों में से एक है।

संगठनात्मक ढांचा

8.3 डी आर डी ओ एक मिशन आधारित ढांचा है। इसके प्रमुख रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार (एस ए टु आर एम) हैं जो भारत सरकार के सचिव भी हैं। मुख्य नियंत्रक, आयुध एवं समाघात इंजीनियरिंग तथा नौसेना प्रणालियां (ए सी ई एंड एन एस), मिसाइल तथा सामरिक प्रणालियां (एम एस एस), वैमानिकी तथा सामग्री विज्ञान (ए एम एस), सेवाओं के साथ परस्पर क्रिया (एस आई), जैव विज्ञान तथा मानव संसाधन (एल एस एंड एच आर), इलैक्ट्रॉनिक्स तथा कम्प्यूटर विज्ञान (ई सी एस) संसाधन एवं प्रबंधन (आर एंड एम), तथा कार्यान्वयन (आई) सचिव की सहायता करते हैं।

8.4 **डी आर डी ओ मुख्यालय:** डी आर डी ओ मुख्यालय दो अलग-अलग प्रकार के निदेशालयों नामतः तकनीकी निदेशालयों तथा कारपोरेट निदेशालयों में बंटा है। तकनीकी निदेशालयों में वैमानिकी, आयुध, समाघात वाहन और इंजीनियरिंग, इलैक्ट्रॉनिक्स और कम्प्यूटर विज्ञान, सामग्री, कार्य के लिए सेनाओं के साथ परस्पर अनुक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, प्रौद्योगिकी अर्जन, मिसाइल, नौसेना अनुसंधान तथा विकास, जैव विज्ञान, सिविल निर्माण एवं संपदा निदेशालय तथा तकनीकी परीक्षा सेल शामिल हैं। इसके अलावा सेनाध्यक्ष, वायुसेनाध्यक्ष, नौसेनाध्यक्ष और एकीकृत

रक्षा स्टॉफ के उप-प्रमुख (डी सी आई डी एस) के वैज्ञानिक सलाहकार भी तकनीकी निदेशकों के रूप में कार्य करते हैं ।

8.5 कॉरपोरेट निदेशालयों में कार्मिक निदेशालय, मानव संसाधन विकास निदेशालय, सामग्री प्रबंध निदेशालय, योजना एवं समन्वय निदेशालय, प्रबंध सेवा, राजभाषा और संगठन पद्धति, बजट, वित्त एवं लेखा, सुरक्षा एवं सतर्कता, वाहन अनुसंधान तथा बौद्धिक संपदा अधिकार, पब्लिक इंटरफेस तथा प्रौद्योगिकी विस्तार तथा सहयोग केन्द्र शामिल हैं । ये निदेशालय प्रयोगशालाओं का उनके बुनियादी ढांचे में सुधार, नई सुविधाओं के सृजन, जनशक्ति की भर्ती, अन्य मंत्रालयों/विभागों आदि के साथ समन्वय स्थापित करने और अपने-अपने क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने में सहायता करते हैं ।

8.6 डी आर डी ओ प्रयोगशालाएं/स्थापनाएं: देशभर में विभिन्न स्टेशनों पर स्थित विभिन्न प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं, फील्ड स्टेशनों, क्षेत्रीय सैन्य उडान योग्यता केन्द्रों (आर सी एम ए) के नेटवर्क के द्वारा कई कार्यक्रमों/परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। ये प्रयोगशालाएं/स्थापनाएं वैमानिकी, आयुध, मिसाइल, समाघात वाहन, उन्नत कम्प्यूटिंग और नेटवर्किंग, इलैक्ट्रानिक, ऑप्टो-इलैक्ट्रानिकी, सैन्य इंजीनियरिंग प्रणाली, जैव विज्ञान, उन्नत सामग्री, यौगिक और अंतरजलीय संवेदी/शस्त्र, युद्धपोत प्रौद्योगिकी आदि कार्यों में लगी हैं । इनमें 05 मिसाइल प्रणाली प्रयोगशालाएं, 12 इलैक्ट्रानिक प्रणाली प्रयोगशालाएं, 03 सामग्री विज्ञान प्रयोगशालाएं, 05 आयुध प्रणाली प्रयोगशालाएं, 06 वैमानिकी प्रणाली प्रयोगशालाएं, 04 समाघात वाहन तथा इंजीनियरिंग

प्रयोगशालाएं, 10 जैव विज्ञान प्रयोगशालाएं तथा 3 नौसेना प्रणाली प्रयोगशालाएं शामिल हैं जो अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगी हैं ।

8.7 डी आर डी ओ की दो सोसाइटियों है - वैमानिकीय विकास एजेंसी (ए डी ए) और एकीकृत प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं अनुसंधान सोसाइटी (एस आई टी ए आर) । वैमानिकी विकास एजेंसी (ए डी ए) का मिशन है - उन्नत प्रौद्योगिकी वायुयान का डिजाइन तथा विकास करना । एस आई टी ए आर उच्च निष्पादन कम्प्यूटिंग सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए आवश्यक डिजिटल घटकों और यंत्रों को डिजाइन करता है । रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान (डिफेंस इस्टीट्यूट आफ एडवांस टेक्नॉलाजी), जिस ने 2005 में मानित विश्वविद्यालय का दर्जा हासिल कर लिया है, सामान्यतः रक्षा जरूरतों और खासकर हथियार प्रणालियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए नए भर्ती किए गए वैज्ञानिकों के लिए प्रौद्योगिकी के बृहद स्पेक्ट्रम सहित नियमित दीर्घकालिक व अल्पकालिक अवधि के पाठ्यक्रमों तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का आयोजन करता है । हैदराबाद स्थित गैलियम आर्सिनाइड इनेबलिंग टेक्नालॉजी सेंटर (जी ए ई टी ई सी) एक फाउंड्री है, जो डी आर डी ओ तथा अंतरिक्ष विभाग द्वारा हाथ में लिए गए विभिन्न कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण माइक्रोवेव घटकों के डिजाइन, विकास व निर्माण के लिए स्थापित की गयी है ।

मानव संसाधन विकास (एच आर डी)

8.8 डी आर डी ओ ने जनशक्ति विकास के लिए एक गतिशील व योजनाबद्ध दृष्टिकोण अपनाया है । संगठनात्मक प्रणाली में अनुपालन के लिए एच आर डी

से संबंधित नीतियों व रणनीतियों के विकास में एक समेकित दृष्टिकोण अपनाने की दृष्टि से डी आर डी ओ में एक मानव संसाधन परामर्श निकाय का गठन किया गया है। एक जनशक्ति योजना बोर्ड वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक और संबद्ध संवर्गों का प्रबंधन करता है।

8.9 प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक प्रवेश परीक्षा (एस ई टी) के नाम से आयोजित एक वार्षिक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से वैज्ञानिकों की भर्ती की जाती है। इसके अलावा कैंपस साक्षात्कार, वैमानिकी अनुसंधान तथा विकास बोर्ड (ए आर डी बी) की छात्रवृत्ति योजनाओं तथा शैक्षिक अभिरूचि वाले छात्रों के पंजीकरण के अंतर्गत पी एच डी छात्रों की खोज जैसे माध्यमों से भी प्रतिभाओं की तलाश की जाती है।

कार्मिक शक्ति की नफरी

8.10 वर्तमान में जनशक्ति की कुल नफरी लगभग 28,500 है जिसमें लगभग 7500 वैज्ञानिक, 10,500 तकनीकी स्टाफ तथा शेष विभिन्न संवर्गों का प्रशासनिक तथा संबद्ध स्टाफ शामिल है।

8.11 **ज्ञान और कौशल का प्रोन्नयन:** डी आर डी ओ द्वारा तकनीकी, प्रबंधकीय तथा "साफ्ट स्किल" प्रशिक्षण कार्यक्रम/पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं ताकि परियोजनाओं के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी की मौजूदा व भावी जरूरतों को पूरा किया जा सके। अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत पर्याप्त संख्या में कार्मिकों को विभिन्न विषयों में मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग/मास्टर ऑफ टेक्नालाजी पाठ्यक्रमों के लिए आई आई टी, आई आई एस सी तथा अन्य प्रख्यात इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रायोजित किया गया है। इसके अलावा डी आई ए टी डीम्ड

यूनिवर्सिटी में भी एम एस सी, एम टैक तथा पी एच डी पाठ्यक्रमों की पढ़ाई का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार सतत शिक्षा कार्यक्रम (सी ई पी) के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के लिए विभिन्न विषयों में कई पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं। डी आर डी ओ के तीन प्रशिक्षण संस्थान हैं जो इसके वैज्ञानिकों तथा कार्मिकों की प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों को पूरा करते हैं उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान (डी आई ए टी), मंसूरी स्थित प्रौद्योगिकी प्रबंध संस्थान (आई टी एम) और जोधपुर स्थित रक्षा प्रयोगशाला में डी आर डी ओ प्रशिक्षण संस्थान।

परियोजना मानीटरिंग और समीक्षा तंत्र

8.12 डीआरडीओ देरी को कम करने और विकास करने वाली एजेन्सियों, अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशालाओं, प्रयोक्ताओं और उत्पादन एजेन्सियों के बीच सहक्रियाशीलता लाने के लिए शुरु से ही प्रयोक्ताओं और उत्पादन एजेन्सियों को इस कार्य में शामिल करता है। डीआरडीओ ने सेनाओं, उत्पादन एजेन्सियों, शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों आदि की सक्रिय सहभागिता से कार्यक्रमों और परियोजनाओं की आरंभ से ही नियमित मानीटरिंग करने के लिए कई समीक्षा तंत्र स्थापित किए हैं। सभी प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं में चल रही बड़ी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक विभागीय शीर्ष स्तरीय निकाय कार्यरत है जिसे "डीआरडीओ अनुसंधान परिषद" कहा जाता है। इसके अलावा प्रयोगशालाओं और स्थापनाओं के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा इनके तकनीकी-प्रबंधकीय पहलुओं पर कारपोरेट रिव्यू भी किए जाते हैं। सहसेनाध्यक्ष सेना की स्टाफ परियोजनाओं की वर्ष में दो बार समीक्षा करते हैं। सभी बड़े कार्यक्रमों/

परियोजनाओं के लिए मल्टी टीयर "कार्यक्रम प्रबंधन बोर्ड " हैं जो समय-समय पर कार्यक्रमों को मानीटर करते हैं तथा उनकी समीक्षा करते हैं और बाधाओं का जल्दी पता लगाने में मदद करते हैं तथा कार्य के दौरान ही उचित सुधारत्मक सुझाव भी देते हैं ।

कार्यक्रम तथा परियोजना

8.13 डीआरडीओ ने सैन्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काफी प्रगति की है । पिछले कुछ दशकों में अत्याधुनिक शस्त्र प्रणालियों एवं प्रौद्योगिकियों के विकास के माध्यम से हमारी सशस्त्र सेनाओं को निरंतर अपनी युद्ध क्षमता बढ़ाने में मदद की है । गत वर्षों में बहुत-सी प्रणालियों तथा साज-सामान का विकास व उत्पादन किया गया है और उन्हें सेनाओं में शामिल किया गया है । आगे के पैराग्राफों में चालू वित्त वर्ष के दौरान कुछ प्रमुख कार्यक्रमों और परियोजनाओं की प्रगति के बारे में बताया गया है ।

8.14 मिसाइल प्रणालियां

पृथ्वी मिसाइल: सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल "पृथ्वी" एक सामरिक युद्ध क्षेत्र मिसाइल है । इसके 150 किमी. और 250 किमी. रेंज वाले दो वर्जन है जो क्रमशः 1 टन और 500 किग्रा. पेलोड ले जा सकते हैं । दोनों वर्जनों को सशस्त्र सेनाओं में शामिल कर लिया गया है। 27 मई ,2008 को प्रयोक्ताओं और डीआरडीओ द्वारा पृथ्वी -II का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया ।

अग्नि-I मिसाइल: सतह से सतह पर मार करने वाली अग्नि I मिसाइल की रेन्ज 700 किमी. है । इसमें

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने सैन्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई तथा अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों के विकास के माध्यम से अपनी युद्ध कारगरता में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए हमारी सशस्त्र सेनाओं को सक्षम बनाया।

सिंगल स्टेज सॉलिड रॉकेट मोटर लगी है और यह 1 टन का वॉरहेड ले जा सकती है । इसका विन्यास इस प्रकार का है कि इसे रोड/मोबाइल लांचर से फायर किया जा सकता है । अग्नि-I के विकास से पृथ्वी-II और अग्नि - II के बीच रेंज का अंतर समाप्त हो गया है । अग्नि - I को सेनाओं में शामिल कर लिया गया है ।

अग्नि - II मिसाइल: अग्नि - II

की रेंज 2000 किमी. से भी ज्यादा है । टेस्ट फायरिंग की विशिष्टताएं हैं- मोबाइल लांच क्षमता, मल्टिस्टेजिंग, अत्याधुनिक नियंत्रण तथा निर्देशन रि-एन्ट्री प्रौद्योगिकी व उन्नत संचार सहित परिष्कृत ऑन-बोर्ड पैकेज । अग्नि - II भी सेनाओं में शामिल कर ली गई है ।

अग्नि - III मिसाइल : अग्नि - III लम्बे रेंज की मिसाइल है जिसमें रेल मोबाइल लांचर से लांचिंग की क्षमता है । यह 1500 कि.ग्रा. का वॉरहेड ले जा सकती है । इसे 07 मई 2008 को सफलतापूर्वक टेस्ट फायर किया गया ।

धनुष मिसाइल: यह पृथ्वी मिसाइल का नौसेना वर्जन है जिसकी रेन्ज 250 किमी. और पेलोड करीब 500 किग्रा है । आई एन एस सुभद्रा तथा सुवर्णा का शस्त्रीकरण पूरा कर लिया गया है ।

आकाश मिसाइल: मध्यम रेंज (25 किमी.) की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल "आकाश" में डिजिटली कोडेड कमांड गाइडेंस प्रणाली सहित एक साथ कई लक्ष्यों के भेदन की क्षमता है। . "आकाश" वायुसेना वर्जन के प्रयोक्ता परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं । वायुसेना "आकाश" मिसाइल

प्रणाली के दो स्क्वाड्रों के प्रापण/प्रवेश पर विचार कर रही है।

नाग मिसाइल: नाग तीसरी पीढ़ी की टैंक-रोधी मिसाइल है जिसमें "टॉप अटैक " तथा "फायर एंड फॉरगेट" क्षमता है। अगस्त 2008 के दौरान दो विकास उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए गए। गतिमान/स्थिर लक्ष्यों के विरुद्ध चरण- I के प्रयोक्ता परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं तथा चरण- II के परीक्षण 2009 के मध्य में करने की योजना है।

ब्रह्मोस सुपरसोनिक प्रक्षेपास्त्र क्रूज़ मिसाइल: भारत रूस का संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस सुपरसोनिक



ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र

क्रूज़ मिसाइल क्रूज़ मिसाइलों की श्रेणी में सर्वोत्तम मिसाइल है। यह एक सार्वभौम मिसाइल है जो समुद्री तथा ज़मीनी लक्ष्यों के विरुद्ध ज़मीन, समुद्र, समुद्र के नीचे तथा हवा में आधारित विभिन्न प्लेट फॉर्मों से लांच की जा सकती है। जमीन तथा समुद्र से लान्च की जा सकने वाली मिसाइल की जमीन पर आक्रमण करने की क्षमताओं को दर्शाते हुए 05 मार्च, 2008 को ब्रह्मोस मिसाइल ने 15 वीं बार लगातार सफल उड़ान भरी। इसकी 16वीं उड़ान एक चलते हुए पोत पर स्थित यूनिवर्सल वर्टिकल लॉचर द्वारा दिसंबर, 2008 को भरी गई। भारतीय सेना तथा नौसेना इस मिसाइल प्रणाली को पहले ही अपने शस्त्रागार में शामिल कर चुकी है। मिसाइल के वायुसेना वर्ज़न का विकास प्रगति पर है इसके अद्यतन वर्ज़न(ब्लॉक -II आर्मी वर्ज़न) को पोखरन फील्ड रेंज से 4 मार्च 2009 को सफलतापूर्वक टेस्ट फायर किया गया।

अस्त्र मिसाइल : अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसका पैतरेबाजी में माहिर सुपरसॉनिक हवाई लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए देश में ही डिजाइन तथा विकास किया गया है। 13-14 सितम्बर, 2008 के दौरान दो विकासात्मक उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए गए।, टर्मिनल गाइडेड फेज को प्रमाणित करने के लिए 2009 के मध्य में इसकी जमीन से सिम्युलेटेड गाइडेड फ्लाइट की योजना बनाई गई है।

लम्बी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एलआरएसएएम): यह डीआरडीओ, भारतीय नौसेना तथा आई ए आई, इज़राइल का संयुक्त विकास कार्यक्रम है। इसकी रेंज 70 किमी. है तथा इसमें टर्मिनल फेज़ में ड्युअल पल्स रॉकेट मोटर और एक्टिव रडार सीकर तथा निर्देशन

के लिए इन्शियल/मिड कोर्स अपडेट का इस्तेमाल किया गया है। दो फ्लाइट मोटर्स का स्थैतिक परीक्षण तथा शॉर्ट बर्न मोटर्स के साथ दो लांच क्लियरेंस टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिए गए हैं।

शौर्य मिसाइल: डीआरडीओ ने 12 नवंबर, 2008 को 600 कि.मी० की रेंज वाली मध्यम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल "शौर्य" का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। यह मिसाइल लगभग एक टन पेलोड वाले परंपरागत वारहेड्स को ले जाने में सक्षम है।

8.15 वैमानिकीय प्रणालियां :

हल्का लड़ाकू वायुयान (एलसीए) तेजस : भारत का स्वदेशी बहुल भूमिका वाला लड़ाकू वायुयान 'तेजस' जिसका डिजाइन एवं विकास एयरोनॉटिकल विकास एजेंसी, बंगलौर द्वारा किया गया है, उड़ान परीक्षण की अग्रिम अवस्था में है। अभी तक सात विमानों - दो प्रौद्योगिकी प्रदर्शक (टीडी), तीन प्रोटोटाइप वाहन (पीवी) तथा दो सीमित श्रेणी उत्पादन (एलएसपी) रूपांतरों ने 1088 उड़ानें पूरी की हैं। विमान को 2010 तक आरम्भिक संचालनात्मक अनुमति (आईओसी) तथा 2012 तक पूर्ण संचालन अनुमति (एफओसी) दिए जाने की दिशा में सभी परीक्षाओं पर अच्छी प्रगति हो रही है। भारतीय वायुसेना ने 20 विमानों का पहला ऑर्डर दिया है। भारतीय वायुसेना को 10 विमानों का पहला बैच 2010 के मध्य तक तथा दूसरा बैच नवंबर 2011 तक सुपुर्द कर दिया जाएगा। साथ ही 2 प्रशिक्षण रूपांतर पीवी तथा 6 एलएसपी निर्माण की विभिन्न अवस्था में हैं।

तेजस कार्यक्रम अब परीक्षण का अगला चरण अर्थात् शस्त्र परीक्षण तथा गर्म मौसम परीक्षण में चल रहा है जिसे 2009 के मध्य तक पूरा कर लिया जाएगा। हल्के लड़ाकू विमान, तेजस पर 25 पाउंड, 1000

पाउंड तथा 3 किलोग्राम के बमों के साथ शस्त्र रिलीज परीक्षण, जामनगर में सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं। तेजस से 1000 पाउंड का पहला बम 12 मार्च 2009 को गिराया गया।

नौसेना के लिए हल्का लड़ाकू वायुयान (एलसीए) : एलसीए तेजस का उत्पाद (स्पिन ऑफ) पर नौसेना रूपांतर विमान वाहकों के अनुकूल होगा तथा इसमें तदनुसार परिष्कृत लैंडिंग गियर तथा 4 डिग्री ड्रॉप डाउन नोज होगा। प्रथम नौसेना-रूपांतर प्रोटोटाइप का एकीकरण एवं परीक्षण 2009 के मध्य तक किए जाने का कार्यक्रम है। 2010 तक इसका तैयार किया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य प्रगति पर है।

एल सी ए के लिए कावेरी इंजन : स्वदेशी एलसीए विमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गैस टरबाइन अनुसंधान स्थापना (जीटीआरई), बेंगलूर कावेरी इंजन का विकास कर रही है। इसका और विकास कार्य फ्रांस के मैसर्स एसएनईएमसीए के साथ संयुक्त कार्यक्रम के रूप में किया जा रहा है। एक बार इस संयुक्त कार्यक्रम को अंतिम रूप दिए जाने के बाद एलसीए के लिए स्वदेशी एयरोइंजन लगभग 48 महीनों में उपलब्ध हो जाने हैं।

नौसेना पोत के लिए कावेरी इंजन : कावेरी मैरीन गैस टरबाइन (केएमजीटी) कावेरी एयरो इंजन परियोजना का एक उत्पाद (स्पिन ऑफ) है। इस इंजन का नौसेना सुविधा केन्द्र, विशाखापट्टनम में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इस इंजन के वर्तमान रूपांतर में उच्चतर प्रणोद और सहनशक्ति के लिए सुधार किया जा रहा है ताकि इसे भारतीय नौसेना पोत के लिए उपयोगी बनाया जा सके।

मिसाइल अप्रोच चेतावनी प्रणाली एवं लेजर चेतावनी प्रणाली : रक्षा उड्ड्यानिकी अनुसंधान स्थापना (डेयर), बंगलौर ने सैन्य विमान के लिए देश में ही एक मिसाइल

अप्रोच चैतावनी प्रणाली तथा लेजर चैतावनी प्रणाली का विकास किया है और इसका भारतीय वायुसेना के एवरो परिवहन विमान पर सफल परीक्षण किया गया है। भारतीय सेना ने इस तकनीक को अपने चीता हेलिकॉप्टरों के लिए मांगा है; डेयर से जानकारी प्राप्त कर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा लगभग 69 प्रणालियों का इकट्ठा उत्पादन किया जाएगा। भारतीय वायुसेना तथा एचएएल ने भी इस प्रणाली को क्रमशः अपने एमआई-17 मीडियम लिफ्ट हेलिकॉप्टरों तथा हल्के लड़ाकू हेलिकॉप्टरों पर उड़ान परीक्षण सिद्ध करने के लिए रक्षा उड्डयानिकी अनुसंधान स्थापना से कहा है।

दोहरे रंग की मिसाइल अप्रोच चैतावनी प्रणाली : डेयर ने अपने देश में ही विकसित मिसाइल अप्रोच चैतावनी प्रणाली के लिए इजराइल के सहयोग से दोहरे रंग की प्रौद्योगिकी के संयुक्त विकास का काम शुरू किया है।

मध्यम तुंगता दीर्घ सहनशक्ति की यूएवी, रूस्तम : इसका डिजाइन तीनों सेनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने, निगरानी तथा टोह मिशनों के लिए किए जा रहा है। डीआरडीओ की एक उत्पादन एजेंसी एवं विकास साझेदार (पीएडीपी), जिसकी पहचान भारतीय उद्योग में से ही की जा रही है, के साथ मिलकर रूस्तम प्रणाली विकसित करने की योजना है। रूस्तम के संरूपण डिजाइन को पूरा कर लिया गया है तथा विंग टनल परीक्षण जारी है।

मिग-27 एयरक्राफ्ट का उन्नयन : डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना के लिए मिग-27 एयरक्राफ्ट को अग्रिम पंक्ति का स्ट्राइक एयरक्राफ्ट बनाने के लिए अद्यतन डिजिटल वैमानिकी के साथ इसका उन्नयन किया है। उन्नत क्षमताओं, जैसे एकीकृत उड़ान तथा फायर नियंत्रण, जो पायलट को "हस्तमुक्त शस्त्र गिराने" में समर्थ बनाती हैं, के संबंध में अंतिम संचालनात्मक क्षमता के लिए अनुमति दे दी गई है।

8.16 इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियां :

युद्ध क्षेत्र निगरानी रडार - कम दूरी (बीएफएसआर-एसआर): यह रडार एक साधारण, प्रयोग में आसान तथा प्रयोक्त अनुकूल निगरानी ई-सेंसर है जिसमें एक इंफ्रैट्री सैनिक पांच मिनट के अंदर रडार को लगाकर प्रभावी रूप से चालू कर सकता है। श्रव्य एवं दृश्य उपकरण किसी लक्ष्य की निर्णायक रूप से पहचान करने और उसे वर्गीकृत करने में सहायता करते हैं। यह रडार निर्धारित क्षेत्रों की निगरानी के लिए सीमा सुरक्षा बल, तटरक्षक तथा पुलिस के लिए एक शक्तिशाली भू-आधारित ई-सेंसर भी है। यह रडार हवाई अड्डों, बड़े औद्योगिक तथा अन्य आधारभूत संरचनाओं के लिए एक अत्यंत लागत प्रभावी परिधि निगरानी सेंसर साबित होगा।

मल्टीफंक्शन फेज्ड एरे रडार - राजेन्द्रा : राजेन्द्रा सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल प्रणाली के लिए बैटरी स्तर पर प्राथमिक सेंसर है। यह रडार की व्यापक खोज कर सकता है। विविध विमानों तथा मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है साथ-ही-साथ अपने विविध मिसाइल को कमान एवं निर्देशित कर सकता है। यह रडार प्रणाली सामरिक सेनाओं को सभी प्रकार की संक्रियाओं के लिए उपलब्ध दो ट्रैकदार वाहनों - बैटरी स्तर रडार (बीएलआर) तथा बैटरी नियंत्रित केंद्र (बीसीसी) पर लगा होता है। इस रडार ने फेज्ड एरे आधारित शस्त्र नियंत्रण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सिद्ध की है। भारतीय वायुसेना ने आकाश शस्त्र प्रणाली का सफलतापूर्वक मूल्यांकन किया है। मूल्यांकन के आधार पर, आकाश शस्त्र प्रणाली की कुछ स्क्वाड्रनों के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा आपूर्ति आदेश दिया जा रहा है।

3डी मध्यम दूरी का निगरानी रडार - 3डी सीएआर: इसका निर्माण सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल प्रणाली के लिए केन्द्रीय एक्विजिशन रडार

(सीएआर) के रूप में किया गया है। यह 18 कि०मी० तक की ऊँचाई को कवर करता है और 180 कि०मी० दूरी तक के मल्टीपल टारगटों का पता लगाकर ट्रैक कर सकता है। बीईएल की भागीदारी में इसके दो वेरिएंट विकसित किए गए हैं - पहला वायुसेना के लिए मध्यम दूरी के हवाई रक्षा अनुप्रयोगों के लिए 'रोहिणी' तथा दूसरा नौसेना के एएसडब्ल्यू कार्वेट वर्ग के पोतों के लिए मध्यम रेंज की समुद्री निगरानी हेतु 'खेती' भारतीय वायुसेना ने आकाश मिसाइल प्रणाली तथा हवाई बेसों में निगरानी हेतु कुछ 'रोहिणी' रडारों का आर्डर दिया है। नौसेना ने भी कुछ 'रेवती' रडारों का आर्डर दिया है जिनके अभी प्रयोक्ता परीक्षण चल रहे हैं। सेना के जीएसक्यूआर पर आधारित एक और वेरिएंट **3डी सामरिक नियंत्रण रडार (3डी टीसीआर)** का डीआरडीओ के डिजाइन सहयोग के साथ बीईएल में विकास किया जा रहा है। इसके प्रयोक्ता परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं।

शस्त्र स्थान-निर्धारण (वेपन लोकेटिंग) रडार (डब्ल्यूएलआर) : यह रडार स्वचालित रूप से दुश्मन की तोपों, मोर्टारों एवं रॉकेट लांचरों का पता लगाता है और फ्रेंडली फायर को ट्रैक करता है ताकि उसके संघात बिंदु का पता लगाया जा सके और सुधार के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जा सकें। यह भारत इलैक्ट्रॉनिक्स की सहभागिता में सेना के लिए विकसित किया गया है तथा उसकी आर्टिलरी के लिए फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा। इसके प्रयोक्ता परीक्षणों के चार चरण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं।

सुपर विजन 2000 रडार : यह मल्टिमोड निगरानी रडार प्रणाली है जो समुद्री, सतही तथा हवाई लक्ष्यों को खोज और पकड़ सकती है। इस रडार में अतिरिक्त मौसम एवं बीकन मोड हैं। इसमें इमेजिंग मोडों, जैसे रेंज सिग्नेचर (आरएस) तथा इनवर्स सिंथेटिक अपचर रडार (आईएसएआर) को शामिल किया गया है। इस



भरणी रडार

मल्टी प्लेटफार्म रडार को तीनों सेनाओं द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। इसका उन्नत हल्के हेलिकॉप्टर, कामोव-25 तथा डोर्नियर प्लेटफार्मों पर परीक्षण किया गया है।

कम ऊँचाई वाला हल्के वजन का 2डी रडार - भरणी : यह एक बैटरी चालित कॉम्पैक्ट सेंसर रडार है जो चतुष्पाद (क्वाड्रिपॉड) पर माउंट होता है। यह सेना हवाई रक्षा शस्त्र प्रणालियों को खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में शत्रु के हवाई लक्ष्यों जैसे यूएवी, आरपीवी, हेलिकॉप्टरों तथा कम और मध्यम ऊँचाई पर उड़ने वाले स्थिर पंखी विमानों के विरुद्ध 2डी निगरानी प्रदान करता है। प्रयोक्ता परीक्षणों तथा पुष्टि परीक्षणों के तीन चरण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं।

3डी कम ऊँचाई के हल्के भार वाले रडार - अस्लीशा : यह 3डी रडार वायु सेना के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में सीमा पर घुसपैठ करने वाले वायुयानों, हेलिकॉप्टरों तथा यूएवी आदि की हवाई निगरानी के लिए विकसित किया गया है। हल्के भार वाला यह रडार लाने-ले-जाने, तुरंत लगाकर चंपत हो जाने और निम्न ऊर्जा खपत जैसी जरूरतों को पूरा करता है और कठिन मौसमी परिस्थितियों, जिनमें उच्च गति की हवाएं शामिल हैं, में भी बखूबी काम करता है।

वायुवाहित पूर्व चेतावनी एवं नियंत्रण (एईडब्ल्यूएण्डसी) के लिए प्राथमिक रडार : एईडब्ल्यूएण्डसी कार्यक्रम भारतीय वायुसेना की संक्रियामक जरूरतों को पूरा करता है । दो प्रणालियों को मूल्यांकन करने के लिए विकसित किया जाना है । प्राथमिक रडार में इलैक्ट्रॉनिकली स्टियरेबल एक्टिव एरे एंटीना लगा है जिसकी रेंज 3000 कि०मी० से ऊपर है । इस रडार की प्राथमिक भूमिका हवाई रक्षा पूर्व चेतावनी, दुश्मन के घुसपैठिए विमानों के विरुद्ध सामरिक मिशनों में या गहरी पैठ वाले आक्रामक हमलों में सहायता के लिए निगरानी की क्षमता प्रदान करता है । इसके लिए क्रांतिक प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं और एंटीना के स्केल डाउन रूपांतर का कार्यान्वयन अग्रिम चरण में है ।

यूएवी के लिए सिंथेटिक अपर्चर रडार (एसएआर): भू-गतिमान लक्ष्य सूचक (एसएआर/जीएमटीआई)

के साथ सिंथेटिक अपर्चर रडार निगरानी, टोह तथा परिशुद्ध लक्ष्य भेद के लिए एक महत्वपूर्ण वायुवाहित सेंसर के रूप में उभरा है । यह सभी मौसमों तथा दिन-रात में काम करने वालों लंबी दूरी का सेंसर हैं तथा इसका उपयोग निर्णायक भू-दृश्य प्रदान करने के लिए शांतिकालीन सूचना संग्रह एवं युद्ध के समय प्रयोग के लिए किया जा सकता है । इसकी प्रारंभिक डिजाइन समीक्षा पूरी कर ली गई है तथा उप-प्रणालियों का कार्यान्वयन प्रगति पर है ।

मध्यम पावर रडार, अरुद्रा : इस परियोजना की मंजूरी नवंबर 2008 में भारतीय वायुसेना के लिए एक भू-आधारित घूमने वाले एक्टिव एरे रडार विकसित करने के लिए दी गई थी, इसकी रेंज हवाई रक्षा अनुप्रयोगों के लिए 300 कि०मी० है ।

एक्टिव इलैक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे (एईएसए) रडार: इस परियोजना की मंजूरी भी नवंबर 2008 में वायुवाहित



भारतीय सेना के लिए स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध पद्धति कार्यक्रम, 'संयुक्ता'

ईईएसए-आधारित रडार एवं संबंधित प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए ली गई थी। इस परियोजना के तहत एक्टिव एरे एंटीना यूनिट (एएएयू) डिजाइन की जाएगी तथा एक्साइटर रिसीवर प्रोसेसर यूनिट को साकार रूप दिया जाएगा।

सेना के लिए एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध-पद्धति कार्यक्रम, संयुक्ता : यह डीआरडीओ और भारतीय सेना का संयुक्त कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 मेगा हर्ट्स से 40 गीगा हर्ट्स को कवर करने वाली एक एकीकृत ईडब्ल्यू प्रणाली का स्वदेशी विकास करना है। इसमें संचार तथा गैर-संचार खंड है। इस प्रणाली में कुल 145 वाहन हैं जिनमें संचार और रडार सिग्नलों की निगरानी, अंतरोधन, मानिट्रिंग विश्लेषण और उन्हें जाम करने की क्षमता है। पूर्व में सेना द्वारा किए गए कई अभ्यासों में प्रणाली ने सफलतापूर्वक भाग लिया है। परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। बीईएल द्वारा तीनों संचार नियंत्रण ब्लॉकों का उत्पादन कर लिया गया है और प्रयोक्ता परीक्षणों तथा सफल प्रदर्शन के बाद इन्हें प्रयोक्ताओं को डिलीवर कर दिया गया है। गैर-संचार खंड के फैक्टरी स्वीकृति परीक्षणों तथा सीमित प्रयोक्ता परीक्षणों को पूरा करके दोनों ब्लॉकों की डिलीवरी कर दी गई है।

ब्रीफकेस एस-बैंड सैटकाम टर्मिनल : इन टर्मिनलों का विकास सुदूर क्षेत्रों से एस-बैंड फ्रिक्वेंसी पर सुरक्षित ध्वनि एवं डाटा सर्विसिस प्रदान करने के लिए किया गया है। यह एक कॉम्पैक्ट संचार उपस्कर है जो देश के केंद्र से स्वदेशी जीसैट-2 उपग्रह का प्रयोग करके करीब 3000 कि०मी० के दायरे में विस्तृत कवरेज प्रदान करता है।

संग्रह (भारतीय नौसेना के लिए इलेक्ट्रॉनिक युद्ध-पद्धति कार्यक्रम): इन प्रणालियों को भारतीय नौसेना द्वारा निर्धारित प्लेटफार्म पर सफलतापूर्वक संस्थापन,

परीक्षण तथा प्रवेश कर लिया गया है। प्रयोक्ताओं ने इस प्रकार की और प्रणालियों के लिए मैसर्स बीईएल को आदेश दिए हैं।

संवाहक : सूचना के संग्रह, समुच्चय, संसाधन तथा विभिन्न फार्मेशनों के कमांडरों के बीच इसके फैलाव के लिए इस कोर से बटालियन स्तरीय कमान सूचना तथा निर्णय सहायक (सीआईडीएसएस) प्रणाली का विनिर्दिष्ट कोर में सफलतापूर्वक संस्थापन किया गया है।

नौसेना पोतों के लिए इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल फायर नियंत्रण प्रणाली (ईओएन-51) : आईएनएस-किर्च में समुद्री मूल्यांकन परीक्षणों के लिए मदर सिस्टम विकसित और संस्थापित किया गया है। नौसेना ने तीन पी-17 पोतों के लिए शुरूआती तीन मर्दों के आदेश के अनुमोदन की सूचना दी है।

8.17 समाघात वाहन एवं इंजीनियरी

मुख्य युद्धक टैंक (एमबीटी), अर्जुन : सेना ने भारी वाहन फैक्टरी, आवड़ी एवं चेन्नई को 124 टैंकों के उत्पादन के लिए पहले ही आदेश दे दिया है। इन 124 टैंकों में से 31 टैंकों को पहले ही सेना के सुपुर्द किया जा चुका है। दो उत्पादन टैंकों पीटी003 तथा पीटी009 के गति प्रयोक्ता-सह-विश्वसनीयता परीक्षण (एयूसीआरटी) सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं।

कैरियर कमांड पोस्ट ट्रैकड (सीसीपीटी-बीएमपी-II) : सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन की तैनाती के लिए समाघात कमांड तथा नियंत्रण प्रणाली (एसीसीसीएस) से सुसज्जित कैरियर कमांड पोस्ट ट्रैकड (सीसीपीटी) के डिजाइन एवं विकास की जनरल स्टाफ परियोजना के लिए सीवीआरडीई को मंजूरी प्रदान की गई थी। स्वचालित अग्नि संसूचन एवं शमन प्रणाली स्वाचालित एनबीसी प्रणाली तथा सीसीपीटी में रिमोट नियंत्रित अस्त्र प्रणाली (आरसीडब्ल्यूएस) के लिए वैद्युत-यांत्रिक ड्राइव यूनिटों का संस्थापन, एकीकरण तथा परीक्षण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

कवचित एम्बुलेंस : सेना ने आयुध निर्माणी, मेडक (ओएफएमके) को 50 कवचित एम्बुलेंसों के निर्माण के लिए मांग-पत्र दिया है और इनका उत्पादन चल रहा है । आज की तारीख में 50 वाहनों में से 15 वाहनों की पोस्ट स्टेशनरी जांच पूरी हो गई है तथा इनका अंतिम एकीकरण एवं निरीक्षण चल रहा है ।

विमान परियोजना-पीटीओ शैफ्ट : इस परियोजना के अंतर्गत एक हल्के भार के उच्च गति वाले शैफ्ट का डिजाइन और निर्माण शामिल है जो 16810 आरपीएम पर 250 एचपी के संप्रेषण में समर्थ हो । तदनुसार सीवीआरडीई ने एलसीए, तेजस के लिए एक लचीले पीटीओ शैफ्ट का सफलतापूर्वक डिजाइन एवं विकास किया है । शैफ्ट को प्रमाणीकरण के योग्य बनाने के लिए सीमित योग्यता परीक्षण (एलक्यूटी) सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं । पीटीओ शैफ्ट को एलसीए तेजस के इंजन ग्राउंड रन टेस्ट के लिए अनुमति दे दी गई है ।

समाघात उन्नत अजेय (सीआईए) टैंक : सेना ने विस्फोटक प्रतिक्रियात्मक कवच (ईआरए), ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस), समेकित अग्निखोजी एवं शमन प्रणाली (आईएफडीएसएस) और पुनःसंरूपित ग्रेनेड डिस्चार्जर (एसजीडी) से सज्जित 692 टैंकों के उत्पादन और आपूर्ति के लिए भारी वाहन फैक्टरी, आवडी को मांग-पत्र दिया है ।

रक्षात्मक सहायता प्रणाली (डीएएस) : "रक्षात्मक सहायता प्रणाली का विकास " नामक परियोजना के अंग के रूप में मोबाइल कैमिफ्लॉज प्रणाली (एमसीएस) विकसित की गई है और एमबीटी अर्जुन में समेकित की गई है । इसके कार्य-निष्पादन मूल्यांकन परीक्षण जून 2008 में सफलतापूर्वक आयोजित किए गए । इस प्रणाली का फील्ड मूल्यांकन परीक्षण मई/जून 2009 के दौरान एमएफएफआर में किया जाएगा ।

मॉड्यूलर पुल : चालीस मीटर का एमएलसी 70 प्रणाली और संबंधित हार्डवेयर तैयार कर लिया गया है । व्यापक अन्तर्विभागीय तकनीकी परीक्षण प्रगति पर हैं । इसकी पूर्णता की संभावित तारीख (पीडीसी) जून 2009 तक बढ़ा दी गई है । 46 मी एमएलसी 70 प्रणाली के विकास का एक ताजा मामला मंजूरी के लिए भेजा जा चुका है ।

अल्प अवधि पुल प्रणाली : 5 मीटर की पुल प्रणाली के प्रयोक्ता परीक्षण पूरे कर लिए गए हैं और एमईटी परीक्षण प्रगति पर है । 10 मीटर की पुल प्रणाली के लिए दो प्रोटोटाइप शीघ्र ही तैयार हो जाएंगे ।

दूर संचालित वाहन (आरओवी) : आरओवी डीआरडीओ द्वारा बहु-उद्देशीय पे-लोडों के लिए डिजाइन और विकसित किया गया एक स्वचालित मोबाइल प्लेटफार्म है । यह बिजली से चलने वाला एक अत्याधुनिक रोबोट है जो 500 मीटर की दूरी से नियंत्रित किया जा सकता है । इसे बिना रिचार्ज किए तीन घंटे तक लगातार चलाया जा सकता है । इसे एक्स-रे स्कैनिंग, एक विस्फोटक-आधारित वाटर जेट डिसरप्टर और एनबीसी टोह प्रणालियों से लैस करके इप्रोवाइज्ड विस्फोटक यंत्र (आईईडी) को हेंडल करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है । सभी परीक्षण एवं गुणता आश्वासन मूल्यांकन पूरे किए जा चुके हैं और यह वाहन सेना में शामिल किए जाने के लिए तैयार है । रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय/डब्ल्यूई निदेशालय ने 27 मार्च 2009 को डीआरडीओ को 20 आरओवी की आपूर्ति का आदेश जारी किया है ।

टी-72 टैंक पर काउंटर माइन फ्लेल (सीएमएफ) : यह परियोजना माइनफील्ड को तोड़कर वाहनों की सुरक्षा के लिए 4 मीटर चौड़ी लेन बनाने के लिए टी-72 टैंक चेसिस पर फ्लेल प्रणाली के विकास के लिए आरंभ की गई है । प्रयोक्ता परीक्षण पूरे किए जा चुके हैं और मुख्य सुधारों का सुझाव दे दिया गया है ।

एनबीसी सुरक्षा के लिए इंटीग्रेटेड फील्ड शेल्टर : भारतीय सेना द्वारा एनबीसी सुरक्षा के लिए 101 इंटीग्रेटेड फील्ड शेल्टर के लिए उत्पादन आदेश दे दिए गए हैं ।

पीजे-10 हथियार लांच प्रणाली : सेना को चार मोबाइल ऑटोनॉमस प्रणालियां, 9 मोबाइल रिप्लिनिशमेंट वाहनों, 2 वर्कशॉप वाहनों और दो मोबाइल क्रेनों की डिलीवरी की गई है । एक रेजीमेंट ब्रह्मोस शस्त्र प्रणाली के लिए तैयार की गई है । यूनिवर्सल वर्टिकल लॉंचर माड्यूल 8 युद्धपोत आईएनएस रणवीर पर स्थापित कर दी गई है ।

आकाश हथियार जांच प्रणाली : इस प्रणाली को आईएफ ने स्वीकार कर लिया है और उत्पादन प्रगति पर है । भारतीय वायुसेना ने इसकी दो स्कवाड्रनों को शामिल करने का निर्णय लिया है जिसमें 16 मिसाइल लांचर और आरएण्डडीई (ई) द्वारा विकसित संबद्ध ग्राउंड प्रणालियां शामिल हैं ।

अत्याधुनिक इंफेन्ट्री समाघात वाहन (एफआईसीवी): बीएमपी-2 आईसीवी के वर्तमान बेड़े को स्वदेशी एफआईसीवी से प्रतिस्थापित करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन, विशिष्टियों एवं प्रापण विधि के निर्धारण में डीआरडीओ सेना की मदद कर रहा है । परियोजना पूर्व गतिविधियों के तौर पर डीआरडीओ ने "एफआईसीवी के लिए समर्थकारी प्रौद्योगिकियों का विकास" नाम से एक टीडी परियोजना शुरू की है ।

मानवरहित भू-वाहन (यूजीवी) : वाहन अनुसंधान एवं विकास संगठन (वीआरडीई) ने निगरानी एवं एनबीसी टोह के लिए एक पायलट प्रणाली यूनिट और दो यूजीवी सहित पहिएदार यूजीवी प्रणाली के विकास के लिए एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक परियोजना पूरी की है ।

कवचित इंजीनियरी टोह वाहन (ईआरवी) : ईआरवी सभी प्रकार के भू-भागों के लिए ट्रैकदार

वाहन पर आधारित इंजीनियरी टोही प्लेटफार्म है जो ब्रिजिंग, ब्रीचिंग तथा ट्रेक निर्माण जैसे विभिन्न समाघात इंजीनियरी कार्यों के लिए सही डाटा प्राप्त करने में सक्षम है । यह वाहन अत्याधुनिक उपकरण प्रणालियों से लैस है जो हैच-डाउन अवस्था में भू-भागीय तथा अन्तर्जलीय सर्वेक्षण को संभव बनाता है । सेना ने 16 वाहनों का आपूर्ति आदेश दिया है । ओएफपी, मेडक और बीईएल इसकी उत्पादन एजेंसियां हैं । चौदह ईआरवी सेना को सौंपी जा चुकी हैं ।

कवचित जल-थलीय डोजर (एएडी) : एएडी एक ट्रैकदार वाहन पर आधारित उपकरण है जिसे समाघात वातावरण में यंत्रिकृत सैन्यबलों द्वारा पुल बिछाने के कार्य में मदद के लिए मिट्टी हटाने के कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है । सेना ने उत्पादन एजेंसी ओएफ मेडक को छः वाहनों के लिए आदेश दिया है । 2008 में पहला वाहन बन कर तैयार हुआ है और सेना द्वारा इसके पुष्टि परीक्षण किए जा रहे हैं । सेना द्वारा सुझाए गए डिजाइन संशोधनों पर कार्य चल रहा है ।

राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण केन्द्र (एनसीएटी): रक्षा सेवाओं और ऑटोमोटिव उद्योग की परीक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एनसीए के पास टेस्ट ट्रैक, एमीशन, फोटोमैट्री, ईएमआई/ईएमसी और सहायक आधारभूत संरचना सहित सुरक्षा प्रयोगशालाएं हैं । वाहनों और उनकी उप-प्रणालियों/अवयवों के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों एवं विनियमों के अनुसार परीक्षण एवं मूल्यांकन करने के लिए एनसीएटी एक अनुमोदित एजेंसी है । वाहनों की ध्वनि को मापने के लिए एक 850 मीटर लंबे टेस्ट ट्रैक का कार्य पूरा कर लिया गया है ।

हिमधाव अध्ययन के लिए इंस्ट्रुमेंटेड कंपोजिट टावर : हिमधाव गतिकी के अध्ययन के लिए प्रयोगात्मक परीक्षण स्थल के विकास का कार्य एमएसपी-10 में प्रगति पर है । हिमधाव गतिकी मानदंडों के अनुवीक्षण

के लिए सासे ने 10 मीटर की ऊँचाई वाला एक इंस्ट्रुमेंटेड कंपोजिट टावर डिजाइन किया है। इस टावर में हिमधाव के बहाव और गति के मानदंडों जैसे वेग, बहाव की गहराई, डिस्चार्ज, सामान्य एवं अपरूपण गतियाँ इत्यादि को मापने के लिए प्रावधान है। इस टावर का निर्माण कार्य हिमाचल प्रदेश के धुंडी फील्ड अनुसंधान स्टेशन के समीप एमएसपी-10 हिमधाव स्थल पर चल रहा है।

माइक्रोपाइल फाउंडेशन : माइक्रोपाइल्स को 30° से 45° की खड़ी चढ़ाई पर बर्फ के फिसलने और लुढ़कने से होने वाले हिम दाब के प्रभावी हस्तांतरण के लिए डिजाइन और विकसित किया गया है। मनाली (हि0प्र0) के समीप प्रस्तावित रोहतांग सुरंग से लगी हुई सड़क के पास एमएसपी-4 हिमधाव स्थल पर प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के तौर पर 76 माइक्रोपाइल्स वाला एक 145 मीटर लंबा हिम जाल खड़ा किया गया है। विभिन्न हिमधाव स्थलों की समस्याओं को सुलझाने के लिए इस प्रौद्योगिकी का अध्ययन किया जा रहा है।

मौसम एवं हिमधाव पूर्वानुमान : श्रीनगर (जेएण्डके) और ससोमा (सियाचिन ग्लेशियर) पर स्थापित पर्वतीय मौसम केंद्र और हिमधाव पूर्वानुमान केंद्रों के माध्यम से उत्तर-पश्चिम हिमालय में तैनात सैन्यबलों को नियमित मौसम एवं अवधाव पूर्वानुमान से अवगत कराया जा रहा है। इसके लिए भू-वेधशालाओं का एक नेटवर्क, 3 उच्च वायु वेधशालाएं और 42 अत्याधुनिक मौसम स्टेशन बनाए गए हैं और नियमित रूप से मौसम एवं अवधाव संबंधी भविष्यवाणियां की जाती हैं। सासे, चण्डीगढ़ में नेस्टेड ग्रिड अप्रोच पर एक उच्च कोटि का मीसोस्केल मॉडल चलाया जा रहा है जो उत्तर-पश्चिम हिमालय के ऊपर 9 किमी × 9 किमी रिजोल्यूशन पर तीन दिन पहले मौसम की परिमाणात्मक भविष्यवाणी देता है। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के सैन्य तैनाती के क्षेत्र को कवर करते हुए विभिन्न सड़कों के बारे में

2-3 दिन पहले सटीक हिमधाव भविष्यवाणी देने के लिए सांख्यिकी मॉडल विकसित किए गए हैं और उनका प्रयोग किया जा रहा है। हिमालय में डॉप्लर मौसम रडार स्थापित करने और हिमधाव पूर्वानुमान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सासे ने इसरो के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।


स्नो गैलरी : हिमधाव खतरों को कम करने के लिए स्नो गैलरी डिजाइन की गई है। एक बार निर्मित हो जाने के बाद यह गैलरी देश में अपने तरह की पहली गैलरी होगी। यह गैलरी राजमार्ग को हिमधाव आघात से बचाएगी। इस स्नो गैलरी का निर्माण कार्य बीआरओ को दिया गया है और यह कार्य हिमाचल प्रदेश में रोहतांग टनल से लगी सड़क पर एमएसपी-7 हिमधाव स्थल पर चल रहा है।

8.18 आयुध :

मल्टी-बैरल रॉकेट प्रणाली - पिनाका : 37.5 कि0मी0 रेंज मल्टी-बैरल रॉकेट प्रणाली-पिनाका का स्वदेशी विकास करके डीआरडीओ ने "मुक्त उड़ान तोपखाना रॉकेट प्रणाली प्रौद्योगिकियों" के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। पिनाका शस्त्र प्रणाली सफलतापूर्वक विकसित कर ली गई है।

पिनाका (फेज-1) के लिए प्रक्षेप-पथ सुधार प्रणाली (टीसीएस) : पिनाका रॉकेट की परिशुद्धता को 0.4% रेंज तक सुधारने के लिए डीआरडीओ एवं आईएमआई, इजराइल के बीच पिनाका (फेज-1) के लिए प्रक्षेप-पथ सुधार प्रणाली (टीसीएस) का विकास नामक एक संयुक्त विकास कार्यक्रम के लिए समझौता हुआ था। पिनाका टीसीएस रॉकेट के प्रदर्शन परीक्षण जुलाई 2008 में सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं।

5.56 मिमी की भारतीय लघु शस्त्र प्रणाली (इनसास) : इसे ज्यादा हल्की ठोस एवं सिपाही पर कम प्रतिक्षेप भार डालने वाली अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके



हिम वीथि

विकसित किया गया है। अब तक 9.0 लाख राइफलों, 50,000 एलएमजी और 120 करोड़ राउंड गोला-बारूद का उत्पादन किया जा चुका है, जिसका कुल उत्पादन मूल्य 4,000 करोड़ रु० है। सीक्यूए (एसए) को 5.56 मिमी एलएलजी का एचएसपी हस्तांतरण जुलाई 30, 2008 को पूरा कर लिया गया है।

पीजेटी-आधारित इलैक्ट्रो-सिरेमिक्स: वैद्युत-यांत्रिकी/यांत्रिक-वैद्युतीय उर्जा परिवर्तन ट्रांसड्यूसर्स के क्षेत्र में परिवर्धित लेड जिरकोनेट टाइटेनेट (पीजेडटी) पीजेडटी इलेक्ट्रिक सिरेमिक्स का, जो पोलिक्रिस्टैलाइन ऑक्साइड पदार्थों का एक प्रकार है, काफी व्यापक उपयोग है। पीजेडटी सफलतापूर्वक विकसित कर लिया गया है। पदार्थ संघटन एवं प्रक्रमण प्रौद्योगिकी व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध है।

अंडर बैरल ग्रेनेड लांचर (यूबीजीएल): यूबीजीएल इनसास राइफल 1बी और एके-47 राइफल का एक

"एड ऑन" अटैचमेंट है जो शस्त्रों को दोहरी क्षमता प्रदान करता है। इस की मदद से सिपाही कई एम्युनिशन फायर कर सकता है। दिन के लिए और कम रोशनी में गोलीबारी के लिए इंटीग्रेटेड आयरन साइट के साथ-साथ बीटा लाइट साइट (बीएलएस) भी उपलब्ध कराए जाते हैं। यूबीजीएल सेना में शामिल कर लिया गया है। अर्द्धसैनिक बलों ने भी ओएफबी को 100 यूबीजीएल के लिए मांग-पत्र रखा है।

आधुनिक सब-मशीन कार्बाइन (एमएसएमसी): यह एक कॉम्पैक्ट, हल्का, आसानी से उठाया और चलाया जा सकने वाला सब-मशीन कार्बाइन है जो आमने-सामने के युद्ध में 200 मी की रेंज तक प्रभावी है। यह कार्बाइन 200 मी की रेंज तक केवलर सॉफ्ट बॉडी कवच (एसबीए) की 24 परतों को आसानी से भेद सकता है। अप्रैल 2008 में इंफैंट्री स्कूल, मऊ में इसके पुष्टिकारी प्रयोक्ता परीक्षण सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं। जिनमें इसने सभी मुख्य जीएसक्यूआर

मानदंडों को पूरा किया है। मूल्यांकन के अगले चरण के लिए प्रयोक्ता ने एमएसएमसी में सुधार के कुछ सुझाव दिए हैं। जनवरी 2009 के दौरान इसके प्रयोक्ता प्रमाणीकरण परीक्षण किए गए।

84 एमएम हल्के वजन का लांचर (एलडब्ल्यूएल):

इसे सफलतापूर्वक विकसित कर लिया गया है। गन-बैरल डिजाइन में पहली बार अत्याधुनिक कंपोजिट प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया है। यह मौजूदा इन-सर्विस 84 एमएम आरसीएल एमके-2 हथियार के मुकाबले लगभग आधे वजन का है। यह हथियार प्रयोक्ता, गर्म (रेगिस्तान) और ठंडे (अधिक ऊँचाई) मौसमी परीक्षणों से सफलतापूर्वक गुजर चुका है। 29 अप्रैल, 2009 को 84 एमएमएलडब्ल्यूएल के कंपोजिट बैरल के उत्पादन की प्रौद्योगिकी ओएफबी को हस्तांतरित की जा चुकी है।

बंधा विस्फोटन यंत्र (बीबीडी) एमके-1 : सेना को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को तेज करने की दृष्टि से डीआरडीओ ने "बीबीडी" नामक एक यंत्र का डिजाइन और विकास किया है। यह यंत्र मानववाहित है। प्रयोक्ता परीक्षणों के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद बीबीडी को सेना में शामिल कर लिया गया है।

मल्टी-मोड हैंड ग्रेनेड : टीबीआरएल ने एक हैंड ग्रेनेड विकसित किया है जो एक समान वितरण प्राप्त करने के लिए पूर्वनिर्मित बेलनाकार नरम स्टील के टुकड़ों का प्रयोग करता है।

मल्टी-पी चार्ज वारहेड : 10मी0 की दूरी पर 10एमएम के एमएस लक्ष्य के लिए एक अत्याधुनिक मल्टी-पी-चार्ज वारहेड डिजाइन, विकास और परीक्षण किया गया है। इस वारहेड को आक्रमणकारी मिसाइलों समेत हवाई लक्ष्यों को ध्वस्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस वारहेड में 91 लाइनर हैं।

उन्नत विध्वंसक यंत्र (एडीडीएस) : भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे मौजूदा विध्वंसक यंत्रों

को प्रतिस्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार के उन्नत विध्वंसक उपकरणों का विकास किया गया है। इसके गुणता आश्वासन परीक्षण और प्रयोक्ता परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं और प्रयोक्ता मूल्यांकन चल रहा है।

84 एमएम दाहक गोलाबारूद : एचईएमआरएल ने जून 2008 में विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए विकसित 84 एमएम का दाहक गोलाबारूद का हल्के भार वाले लांचरों का प्रयोग करते हुए डीजी इंफेन्ट्री के समक्ष प्रदर्शन किया है।

β-एचएमएक्स : β-एचएमएक्स सबसे शक्तिशाली विस्फोटक है। इसका उत्पादन 1 किलोग्राम के स्तर से प्रारंभ करके 20 कि0ग्रा0 के स्तर तक लाया गया है। वर्तमान वर्ष के दौरान एचईएमआरएल में एक पूर्णतः स्वचालित 20 कि0ग्रा0 की सेमी बैच रिएक्टर यूनिट खड़ी करके कमीशन की गई है। यह संयंत्र नियमित रूप से चल रहा है और इसका उत्पादन 60% है जो विश्वस्तरीय है।

क्रिस्टलहीन बोरॉन पाउडर (एबीपी) : एबीपी ग्रेड-II (85-88% शुद्धता) के उत्पादन की प्रक्रिया स्थापित की गई है जिसकी क्षमता 10 कि0ग्रा0 प्रतिमाह है। सभी मौजूदा प्रज्वालक सम्मिश्रणों (इग्निटर कंपोजिशन) में इस बोरॉन का प्रयोग हो रहा है। 92% से अधिक की शुद्धता प्राप्त करने के लिए आक्सीकरण अर्जन (ऑक्सीडेटिव रोस्टिंग) प्रक्रिया स्थापित की गई है।

5 कि0ग्रा0/बैच पर सीएल-20 का सिन्थेसिस : हेक्सानाइट्रोहेक्साजैसोवर्टजिटेन (एचएनआईडब्ल्यू) जो सीएल-20 के नाम से जाना जाता है, पंजर (केज) संरचना के साथ आज का सबसे शक्तिशाली विस्फोटक माना जाता है, जो किसी अन्य ज्ञात विस्फोटक की तुलना में अधिक उच्च दर पर ऊर्जा रिलीज कर सकता है। 5 कि0ग्रा0/बैच स्तर पर स्वदेशी रूप से सीएल-20 विकसित करने की यह

सुविधा पहली बार भारत में स्थापित की गई है और इसके अंतर्गत वर्तमान अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए 25 कि०ग्रा० सीएल-20 उपलब्ध कराया गया है। उत्पादित सामग्री का उपयोग कई मौजूदा तथा उन्नत विस्फोटकों के निर्माण में किया जाएगा। इस प्रौद्योगिकी का विकास करके डीआरडीओ उन गिने-चुने पश्चिमी देशों के विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है जिनके पास ऊर्जावान सामग्रियों के क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकियाँ हैं।

बारूदी सुरंग प्रज्वलनशील : इसे पानी पर फैलने और तैरने वाली उच्च तापमान की लपटें उत्पन्न करके नहरों तथा खाई-सह-संबंध (डीसीबी) जैसी जल सतहों पर दुश्मन की गतिविधि को रोकने के लिए विकसित किया गया है। एमआई द्वारा उत्पन्न लपटें 7-10 मीटर के गोलाकार दायरे में फैलती हैं

और 2-3 मिनट तक जलती हैं। लपटों की ऊँचाई 2-3 मीटर तक होती है और इनका तापमान 1200-1300° सेल्सियस तक है। तैरने वाली सामग्री किसी भी सतह से चिपक सकती है और इससे लपटों के दायरे में मौजूद कोई भी चीज आग पकड़ सकती है। पहले एमआई यूनिटों की शैल्फ लाइफ 4 वर्ष की थी, परन्तु संशोधित फ्यूज से एमआई की शैल्फ लाइफ बढ़कर लगभग 10 वर्ष हो जाने की उम्मीद है।

130 एमएम तथा एम-46 फील्ड गन तथा 105 एमएम आईएफसी के लिए मॉड्यूलर कम्बस्टिबल केस: वर्तमान में 130 एमएम तथा 105 एमएम फील्ड गन की गोलियों के लिए पीतल के खोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एचईएमआरएल ने मॉड्यूलर चार्ज प्रणाली (एमसीएस) के लिए इसकी जगह रेजिन आधारित मॉड्यूलर कम्बस्टिबल केस (एमसीसी) का



बारूदी सुरंग प्रज्वलनशील

विकास किया है। इससे 50% पीतल की बचत होगी और राउंड का वजन भी कम हो जाएगा।

बीएमपी-2 तथा 2के के लिए त्वरित अग्नि संसूचन तथा शमन प्रणाली (आईएफडीएसएस) का आधुनिकीकरण: आईसीवी बीएमपी-2 तथा बीएमपी-2के के आईएफडीएसएस को अत्याधुनिक आईएफडीएसएस अपग्रेड करने की जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही है जो शीघ्रतर संसूचन तथा अग्निशमन समय सहित संपूर्ण आईसीवी (इंजन तथा कर्मिदल कक्ष दोनों) को आग से बचाएगा। आईएफडीएसएस का कॉम्पैक्ट वर्जन विकसित किया गया और इसके पर्यावरणीय तथा ईएमआई/ईएमसी परीक्षणों सहित इसका कार्य निष्पादन मूल्यांकन किया जा रहा है। प्रणाली की क्षमता के प्रदर्शन के लिए प्रयोक्ता परीक्षण सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं। डीजीक्यूए के परीक्षण भी सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं। बीएमपी-2 तथा 2के के लिए आईएफडीएसएस सेना द्वारा स्वीकार कर लिए गए हैं और सेना में

शामिल करने के लिए इनकी अनुशंसा कर दी गई है।

8.19 नौसेना प्रणालियां:

हल माउंटेड सोनार (नई पीढ़ी) - हमसा (एनजी): यह एक अत्याधुनिक पोत-वाहित सोनार हैं जिसे संगामी इंजीनियरिंग मोड में डिजाइन तथा विकसित किया गया है। प्रणाली का संपूर्ण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भारत इलैक्ट्रिकल लि० को कर दिया गया है। दो प्रणालियों को संस्थापन के लिए हरी झंडी मिल गई है।

निम्न आवृत्ति डंकिंग सोनार (एलएफडीएस): यह एक वायुवाहित सोनार है, जिसे उन्नत हल्के भार वाले हैलीकॉप्टर (एएलएच) के लिए अत्यधिक दूरी पर स्थित दुश्मन के टार्गेटों का पता लगाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इस सोनार ऑन-बोर्ड परीक्षण पोत के समुद्री परीक्षण पूरे हो गए हैं और वर्तमान में प्रणाली हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि० द्वारा संस्थापित की जा रही है।



निम्न आवृत्ति डंकिंग सोनार

डाइवर डेटरेंस सोनार तथा सीबैंड ऐरे प्रणाली: भारतीय बंदरगाहों की तटवर्ती निगरानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए नौसेना प्रयोगशालाओं का समूह डाइवर डेटरेंस सोनार तथा सी-बैंड ऐरे प्रणाली पर कार्य कर रहा है। ये प्रणालियां तकनीकी परीक्षणों के काफी आगे के अंतिम चरणों में हैं।

टोड ऐरे सोनार तथा टॉरपीडो रक्षा प्रणालियां : मारीच तथा नागन परियोजनाओं के अंतर्गत स्वदेशी टोड ऐरे तथा टॉरपीडो सुरक्षा प्रणालियां प्रयोक्ता संबद्ध परीक्षणों के अग्रिम चरण में हैं।

टॉरपीडो उन्नत हल्के (टीएएल) एम के-1: एनएसटीएल द्वारा विकसित टीएएल एमके-1 टॉरपीडो को सेना में शामिल करने के लिए हरी झंडी मिल गई है। भारत डायनॉमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद को 25 टॉरपीडो का आरंभिक आदेश दिया जा रहा है।

वरुणास्त्र : वरुणास्त्र बढी हुई क्षमता तथा ऐसेसे रेंज वाला पोत से दागा जाने वाला भारी वजन का टॉरपीडो है। वर्तमान में इस टॉरपीडो के तकनीकी

परीक्षण चल रहे हैं। इस अन्तरजलीय शस्त्र की वर्ष 2010 में सेना में शामिल होने की संभावना है।

हवाई स्वतंत्र प्रणोदन प्रणाली (एआईपी): एआईपी कार्यक्रम के अंतर्गत पनडुब्बी प्रणोदन के लिए इस मोड का इस्तेमाल करने हेतु एआईपी प्रौद्योगिकी से जुड़ी उप प्रणालियों की संगत समर्थकारी प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत नेफियन मेम्ब्रेस का प्रयोग करके एक 300 वॉट हवाई हाइड्रोजन परिवेशी तापमान वाला फ्यूल सेल स्टेक विकसित और प्रदर्शित किया गया।

8.20 उन्नत सामग्रियां :

एनबीसी टोह वाहन : डीआरडीओ सेना के 8 एनबीसी टोह वाहनों के सीमित श्रृंखला उत्पादन आदेश पर कार्य कर रहा है। प्रथम उत्पादन मॉडल का सीएमई, पुणे में जून 2008 में पुष्टि परीक्षण किया जा चुका है।

मोबाइल मेडिकल पोस्ट (एमएमपी) : प्राथमिक उपचार प्रदान करने तथा घायल व्यक्तियों को बचाने के लिए भारतीय नौसेना के एसओपी पर आधारित मोबाइल मेडिकल पोस्ट (एमएमपी) का विकास किया



वरुणास्त्र

गया है। यह वाहन जून 2008 में भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है।

बीएमपी-2 तथा 2के की एनबीसी सुरक्षा प्रणाली का आधुनिकीकरण : 'बीएमपी-2 तथा 2के की एनबीसी सुरक्षा प्रणाली का आधुनिकीकरण' नामक परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। प्रणाली के एमईटी परीक्षण फरवरी 2008 में किए गए थे। ईएमआईटीईई परीक्षण जनवरी 2008 तथा सितंबर 2008 में किए गए। परीक्षण सफल रहे तथा उपस्कर प्रयोक्ता को स्वीकार्य है।

एनबीसी जल शुद्धीकरण प्रणाली (डब्ल्यूपीएस) : सेना मुख्यालय से 10 मोबाइल एनबीसी जल शुद्धीकरण प्रणालियों का सीमित श्रृंखला उत्पादन (एलएसपी) आदेश प्राप्त हुआ है। प्रणाली एनबीसी एजेंटों तथा गंदलेपन तथा विघटित लवणों से दूषित पानी से 3एम³/घंटा की दर से शुद्ध जल उत्पादन में सक्षम है। प्रथम उत्पादन मॉडल पर पुष्टिकारी प्रयोक्ता परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं।

आयरन ऑक्साइड को कोलाइडल नैनो क्रिस्टल क्लस्टर आधारित एक्विअस फेराफ्लूड का संश्लेषण (सिंथेसिस) : छोटे प्राथमिक नैनो-क्रिस्टल से बने पारदर्शी Fe₃O₄ कोलोडाइल नैनो-कण समूहों के संश्लेषण के लिए एक कक्ष-ताप विलयन-चरण प्रक्रिया विकसित की गई है। Fe₃O₄ सीएनसी विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए पहले से अधिक आकर्षक बनता चला जा रहा है। इन अनुप्रयोगों में मैग्नेटिक रेसानेंस इमेजिंग (एमआरई) तथा टार्गेटेड ड्रग डिलीवरी जैसे विभिन्न बायो मैडिकल अनुप्रयोगों के साथ-साथ उच्च तीव्रता सूचना भंडारण, मैग्नेटिक रेफ्रिजेशन, फेराफ्लूड्स, मैग्नेटोक्रोमिक तथा मैग्नेटो-ऑप्टिकल यंत्र शामिल हैं।

कैमोफ्लाज पैटर्न तैयार करने के लिए सॉफ्टवेयर: सिगमा एमके-II : छद्मावरण (कैमोफ्लाज)

पैटर्न तैयार करने तथा/अथवा विभिन्न उपस्कर और संस्थापनों के लिए छद्मावरण योजना के अभिकल्पन के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया है। इस सॉफ्टवेयर पर सेना के कई जवानों तथा अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है।

फ्लाइंट डेटा रिकॉर्डर (एएन-32 वायुयान) के मेमोरी मॉड्यूल की सुरक्षा के लिए उन्नत यौगिक सामग्रियां तथा उनका ले-अप : एएन-32 वायुयान के स्वदेशी फ्लाइंट डेटा रिकॉर्डर के मेमोरी मॉड्यूल को रक्षा के लिए उन्नत सूक्ष्मरंध्री तापीय रोधन तथा संघात धक्का-सह यौगिक सामग्रियां विकसित की गई हैं। ब्लॉकों तथा पैनलों के रूप में इन सामग्रियों के डिजाइन ले-अप का अंतिम रूप दिया जा चुका है ताकि एफडीआर के मेमोरी मॉड्यूल का विकास किया जा सके। सामग्रियों तथा ले-अप प्रक्रिया को सेमिलैक, बंगलौर का अंतरिम अनुमोदन प्राप्त हो गया है।

सिंथेटिक लाइफ जैकेट एमके-I : यह एक जीवन रक्षक उपकरण है जिसे जल अवरोधकों को पार करने तथा सेना द्वारा पुल बनाते समय इस्तेमाल किया जाता है। सफल प्रयोक्ता परीक्षणों के बाद इसे सेना द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इस उपकरण के बड़ी मात्रा में उत्पादन की व्यवस्था भी सफलतापूर्वक स्थापित कर ली गई है। सेना को, जो कि सीलबंद विवरणधारक प्राधिकारी है, कुल 37,500 लाइफ जैकेट एमके-I की सप्लाई करने के बाद जिम्मेदारी सीक्यूए (टीएण्डसी) को हस्तांतरित कर दी गई है।

टाइटेनियम स्पंज उत्पादन प्रौद्योगिकी : अत्याधुनिक "संयुक्त प्रक्रिया प्रौद्योगिकी" द्वारा 3000 किग्रा/बैच के औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी कच्चे माल (TiCl₄) से टिटैनियम के उत्पादन की प्रौद्योगिकी डीएमआरएल में सफलतापूर्वक विकसित कर ली गई है। यह स्पंज उत्पाद एयरो इंजन के महत्वपूर्ण

भागों सहित कई अनुप्रयोगों के लिए अनुशंसित कड़े अन्तरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है। इस प्रौद्योगिकी पर आधारित देश का प्रथम व्यवसायिक टाइटेनियम स्पंज संयंत्र 500 टन की आरंभिक क्षमता के साथ इसरो से प्राप्त निधि से मैसर्स केरला मिनरल्स तथा मैटल्स लि0, कोलम, केरल में स्थापित किया जा रहा है। इस संयंत्र के 2009 के अंत तक व्यवसायिक उत्पादन शुरू करने की उम्मीद है। इससे देश के सबसे बड़े टाइटेनियम अयस्क के भण्डारों का व्यवसायिक लाभ उठाया जा सकेगा।

कावेरी इंजन एयरोफॉयल ढलाई के लिए सिरैमिक सांचे : डीएमआरएल में दीर्घकालिक अनुसंधान तथा विकास प्रयासों के जरिए सिरैमिक इंजेक्शन मोल्डिंग पर आधारित एक व्यवहार्य प्रक्रिया विकसित की गई है। पांच अत्यंत महत्वपूर्ण कावेरी गैस टरबाइन इंजन ब्लेडों और वेनों के निर्माण के लिए आवश्यक अत्यन्त जटिल और पेचीदा सिरैमिक सांचे तैयार करके ढलाई प्रक्रिया की क्षमता प्रदर्शित की गई है। ये सांचे संनिवेश ढलाई वाले घटकों में प्रयोग के लिए आवश्यक विमीय और अन्य गुणवत्ता जरूरतों को पूरा करते हैं। वर्तमान में इस प्रक्रिया का उपयोग भू-आधारित टरबाइन ब्लेडों के लिए भी किया जा रहा है जो कि असैनिक अनुप्रयोगों के लिए एक अतिरिक्त लाभ है।

एयरो इंजन के लिए निकट-अल्फा टाइटेनियम अयस्क टाइटन 29ए : डीएमआरएल ने मिथानि के साथ मिलकर एयरो इंजन अनुप्रयोगों के लिए एक निकट-अल्फा उच्च तापमान टाइटेनियम अयस्क टाइटन 29ए के विकास का कार्य हाथ में लिया था। भरपूर प्रयासों के परिणामस्वरूप सेमीफिनिश डीड स्टॉक (बार और बिलेट) के उत्पादन की प्रौद्योगिकी हासिल करने में सफलता मिली जिसे हवाई

योग्यता एजेंसियों ने भी प्रमाणित किया। हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के सहयोग से ब्लेड फोर्जिंग और रिंग रोलिंग प्रौद्योगिकी भी सफलतापूर्वक स्थापित कर ली गई है।

हल्के समाघात हेलिकॉप्टर के लिए सिरैमिक कंपोजिट आर्मर : हल्के वजन का यह कंपोजिट आर्मर उन्नत सिरैमिक्स और पॉलिमर कंपोजिटों का इस्तेमाल करके 7.62एमएम एपी से हल्के समाघात हेलिकॉप्टर (एलसीएच) की सुरक्षा के लिए विकसित किया गया है। विकसित आर्मर के बैलिस्टिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं और आर्मर एलसीएच की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करता है।

एयरो इंजन के लिए उच्च दाब टरबाइन (एचपीटी) ब्लेड : पेचीदा और खोखली कास्टिंग के उत्पादन के लिए वैक्यूम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग टेक्नोलॉजी स्थापित की गई है जो कावेरी इंजन की सख्त जरूरतों को पूरा करेगी। इस स्वदेशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग एचएएल के सहयोग से एडोर इंजन के लिए दिशिक रूप से पिंडित खोखले एचपीटी ब्लेड बनाने में सफलतापूर्वक किया गया। सिरैमिक सांचे को, जो कि विदेशी स्रोत से हासिल किया जाने वाला एकमात्र घटक है, स्वदेशी रूप से तैयार करने के प्रयास जारी हैं। यह प्रौद्योगिकी शीघ्र ही व्यवसायिक उत्पादन के लिए एचएएल, कोरापुट को स्थानांतरित कर दी जाएगी।

8.21 जैव विज्ञान प्रणालियां/उत्पाद:

पनडुब्बी बचाव सेट : पनडुब्बी बचाव सेट में एक हाइड्रो सूट एवं एक क्लोज्ड सर्किट स्वचालित श्वसन यंत्र होता है जिसका प्रयोग 100 मीटर की गहराई से किसी परित्यक्त पनडुब्बी से निकलने के लिए किया जा सकता है। पनडुब्बी बचाव सेट के प्रयोक्ता परीक्षण सफलतापूर्वक किए गए थे तथा इस प्रणाली को उत्पादन के लिए क्लियर किया गया है।



पनडुब्बी बचाव सेट

अग्नि मंदक ओवरआल: यह एयरक्रू को बचाव प्रदान करने के लिए बाहरी वस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह आग से जल जाने से बचाव करता है तथा आग लगने वाली जगह से बच कर निकलने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करता है। सेना में शामिल करने के लिए वायु सेना ने इसे स्वीकार किया है।

कम्प्यूटरीकृत पायलट चयन प्रणाली : आधुनिक एयरक्राफ्ट के लिए पायलटों के चयन हेतु एक अत्याधुनिक अंतःस्थापित माइक्रो नियंत्रक आधारित कम्प्यूटरीकृत पायलट चयन प्रणाली जिसमें अंतर्निहित सुरक्षा उपाय हैं, का डिजाइन तथा विकास किया गया है। यह प्रणाली पायलट चयन के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के

कौशल से संबंधित सही, विश्वसनीयता तथा तीव्र गति आकड़े ले लेती है।

नाइट्रिक आक्साइड सुपुर्दगी प्रणाली : उच्च तुंगता ड्यूटियों पर तैनात सैनिकों को तीव्र माउंटेन सिकनेस, उच्च-तुंगता पल्मनरी इडीमा तथा उच्च-तुंगता अपर्यानुकूलन संबंधी अन्य बीमारियां होने की अधिक आशंका रहती है। उच्च-तुंगता पल्मनरी इडीमा रोगियों के उपचार हेतु 15 पी पी एम नाइट्रिक आक्साइड तथा 50% आक्सीजन सहित स्वदेशी नाइट्रिक ऑक्साइड तथा ऑक्सीजन सुपुर्दगी प्रणाली का विकास करके निर्दिष्ट उच्च तुंगता पर स्थापित किया गया है।

विकसित ड्रग्स: परमाणु, जैविक तथा रासायनिक वॉरफेयर एजेन्ट्स और उच्च-तुंगता से होने वाली चिकित्सा संबंधी समस्याओं से बचाव के लिए भारत के औषध महानियंत्रक ने फेज I से फेज III तक नैदानिक परीक्षणों (क्लिनिकल ट्रायल्स) के लिए विकसित 13 ड्रग्स क्लियर कर दिए हैं।

ग्रीनहाउस: उच्च-तुंगता क्षेत्रों में फसलों के अधिक उत्पादन के लिए पौधों की वृद्धि तथा विकास हेतु उपयुक्त पर्यावरण प्रदान करने के लिए विभिन्न माप तथा आकार के ग्रीन हाउस डिजाइन किए गए हैं। ढकने वाली विभिन्न सामग्रियां जैसे विभिन्न ग्रेडों की पराबैंगनी-स्थाई पॉलीइथिलीन झिल्लियां (फिल्मस), ग्लास, फाइबर-प्रबलित प्लास्टिक तथा पालीकार्बोनेट आदि का प्रयोग पौधों की वृद्धि तथा विकास हेतु उपयुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए किया जाता है जिससे फसलों का अधिक उत्पादन होता है। साल भर ताजी सब्जियों की उपलब्धता के लिए सोलह ग्रीन हाउस निर्दिष्ट स्टेशनों पर स्थापित किए गए हैं।

बायोडीज़ल: जैट्रोफा पौधे के बीजों से बायोडीज़ल के उत्पादन के लिए बायोडीज़ल कार्यक्रम प्रारंभ किया

गया है। एक उच्च पैदावार वाले जैट्रोफा कल्टिवर की पहचान की गई है। इसकी प्रोसेसिंग के लिए एक ड्रांसेस्टरिफिकेशन यूनिट की स्थापना की गई है तथा ट्रायल इन भी पूरे कर लिए गए हैं।

आत्म-निर्भरता

8.22 डीआरडीओ ने बहुत-सी प्रणालियों /उत्पादों/प्रौद्योगिकियों का विकास किया है जिनमें से कई का उत्पादन करके सेना में शामिल कर लिया गया और बहुतों के निर्माण तथा उत्पादन का कार्य अभी चल रहा है । डीआरडीओ

रक्षा अनुसंधान तथा संगठन द्वारा विकसित प्रणालियों/उत्पादों/ प्रौद्योगिकियों, जिन्हें सेनाओं में शामिल कर लिया गया है अथवा शामिल किए जाने की प्रक्रिया में हैं, का मूल्य 50,000 करोड़ रूपए से अधिक है।

द्वारा विकसित ऐसी प्रणालियां/उत्पादन /प्रौद्योगिकियां, जिन्हें सेना में शामिल किया जा चुका है या शामिल किए जाने का कार्य चल रहा है उनका मूल्य 50,000 करोड़ रु0 से अधिक है ।

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा परामर्श

8.23 डी आर डी ओ द्वारा विकसित की गई कई प्रौद्योगिकियों का उद्योगों को सफलतापूर्वक हस्तांतरण किया गया है और बहुत-सी दोहरे प्रयोग वाली प्रौद्योगिकियों का वाणिज्यिक प्रयोग किया जा रहा है ।



प्रधान मंत्री उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला, पुणे को टिटेनियम ट्रॉफी प्रस्तुत करते हुए

के विकास के चरण के दौरान सक्रिय रूप से परस्पर क्रिया के लिए प्रोत्साहित किया गया है जिससे "समवर्ती अभियांत्रिकी" का रास्ता तैयार किया जा सके ।

8.24 डीआरडीओ ने पुलिस बलों को तकनीकी सलाह भी दी है तथा पुलिस बलों को संगत प्रौद्योगिकियां तथा उत्पादन प्रदान करके उनके आधुनिकीकरण में भी मदद की है । पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो के साथ निरंतर आपसी चर्चा की प्रणाली तैयार की गई है । डीआरडीओ द्वारा विकसित कुछ उत्पादन जैसे वैयक्तिक सुरक्षा के लिए बॉडी आर्मर (कवच), दंगा नियंत्रण गियर, वॉटर कैनन, दंगा नियंत्रण वाहन तथा बहुत से अन्य उत्पादन काफी बड़ी मात्रा में प्रदान किए गए हैं जिससे पुलिस बलों का आधुनिकीकरण किया जा सके ।

राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी

8.25 डीआरडीओ बहुत-सी महत्वपूर्ण घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में अपने उत्पादों तथा प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करता आ रहा है । वर्ष 2008 के दौरान, डीआरडीओ ने दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी, डिफेंस 2008 में भी भाग लिया । इसने अपने उत्पादों का प्रदर्शन सिंगापुर एयर शो, बर्लिन एयर शो तथा अफ्रीका ऐरोस्पेस तथा रक्षा प्रदर्शनियों में भी किया है। इसने आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम में आयोजित भारतीय विज्ञान कांग्रेस तथा प्रगति मैदान, दिल्ली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में भी भाग लिया ।

शैक्षिक संस्थाओं तथा अन्य राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं के साथ सहयोगात्मक रूप में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने हेतु अनुमोदन, धनपोषण तथा परियोजनाओं की अनुदान सहायता की मानीटरी के लिये डीआरडीओ में बुनियादी अनुसंधान बोर्ड कार्यरत है।

विदेशी सहयोग

8.26 डीआरडीओ में अंतरराष्ट्रीय सहयोग निदेशालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग से जुड़े सभी मामलों के लिए परस्पर क्रिया हेतु केंद्र बिंदु के रूप में कार्य कर रहा है । डीआरडीओ के मुख्य विदेशी भागीदार हैं रूस, यू एस ए, फ्रांस, इज़राइल, जर्मनी, यू के सिंगापुर, बेलारूस और किर्गिस्तान। डीआरडीओ ने किर्गिज़ गणतंत्र के साथ समझौता ज्ञापन किया है कि विशेषक में संयुक्त किर्गिज़ भारत पर्वतीय जैव-चिकित्सा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाए । लेज़र प्रौद्योगिकी तथा पाउडर धातु -विज्ञान के क्षेत्र में आठ नई परियोजनाएं बेलारूस गणतंत्र के साथ कार्रवाई के अंतिम चरण पर हैं। बेलारूस गणतंत्र ने हाई-पावर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्रोतों, नाइट विज़न डिवाइस तथा नियंत्रण प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोगी अनु एवं वि का प्रस्ताव रखा है । बेलारूस ने मिनस्क में संयुक्त अनु एवं वि केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है । डीआरडीओ ने हंगरी के साथ " एक सूक्ष्मजैविक तथा विकिरण चिकित्सकीय संसूचन के रक्षात्मक पहलू" में सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर करने की शुरुआत की है ।

मूल अनुसंधान

8.27 रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों में मूल अनुसंधान पर जोर देने के लिए डीआरडीओ में चार अनुसंधान बोर्ड कार्य कर रहे हैं ; ये हैं ; वैमानिकीय अनुसंधान एवं विकास बोर्ड (ए आर एण्ड डी बी); आयुध अनुसंधान बोर्ड (ए आर एम आर ई बी), नौसेना अनुसंधान बोर्ड (एन आर बी) तथा जैव विज्ञान अनुसंधान बोर्ड (एल एस आर बी) इन बोर्डों का उद्देश्य

अनुदान सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अनुमोदन, वित्त-पोषण तथा मॉनीटरिंग के माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों और अन्य राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशालाओं के साथ सहयोग करते हुए अनुसंधान को बढ़ावा देना है।

8.28 वैमानिकी अनुसंधान तथा विकास बोर्ड (ए आर एण्ड डी बी) : ए आर एण्ड डी बी की स्थापना फरवरी, 1971 में की गई थी। यह बोर्ड वर्तमान में 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की उच्चतम सीमा के साथ देश भर के 25 शैक्षणिक तथा अनुसंधान संस्थानों में वैमानिकीय अनुसंधान एवं विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्र में 77 परियोजनाओं का वित्त-पोषण कर रहा है।

8.29 आयुध अनुसंधान बोर्ड (ए आर एम आर ई बी) : ए आर एम आर ई बी के तहत कुल 12.48 करोड़ रुपए की लागत पर उच्च ऊर्जा पदार्थ, आयुध संवेदक तथा इलेक्ट्रॉनिक्स, प्राक्षेपिकी, वायुगतिकी, डिटॉनिक्स विस्फोटकों के संसूचन के लिए प्रौद्योगिकी, स्मार्ट तथा नैनो पदार्थ, निदर्शन/अनुकरण/संबंधी/ कुल 103 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। स्वीकृत परियोजनाओं में से 77 परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं और 26 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुल 30 कार्यशालाएं / सम्मेलन/ संगोष्ठियां प्रायोजित की गई हैं।

8.30 नौसेना अनुसंधान बोर्ड (एन आर वा) : नौसेना अनुसंधान बोर्ड नौसेना/समुद्री प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में मूल अनुसंधान को सहयोग देता रहा है। अगस्त 1996 में इसके गठन से लेकर अब तक 50.60 करोड़ रु० की कुल लागत से विभिन्न शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों तथा प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को 179 परियोजनाएं मंजूर की जा चुकी हैं। चालू वर्ष के दौरान 15.55 करोड़ रु० की लागत से 55 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

8.31 जैव विज्ञान के अनुसंधान बोर्ड (एल एस आर बी) : एल एस आर बी जैव विज्ञान के ज्ञान के आधार को फैलाने और गहरा करने के लिए देश भर के विभिन्न अनुसंधान संस्थानों को अनुसंधान व विकास की परियोजनाएं प्रायोजित करता है। चालू वर्ष के दौरान अब तक कुल 24 परियोजनाओं के वित्त-पोषण की सिफारिश की गई है। 4 पेटेंट फाइल किए गए हैं और 01 की प्रक्रिया जारी है। एल एस आर बी द्वारा सहायता प्राप्त कुछ परियोजनाएं मानवीय कार्यकुशलता में सुधार लाने वाले प्राकृतिक उत्पादों का मूल्यांकन, जैव सुरक्षा, जैविक-ईंधन, जीवन रक्षक प्रणालियों, पोषण तथा पर्वतीय खेती की खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी आदि से जुड़ी है।

8.32 उत्कृष्टता केन्द्र : डीआरडीओ ने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों में उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किए हैं ताकि डीआरडीओ तथा शैक्षणिक संस्थानों के बीच ऐसे सुदृढ़ संबंध बनें जो रक्षा क्षेत्र में नए प्रौद्योगिकीय समाधान निकालने के लिए अत्यंत आवश्यक समझे जाते हैं। ये केन्द्र डीआरडीओ को विज्ञान के अति विशिष्ट क्षेत्रों में सहायता प्रदान करेंगे। उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने का उद्देश्य संकायों के ज्ञान, अनुसंधान ढांचे तथा युवा एवं उत्साही वैज्ञानिक जनशक्ति के रूप में इन शैक्षणिक संस्थानों के व्यापक संसाधनों से लाभ उठाना है।

8.33 अनुसंधान सेवाओं के अर्जन के लिए संविदाएं (सी ए आर एस) : शैक्षणिक संस्थानों से अनुसंधान सेवाएं प्राप्त करने के लिए अनुसंधान सेवा अर्जन संविदा (सी ए आर एस) की शुरुआत की गई है। इस योजना के अनुसार डीआरडीओ की कोई प्रयोगशाला शैक्षणिक संस्थानों की विशेषज्ञता और सुविधाओं का प्रयोग कर सकती है। डीआरडीओ की कोई प्रयोगशाला किसी व्यक्ति अथवा संस्थान को 10 लाख रु० तक

की परियोजना सौंपने के लिए प्राधिकृत है। सी ए आर एस योजना के तहत डीआरडीओ द्वारा करीब 15 करोड़ रु० की राशि का प्रति वर्ष प्रयोग किया जा रहा है।

बाह्य अनुसंधान

8.34 डीआरडीओ अपनी बाह्य अनुसंधान योजना के माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों तथा अनुसंधान प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिक जानकारी तथा अनुसंधान विशेषज्ञता का उपयोग करने का प्रयास करता है जिससे प्रौद्योगिकी विकास को बल मिलता है। इस प्रकार विकसित प्रौद्योगिकियां डीआरडीओ की विभिन्न दीर्घ/अल्प-कालिक परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों का आधार बनती हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान, 25 करोड़ रु. की लागत की 62 नई परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है। 225 चालू परियोजनाओं को डीआरडीओ द्वारा 120 करोड़ रु० की निधि प्रदान की गई है।

बौद्धिक संपदा अधिकार (आई पी आर)


8.35 डीआरडीओ की अनुसंधान गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न बौद्धिक संपदा को चुनिंदा तौर पर सुरक्षात्मक कानूनी कवर प्रदान करने के लिए उत्पादों/प्रक्रियाओं के लिए सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, जैवचिकित्सा विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में 101 आई पी आर आवेदन (13 विदेशों में) दर्ज किए गए हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान 48 पेटेन्ट (01 विदेश में) प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त 02 डिज़ाइन भारत में पंजीकृत किए गए हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए

इस अवधि के दौरान विभिन्न प्रयोगशालाओं में 04 जागरूकता कार्यक्रम/कार्यशालाएं/पेटेन्ट क्लीनिक आयोजित किए गए।

डीआरडीओ स्वर्ण जयंती समारोह

8.36 वर्ष 2008 डीआरडीओ के लिए विशेष वर्ष था क्योंकि 50 वर्षों तक देश की समर्पित सेवा के बाद इसने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई। डीआरडीओ ने वर्ष भर का स्वर्ण जयंती कार्यक्रम आयोजित किया। इसका उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, उद्योगों, तथा विदेशी सहभागियों के बीच राष्ट्र निर्माण में डीआरडीओ के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष योगदान को दर्शाना, आम जनता तथा मीडिया में अधिक जागरूकता लाना तथा डीआरडीओ परिवार में युवा प्रतिभा को आकर्षित करना था। रक्षा मंत्री जी ने 09 जनवरी, 2008 को वर्ष भर चलने वाले स्वर्ण जयंती समारोहों को औपचारिक रूप से आरंभ किया। उसके बाद बहुत से कार्यक्रम जैसे लैब-क्लस्टर संगोष्ठियाँ, सम्मेलन, स्कूलों व कॉलेजों में प्रदर्शनियां आयोजित की गईं। वर्ष भर चलने वाले समारोहों को और आगे बढ़ाते हुए डीआरडीओ ने फिक्की (एफआईसीसीआई) के साथ मिलकर 3-5 दिसंबर, 2008 के दौरान दिल्ली में "रक्षा अनु एवं वि प्रबंधन" पर स्वर्ण जयंती सम्मेलन आयोजित किया। इस तीन दिवसीय कार्यक्रम ने रक्षा अनु एवं विकास संगठनों, सैन्य कमांडरों, थिंक टैंकों, सरकारी अधिकारियों, औद्योगिक नेताओं तथा दुनिया भर से आए अन्य मुख्य व्यक्तियों (सहयोगियों) को निर्णायक चर्चा व विचार-विमर्श के लिए मंच प्रदान किया।

अंतर सेवा संगठन



सशस्त्र बल पत्रिका 'सैनिक समाचार' के सौ वर्ष पूरे होने पर रक्षा मंत्री एक समारोह में कॉफी टेबल बुक 'सोलजरिंग ऑन.....' का विमोचन करते हुए

अंतर सेवा संगठन संसाधनों और सेवाओं का विकास तथा रख रखाव करने के लिए उत्तरदायी हैं जो लागत में किफायत बरतने और बेहतर सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए तीनों सेनाओं के लिए समान हैं

9.1 निम्नलिखित अंतर सेवा संगठन सीधे रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं :-

- (i) सेना इंजीनियर सेवा
- (ii) सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशालय
- (iii) रक्षा संपदा महानिदेशालय
- (iv) मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय
- (v) जनसंपर्क निदेशालय
- (vi) सेना क्रय संगठन
- (vii) सेना खेलकूद नियंत्रण बोर्ड
- (viii) सेना चित्र प्रभाग
- (ix) राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय
- (x) विदेशी भाषा विद्यालय
- (xi) इतिहास प्रभाग
- (xii) रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय
- (xiii) रक्षा सेवा स्टाफ महाविद्यालय
- (xiv) रक्षा मंत्रालय पुस्तकालय

सेना इंजीनियर सेवा

9.2 सेना इंजीनियर सेवा (एम ई एस) सशस्त्र सेनाओं को संक्रियात्मक व ढांचागत सेवा प्रदान

करती है। इस संगठन को पारम्परिक भवनों एवं फैक्ट्रियों से लेकर हवाई अड्डों, रनवे एवं नौसैनिक निर्माणों सहित विशेषीकृत परियोजनाओं के विविध सिविल निर्माण कार्यों में विशेषज्ञता हासिल है।

9.3 पूरी सेना इंजीनियर सेवा इंजीनियर-इन-चीफ के नियंत्रण में काम करती है जो रक्षा मंत्रालय और तीनों सेनाओं में ढांचागत विकास और निर्माण में सलाहकार हैं। एम ई एस का वार्षिक कार्यभार बजट 8900 करोड़ से भी अधिक है। यह सशस्त्र सेनाओं को किसी भी भूभाग और जलवायु में युद्ध, शांति एवं आतंकरोधी आपरेशनों के दौरान समाघात क्षमता बढ़ाने में समर्पित सहयोग देने के लिए उत्तरदायी है।

9.4 वर्ष के दौरान एम ई एस द्वारा शुरू किए गए प्रमुख निर्माण कार्य इस प्रकार हैं :-

सैन्य इंजीनियर सेवा संगठन को पारंपरिक भवनों एवं निर्माणों से लेकर हवाई अड्डों, रनवे एवं नौसैनिक निर्माणों सहित विशेषीकृत परियोजनाओं के विविध सिविल निर्माण कार्यों में विशेषज्ञता प्राप्त है।

(क) नौसैनिक अकादमी परियोजना, एड्डीमाला: नौसैनिक अकादमी, एड्डीमाला परियोजना का उद्घाटन 08 जनवरी 2008 को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। यह अकादमी 2009 के दौरान पूर्ण रूप से कार्य करने लगेगी।

(ख) मानेकशाँ केन्द्र : दिल्ली छावनी में 65.73 करोड़ ₹ की लागत

से बनने वाले अत्याधुनिक अफसर मैस, सभागार एवं कन्वेंशन केंद्र का कार्य निर्माणाधीन है ।

(ग) **कोर मुख्यालय भवन परिसर** : कोर मुख्यालय भवन एवं अनुषंगी स्थापनाएँ जोधपुर सेना स्टेशन पर बनाई गई हैं । भवन इंडोसारसेनिक वास्तुकला शैली में निर्मित है जिसमें 'राजस्थानी' संस्कृति का समावेश है ।

(घ) **नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत** : रक्षा सेनाओं के लिए गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग बढ़ाने के लिए नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एवं ऊर्जा अनुसंधान संस्थान (टैरी) के परामर्श से कई कदम उठाए गए हैं । सभी नई अस्पताल

परियोजनाओं एवं रसोईघरों में सोलर वाटर हीटर लगाए जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त तमिलनाडु में 10 के वी क्षमता की प्रारंभिक वायु ऊर्जा परियोजना की भी योजना बनाई गई है ।

(च) **बेंगलोर में इलैक्ट्रॉनिक रेडार विकास स्थापना के लिए बहु-स्तरीय कार पार्किंग** : पार्किंग परिसर की डिजाइन रूपरेखा में बेसमेंट में 400 दुपहिया वाहनों के लिए पार्किंग स्थान देना भी शामिल है । भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल एवं टैरेस प्रत्येक में 70 चार-पहिया वाहनों की पार्किंग क्षमता है जिसे भविष्य में बढ़ाए जाने की गुंजाइश है । भवन परिसर को सभी आधुनिक जरूरतों एवं



विवाहितों के लिए आवास परियोजना के तहत निर्मित अधिकारी निवास - कोच्ची

सेवाओं का समावेश करने के लिए डिजाइन किया गया है। परियोजना की लागत 8.14 करोड़ रु. है एवं इसे 2 जनवरी 2009 को पूरा कर लिया गया है।

सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा सशस्त्र सेनाओं के सेवारत कार्मिकों, उनके परिवारों और आश्रितों को समग्र स्वास्थ्य देखभाल मुहैया कराती है।

सेना चिकित्सा सेवा रक्षा मंत्रालय का चिकित्सा सलाहकार है और चिकित्सा सेवा सलाहकार समिति का अध्यक्ष भी है। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के कार्मिकों में सेना चिकित्सा कोर, सेना चिकित्सा कोर (गैर-तकनीकी), सेना दंत

(छ) **बिजनेस बोर्डिंग जेट (बी बी जे) के लिए ढांचागत आधार :** वायुसेना स्टेशन, पालम में 27 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 18 मी. ऊँचे एवं 92 X 50 मी. आकार वाले नए हेंगर का कार्य प्रगति पर है जहाँ मौजूदा हेंगर रणनीतिक क्षेत्र एवं संबद्ध सुविधाओं में बदलाव भी शामिल है।

9.5 विवाहित आवास परियोजना (एम ए पी): रक्षा सेवा कार्मिकों को पर्याप्त आवास/विवाहित आवास उपलब्ध कराने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा विवाहित आवास परियोजना का आरंभ किया गया है। परियोजना के निर्माणाधीन चरण-I के अंतर्गत अभी तक 20355 रिहायशी इकाइयों का निर्माण किया जा चुका है। 9395.71 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 66727 रिहायशी इकाइयों के निर्माण के लिए चरण-II को सरकार द्वारा मई 2008 में अनुमोदित कर दिया गया है।

सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (ए एफ एम एस)

9.6 सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा में सेना, नौसेना और वायुसेना की चिकित्सा सेवाएं और महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा शामिल है। प्रत्येक चिकित्सा सेवा लेफ्टिनेंट जनरल अथवा समतुल्य रैंक में महानिदेशक, चिकित्सा सेवा के अधीन है। महानिदेशक, सशस्त्र

चिकित्सा कोर और सैन्य परिचर्या सेवा के अफसर शामिल हैं। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (ए एफ एम एस) सेवारत सशस्त्र सेना कार्मिकों, उनके परिवारों और आश्रितों की व्यापक स्वास्थ्य देखभाल करती है। इसके अलावा, अर्द्ध सैनिक संगठनों के कार्मिकों, फील्ड में तैनाती के दौरान और देश के उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में कार्यरत अन्य केंद्रीय पुलिस/आसूचना बलों के कार्मिकों को उपचार सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा संभव सीमा तक भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को भी स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध करा रही है।

9.7 वर्ष के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय :-

(क) **ए एफ एम एस अफसरों का संवर्ग पुनर्गठन चरण-II :** ए एफ एम एस में ब्रिगेडियर एवं समकक्ष, मेजर जनरल एवं समकक्ष एवं लेफ्टिनेंट जनरल एवं समकक्ष रैंक में चयन ग्रेड नियुक्तियाँ बढ़ाकर सरकार ने स्थायी कमीशन संवर्ग अफसरों के संबंध में पदोन्नति के अवसर बेहतर करने के लिए संवर्ग पुनर्गठन चरण-II के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

(ख) **ए एफ एम एस के लिए जनशक्ति में बढ़ोतरी:** सरकार ने जनशक्ति में 3530 कार्मिकों की

बढ़ोतरी का अनुमोदन प्रदान कर दिया है जिसमें चिकित्सा अफसर, नर्स, परा-चिकित्सक एवं सिविलियन (तकनीकी) शामिल हैं।

9.8 सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय (ए एफ एम सी) प्रवेश 2008 : महाविद्यालय में 130 (105 लड़कों एवं 25 लड़कियों) को प्रवेश दिया गया। इसके अतिरिक्त नेपाल, भूटान एवं अफगानिस्तान, प्रत्येक देश से 02 अभ्यर्थियों अर्थात् 6 प्रायोजित अभ्यर्थियों को भी प्रवेश दिया गया।

9.9 उन्नत पाठ्यक्रम : सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय, पुणे एवं अन्य विश्वविद्यालयों में विभिन्न विशेषज्ञताओं में उन्नत पाठ्यक्रम प्रशिक्षण के लिए कुल 131 अफसरों को भेजा गया। चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं सेना नर्सिंग सेवा के 9 अफसरों को इस वर्ष विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए विदेश भेजा गया।

9.10 भारतीय सशस्त्र सेनाओं में एच आई वी/एड्स निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम : सशस्त्र सेनाएँ 1992 से एच आई वी/एड्स निवारण एवं नियंत्रण के लिए एक अति सक्रिय और व्यापक कार्यक्रम चला रही हैं। इस विशिष्ट एवं प्रभावी कार्यक्रम से सशस्त्र कार्मिकों एवं उनके परिवारों में एच आई वी/एड्स के मामलों को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने में सहायता मिली है।

9.11 नए टीके की शुरुआत : सशस्त्र सेना कार्मिकों एवं उनके परिवारों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की परम्परा कायम रखते हुए सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा ने खसरा, ममप्स एवं रूबेला (एम एम आर) टीके लगाने की शुरुआत की है।

9.12 आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ : सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा देश में एवं बाहर प्राकृतिक आपदाओं के समय चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में बहुत तत्पर रही है।

म्यांमार में 17 मई से 3 जून 2008 तक सहायता टीमों तैनात की गई जिन्होंने इरावदी डेल्टा क्षेत्र में 2/3 मई को आए चक्रवाती तूफान 'नर्गिस' की वजह से पीड़ित 14000 रोगियों का उपचार किया। 12 मई 2008 को चीन के सिचुआन प्रांत में आए भूकंप के पश्चात लगभग 4.5 लाख रु. की दवाइयाँ वायुयान से चीन भेजी गई। कोसी नदी का तटबंध टूट जाने के बाद 33 चिकित्सा टीमों बिहार के सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया एवं अरैया भेजी गई जिन्होंने इन बाढ़ग्रस्त जिलों में दिन-रात अनथक राहत कार्य किया। इन टीमों ने लगभग 90000 रोगियों का उपचार किया। श्रीलंका के उशर पूर्वी क्षेत्र में सिविलियनों एवं आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आई डी पी) को मानवता के नाते तत्काल सर्जिकल एवं चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय फील्ड चिकित्सा अस्पताल स्थापित करने हेतु सर्जन एवं एनेस्थेतिस्ट समेत एक चिकित्सा टीम 9 मार्च 2009 को श्रीलंका भेजी गई।

9.13 कृत्रिम अंग केंद्र पुणे : कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे प्रोस्थेटिक्स एवं आर्थोटिक्स के क्षेत्र में अग्रणी है। इस वर्ष केंद्र में कम्प्यूटर जनित डिजाइन (सी ए डी) एवं कम्प्यूटर जनित निर्माण (सी ए एम) की अत्याधुनिक इकाई स्थापित की गई है। इस उपकरण से आधुनिक कृत्रिम अंग निर्माण में क्रांतिकारी परिणाम सामने आएंगे एवं लागत व समय की भी बचत होगी।

रक्षा सम्पदा महानिदेशालय

9.14 रक्षा सम्पदा महानिदेशालय, नई दिल्ली 62 छावनियों में रक्षा भूमि प्रबंधन एवं नागरिक प्रशासन से जुड़े मामलों में परामर्शदायी एवं अधिशासी कार्य करता है। यह महानिदेशालय जम्मू, चंडीगढ़, कोलकाता, लखनऊ, पुणे स्थित पाँच प्रधान निदेशालयों एवं जयपुर स्थित एक निदेशालय के माध्यम से कार्य करता है। प्रधान

निदेशालय/निदेशालय रक्षा सम्पदा अधिकारी, सहायक रक्षा सम्पदा अधिकारी कार्यालय एवं छावनी बोर्डों जैसे अनेक क्षेत्रीय कार्यालयों का पर्यवेक्षण करते हैं। इन क्षेत्रीय कार्यालयों को देश भर में फैली रक्षा भूमि तथा छावनी बोर्डों के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है।

रक्षा मंत्रालय के पास देशभर में 17 लाख एकड़ रक्षा भूमि है जिसकी देखभाल तीनों सेनाएं तथा आयुध निर्माणी बोर्ड, डी आर डी ओ, डी जी क्यू ए तथा सी जी डी ए आदि जैसे अन्य संगठन करते हैं।

9.15 देश भर में रक्षा सम्पदा महानिदेशालय के पास 17 लाख एकड़ भूमि है जिसकी देखभाल तीनों सेनाएं तथा अन्य संगठनों जैसे आयुध निर्माणी बोर्ड, डी आर डी ओ, गु.आ. महानिदेशालय, सी जी डी ए आदि द्वारा किया जाता है। सेना के पास भूमि का सबसे अधिक भाग है जो 13.79 लाख एकड़ है इसके बाद वायुसेना के पास 1.51 लाख एकड़ तथा नौसेना के पास 0.37 लाख एकड़ भूमि है। अधिसूचित छावनियों में रक्षा भूमि लगभग 2 लाख एकड़ है तथा शेष भूमि जो छावनी के बाहर आती है, 15 लाख एकड़ है।

9.16 महानिदेशालय भूमि अधिधारण डाटा के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन आई सी) के सहयोग से एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है।

9.17 रक्षा सम्पदा विभाग सशस्त्र सेनाओं के लिए रिहायशी आवास एवं भूमि किराए पर लेता/अधिगृहित करता है। स्थानीय जनता की कठिनाइयों को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा किराए पर ली गई/अधिगृहित भूमि के किराए में संशोधन करने पर विशेष बल दिया है।

9.18 रक्षा सम्पदा महानिदेशालय छावनियों में रक्षा मंत्रालय की ओर से नागरिक प्रशासन के नियंत्रण, देखरेख व पर्यवेक्षण के लिए भी जिम्मेदार है। भारत में 62 छावनियाँ हैं। ये सभी दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र समेत 19 राज्यों में स्थित हैं। छावनी बोर्ड का अध्यक्ष स्टेशन कमांडर होता है। इन निकायों के कार्य का पर्यवेक्षण एवं

नियंत्रण मध्यवर्ती स्तर पर कमान के जनरल अफसर कमांडिंग-इन-चीफ व प्रधान निदेशक, रक्षा सम्पदा द्वारा एवं सर्वोच्च स्तर पर रक्षा सम्पदा महानिदेशक के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। 61 छावनी बोर्डों के चुनाव छावनी अधिनियम 2006 एवं छावनी चुनाव नियम 2007 के प्रावधानों के अनुसार कराए गए।

9.19 छावनी बोर्डों के बहुत सीमित साधन हैं, क्योंकि छावनी में सरकार का बहुत बड़ी सम्पत्ति पर स्वामित्व होता है जिस पर कोई कर नहीं लगता। तथापि, बोर्ड केंद्रीय सरकार की सम्पत्ति पर सेवा शुल्क लेता है। केन्द्रीय सरकार ऐसे कुछेक छावनी बोर्डों के बजट को संतुलित करने के लिए कुछ सीमा तक सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिनकी वित्तीय स्थिति कमजोर होती है। वर्ष 2008-09 में छावनी बोर्डों को सामान्य सहायता अनुदान के रूप में 44 करोड़ रु. का आबंटन किया गया।

मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

9.20 मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय (मुप्रअ) रक्षा मंत्रालय के अधीन सेना मुख्यालयों और अंतर सेवा संगठनों (अं.से.स) के मुख्यालयों को सिविलियन

जनशक्ति और अवसंरचनात्मक सहायता मुहैया कराता है। संयुक्त सचिव(प्रशि.) मुख्य प्रशासन अधिकारी और निदेशक (सुरक्षा) का कार्य भी संभालते हैं।

9.21 मुख्य प्रशासन अधिकारी के कार्यालय के कार्य निम्नलिखित 6 प्रभागों द्वारा किए जाते हैं -

(क) **प्रशासन प्रभाग** : यह प्रभाग सेना मुख्यालयों और अंतर सेवा संगठनों में कार्यरत लगभग 12000 सिविलियन कर्मचारियों से संबंधित प्रशासनिक कार्य देखता है।

(ख) **कार्मिक प्रभाग** : यह प्रभाग सेना मुख्यालयों और अंतर सेवा संगठनों को सिविलियन जनशक्ति प्रदान करता है और कार्मिकों के प्रबंध संबंधी कार्यों को देखता है।

(ग) **जनशक्ति योजना और भर्ती प्रभाग** : यह प्रभाग सशस्त्र सेना मुख्यालय (ए एफ एच क्यू) कैडर के विभिन्न वर्गों/संवर्ग बाह्य पदों पर भर्ती, अनुकंपा के आधार पर भर्ती के लिए जिम्मेदार है। यह विभिन्न ग्रेड के भर्ती नियम बनाने/उनमें संशोधन करने, संवेदनशील संगठनों में कार्यरत कर्मचारियों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का पुनः सत्यापन करने, सशस्त्र सेना मुख्यालय (ए एफ एच क्यू) के सिविलियन कैडरों की समीक्षा एवं पुनर्गठन, वेतन आयोग से संबंधित कार्य करने और सशस्त्र सेना मुख्यालय (ए एफ एच क्यू)/अंतर सेवा संगठनों की शांति स्थापना पी ई की समीक्षा करने के लिए भी जिम्मेदार है।

(घ) **वित्त एवं सामग्री प्रभाग** : यह प्रभाग अंतर सेवा संगठनों को सामग्री संबंधी सहायता प्रदान करता है जिसमें कार्यालय उपकरण, भंडार, फर्नीचर, लेखन-सामग्री और सूचना एवं प्रौद्योगिकी उपकरणों की खरीद करना और उन्हें उपलब्ध कराना शामिल है।

(ङ) **संपदा और निर्माण-कार्य प्रभाग** : यह प्रभाग सशस्त्र सेना मुख्यालय में तैनात सैन्य अधिकारियों को रिहायशी आवास से संबंधित संपदा कार्यों को करता है और रक्षा मुख्यालयों में प्रमुख निर्माण कार्यों को समन्वित करता है।

(च) **प्रशिक्षण,समन्वय एवं कल्याण प्रभाग** : मुख्य प्रशासन अधिकारी के अंतर्गत कार्यरत रक्षा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान (डी एच टी आई) सेना मुख्यालयों एवं अंतर सेवा संगठनों में तैनात सिविलियन कार्मिकों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। रक्षा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान (डी एच टी आई) ने वर्ष के दौरान 80 पाठ्यक्रम आयोजित किए जिनमें लगभग 1835 सिविलियन कर्मचारियों और सैन्य कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया।

मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय रक्षा मंत्रालय के अधीन सेना मुख्यालयों और अंतर सेवा संगठनों के मुख्यालयों को सिविलियन जनशक्ति और अवसंरचनात्मक सहायता मुहैया कराता है।

9.22 मुख्य सुरक्षा कार्यालय : रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत मुख्य सुरक्षा अधिकारी संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) एवं मुख्य प्रशासन अधिकारी की देखरेख में कार्य करता है। यह मुख्यतः रक्षा मुख्यालय सुरक्षा क्षेत्र में वास्तविक सुरक्षा प्रदान करने, प्रवेश पर

नियंत्रण करने और सुरक्षा भंग न होने देने और आग न लगने देने के लिए जिम्मेवार है। 17 नवंबर 2008 को रक्षा मंत्री जी ने रक्षा मुख्यालय सुरक्षा क्षेत्र में लागू अद्यतन "सुरक्षा नियमावली-2008" जारी की। "अग्नि आदेश-2008" का समेकित एवं अद्यतन संस्करण भी दिसंबर 2008 में जारी किया गया है।

जनसंपर्क निदेशालय (डी पी आर)

9.23 जनसंपर्क निदेशालय रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र सेनाओं तथा रक्षा मंत्रालय के अधीन अंतर सेवा संगठनों की महत्वपूर्ण घटनाओं, उपलब्धियों तथा मुख्य नीतिगत निर्णयों के बारे में मीडिया तथा जनता को सूचना प्रसारित करने के लिए एक नोडल एजेंसी है। इस निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा इसके देशभर में 25 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो मीडिया सहायता एवं सेवाएं प्रदान करते हैं ताकि प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पर्याप्त प्रचार-प्रसार सुनिश्चित हो सके।

9.24 गत वर्षों की भाँति इस निदेशालय ने मीडिया के व्यक्तियों के लिए उनकी रक्षा विषयों पर जानकारी बढ़ाने/ज्ञानवर्द्धन के लिए रक्षा पत्राचार पाठ्यक्रम का आयोजन किया। संपूर्ण देश के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से छः महिलाओं समेत 30 पत्रकारों ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया।

9.25 इस निदेशालय पर सशस्त्र सेनाओं के लिए पाक्षिक पत्रिका 'सैनिक समाचार 13 भाषाओं (असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गोरखाली, हिंदी, कन्नड़, मलयालय, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलगू और उर्दू) में निकालने की जिम्मेदारी है। सैनिक समाचार ने 2 जनवरी, 2009 को अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई।

9.26 इस निदेशालय का प्रसारण अनुभाग "सैनिकों के लिए" 40 मिनट के कार्यक्रम का समन्वय करता है जिसका प्रसारण सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के लिए आकाशवाणी से प्रतिदिन किया जाता है। इसका फोटो अनुभाग रक्षा संबंधी कार्यक्रमों के फोटो पिंट मीडिया को उपलब्ध कराता है।

9.27 मुंबई आतंकी हमले के दौरान मैरीन कमांडो द्वारा की गई कार्रवाई एवं सेना व वायुसेना द्वारा प्रदश सहायता एवं तत्पश्चात की गई तटीय सुरक्षा की समीक्षा का व्यापक प्रचार किया गया। 'एयरो इंडिया-2009', डिफेक्सपो इंडिया-2008, एडवांस्ड जेट टेनर-हॉक का समावेश, भारतीय वायुसेना की 108 स्क्वाड्रन एवं 105 हेलीकॉप्टर इकाई को राष्ट्रपति द्वारा स्टैन्डर्ड की अदायगी, ट्रोपेक्स-2009, अग्नि-III, इंटरसेप्टर बैलिस्टिक मिसाइल एवं शौर्य मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का वर्टिकल शिप प्रक्षेपण, सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण की स्थापना आदि कुछ ऐसी प्रमुख घटनाएँ रही जिनके मीडिया कवरेज की व्यवस्था प्रचार निदेशालय द्वारा की गई।

सेना क्रय संगठन (ए पी ओ)

9.28 सेना क्रय संगठन को रक्षा बलों के उपभोग के लिए सूखे राशन की अधिप्राप्ति एवं समय पर आपूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह संगठन चावल व गेहूँ भारतीय खाद्य निगम से खरीदता है। चीनी का आंबटन चीनी निदेशालय द्वारा विभिन्न चीनी मिलों को आंबटित लेवी कोटे में से किया जाता है। दालें, पशु राशन, खाद्य तेल एवं वनस्पति, चाय एवं दुग्ध उत्पाद जैसे अन्य सामान निविदाएं आमंत्रित करके तथा संविदाएं निष्पादित

करके केन्द्रीय एवं राज्य सार्वजनिक उपक्रमों एवं राष्ट्रीय राज्य स्तर के सहकारी उपभोक्ता विपणन परिसंघों से खरीदे जाते हैं। पूर्ण दुग्ध पाउडर, डिब्बा बंद मक्खन एवं देसी घी भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी परिसंघ के सदस्यों से मूल्यवार्तागत संविदाओं के माध्यम से खरीदे जाते हैं। डिब्बा बंद सामान जैसे सब्जियां, फल, जैम, दूध, मांस एवं मछली, काफी, अंडा पाउडर आदि निजी पार्टियों सहित पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से खुली निविदा के माध्यम से खरीदे जाते हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान उपर्युक्त वस्तुओं की अधिप्राप्ति हेतु सेना मुख्यालय को 1094.79 करोड़ रु. दिए गए।

सेना खेलकूद नियंत्रण बोर्ड

9.29 सेना चैम्पियनशिप : सेना खेलकूद नियंत्रण बोर्ड (एस एस सी बी) तीनों सेनाओं में विभिन्न खेलकूद गतिविधियों का आयोजन एवं समन्वय करता है। कुल चार टीमों (आर्मी रेड, आर्मी ग्रीन, इंडियन नेवी एवं एयर फोर्स) एस एस सी बी के संरक्षण में 29 सेना चैम्पियनशिपों में भाग लेती हैं।

9.30 सर्वश्रेष्ठ सैन्य खिलाड़ी : पिछले वर्षों में सैन्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में प्रदर्शन के आधार पर तीनों सेनाओं से एक खिलाड़ी को "सर्वश्रेष्ठ सैन्य खिलाड़ी" चुना जाता है। पेट्री अफसर नवीन कुमार को वर्ष 2007-08 का "सर्वश्रेष्ठ सैन्य खिलाड़ी" चुना गया।

9.31 अर्जुन पुरस्कार : सेना के नायब सूबेदार वी जॉनसन को वर्ष 2007-08 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया।

9.32 राष्ट्रीय चैम्पियनशिप : एस एस सी बी 29 राष्ट्रीय खेलकूद संघों से सम्बद्ध है और 10 जूनियर सेक्शनों समेत 39 राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में भाग लेता है। अभी तक संबधित संघों द्वारा 29 राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजित कराई गई हैं। सेनाओं ने ताइक्वांडो, नौकायन, भारोतोलन हैंडबाल व तलवारबाजी चैम्पियनशिप जीती।

अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप

9.33 राष्ट्रमंडल युवा खेल : राष्ट्रमंडल युवा खेलों का आयोजन 12 से 18 अक्टूबर 2008 तक पुणे, भारत में किया गया। सेनाओं से बहुत से खिलाड़ियों ने इन खेलों में भाग लिया। भारतीय दल ने एकल व टीम स्पर्धाओं में 33 स्वर्ण, 26 रजत एवं 17 कांस्य पदक जीते।

9.34 सैन्य खिलाड़ियों ने सेना खेलकूद अंतर्राष्ट्रीय परिषद (सी आई एस एम) द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया एवं कुश्ती, निशानेबाजी तथा मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में पदक जीते।

सेना चित्र प्रभाग (ए एफ एफ पी डी)

9.35 सेना चित्र प्रभाग की जिम्मेदारी मुख्यतः सेना मुख्यालयों और अन्य रक्षा संगठनों की प्रशिक्षण फिल्मों, फोटोग्राफ एवं आर्टवर्क आदि के निर्माण, उपलब्धि और वितरण की जरूरतों को पूरा करना है। यह प्रशिक्षण, हथियार परीक्षण, सुरक्षा, रक्षा अनुसंधान, आसूचना एवं रिकार्ड संबंधी आवश्यकताओं, एवं रक्षा मंत्रालय के समारोहों और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की फोटो एवं वीडियो कवरेज की जिम्मेदारी भी उठाता है।

9.36 इस प्रभाग की केंद्रीय रक्षा फिल्म लाइब्रेरी (सी डी एफ एल) विभिन्न युनिटों/फॉर्मेशनों/प्रशिक्षण स्थापनाओं/

कमानों की विशिष्ट प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें प्रशिक्षण फिल्में वितरित करने की जिम्मेदारी संभालती है। लाइब्रेरी में 35 मि.मी. आकार की 587 फिल्में, 16 मि.मी. आकार की 1165 फिल्में, वी एच एस प्रारूप में 241 फिल्में, वी सी डी प्रारूप में 34 फिल्में एवं डी वी डी प्रारूप में 22 फिल्में उपलब्ध हैं।

9.37 इस समय सेना चित्र प्रभाग के पास 88 फिल्मों के निर्माण की योजना है, जिनमें से 34 फिल्में पूरी की जा चुकी हैं और 15 फिल्में पूरी होने के चरण में हैं।

9.38 इस प्रभाग के चल सिनेमा यूनिट (एम सी यू) ने अग्रणी क्षेत्रों में तैनात सैनिकों का सूचना, सांस्कृतिक और परिवार कल्याण मूल्यों की पत्र-पत्रिकाएं एवं डॉक्यूमेंटरी फिल्में भी खरीदी और वितरित की।

राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय

9.39 राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज (एन डी सी) का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा 27 अप्रैल 1960 को किया गया। दिल्ली के मध्य में स्थित इस महाविद्यालय ने पिछले 49 वर्षों में निरंतर प्रगति की है और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सामरिक अध्ययन के क्षेत्र में इसने बहुत नाम कमाया है। यह संस्था ऐसा शैक्षिक एवं व्यावसायिक धरातल प्रदान करने का प्रयास करती है जो उच्चतर शिक्षा और मानसिक प्रेरणा के लिए अनुकूल हो।

9.40 एन डी सी प्रत्येक वर्ष भारत के चुने हुए वरिष्ठ रक्षा एवं सिविल सेवा अधिकारियों और मित्र देशों के रक्षा अफसरों के लिए 47 सप्ताह का पाठ्यक्रम चलाता है। यह पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किया गया है कि इसमें सामाजिक-राजनीतिक विज्ञान, अर्थव्यवस्था विज्ञान,

प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा वातावरण, वैश्विक मामले, भारत की रणनीति, निकटतम पड़ोसी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के सैन्य आयाम आदि विषय शामिल हों। एन डी सी पाठ्यक्रम अब रक्षा और सामरिक अध्ययन में एम फिल कराने के लिए मद्रास विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है

विदेशी भाषा विद्यालय (एस एफ एल)

9.41 विदेशी भाषा विद्यालय (एस एफ एल) 1948 से भारत में विदेशी भाषा अध्यापन में अग्रणी रहा है। इस समय, यह विद्यालय तीनों सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों को विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण दे रहा है। यह भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों एवं विभागों की भी प्रशिक्षण संबंधी जरूरतें पूरी करता है। इसके अलावा, सिविलियन छात्रों को दक्षता प्रमाण-पत्र, एडवांस डिप्लोमा और दुभाषिया पाठ्यक्रमों तथा अल्पकालिक/तदर्थ पाठ्यक्रमों में भी दाखिला दिया जाता है। विदेशी भाषा विद्यालय में अरबी, बहासा, इंडोनेशिया, बर्मी, चीनी, फ्रांसीसी, जर्मन, इटैलियन, परसियन, पश्तो, रसियन, स्पैनिश, सिंहली, तिब्बती, जापानी, थाई, मलय, हिबू, तथा वियतनामी भाषाओं का नियमित आधार पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

9.42 विदेशी भाषा विद्यालय अन्य रक्षा संस्थानों नामतः राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला और सैन्य शिक्षा कोर प्रशिक्षण केन्द्र और कॉलेज, पचमढी का नियंत्रक संगठन है जहां विदेशी भाषाएं सिखाई जाती हैं। यह परीक्षाएं आयोजित करता है और सफल उम्मीदवारों को डिप्लोमा जारी करता है। भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संस्थान द्वारा आयोजित एडवांस डिप्लोमा (आई.एफ.एस.) परीक्षा पास करनी अनिवार्य है। विदेशी

भाषा विद्यालय, पूरे देश की विभिन्न सैन्य यूनिटों में रेजीमेंटल भाषा, नेपाली में परीक्षाएं भी आयोजित करता है।

9.43 वर्ष 2008-09 के दौरान विदेशी भाषा विद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए 1445 विद्यार्थियों का पंजीकरण किया गया।

इतिहास प्रभाग

9.44 ऐतिहासिक अनुभाग (भारत) (जिसे अब इतिहास प्रभाग का नाम दिया गया है) की स्थापना स्वतंत्रता के बाद भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा किए गए सैन्य ऑपरेशन के इतिहास लिखने के लिए की गई। अब तक उन्होंने 19 खंड संकलित और प्रकाशित किए हैं जिनमें 1947-48 जम्मू एवं कश्मीर ऑपरेशन, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन विजय, भारत सैन्य कॉस्ट्यूम, शौर्य कहानियां आदि शामिल हैं। भारतीय शांति सेना द्वारा विभिन्न देशों में किए गए ऑपरेशन जैसे कांगों में यू एन ऑपरेशन में भारतीय सशस्त्र सेनाओं का इतिहास, 1953 से 1958 तक कोरिया में भारतीय सैन्य टुकड़ियां, ऑपरेशन शांति और जिम्मेदारी (भारत-चीन में शांति हेतु युद्ध) खंडों में संकलित किए गए हैं। इस प्रभाग ने कुछ प्रकाशन द्विभाषी भी प्रकाशित किए हैं।

9.45 इस समय यह प्रभाग वीरता की कहानियों और भारतीय सेना के युद्ध स्मारकों पर पुस्तक के तीसरे खंड का संकलन कर रहा है। इतिहास प्रभाग, रक्षा मंत्रालय और भारतीय सशस्त्र सेनाओं के रिकार्ड और संदर्भ कार्यालय के रूप में भी कार्य करता है। इस कार्यालय में नियमित रूप से रक्षा मंत्रालय, सेना मुख्यालयों और विभिन्न यूनिटों से सैन्य रिकार्ड रख-रखाव एवं प्रयोग के लिए प्राप्त होते हैं। इस वर्ष के दौरान अधिकतर वर्गीकृत प्रकृति के 3600 ऑपरेशनल रिकार्ड प्राप्त हुए।

9.46 रक्षा मंत्रालय की अनुसंधान शोधवृत्ति योजना के अंतर्गत सैन्य इतिहास पर शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए प्रभाग दो शोधवृत्तियां प्रदान करता है। इस योजना के तहत अभी तक 17 शोधकर्ताओं ने लाभ उठाया है। प्रभाग का हेराल्डिक सेल तीनों सेना मुख्यालयों और रक्षा मंत्रालय को समारोह संबंधी मामलों में नई स्थापनाओं एवं अभिग्रहणों के नामों का सुझाव देने, उनके शीर्ष और बैज डिजाइन करने और उपयुक्त आदर्श वाक्य बनाने में सहायता प्रदान करता है।

रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय

9.47 रक्षा प्रबंध महाविद्यालय (सी डी एम) तीनों सेनाओं की एक श्रेणी 'क' की प्रशिक्षण स्थापना है जो अब तीन दशकों से भी अधिक समय से अस्तित्व में रही है। इसे सशस्त्र सेनाओं के वरिष्ठ नेतृत्व को समसामयिक प्रबंधन विचार, संकल्पनाओं और पद्धतियों की शिक्षा देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विकासशील देशों में संभवतः यही एक ऐसी संस्था है जो रक्षा प्रबंधन में अनन्य और गुणतापरक प्रशिक्षण प्रदान करती है।

9.48 उस्मानिया विश्वविद्यालय, प्रबंधन अध्ययन (एम एम एस) में स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करने के लिए रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय के कोर पाठ्यक्रम अर्थात् उच्चतर रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम को मान्यता देता है।

9.49 रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय उच्चतर रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम (एच डी एम सी), वरिष्ठ रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम (एस डी एम सी), प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एम डी पी), रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम एवं बाह्य कैम्पस संचालित करता है।

रक्षा सेवा स्टाफ महाविद्यालय

9.50 रक्षा सेवा स्टाफ महाविद्यालय (र.से.स्टा.महा.) भारत की सबसे पुरानी सैन्य संस्थाओं में से है। इसकी स्थापना 1905 में देवलाली में की गई थी और यह 1950 से वेलिंग्टन में काम कर रहा है। रक्षा सेवा स्टाफ महाविद्यालय तीनों सेनाओं के मध्य स्तर के अधिकारियों के साथ-साथ कुछ सिविलियन अधिकारियों एवं मित्र देशों के अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है। यह महाविद्यालय प्रत्येक वर्ष जून से अप्रैल तक 45 हफ्तों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। रक्षा सेवा स्टाफ महाविद्यालय का स्टाफ पाठ्यक्रम अंतर सेवा एवं संयुक्त सेवा के परिवेश में संक्रियात्मक एवं स्टाफ संबंधी कार्यों का प्रशिक्षण देने पर केंद्रित है।

रक्षा मंत्रालय पुस्तकालय

9.51 रक्षा मंत्रालय पुस्तकालय, रक्षा मंत्रालय, तीनों सेना मुख्यालयों, अंतर सेवा संगठनों एवं दिल्ली में स्थित अन्य सम्बद्ध रक्षा स्थापनाओं के संबंध में योजना एवं नीति निर्धारण से संबंधित विषयों पर साहित्य मुहैया करता है। इसमें विशेष रूप से रक्षा एवं उससे संबंधित विषय का साहित्य होता है तथा यह सामान्य पाठकों की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। पुस्तकालय के लिए पाठ्य सामग्री का चयन एक पुस्तक चयन समिति द्वारा किया जाता है। वर्ष के दौरान पुस्तकालय में 1854 नई पुस्तकें आईं, 126 जर्नल/आवधिक पत्रिकाएं और 24 समाचार-पत्र खरीदे गए।



भर्ती एवं प्रशिक्षण



भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में पासिंग आउट परेड का एक दृश्य

सशस्त्र सेनाओं में भर्ती स्वैच्छिक है तथा यह भारत के सभी नागरिकों के लिए खुली है चाहे वे किसी भी जाति, वर्ग, धर्म और समुदाय के हों और भर्ती किए गए सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए रक्षा क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रशिक्षण संस्थान एक-दूसरे के साथ समन्वय करके कार्य करते हैं

सशस्त्र सेनाओं में भर्ती

10.1 सशस्त्र सेनाएं सेवा, बलिदान, देशभक्ति और हमारे देश की मिली-जुली संस्कृति की प्रतीक हैं । सशस्त्र सेनाओं में भर्ती स्वैच्छिक है और यह भारत के सभी नागरिकों के लिए खुली है, चाहे वे किसी भी जाति, वर्ग, धर्म और समुदाय के हों, बशर्ते वे निर्धारित शारीरिक, चिकित्सा और शैक्षिक मानदंडों पर खरे उतरते हों ।

10.2 सशस्त्र सेनाओं में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से अफसरों की भर्ती : सशस्त्र सेनाओं में कमीशनप्राप्त अफसरों की भर्ती मुख्यतः संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है जो इसके लिए निम्नलिखित दो अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करता है :-

(क) **राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन डी ए) और नौसेना अकादमी (एन ए) :** संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी में प्रवेश के लिए वर्ष में दो बार प्रवेश परीक्षा का आयोजन करता है । उम्मीदवार 10+2 परीक्षा पास करने पर या 12वीं कक्षा में पढ़ते हुए प्रतियोगिता में बैठने के पात्र हैं । संघ लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पात्र उम्मीदवारों को सेना चयन बोर्ड के साक्षात्कार में बैठना होता है । चयन होने पर सफल उम्मीदवार आवेदन करने के समय सेवा के अपने विकल्प का चुनाव करते हुए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी अथवा नौसेना अकादमी में प्रवेश पाते हैं । पाठ्यक्रम पूरा करने पर उन्हें

कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण के लिए संबंधित सेना अकादमियों में भेजा जाता है ।

(ख) **संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (सी डी एस ई):** संघ लोक सेवा आयोग वर्ष में दो बार संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा का आयोजन करता है । विश्वविद्यालयों के स्नातक अथवा स्नातक के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे छात्र इस परीक्षा में बैठने के पात्र हैं । सफल उम्मीदवार नियमित सेवा कमीशन के लिए भारतीय सैन्य अकादमी/वायुसेना अकादमी/नौसेना अकादमी तथा अल्प सेना कमीशन के लिए अफसर प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश पाते हैं ।

सेना

10.3 संघ लोक सेवा आयोग प्रवेश योजना के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से सेना में कमीशनप्राप्त अफसरों की भर्ती : संघ लोक सेवा आयोग के जरिए भर्ती के अलावा नीचे बताए गए अन्य तरीकों से भी कमीशनप्राप्त अफसरों की सेना में भर्ती की जाती है-

(क) **विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यू ई एस):** अधिसूचित इंजीनियरी शाखाओं के अंतिम/अंतिम वर्ष से पूर्व के विद्यार्थी विश्वविद्यालय प्रवेश योजना के तहत सेना के तकनीकी सेनांगों में कमीशनप्राप्त अफसर के रूप में स्थायी कमीशन के लिए आवेदन कर सकते हैं । पात्र अभ्यर्थियों को सेना मुख्यालय द्वारा तैनात स्क्रीनिंग टीमों द्वारा कैम्पस साक्षात्कार के जरिए चुना जाता है ।

इन अभ्यर्थियों को एस एस बी और मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित होना होता है। सफल अभ्यर्थियों को भारतीय सैन्य अकादमी (आई एम ए) देहरादून में एक वर्षीय कमीशन पूर्व प्रशिक्षण लेना होता है। कैडेट इस प्रवेश के माध्यम से कमीशन मिलने पर दो वर्ष की पूर्व दिनांकित वरिष्ठता के भी हकदार होते हैं।

- (ख) **तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी):** इंजीनियरी की अधिसूचित शाखाओं के न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण (केवल सेना शिक्षण कोर के लिए) इंजीनियरी ग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट इस प्रवेश के माध्यम से स्थायी कमीशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। सेना चयन बोर्ड (एस एस बी) और चिकित्सा बोर्ड के पश्चात अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को कमीशन प्रदान किए जाने से पूर्व भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में एक वर्ष का कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण लेना अपेक्षित है। इस प्रवेश के माध्यम से भी इंजीनियरी ग्रेजुएट कमीशन मिलने पर दो वर्ष की पूर्व दिनांकित वरिष्ठता के हकदार होते हैं।
- (ग) **अल्प सेवा कमीशन (तकनीकी) प्रवेश :** अल्प सेवा कमीशन (तकनीकी) प्रवेश योजना, पात्र तकनीकी स्नातकों/स्नातकोत्तरों को तकनीकी सेनांगों में भर्ती होने के अवसर प्रदान करता है। एस एस बी और चिकित्सा बोर्ड के बाद अंतिम रूप से चुने गए अभ्यर्थियों को ओ टी ए, चेन्नई में 49 सप्ताह का कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें अल्प सेवा कमीशनप्राप्त अफसर के रूप में प्रवेश दिया जाता है। इस प्रवेश के माध्यम से आए अभ्यर्थी भी कमीशनप्राप्त होने पर दो वर्ष की पूर्व दिनांकित वरिष्ठता के हकदार होते हैं।
- (घ) **10+2 तकनीकी प्रवेश योजना (टी ई एस) :** जिन उम्मीदवारों ने भौतिकी, रसायन विज्ञान

और गणित में कुल मिलाकर न्यूनतम 70% अंकों के साथ 10+2 सी बी एस ई/आई सी एस ई/राज्य बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे 10+2 तकनीकी प्रवेश योजना के तहत कमीशन पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सेवा चयन बोर्ड (एस एस बी) में सफल रहने तथा चिकित्सा बोर्ड द्वारा योग्य घोषित किए जाने पर वे भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में एक वर्ष का बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण लेते हैं और तत्पश्चात स्थायी कमीशन प्राप्त करने से पूर्व संबंधित शाखाओं में तीन वर्ष का इंजीनियरी डिग्री पाठ्यक्रम पूरा करते हैं। कमीशन प्रदान किए जाने के बाद उन्हें उस सेनांग/सेवा का एक वर्ष का विशेषीकृत प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें उन्हें कमीशन दिया गया है।

- (ङ) **महिला विशेष प्रवेश योजना अफसर (डब्ल्यू एस ई एस-ओ):** पात्र महिला उम्मीदवारों को महिला विशेष प्रवेश योजना के माध्यम से सेना में अल्प सेवा कमीशन अफसर के रूप में भर्ती किया जाता है। कमीशन इलेक्ट्रॉनिक एवं यांत्रिक इंजीनियर कोर, इंजीनियर्स, सिग्नल, सेना शिक्षा कोर, सेना आयुध कोर, सैन्य आसूचना कोर, जज एडवोकेट जनरल की शाखा और सेना वायु रक्षा में प्रदान किया जाता है। महिलाओं को पांच क्षेत्रों (स्ट्रीम) अर्थात् गैर-तकनीकी, तकनीकी, एन सी सी (विशेष), जज एडवोकेट जनरल और पोस्ट ग्रेजुएट विशेषज्ञ में 10 वर्ष की अवधि के लिए अल्प सेवा कमीशन की पेशकश की जाती है, जिसे आगे पूर्णतः स्वैच्छिक आधार पर और 4 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। हाल ही में सरकार ने सेना शिक्षा कोर और जज एडवोकेट जनरल शाखा के लिए स्थाई कमीशन के विकल्प की अनुमति दे दी है। अफसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में इस प्रशिक्षण की अवधि 49 सप्ताह है। वे उम्मीदवार जो अधिसूचित क्षेत्रों में बी.ई/बी.

टेक की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं अथवा उसके अंतिम वर्ष/सत्र की परीक्षा में बैठ रहे हैं, अल्प सेवा कमीशन (महिला) (तकनीकी) के लिए आवेदन करने के पात्र हैं । अभ्यर्थियों को सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार में बैठना होगा और उत्तीर्ण होने पर उनकी चिकित्सा जांच की जाएगी । गैर-तकनीकी शाखा के लिए आवेदक को संघ लोक सेवा

आयोग के माध्यम से आवेदन करना होता है । संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले आवेदकों के लिए सेवा चयन बोर्ड साक्षात्कार के समक्ष उसी प्रकार प्रस्तुत होना होता है जिस प्रकार अल्प सेवा कमीशन प्राप्त करने वाले पुरुष अफसरों को प्रस्तुत होना होता है । गैर-तकनीकी शाखा में कुल सीटों की बीस प्रतिशत सीटें स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 'बी' ग्रेड और 50% कुल अंक प्राप्त करने वाली एन सी सी 'सी' प्रमाणपत्र धारक महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं । जज एडवोकेट जनरल शाखा में सीधे साक्षात्कार के लिए न्यूनतम 55% अंक प्राप्त करने वाले विधि स्नातकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं । रक्षा कार्मिकों की विधवाएं जो पात्रता संबंधी निर्धारित मानदण्डों को पूरा करती हैं, उन्हें आयु में 4 वर्ष की छूट दी जाती है और उनके लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम (तकनीकी और गैर-तकनीकी पाठ्यक्रम प्रत्येक में 2.5%) में 5% सीटें आरक्षित हैं ।

(च) **एन सी सी (विशेष प्रवेश योजना) :** न्यूनतम 'बी' ग्रेड का एन सी सी 'सी' प्रमाण-पत्र और स्नातक परीक्षा में कुल 50% अंक पाने वाले विश्वविद्यालय स्नातक इस योजना के माध्यम से अल्प सेवा कमीशन के लिए आवेदन कर

न्यूनतम 'बी' ग्रेड का एनसीसी 'सी' प्रमाणपत्र और स्नातक परीक्षा में कुल 50% अंक पाने वाले विश्वविद्यालय स्नातक एनसीसी (विशेष प्रवेश योजना) के माध्यम से अल्प सेवा कमीशन के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

सकते हैं । ऐसे कैडेटों को संघ लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा (सी डी एस ई) में बैठने से छूट दी गई है और वे सीधे ही एस एस बी साक्षात्कार के लिए जाते हैं तथा उसके बाद उनकी डाक्टरी जांच की जाती है । योग्यता संबंधी अपेक्षाएं पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को राज्य स्तर पर विभिन्न एस सी सी निदेशालयों के माध्यम से आवेदन करना होता है। स्क्रीनिंग के बाद संबंधित डी जी

एन सी सी निदेशालय योग्य कैडेटों के आवेदन पत्र रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (सेना) के भर्ती निदेशालय को भेजा जाता है ।

(छ) **जज एडवोकेट जनरल प्रवेश :** एल एल बी में न्यूनतम 55% कुल अंकों सहित विधि स्नातक और 21 से 27 वर्ष के बीच की आयु वाले व्यक्ति जज एडवोकेट जनरल शाखा के लिए आवेदन कर सकते हैं । पात्र उम्मीदवारों को सीधे ही सेवा चयन बोर्ड द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है और तत्पश्चात् उनकी चिकित्सा जांच की जाती है । यह एक अल्प सेवा आयोग प्रवेश है जिसमें योग्य उम्मीदवार स्थायी कमीशन का चुनाव कर सकते हैं ।

(ज) **सैन्य प्रवेश :** अफसर संवर्ग में अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों की भर्ती सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से निम्नलिखित तरीके से की जाती है:-

(i) **सेना कैडेट कालेज (ए सी सी) प्रवेश:** 10+2 परीक्षा पास किए हुए 20-27 आयु वर्ग एवं न्यूनतम दो साल की सेवा पूरी करने वाले पात्र अन्य रैंक के कार्मिक इसके माध्यम से नियमित कमीशन के लिए आवेदन कर सकते

हैं। रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना) के अपर भर्ती महानिदेशालय द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा पास करने के बाद अभ्यर्थियों की एस एस बी और चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्क्रीनिंग होती है जिसमें सफल रहने पर कैडेटों को सेना कैडेट कालेज विंग देहरादून में तीन वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है जिसकी समाप्ति पर उन्हें स्नातक डिग्री मिलती है। इसके बाद आई एम ए देहरादून में एक वर्ष का कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ii) **विशेष कमीशनप्राप्त अफसर प्रवेश (एस सी ओ) योजना :** इस प्रवेश योजना के तहत सीनियर स्कूल प्रमाणपत्र प्राप्त (कक्षा 10+2 पद्धति) 28-25 वर्ष आयु वर्ग के जे सी ओ/एन सी ओ/अन्य रैंक के कार्मिक एस एस बी और चिकित्सा बोर्ड की स्क्रीनिंग के बाद कमीशन के लिए पात्र हैं। उन्हें आई एम ए देहरादून में एक वर्ष का कमीशन पूर्व प्रशिक्षण लेना होता है। इन अफसरों को यूनिटों में सब यूनिट कमांडर/क्वार्टर मास्टर और मेजर रैंक तक विभिन्न अतिरिक्त रेजिमेंट पदों (ई आर ई) पर नियुक्त किया जाता है।

(iii) **स्थायी कमीशन (विशेष सूची) (पी सी एस एल) :** इस प्रवेश के अंतर्गत 42 वर्ष तक की आयु एवं न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले सीनियर स्कूल प्रमाणपत्र (10+2 पद्धति) पास जे सी ओ/एन सी ओ/अन्य रैंक एस एस बी एवं चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्क्रीनिंग के बाद कमीशन के पात्र होते हैं। आई एम ए देहरादून में चार सप्ताह का अनुकूलन प्रशिक्षण सफलता-पूर्वक पूरा करने पर

उन्हें स्थायी कमीशन (विशेष सूची) प्रदान किया जाता है।

10.4 प्रवेश : वर्ष के दौरान (मार्च 2009 तक) अफसर के रूप में कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों की प्रवेश-संख्या सारणी 10.1 में नीचे दी गई है :-

सारणी 10.1

क्रम सं.	अकादमी	प्रवेश	प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थी
1.	एन डी ए	सेना	574
		नौसेना	114
		वायुसेना	209
		कुल	897
2.	आई एम ए	आई एम ए (सीधी भर्ती)	392
		ए सी सी	246
		एस सी ओ	48
		पी सी (एस एल)	73
		कुल	759
3.	ओ टी ए	एसएससी (एन टी)	273
		एस एस सी डब्ल्यू	99
		एन सी सी	96
		जे ए जी	-
		कुल	468
4.	तकनीकी प्रविष्टियां	यू ई एस	96
		एस एस सी (तकनीकी)	08
		10+2 टी ई एस	267
		टी जी सी	87
		कुल	458
कुल योग			2582

10.5 अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों (पी बी ओ आर) की भर्ती : सेना में ग्यारह जोनल भर्ती कार्यालय, दो गोरखा भर्ती डिपो, एक स्वतंत्र भर्ती कार्यालय एवं 59 सेना भर्ती कार्यालय हैं और इसके अलावा 47 रेजीमेंटल केंद्र भी हैं जो अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में रैलियों के माध्यम से भर्ती करते हैं।

10.6 अफसर रैंक से नीचे (पी बी ओ आर) के कार्मिकों की भर्ती खुली रैलियों के माध्यम से की जाती है। पी बी ओ आर के लिए भर्ती प्रक्रिया रैली स्थल पर अभ्यर्थियों की प्रारंभिक जांच से शुरू होती है जिसके पश्चात् दस्तावेजों की जांच, शारीरिक योग्यता की परख, शारीरिक माप एवं चिकित्सा जांच की जाती है। इसके बाद हर प्रकार से स्वस्थ पाए गए अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जाती है। अंतिम तौर पर चुने गए सफल अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए संबंधित प्रशिक्षण केंद्रों पर भेजा जाता है। भर्ती वर्ष 2007-08 के दौरान सेना में 34859 रंगरूट भर्ती किए गए हैं।

10.7 सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों/युद्ध विधवाओं/विधवाओं के बच्चों के संबंध में बोनस अंक दिए जाने के लिए पात्रता : यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं कि सैनिकों/पूर्व सैनिकों/युद्ध विधवा/विधवा का केवल एक पुत्र शारीरिक

सेना में 11 जोनल भर्ती कार्यालय, दो गोरखा भर्ती डिपो, एक स्वतंत्र भर्ती कार्यालय एवं 59 सेना भर्ती कार्यालय हैं और इसके अलावा 47 रेजीमेंटल केंद्र भी हैं जो रैलियों के माध्यम से अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों की भर्ती करते हैं।

संघ लोक सेवा आयोग के जरिए की जाने वाली भर्तियों के अलावा नौसेना में कमीशनप्राप्त अफसरों की भर्ती स्थाई कमीशन और अल्प सेवा कमीशन संवर्ग के लिए बिना संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी की जाती है। गैर-संघ लोक सेवा आयोग प्रवेश संबंधी भर्ती सेवा चयन बोर्ड साक्षात्कार के माध्यम से की जाती है।

मानदण्डों में छूट और बोनस अंक के रूप में दिए जा रहे लाभ उठा सकता है।

10.8 जूनियर कमीशनप्राप्त अफसर (धार्मिक अध्यापक) के रूप में पुनः भरती किए जाने वाले सेवारत सैनिक को बोनस अंक: जूनियर कमीशनप्राप्त अफसर (धार्मिक अध्यापक) के लिए आवेदन करने वाले तीनों सेनाओं के उम्मीदवारों के बीच समानता

सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि उन्हें लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 20 बोनस अंक दिए जाएंगे।

भारतीय नौसेना

10.9 गैर यूपीएससी प्रवेशों के माध्यम से अफसरों की भर्ती : संघ लोक सेवा आयोग के जरिए की जाने वाली भर्तियों के अलावा, कमीशनप्राप्त अफसरों की भर्ती स्थाई कमीशन तथा अल्प सेवा कमीशन संवर्गों के लिए गैर-यूपीएससी प्रवेश के माध्यम से की जाती है। इस प्रकार की भर्तियों के लिए रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (नौसेना) में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं तथा उनकी छंटनी की जाती है। तत्पश्चात्, रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार उत्तीर्ण उम्मीदवारों की एक मेरिट सूची तैयार की जाती है। सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कारों के माध्यम से गैर-यूपीएससी प्रवेश नौसेना के निम्नलिखित शाखाओं/संवर्गों के लिए किए जाते हैं :-

- (i) **एनसीसी के माध्यम से भर्ती** :- इस योजना के अंतर्गत ऐसे विश्वविद्यालय स्नातक जो न्यूनतम 'बी' ग्रेड का एनसीसी का 'सी' प्रमाणपत्र रखते हों, आवेदन के पात्र हैं। उसके बाद छांटे गए उम्मीदवारों को सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए भेजा जाता है।
- (ii) **कार्यपालक शाखा** : हवाई यातायात नियंत्रण/कानून/संभारिकी/नौसेना आयुध निरीक्षणालय (एन ए आई)/जल संवर्गों/वैमानिकी/प्रेक्षक के लिए अल्प सेवा कमीशन और कानून/एन ए आई संवर्गों के लिए अल्प सेवा कमीशन।
- (iii) **इंजीनियरी शाखा (नौसेना वास्तुकारों सहित)**: विश्वविद्यालय प्रवेश योजना के माध्यम से अल्प सेवा कमीशन (यू ई एस), विशेष नौसेना वास्तुकार प्रवेश योजना, और अल्प सेवा कमीशन (ई) योजना तथा 10+2 (तकनीकी) योजना के माध्यम से स्थायी कमीशन।
- (iv) **वैद्युत शाखा** : विश्वविद्यालय प्रवेश योजना और एस एस सी (एल) योजनाओं के माध्यम से अल्प सेवा कमीशन तथा 10+2 (तकनीकी) योजना के माध्यम से स्थायी कमीशन।
- (v) **शिक्षा संवर्ग** : इस शाखा के लिए स्थायी कमीशन और अल्प सेवा कमीशन योजनाएं मौजूद हैं।
- (vi) **10+2 (तकनीकी) योजना** : यह योजना भारतीय नौसेना की इंजीनियरी और वैद्युत शाखाओं में स्थायी कमीशन के लिए है। इस योजना के तहत 10+2 (भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित में) अर्हताप्राप्त उम्मीदवार सेना चयन बोर्ड के माध्यम से चुने जाने के पश्चात् नौसेना अभिमुखीकरण पाठ्यक्रम के लिए नौसेना अकादमी में भेजे जाते हैं। तत्पश्चात् वे भारतीय नौसेना पोत शिवाजी/वालसुरा में चार वर्षीय इंजीनियरी पाठ्यक्रम पूरा करते हैं। इस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने पर

उन्हें नौसेना में वैद्युत और इंजीनियरी शाखाओं में स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है।

- (vii) **विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यू ई एस)**: विश्वविद्यालय प्रवेश योजना के अंतर्गत अंतिम और अंतिम से पूर्व वर्ष के इंजीनियरी छात्र नौसेना की तकनीकी शाखाओं/संवर्गों में प्रवेश के पात्र हैं। एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) और कमान मुख्यालयों से नौसेना चयन दल उम्मीदवारों को छांटने के लिए पूरे देश में ए आई सी टी ई द्वारा अनुमोदित इंजीनियरी कालेजों का दौरा करते हैं। अखिल भारतीय मैरिट के आधार पर छांटे गए उम्मीदवारों को सेवा चयन बोर्ड में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। इसके पश्चात् सफल उम्मीदवारों की डाक्टरी जांच की जाती है। अंतिम चयन, सेना चयन बोर्ड साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर अखिल भारतीय योग्यता क्रम पर आधारित होता है।
- (viii) **महिला अफसर** : महिलाओं को नौसेना में कार्यपालक (ए टी सी, विधि एवं संभारिकी संवर्ग) और शिक्षा शाखा एवं इंजीनियरिंग शाखा के नौसेना वास्तुशिल्प संवर्ग में अल्प सेवा कमीशन अफसरों के रूप में भर्ती किया जा रहा है। भारतीय नौसेना ने जुलाई 2008 से महिलाओं के लिए अल्प सेवा कमीशन (पर्यवेक्षक) प्रवेश योजना भी लागू की है इन महिला अफसरों का कार्यकाल उनके अल्प सेवा कमीशन के पुरुष अफसरों के समान 10 वर्ष ही है जिसे बढ़ाकर 14 वर्ष तक किया जा सकता है।
- (ix) **अल्प सेवा कमीशन अफसरों (पुरुष और महिला) को स्थायी कमीशन** : जनवरी 2009 से आगे वाले बैचों के लिए शिक्षा, एक्स/कानून और ई/नौसेना निर्माणक संवर्गों के अल्प सेवा कमीशनप्राप्त अफसरों को स्थायी कमीशन दिया जाएगा।
- 10.10 **नाविकों की भर्ती** : सभी प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समाचार पत्रों एवं रोजगार समाचार में पात्र

अभ्यर्थियों से आवेदन मँगाने के लिए विज्ञापन निकाले जाते हैं। प्रचार सामग्री कई स्कूलों/कालजों एवं जिला सैनिक बोर्डों में भी भेजी जाती है। स्थानीय प्रशासन स्थानीय मीडिया के माध्यम से ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में प्रचार अभियान चलाता है। नौसेना में नाविकों की भर्ती लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता जांच एवं चिकित्सीय परीक्षा प्रक्रिया के पश्चात् की जाती है।

10.11 नाविकों की भर्ती की किस्में : नाविकों की भर्ती की विभिन्न प्रविष्टियां इस प्रकार हैं :-

- (क) आर्टिफिसर अप्रेंटिस (ए ए एस) - 10+2 (पी सी एम)।
- (ख) सीधी भर्ती (डिप्लोमाधारी) (डी ई डी एच)-यांत्रिक/वैद्युत/इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादन/वैमानिकी/धातु-विज्ञान/पोत-निर्माण में डिप्लोमा।
- (ग) सीनियर सैकेन्डरी रंगरूट (एस एस आर) - 10+2 (एस सी)।
- (घ) मैट्रिक प्रविष्टि रंगरूट (एम आर), रसोइया, स्टीवार्ड एवं संगीतकार की भर्ती के लिए - मैट्रिकुलेशन।
- (ङ) नॉन मैट्रिक रंगरूट (एन एम आर), टोपास नौसैनिकों (सफाईवाला) की भर्ती के लिए - श्रेणी-VI
- (च) सीधी प्रविष्टि पेटी अफसर (उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए)।

10.12 नौसेना ने भर्ती में नौसैनिक भर्ती जीव-पारिस्थितिकी प्रमाणन प्रणाली शुरू की है। इससे प्रतिरूपणों को समाप्त करने में सहायता मिलेगी और इससे डाटा प्रबन्धन प्रक्रिया स्वचालित करने की क्षमता आई है।

भारतीय वायुसेना

10.13 भारतीय वायुसेना में अफसरों का चयन अखिल भारतीय स्तर पर किया जाता है तथा यह पूरी तरह मेरिट पर आधारित है और सभी भारतीय नागरिक इसमें भाग ले सकते हैं। प्रौद्योगिकी आधारित सेवा होने के नाते भारतीय वायुसेना कार्मिकों की भर्ती के लिए अपने उच्च मानकों को बरकरार रखती है।

10.14 संघ लोक सेवा आयोग प्रवेश के अतिरिक्त अन्य माध्यम से अफसरों की भर्ती : भारतीय वायुसेना में कमीशनप्राप्त अफसरों की भर्ती मुख्य रूप से संघ लोक सेवा आयोग (सं. लो. से. आ.) द्वारा की जाती है। तकनीकी शाखाओं, महिला विशेष प्रविष्टि योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन सी सी) विशेष प्रविष्टि योजना, सेवा प्रविष्टि के लिए भर्ती वायुसेना भर्ती निदेशालय के माध्यम से सीधे तौर पर की जाती है।

(क) **सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से भर्ती :** भारतीय वायुसेना में उड़ान शाखा (पायलट), वैमानिकी इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रॉनिक्स), वैमानिकी इंजीनियरिंग (यांत्रिकी), शिक्षा, प्रशासन, संभारिकी, लेखा एवं मौसम विज्ञान शाखाओं के लिए भर्ती सेवा चयन बोर्डों/वायुसेना चयन बोर्डों के माध्यम से की जाती है।

(ख) **विश्वविद्यालय प्रवेश योजना :** इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में अंतिम/पूर्व-अंतिम वर्ष के विद्यार्थी विश्वविद्यालय प्रवेश योजना के अंतर्गत वायुसेना की तकनीकी शाखाओं में स्थायी कमीशनप्राप्त अफसर के रूप में भर्ती होने के पात्र हैं।

(ग) **सेवा प्रविष्टि कमीशन :** इस प्रवेश के अंतर्गत न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा (तकनीकी एवं गैर तकनीकी ट्रेड) कर

चुके सार्जेंट एवं इससे ऊपर के रैंक वाले एयरमैन, (36-42 वर्ष आयु वर्ग वाले) जिनकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10+2 है, परीक्षा के पश्चात् वायुसेना चयन बोर्ड परीक्षा एवं चिकित्सा जांच द्वारा कमीशन के पात्र हैं। तकनीकी ट्रेडों के सैन्य कार्मिकों को तकनीकी शाखा में भर्ती किया जाता है एवं गैर-तकनीकी ट्रेडों के कार्मिकों को ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं में भर्ती किया जाता है।

(घ) **महिला अफसरों की भर्ती** : पात्र महिलाओं को भारतीय वायुसेना की उड़ान, वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिक्स), वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिकी), शिक्षा, प्रशासन, संचारिकी, लेखा और मौसम विज्ञान शाखाओं में अल्प सेवा कमीशनप्राप्त अफसरों के रूप में भर्ती किया जाता है। तथापि, भारतीय

वायुसेना की शिक्षा, लेखा और प्रशासन (विधि) शाखाओं में जनवरी 2009 में शुरू हुए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शामिल हो रही महिलाएं उपलब्ध रिक्तियों, प्रदर्शित कार्य-निष्पादन और सेवा आवश्यकताओं के अध्यक्षीन स्थायी कमीशन प्रदान किए जाने के लिए पात्र हो जाएंगी।

(ङ) **राष्ट्रीय कैडेट कोर के माध्यम से भर्ती** : एन सी सी 'ग' प्रमाणपत्र एवं स्नातक स्तर में 50% अंक प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय स्नातकों को सेवा चयन बोर्डों के माध्यम से चयन करके नियमित कमीशनप्राप्त अफसरों के रूप में भारतीय वायुसेना में भर्ती किया जाता है।

10.15 अफसरों का चयन : 01 जनवरी 2008 से 31 दिसम्बर 2008 तक अफसर के रूप में कैडेटों की भर्ती सारणी 10.2 में दी जाती है।

सारणी 10.2

(क)	उड़ान शाखा	राष्ट्रीय रक्षा अकादमी	140
		वायुसेना अकादमी संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा	38
		वायुसेना अकादमी सीधी भर्ती (राष्ट्रीय कैडेट कोर)	06
		वायुसेना अकादमी सीधी भर्ती (वायुसैनिक)	शून्य
		अल्प सेवा कमीशन (पुरुष) उड़ान (पायलट)	64
		अल्प सेवा कमीशन (महिला) उड़ान (पायलट)	09
(ख)	तकनीकी शाखाएं	विश्वविद्यालय प्रविष्टि योजना	28
		वैमानिकी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम	68
		सेवा प्रविष्टि कमीशन	शून्य
		अल्प सेवा कमीशन (महिला) तकनीकी	34
		अल्प सेवा कमीशन (पुरुष) तकनीकी	23
(ग)	ग्राउंड ड्यूटी शाखा	ग्राउंड ड्यूटी अफसर पाठ्यक्रम	34
		सेवा प्रविष्टि कमीशन	05
		अल्प सेवा कमीशन (महिला)	52
		अल्प सेवा कमीशन (पुरुष)	04

10.16 भारतीय वायुसेना में अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों की भर्ती: वायुसैनिकों का चयन अखिल भारतीय आधार पर केन्द्रीकृत चयन प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। भारतीय वायुसेना में वायुसैनिकों की भर्ती संपूर्ण देश में अवस्थित चौदह चयन केन्द्रों की सहायता से नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय वायुसैनिक चयन बोर्ड के माध्यम से की जाती है। निर्धारित चयन परीक्षाओं के अलावा देश के भिन्न-भिन्न भागों में भर्ती रैलियां भी आयोजित की जाती हैं ताकि दूर-दराज/कम भर्ती क्षेत्रों/सीमावर्ती/विद्रोहिता प्रभावित क्षेत्रों और अंतर्देशीय भू-भागों से संबंधित पात्र अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान किए जा सकें और जनसंख्या की दृष्टि से उचित प्रतिनिधित्व कायम हो सके।

तरटरक्षक

10.17 अफसरों की भर्ती : तटरक्षक संगठन में अफसरों की भर्ती वर्ष में दो बार की जाती है। तटरक्षक में सहायक कमांडेंटों की रिक्तियों का विज्ञापन नवंबर/दिसम्बर और मई/जून माह में रोजगार समाचार तथा प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। भर्ती के लिए आयु सीमा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पांच वर्ष तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाती है। अफसरों को निम्नलिखित शाखाओं में भर्ती किया जाता है :-

(क) सामान्य ड्यूटी : 10+2+3 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत बारहवीं स्तर तक गणित एवं भौतिकी पढ़े हुए 21 से 25 वर्ष की आयु वाले सभी पुरुष/महिला स्नातक अभ्यर्थी, सामान्य ड्यूटी

भारतीय वायुसेना में वायुसैनिकों की भर्ती नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय वायुसैनिक चयन बोर्ड समग्र देश में अवस्थित चौदह चयन केन्द्रों की सहायता से करता है।

शाखा में अफसर के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

(ख) सामान्य ड्यूटी (पायलट/नौचालन) : स्नातक के दौरान गणित एवं भौतिकी विषयों में स्नातक उपाधि रखने वाले 19-27 वर्ष की आयु के सभी पुरुष/महिला अभ्यर्थी, सामान्य ड्यूटी (पायलट/नौचालन) शाखा में अफसर के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

(ग) सामान्य ड्यूटी (वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस अल्प सेवा प्रविष्टि) : 10+2+3 शिक्षा-पद्धति के अंतर्गत 12वीं अथवा समक्ष कक्षा उत्तीर्ण महिला/पुरुष जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख को वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सी पी एल) रखते हैं और जिनकी आयु 19-27 वर्ष के बीच है, वे वाणिज्यिक पायलट लाइसेंसधारक अल्प सेवा भर्ती अफसर के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

(घ) तकनीकी शाखा : 21-30 आयु वर्ग के इंजीनियरिंग डिग्रीधारी (नौसेना वास्तुशिल्प/मैरीन/यांत्रिकी/इलेक्ट्रिकल दूरसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिक/डिजाइन/उत्पादन/वैमानिकी/नियंत्रण इंजीनियरिंग अथवा समकक्ष योग्यता वाले पुरुष तकनीकी शाखा में अफसर के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

10.18 अफसरों का चयन : अफसरों (जनरल ड्यूटी/जनरल ड्यूटी (पायलट/नौचालन)/ जनरल ड्यूटी (पायलट/तकनीकी) का चयन तटरक्षक चयन बोर्डों के माध्यम से किया जाता है।

10.19 पी बी ओ आर की अफसरों के रूप में भर्ती : 48 वर्ष की आयु तक के उत्कृष्ट अधीनस्थ

अफसरों को चयन प्रक्रिया के अनुसार सामान्य ड्यूटी तकनीकी शाखा में सहायक कमांडेंट के रूप में भर्ती किया जाता है।

10.20 पी बी ओ आर की भर्ती : तटरक्षक में पी बी ओ आर की भर्ती वर्ष में दो बार की जाती है। नवंबर/दिसम्बर एवं मई/जून माह में तटरक्षक में पी बी ओ आर की रिक्तियों का विज्ञापन रोजगार समाचार और प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। पी बी ओ आर निम्नलिखित शाखाओं में भर्ती किए जाते हैं :-

(क) **यांत्रिक :** मैट्रिक के बाद यांत्रिकी/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमाधारी 18-22 वर्ष की आयु के पुरुष उम्मीदवार यांत्रिक के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

(ख) **नाविक (सामान्य ड्यूटी) :** गणित एवं भौतिकी विषयों सहित इंटरमीडिएट/10+2 पास 18-22 वर्ष की आयु वाले पुरुष उम्मीदवार नाविक (सामान्य ड्यूटी) के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

(ग) **नाविक (घरेलू शाखा) :** 18-22 वर्ष की आयु के मैट्रिक पास पुरुष उम्मीदवार नाविक (घरेलू शाखा) के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

10.21 भारतीय तटरक्षक में प्रशिक्षण

(क) **अफसरों का प्रशिक्षण :** सामान्य ड्यूटी और तकनीकी अफसरों का मूलभूत प्रशिक्षण नौसेना कैडेटों के साथ क्रमशः नौसेना अकादमी, मांडवी और जमोरिन में संचालित किया जाता है। आधारभूत प्रशिक्षण पूरा करने पर प्रशिक्षणाधीन अफसरों

देश के विभिन्न भागों में 24 सैनिक स्कूल अवस्थित हैं। रेवाड़ी (हरियाणा) का सैनिक स्कूल नवीनतम है जो मार्च 2009 में आरंभ हुआ।

को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए विभिन्न नौसैनिक/वायुसेना/तटरक्षक स्थापनाओं/तटरक्षक पोतों से सम्बद्ध कर दिया जाता है। मेधावी एवं उत्कृष्ट अफसरों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भारत एवं विदेश में विशिष्ट एवं उच्च पाठ्यक्रमों के लिए भेजा जाता है।

(ख) **नामांकित कार्मिकों का प्रशिक्षण :** सभी नामांकित कार्मिकों का आधारभूत प्रशिक्षण आई एन एस चिल्का में कराया जाता है। आधारभूत प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रशिक्षणाधीन नामांकित कार्मिक को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए नौसैनिक/तटरक्षक स्थापनाओं एवं पोतों से सम्बद्ध कर दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि शाखानुसार अलग-अलग होती है।

(ग) **विशिष्ट तटरक्षक प्रशिक्षण :** अफसरों एवं नामांकित कार्मिक दोनों को विभिन्न विशेषज्ञता-प्राप्त प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। तटरक्षक प्रशिक्षण केंद्र, कोच्चि में विशिष्ट तटरक्षक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

रक्षा सेनाओं के लिए प्रशिक्षण

10.22 रक्षा क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रशिक्षण संस्थाएं एक-दूसरे के साथ समन्वय करके कार्य करती हैं। कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं का निम्नलिखित पैराग्राफों में उल्लेख किया गया है :-

सैनिक स्कूल

10.23 सैनिक स्कूल केंद्र एवं राज्य सरकारों के संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किए गए थे। ये सैनिक स्कूल सोसाइटी के समग्र नियंत्रण में चलते हैं। इस समय देश के विभिन्न भागों में कुल 24

सैनिक स्कूल हैं। रेवाड़ी (हरियाणा) स्थित सैनिक स्कूल मार्च 2009 में शुरू होने वाला सबसे नया सैनिक स्कूल है।

10.24 सैनिक स्कूलों का उद्देश्य बेहतर पब्लिक स्कूल शिक्षा को आम आदमी तक पहुँचाना, बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास और सशस्त्र सेनाओं के अफसर संवर्ग में मौजूद क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना है। सैनिक स्कूल लड़कों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन डी ए) के माध्यम से सशस्त्र सेना में शामिल होने के लिए शैक्षिक, शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार करते हैं।

10.25 सैनिक स्कूल लड़कों को कक्षा छठी एवं नौवीं में प्रवेश देते हैं। वर्ष की 01 जुलाई को छठी कक्षा के लिए उनकी उम्र 10-11 वर्ष एवं कक्षा नौ के लिए 13-14 वर्ष होनी चाहिए। प्रवेश प्रत्येक वर्ष जनवरी मास में आयोजित अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा में योग्यताक्रम (मेरिट) के आधार पर दिया जाता है।

10.26 उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं के इष्टतम उपयोग एवं इच्छुक कैडेटों को और अधिक प्रतियोगी माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से 2007-08 के शैक्षणिक सत्र से दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के परिणाम के आधार पर कक्षा ग्यारहवीं में प्रवेश प्रारंभ किया गया था।

राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल

10.27 सी बी एस ई से सम्बद्ध पांच राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल (पहले मिलिट्री स्कूल के रूप में जाना जाने वाला) अजमेर, बंगलौर, बेलगाँव, धौलपुर एवं चैल में स्थित हैं। मिलिट्री स्कूल अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर कक्षा-VI में लड़कों को

प्रवेश देते हैं। इनमें 67% सीटे जे सी ओ/अन्य रैंकों के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं जिन्हें 'हकदार श्रेणी' कहा जाता है। गैर-हकदार श्रेणी की 33% सीटों में से 20% सीटें सैन्य अफसरों के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन डी ए)

10.28 राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन डी ए) देश की प्रमुख अंतर-सेवा प्रशिक्षण संस्था है। इसे सशस्त्र सेनाओं के अफसर कैडेटों को संयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विश्व की प्रथम संस्थाओं में एक होने का गौरव प्राप्त है।

10.29 राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में तीन वर्ष का पाठ्यक्रम छह सेमेस्टर्स में पूरा किया जाता है जिसके दौरान एक-दूसरे की सेना के लिए मैत्री तथा सम्मान की भावना विकसित होती है। इस प्रशिक्षण के सम्पन्न होने पर, सशस्त्र सेनाओं में अफसरों के रूप में कमीशनप्राप्त करने से पूर्व आगे के प्रशिक्षण हेतु कैडेट अपनी संबंधित सेना अकादमियों में चले जाते हैं।

राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कालेज (आर आई एम सी)

10.30 राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कालेज (आर आई एम सी) की स्थापना 13 मार्च 1922 को भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अफसर बनने के इच्छुक भारत में जन्में या अधिवासी लड़कों को आवश्यक आरंभिक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। यह संस्थान अब राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के लिए एक फीडर संस्थान के रूप में कार्य करता है।

10.31 आर आई एम सी के लिए चयन राज्य सरकारों द्वारा आयोजित एक लिखित-सह-

मौखिक परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। संबंधित राज्यों के लिए सीटें जनसंख्या के आधार पर आरक्षित की जाती हैं। आर आई एम सी में प्रवेश वर्ष में दो बार, अर्थात् जनवरी और जुलाई में होता है। इसकी अधिकतम क्षमता 250 छात्रों की है। कक्षा-VIII में 11 से 13 वर्ष के आयु वर्ग के लड़कों को प्रवेश दिया जाता है। कालेज में सी बी एस ई 10+2 पद्धति के आधार पर विज्ञान विषयों की पढ़ाई होती है।

भारतीय सैन्य अकादमी (आई एम ए), देहरादून

10.32 वर्ष 1932 में स्थापित भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून का उद्देश्य सेना में अफसरों के रूप में शामिल होने वाले कैडेटों के बौद्धिक, नैतिक एवं शारीरिक गुणों का पूर्णतः विकास करना है।

10.33 भारतीय सैन्य अकादमी में प्रविष्टि के विभिन्न माध्यम इस प्रकार हैं :-

- (क) एन डी ए से स्नातक होने पर।
- (ख) सेना कैडेट कालेज से, जो आई एम ए की ही एक शाखा है, स्नातक होने पर।
- (ग) सीधी भर्ती स्नातक कैडेट जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करके सैन्य चयन बोर्ड द्वारा चुने जाते हैं।
- (घ) तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) के लिए।
- (ङ) इंजीनियरिंग कालेजों के अंतिम/अंतिम से पूर्व वर्ष के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यू ई एस) के अंतर्गत।
- (च) 10+2 तकनीकी प्रवेश योजना (टी ई एस) के माध्यम से।

सेना सेवा कोर, सेना शिक्षा कोर, जज एडवोकेट जनरल विभाग, इंजीनियर, सिग्नल तथा इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल इंजीनियर कोर में ओ टी ए, चेन्नई से लगभग 100 महिला अफसर कमीशन प्राप्त करती हैं।

10.34 भारतीय सैन्य अकादमी मित्र देशों के जेंटलमैन कैडेटों को भी प्रशिक्षण प्रदान करती है।

अफसर प्रशिक्षण अकादमी (ओ टी ए), चेन्नई

10.35 वर्ष 1963 में स्थापित अफसर प्रशिक्षण स्कूल (ओ टी एस के 25 वर्ष पूरे होने पर 01 जनवरी 1988 को इसे अफसर प्रशिक्षण अकादमी (ओ टी ए) नाम दिया गया। वर्ष 1965 से पहले इसका मुख्य कार्य इमरजेंसी

कमीशन प्रदान करने के लिए जेंटलमैन कैडेटों को प्रशिक्षित करना था। 1965 के बाद अकादमी ने अल्प सेवा कमीशन के लिए कैडेटों को प्रशिक्षित करना आरंभ कर दिया।

10.36 21 सितम्बर 1992 से सेना में महिला अफसरों के प्रवेश के पश्चात् ओ टी ए से हर वर्ष लगभग 100 महिला अफसर सेना सेवा कोर, सेना शिक्षा कोर, जज एडवोकेट जनरल विभाग, इंजीनियर कोर, सिग्नल तथा इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल इंजीनियर कोर में कमीशन प्राप्त करती हैं।

10.37 ओ टी ए निम्नलिखित के लिए कमीशन पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करती है :-

- (क) स्नातकों के लिए अल्प सेवा कमीशन (गैर तकनीकी)।
- (ख) स्नातकों के लिए अल्प सेवा कमीशन (तकनीकी)।
- (ग) स्नातक/स्नातकोत्तर महिला कैडेटों के लिए अल्प सेवा कमीशन (महिला)।

सेना युद्ध कालेज, महू

10.38 15 जनवरी 2003 से पहले समाघात कालेज के नाम से जाना जाने वाला सेना युद्ध कालेज इन्फैंट्री स्कूल से बनाया गया था और 01 अप्रैल 1971 को इसे स्वतंत्र संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। एक अग्रणी संस्थान के रूप में अफसरों को सामरिक प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ सेना युद्ध कालेज सामरिकी एवं संधारिकी के क्षेत्रों में नई संकल्पनाओं एवं सिद्धान्तों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण कार्य भी करता है। यह प्रशिक्षण निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में दिया जाता है-

- (क) **उच्च कमान पाठ्यक्रम** : इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य डिवीजन के विशेष संदर्भ में उच्चतर कमानों के कमान संभालने तथा डिवीजन स्तर पर विशिष्ट स्टाफ पद धारण करने हेतु अफसरों को प्रशिक्षित करना है। 40 सप्ताह का पाठ्यक्रम तीनों सेनाओं के भारतीय अफसरों के लिए ही चलाया जाता है।
- (ख) **वरिष्ठ कमान पाठ्यक्रम** : इसका उद्देश्य सभी सेनांगों और सेनाओं के चुने हुए मेजर/लेफ्टि. कर्नल तथा समतुल्य रैंक के अफसरों को वायु और अन्य सेनांगों तथा सेनाओं के साथ मिलकर ब्रिगेड या समाघात कमान के हिस्से के रूप में बटालियन/समाघात समूह के सामरिक नियोजन में तथा युद्ध और शांति में यूनिट के प्रशिक्षण और प्रशासन में प्रशिक्षित करना है। प्रत्येक पाठ्यक्रम 13 सप्ताह का है। लगभग 10% रिक्तियां मित्र देशों, अर्ध-सैनिक बलों और केन्द्रीय पुलिस संगठन को दी जाती हैं। प्रतिवर्ष ऐसे तीन पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं।
- (ग) **कनिष्ठ कमान पाठ्यक्रम** : इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य बटालियन समूह या समाघात समूह के हिस्से के रूप में राइफल कम्पनी/समाघात दल के सामरिक नियोजन में और साथ ही युद्ध और शांति में उप-यूनिटों के प्रशिक्षण और प्रशासन

में सभी सेनांगों और सेनाओं के अफसरों को प्रशिक्षित करना है। यह पाठ्यक्रम 10 सप्ताह का है और इसमें 400 अफसरों को प्रशिक्षण दिया जाता है। लगभग 10% रिक्तियां मित्र देशों, अर्ध सैनिक बलों और केन्द्रीय पुलिस संगठनों को प्रस्तावित की जाती हैं। प्रतिवर्ष ऐसे चार पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं।

- (घ) **फार्मेशन कमांडरों के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम (एफ सी ओ पी)** : इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य फार्मेशनों की कमान संभालने के लिए सक्षम डिवीजनल कमांडर तैयार करना है। यह कार्यक्रम चार सप्ताह चलाया जाता है और यह केवल भारतीय अफसरों के लिए है।

जूनियर लीडर्स विंग (जे एल डब्ल्यू), बेलगांव

10.39 बेलगांव स्थित जूनियर लीडर्स विंग कनिष्ठ अफसरों, जे सी ओ तथा एन सी ओ को सब-यूनिट स्तर की सामरिक तथा विशेष मिशन की तकनीकों में प्रशिक्षित करता है जिससे वे काफी दबाव व तनाव में भिन्न-भिन्न भू-भागों में सौंपे गए संक्रियात्मक मिशनों को पूरा कर सकें तथा युद्ध तथा शांतिकाल के समय अपनी सब-यूनिटों की कमान एवं प्रशासन प्रभावी ढंग से संभाल सकें। यह सेना, अर्ध सैनिक बलों, केन्द्रीय पुलिस संगठनों तथा विदेशी मित्र राष्ट्रों के अफसरों तथा एन सी ओ को कमांडो किरम की संक्रियाओं में प्रशिक्षित करता है तथा उन्हें इस योग्य बनाता है कि वे विशेष मिशन समूहों का हिस्सा बन सकें अथवा सभी प्रकार के भू-भागों एवं संक्रियात्मक परिवेश में स्वतंत्र मिशनों का नेतृत्व कर सकें।

जूनियर लीडर्स अकादमी, बरेली

10.40 जूनियर लीडर्स अकादमी की स्थापना 1998 में जूनियर लीडर्स अर्थात् सभी सेनांगों एवं सेनाओं के जे सी ओ तथा वरिष्ठ एन सी ओ को नेतृत्व तथा इससे संबंधित विषयों पर संस्थागत प्रशिक्षण प्रदान

करने के उद्देश्य से की गई थी जिससे वे अधिक प्रभावी बन सकें ।

10.41 सभी सेनांगों और सेनाओं के जे सी ओ/एन सी ओ के लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं :-

(क) **जूनियर लीडर पाठ्यक्रम (जे एल सी) :** यह नए पदोन्नत जे सी ओ और वरिष्ठ एन सी ओ (जे सी ओ में पदोन्नत होने के लिए अनुमोदित) का छह सप्ताह का पाठ्यक्रम है । 3240 छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए छह पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं।

(ख) **संभावित सूबेदार मेजरों के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम :** यह 108 नए पदोन्नत सूबेदार मेजरों अथवा वरिष्ठ सूबेदारों (सूबेदार मेजर की पदोन्नति के लिए अनुमोदित) के लिए चार सप्ताह का पाठ्यक्रम है । 640 छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए वार्षिक रूप से छह पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं ।

जूनियर लीडर्स अकादमी (जे एल ए), रामगढ़

10.42 प्रशिक्षण के लिए और अधिक सुविधाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बिहार के रामगढ़ में 2001 में एक और जे एल ए की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था । जे एल ए रामगढ़ जे एल ए बरेली के अनुरूप ही संगठित किया गया है । यह संस्था फरवरी 2003 से प्रतिवर्ष 648 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रही है ।

उच्च तुंगता युद्ध पद्धति स्कूल (एच ए डब्ल्यू एस), गुलमर्ग

10.43 इस विद्यालय का उद्देश्य उच्च तुंगता (एच ए) की पर्वतीय युद्ध पद्धति से जुड़े सभी पहलुओं में चुने गए कार्मिकों को प्रशिक्षित करना तथा ऐसा भौगोलिक परिस्थितियों में युद्ध तकनीक विकसित करना है । एच ए डब्ल्यू एस अफसरों,

जे सी ओ तथा एन सी ओ के लिए पाठ्यक्रमों की दो शृंखलाएं-पर्वतीय युद्ध पद्धति (एम डब्ल्यू) तथा शीतकालीन युद्ध पद्धति (डब्ल्यू डब्ल्यू), क्रमशः सोनमर्ग तथा गुलमर्ग में चलाता है । प्रशिक्षण की अवधियां मोटे तौर पर जनवरी से अप्रैल (शीतकालीन युद्ध पद्धति शृंखला) और मई से अक्टूबर (पर्वतीय युद्ध पद्धति) होती हैं । इस स्कूल के कार्मिकों ने माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा और अमरीका में माउंट मैकिनले सहित विश्व के महत्वपूर्ण शिखरों पर चढ़कर दिखाया है ।

प्रतिविद्रोहिता तथा जंगल युद्ध पद्धति स्कूल (सी आई जे डब्ल्यू), वीरांगटे

10.44 सी आई जे डब्ल्यू अधिकारियों तथा जे सी ओ/एन सी ओ के लिए प्रतिविद्रोहिता तकनीकों तथा असमिया, बोडो, नागामीज मणिपुरी/तंगखुल भाषाओं के पाठ्यक्रम आयोजित करता है तथा विद्रोहपूर्ण क्षेत्रों में भेजने से पहले सभी यूनिटों के लिए तैनाती पूर्व प्रशिक्षण भी आयोजित करता है ।

प्रतिविद्रोहिता तैनाती-पूर्व प्रशिक्षण युद्ध स्कूल

10.45 सी आई जे डब्ल्यू स्कूल की सीमित क्षमता तथा विशिष्ट संक्रियात्मक परिस्थितियों व यूनिटों के संचलन में आने वाली प्रशासनिक समस्याओं के कारण यह आवश्यक समझा गया कि यूनिटों को उनके संक्रिया क्षेत्रों के निकट ही प्रशिक्षण दिया जाए । सेना के संसाधनों में से ही उत्तरी कमान की ओर जाने वाली यूनिटों के लिए खेरू, सरोल एवं भालरा में तथा असम तथा मेघालय की ओर संचलन करने वाली यूनिट के लिए ठाकुरवाडी में और कोर युद्ध स्कूल स्थापित किए गए हैं । प्रतिविद्रोहिता प्रशिक्षण के साथ-साथ ये स्कूल विशेषकर उत्तरी कमान में यूनिटों को नियंत्रण रेखा तथा उच्च तुंगता के संबंध में उनकी भूमिका के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं ।

इन्फैंट्री स्कूल, महू

10.46 इन्फैंट्री स्कूल भारतीय सेना का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सैन्य प्रशिक्षण संस्थान है। इन्फैंट्री स्कूल में यंग आफिसर्स पाठ्यक्रम, प्लैटून वेपन पाठ्यक्रम, मोर्टार पाठ्यक्रम, एंटी टैंक एण्ड गाइडेड मिसाइल पाठ्यक्रम मशीनगन एवं आटोमैटिक ग्रिनेड लॉन्चर (जे/एन) पाठ्यक्रम, सेक्शन कमांडर्स पाठ्यक्रम, ऑटोमैटिक डेटा प्रोसेसिंग पाठ्यक्रम, स्नाइपर पाठ्यक्रम तथा सपोर्ट वेपन पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। यह संस्थान केवल इन्फैंट्री के ही नहीं बल्कि अर्ध सैनिक बलों एवं सिविल पुलिस संगठनों के साथ-साथ अन्य सेनाओं एवं सेनाओं के अफसरों, जे सी ओ एवं अन्य रैंकों को भी प्रशिक्षण प्रदान करता है। संस्थान इस समय एक वर्ष में 7,000 से भी अधिक अफसरों, जे सी ओ एवं एन सी ओ को प्रशिक्षित कर रहा है।

सामग्री प्रबंधन कॉलेज

10.47 यह कॉलेज अक्टूबर 1925 में खड़की में स्थापित भारतीय सेना आयुध कोर (आई ए ओ सी) अनुदेश स्कूल की परम्परा को आगे बढ़ा रहा है। बाद में फरवरी, 1939 में इस स्कूल को दोबारा आई ए ओ सी प्रशिक्षण केंद्र नाम दिया गया और इसे जबलपुर में इसके मौजूदा स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया। जनवरी, 1950 में आई ए ओ सी स्कूल का नाम सेना आयुध कोर (ए ओ सी) स्कूल कर दिया गया। ए ओ सी स्कूल का नाम फिर से बदलकर सामग्री प्रबंधन कॉलेज (सी एम एम) रख दिया गया और 1987 में इसे जबलपुर विश्वविद्यालय (रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय) से संबद्ध कर दिया गया। 1990 में सी एम एम स्वायत्तशासी हो गया। यह कॉलेज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में 'सरकारी कॉलेज' के रूप में भी पंजीकृत है। इसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए आई सी टी ई) का अनुमोदन भी प्राप्त है।

10.48 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के तहत गठित नेशनल असेसमेंट एंड एक्रिडिटेशन काउंसिल (एन ए ए सी), जो एक स्वायत्तशासी निकाय है, ने कॉलेज को पांच सितारा (उच्चतम) मान्यता प्रदान की है। कॉलेज, भारतीय सेना में आयुध सपोर्ट प्रबंधन संबंधी कार्यों में लगे ए ओ सी के सभी रैंकों और सिविलियनों को आवश्यक संस्थागत प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह सभी सेनाओं तथा सेनाओं के चयनित अफसरों, जे सी ओ तथा अन्य रैंकों को भी यूनिट प्रशासन और सामग्री प्रबंधन संबंधी रखरखाव का प्रशिक्षण प्रदान करता है।

तोपखाना स्कूल, देवलाली

10.49 तोपखाना स्कूल, देवलाली हवाई प्रेक्षण चौकी ड्यूटी के लिए पायलटों को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ अफसरों, जे सी ओ तथा एन सी ओ को तोपखाना हथियारों और प्रणाली का तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कराता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय तथा विदेशी तोपखाना उपस्कर सिद्धांतों की समीक्षा, अध्ययन और परीक्षण भी किया जाता है।

10.50 स्कूल ने बड़ी संख्या में भारतीय सेना के अफसरों, जे सी ओ तथा एन सी ओ के साथ-साथ वर्ष के दौरान मित्र देशों के कई अफसरों और कार्मिकों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया है।

सेना हवाई रक्षा कालेज, गोपालपुर

10.51 सेना हवाई रक्षा कालेज (ए ए डी सी) ने पहले अक्टूबर 1989 तक तोपखाना स्कूल देवलाली के एक विंग के रूप में कार्य किया, तब तोपखाने की मुख्य शाखा से हवाई रक्षा तोपखाना के अलग होने से पूर्व इसे गोपालपुर लाया गया। यह कालेज वायुरक्षा तोपखाना के कार्मिकों, अन्य सेनाओं और मित्र देशों के सशस्त्र बलों के कार्मिकों को वायु रक्षा संबंधी विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करता है।

10.52 सेना हवाई रक्षा कालेज अनेक पाठ्यक्रम चलाता है। इनमें से कुछ हैं-लांग गनरी स्टाफ कोर्स (अफसर), युवा अफसर कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध-पद्धति कोर्स, वरिष्ठ कमान हवाई रक्षा कोर्स, लांग गनरी स्टाफ कोर्स, जूनियर कमीशंड अफसर/नॉन कमीशंड अफसर, तकनीकी अनुदेशक फायर नियंत्रण कोर्स, वायुयान पहचान कोर्स, यूनिट अनुदेशक और चालक दल आधारित प्रशिक्षण और ऑटोमेटेड डाटा प्रोसेसिंग कोर्स।

सेना सेवा कोर (ए एस सी) केन्द्र एवं कालेज, बंगलौर

10.53 बंगलौर में सेना सेवा कोर (ए एस सी) केन्द्र एवं कालेज की स्थापना के लिए 01 मई 1999 को सेना सेवा कोर केन्द्र (दक्षिण) और सेना यांत्रिक परिवहन स्कूल को बंगलौर में ए एस सी केन्द्र के साथ मिला दिया गया। यह विविध विषयों जैसे संधारिकी प्रबंधन, परिवहन प्रबंधन, भोजन, ऑटोमेटेड डाटा प्रोसेसिंग इत्यादि में सेना सेवा कोर के अफसरों के साथ-साथ अन्य सेनागों और सेनाओं के अफसरों, जूनियर कमीशंड अफसरों, अन्य रैंकों और रंगरूटों को मूलभूत और उन्नत प्रशिक्षण देने वाला एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है।

10.54 1992 से ए एस सी कालेज संधारिकी एवं संसाधन प्रबंधन में डिग्री एवं डिप्लोमा प्रदान करने के लिए रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से सम्बद्ध किया गया है।

सेना शिक्षा कोर प्रशिक्षण कालेज एवं केन्द्र, पचमढी

10.55 सेना शिक्षा कोर (ए ई सी) प्रशिक्षण कालेज एवं केन्द्र, पचमढी सशस्त्र सेनाओं में शैक्षणिक प्रशिक्षण देने वाला एक उत्कृष्ट रक्षा संस्थान है।

यह अपनी किस्म की एकमात्र संस्था है, यह श्रेणी 'ए' स्थापना और श्रेणी 'ए' रेजिमेंटल केंद्र है। यह बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल से सम्बद्ध एक स्वायत्तशासी कालेज भी है जिसे अपने कोरों और डिग्रियों की रूपरेखा तैयार करने, उनको संचालित करने, परीक्षा लेने और डिग्री प्रदान करने की शैक्षणिक और प्रशासनिक शक्तियां प्राप्त हैं।

10.56 मानचित्र शिल्प विभाग ए ई सी अफसरों और भारतीय सेना के सभी सेनागों और सेनाओं के अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों (पी बी ओर आर), अर्ध सैनिक बलों और मित्र देशों के कार्मिकों के लिए 10 सप्ताह का मानचित्र पठन (मैप रीडिंग) अनुदेशक कोर्स चलाता है।

10.57 12-सप्ताह लम्बा यूनिट शिक्षा अनुदेशक पाठ्यक्रम भारतीय सेना के सभी सेनागों और सेनाओं के अन्य रैंकों को अपनी यूनिटों में सक्षम शिक्षा अनुदेशक बनने के लिए प्रशिक्षित करता है।

10.58 विदेशी भाषा विंग (एफ एल डब्ल्यू), जो ए ई सी प्रशिक्षण कालेज व केन्द्र के तीन प्रभागों में से एक है, न केवल सशस्त्र सेनाओं में अपितु राष्ट्रीय शैक्षणिक परिवेश में भी विदेशी भाषा प्रशिक्षण का एक अग्रणी संस्थान है। इसकी दो अंकीकृत (डिजिटाइज्ड) भाषा प्रयोगशालाएं हैं जो 20-20 छात्रों को प्रशिक्षण देती हैं।

मिलिट्री संगीत विंग, पचमढी

10.59 मिलिट्री संगीत विंग की स्थापना ए ई सी ट्रेनिंग कालेज एंड सेंटर, पचमढी के एक भाग के रूप में अक्टूबर 1950 में तत्कालीन कमांडर-इन-चीफ (बाद में फील्ड मार्शल) जनरल के एम करियप्पा, ओ बी ई के संरक्षण में की गई थी। इसके पास 200 से भी अधिक सैन्य संगीत रचनाओं का समृद्ध खजाना है। इसने नए भर्ती हुए बैंडमैनों, पाइपरों तथा ड्रमरों को प्रशिक्षण देने के लिए भिन्न-भिन्न श्रेणियों के पाठ्यक्रमों के माध्यम से, भारत में मिलिट्री संगीत का उच्च स्तर बनाए रखने में विशिष्टता हासिल की है।



अफसर रैंक से निचले रैंक के विदेशी कार्मिक : सैन्य संगीत में प्रशिक्षण

रिमाउंट एवं पशुचिकित्सा कोर केंद्र तथा स्कूल, मेरठ

10.60 मेरठ स्थित रिमाउंट एवं पशुचिकित्सा कोर (आर वी सी) केंद्र तथा स्कूल का उद्देश्य सभी सेनागों और सेनाओं के अफसरों और अफसर रैंक नीचे के रैंक के सभी कार्मिकों को पशु प्रबंधन तथा पशुचिकित्सा से जुड़े विभिन्न पहलुओं के विषय में प्रशिक्षण देना है। संस्थान में अफसरों के लिए ग्यारह कोर्स तथा पी बी ओ आर के लिए छह कोर्स चलाए जाते हैं। यहां कुल 250 छात्रों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

सेना खेलकूद संस्थान (ए एस आई), पुणे

10.61 भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेता तैयार करने के उद्देश्य से देश में

विभिन्न स्थानों पर चुने हुए विषयों में सेना खेलकूद केंद्रों के साथ-साथ पुणे में एक सेना खेलकूद संस्थान की स्थापना की गई है। आधुनिकतम आधारभूत सुविधाओं एवं उपकरणों के साथ-साथ भोजन, रहन-सहन, विदेशी दौरों एवं विदेशी प्रशिक्षकों के अधीन प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की गई है।

शारीरिक प्रशिक्षण सेना स्कूल, पुणे

10.62 शारीरिक प्रशिक्षण सेना स्कूल (ए एस पी टी) पहला ऐसा संस्थान है जो यूनिटों और सब-यूनिटों में शारीरिक प्रशिक्षण देने के संबंध में सेना कार्मिकों को सुव्यवस्थित तथा व्यापक प्रशिक्षण दे रहा है। यह सेना में खेल-कूद का स्तर सुधारने और शारीरिक प्रशिक्षण में मनोरंजन को शामिल करके उसे अधिक पूर्ण बनाने की दृष्टि से खेल-कूद का बुनियादी प्रशिक्षण भी देता है। इन

पाठ्यक्रमों में सैन्य और अर्ध सैनिक बलों के अफसर, जे सी ओ और अन्य रैंक तथा मित्र देशों के सेना कार्मिक भाग लेते हैं। ए एस पी टी ने अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों के लिए राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान के सहयोग से बॉक्सिंग, बॉलीवाल, बॉस्केटबाल, तैराकी और जीवनरक्षा जूडो और योग पाठ्यक्रमों में छह सम्बद्ध खेलकूद पाठ्यक्रम आरंभ किए हैं।

समाघात सेना विमानन प्रशिक्षण स्कूल (सी ए ए टी एस) नासिक रोड

10.63 समाघात सेना विमानन प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना मई, 2003 में नासिक रोड में की गई थी। इसका उद्देश्य विमान चालकों को विमानन कौशल तथा विभिन्न युद्ध संक्रियाओं में विमानन यूनितों के नियंत्रण में प्रशिक्षित करना, विमानन अनुदेशकों को मानक प्रचालन प्रक्रियाओं को

बनाने में प्रशिक्षित करना तथा जमीनी बलों के सहयोग से विमानन सामरिक सिद्धांत के विकास में सेना प्रशिक्षण कमान की मदद करना है। स्कूल में चलाए जाने के लिए प्री-बेसिक पायलट पाठ्यक्रम, आधारभूत सेना विमानन पाठ्यक्रम, प्री-क्वालिफाइड उडान अनुदेशक पाठ्यक्रम, विमानन अनुदेशक हेलिकॉप्टर पाठ्यक्रम, हेलिकॉप्टर कन्वर्जन ऑन-टाइप, फ्लाइट कमांडर्स पाठ्यक्रम तथा नव उपस्कर पाठ्यक्रम जैसा पाठ्यक्रमों को चुना गया है।

मिलिट्री इंजीनियरी कालेज (सी एम ई), पुणे

10.64 पुणे स्थित मिलिट्री इंजीनियरी कालेज (सी एम ई) एक प्रमुख तकनीकी संस्थान है जहां इंजीनियरी कोर, अन्य सेनागों और सेनाओं, नौसेना, वायुसेना, अर्ध सैनिक बलों व पुलिस कार्मिकों और



इनडोर प्रशिक्षण टैंक एआरएन सीएमई पुणे

सिविलियनों को प्रशिक्षण दिया जाता है । इसके अलावा, मित्र देशों के कार्मिकों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है । यह कालेज बी-टेक और एम-टेक डिग्रियां देने के लिए जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है । सी एम ई द्वारा चलाए जाने वाले स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्सों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए आई सी टी ई) की मान्यता भी प्राप्त है । कालेज प्रतिवर्ष औसतन 1500 अफसरों और अफसर रैंक से नीचे के 800 कार्मिकों को प्रशिक्षित करता है ।

सैन्य इलेक्ट्रॉनिक्स तथा मैकेनिकल इंजीनियरी कालेज (एम सी ई एम ई), सिकन्दराबाद

10.65 सैन्य इलेक्ट्रॉनिक्स तथा मैकेनिकल इंजीनियरी कालेज (एम सी ई एम ई) का कार्य सिविलियनों सहित, ई एम ई के सभी रैंकों को इंजीनियरी, शस्त्र प्रणालियों तथा उपस्कर के विभिन्न विषयों में और खास तौर से उनके रख-रखाव, मरम्मत और जांच के संबंध में, तकनीकी शिक्षा देना तथा वरिष्ठ, मध्यम और पर्यवेक्षक स्तरों पर प्रबंध और सामरिक प्रशिक्षण देना है । एम सी ई एम ई में सभी रैंकों के 1760 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है । यहां अफसरों के लिए 13 पाठ्यक्रम और पी बी ओ आर के लिए 61 पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं ।

10.66 प्रशिक्षण के मौजूदा आधारभूत ढांचे के लगातार उन्नयन के तौर पर प्रशिक्षण विधियों को नया रूप दिया गया है और उपस्कर की उप प्रणालियों/सब-असेंबलियों के ट्यूबुलर मॉडल लगाए गए हैं । प्रशिक्षण के सभी साधनों के साथ उपस्कर के लिए कुछ एकीकृत विधियां भी स्थापित की गई हैं ।

10.67 कम्प्यूटर आधारित प्रशिक्षण पैकेज (सी बी टी) और डिजिटल चार्ट भी विकसित किए गए

हैं जिनमें 'एम सी ई एम ई' में बढ़ाए जाने वाले उपस्कर के इलेक्ट्रिकल एवं तकनीकी भाग की कार्यप्रणाली, मरम्मत, रखरखाव, सर्विसिंग पहलुओं और सही प्रयोग की विस्तृत तकनीकी जानकारी मौजूद है ।

मिलिट्री पुलिस कोर केद्र और स्कूल, बंगलौर

10.68 स्कूल का उद्देश्य अफसरों और पी बी ओ आर को कानून, जांच-पडताल, यातायात नियंत्रण आदि से जुड़ी मिलिट्री और पुलिस ड्यूटियों के बारे में प्रशिक्षित कराना है । वर्तमान में अफसरों के लिए चार और पी बी ओ आर के लिए चौदह कोर्स चलाए जा रहे हैं । प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों की कुल संख्या 910 है ।

संचार इंजीनियरी मिलिट्री कालेज (एम सी टी ई), महू

10.69 एम सी टी ई, महू सिग्नल अधिकारियों को समाघात संचार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध पद्धति, संचार इंजीनियरी, कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी, रेजीमेंटल सिग्नल संचार एवं कूट-भाषा के संबंध में प्रशिक्षित करता है । पांच प्रशिक्षण संकायों एवं विंगों के अलावा, कालेज के पास एक प्रशासनिक विभाग है जो स्टाफ एवं विद्यार्थियों को प्रशासनिक एवं संभारिकी सहायता प्रदान करता है तथा एक अवधारणात्मक अध्ययन प्रकोष्ठ है जो संचार सिद्धांतों का प्रतिपादन तथा प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने का काम कराता है । कालेज में एक आधुनिक और पुस्तकों से भरा पूरा पुस्तकालय तथा उसका अपना एक प्रिंटिंग प्रेस भी है । प्रशिक्षणार्थियों को एक औपचारिक परिवेश में अध्ययन एवं प्रशिक्षण का मौका दिया जाता है ताकि वे वर्तमान एवं भावी कार्यों के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान एवं क्षमताओं से परिपूर्ण हो सकें ।

सैन्य आसूचना प्रशिक्षण स्कूल और डिपो (एम आई एन टी एस डी), पुणे

10.70 सैन्य आसूचना प्रशिक्षण स्कूल और डिपो (एम आई एन टी एस डी) भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और अर्ध सैनिक बलों के सभी रैंकों तथा मित्र देशों के कार्मिकों को आसूचना प्राप्ति, जवाबी आसूचना और सुरक्षा पहलुओं पर प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरदायी एक प्रमुख स्थापना है। राजस्व आसूचना विभाग के सिविलियन अफसरों को भी इस स्थापना में प्रशिक्षण दिया जाता है। यह स्कूल एक बार में सभी सेनांगों के 90 अफसरों, 130 जूनियर कमीशनप्राप्त/गैर कमीशनप्राप्त अफसरों को प्रशिक्षण प्रदान कर सकता है। स्कूल प्रतिवर्ष लगभग 350 अफसरों और 1100 जूनियर कमीशंड अफसरों/गैर कमीशन अफसरों को प्रशिक्षण देता है।

इलेक्ट्रॉनिकी और यांत्रिक इंजीनियरी स्कूल (ई एम ई), बडोदरा

10.71 इलेक्ट्रॉनिकी और यांत्रिक इंजीनियरी स्कूल अधिकारियों के लिए स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम तथा पी बी ओ आर के लिए डिप्लोमा एवं प्रमाण-पत्र स्तर के पाठ्यक्रम चलाता है। मित्र देशों के अनेक अफसर और पी बी ओ आर ई एम ई स्कूल में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में भाग ले रहे हैं।

सैन्य विधि संस्थान, कामठी

10.72 सैन्य विधि संस्थान की स्थापना शिमला में की गई थी। 1989 में संस्थान को कामठी स्थानांतरित कर दिया गया। स्कूल की चार्टर ऑफ

ड्यूटीज में सेना के सभी सेनांगों और सेनाओं के अफसरों के लिए विधिक शिक्षा की व्यापक व्यवस्था करना शामिल है। यह स्कूल सैन्य और सम्बद्ध विधि के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और प्रचार का कार्य करता है।

कवचित कोर केद्र एवं स्कूल, अहमदनगर

10.73 वर्ष 1948 में प्रशिक्षण विंग, रिक्लूट प्रशिक्षण केद्र और कवचित कोर डिपो और रिकार्ड को अहमदनगर स्थानांतरित कर दिया गया जहां पहले से ही लडाकू वाहन स्कूल कार्यरत था और यहां इन सभी को मिलाकर कवचित कोर केद्र एवं स्कूल और कवचित कोर रिकार्ड बना दिया गया। इसमें छह विंग हैं - कवचित युद्ध पद्धति स्कूल, तकनीकी प्रशिक्षण स्कूल, बेसिक ट्रेनिंग रेजिमेंट, ड्राइविंग एवं मेंटिनेंस रेजिमेंट, ऑटोमोटिव रेजिमेंट आयुध एवं इलेक्ट्रॉनिकी रेजिमेंट हैं जो इन विषयों में विशेषीकृत प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

विदेशी प्रशिक्षण

10.74 भारतीय सैन्य स्थापनाओं में प्रशिक्षण पाने के लिए विदेशी सेनाओं की बढ़ती हुई दिलचस्पी के चलते पड़ोसी देशों, दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य एशियाई गणराज्य (सी ए आर) अफ्रीकी महाद्वीप और कुछ विकसित देशों के सेना कार्मिकों को भारत में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

10.75 विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आई टी ई सी) कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार विकासशील और अल्प विकसित देशों को सहायता उपलब्ध कराती है। रक्षा मंत्रालय के विशेष सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत नेपाल और

भूटान द्वारा भी इन पाठ्यक्रमों का लाभ उठाया जा रहा है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकासशील देशों के कार्मिक सैन्य स्थापनाओं में निशुल्क अथवा रियायती दरों पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं । विकसित

पश्चिमी देश भी अपने अफसरों को पारस्परिक आधार और प्रशिक्षण और अन्य सम्बद्ध प्रभारों की लागत के भुगतान के आधार पर हमारे संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं ।



भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास तथा कल्याण



गणतंत्र दिवस परेड में भूतपूर्व सेनानियों की टुकड़ी

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग देश के भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए विभिन्न नीतियां और कार्यक्रम बनाता है

11.1 भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग देश के भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए विभिन्न नीतियां और कार्यक्रम बनाता है। इस विभाग के दो प्रभाग हैं- पुनर्वास प्रभाग तथा पेंशन प्रभाग। 28 फरवरी, 2009 से महानिदेशालय (पुनर्वास) के तीन कार्यालयों, केंद्रीय सैनिक बोर्ड तथा भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना को भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सम्बद्ध कार्यालयों के रूप में अधिसूचित किया गया है। भूतपूर्व सैनिक विभाग के पुनर्वास एवं कल्याण संबंधी कार्यकलाप इन तीन संगठनों के माध्यम से किए जाते हैं। पदेन अध्यक्ष होने के नाते रक्षा मंत्री केंद्रीय सैनिक बोर्ड में अध्यक्ष हैं तथा यह विभाग भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण तथा कल्याण कोषों के इस्तेमाल के लिए सामान्य नीतियां निर्धारित करता है जबकि पुनर्वास महानिदेशालय भूतपूर्व सैनिकों के लिए केंद्रीय सरकार की विभिन्न नीतियों/योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे सेवानिवृत्ति पूर्व तथा उसके बाद प्रशिक्षण, पुनः रोजगार तथा स्व-रोजगार आदि को कार्यान्वित करता है। पुनर्वास महानिदेशालय के पांच सेना कमानों में पांच पुनर्वास निदेशक जोन भी हैं जो भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के अधीनस्थ कार्यालय हैं।

11.2 केंद्रीय सैनिक बोर्ड की उसके कार्यों में 32 राज्य सैनिक बोर्ड तथा 355 जिला सैनिक बोर्ड सहायता करते हैं जो संबंधित राज्य

प्रत्येक वर्ष लगभग 60,000 सशस्त्र सेना कार्मिक सक्रिय सेवा से सेवानिवृत्त अथवा सेवामुक्त किए जाते हैं।

सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होते हैं। चूंकि भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण तथा पुनर्वास केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की साझी जिम्मेवारी है इसलिए राज्य सैनिक बोर्डों के संगठन पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत भारत सरकार तथा शेष 50 प्रतिशत व्यय संबद्ध राज्य सरकार उठाती है।

पुनर्वास

11.3 पुनर्वास महानिदेशालय का मुख्य उद्देश्य भूतपूर्व सैनिकों के सम्मानपूर्वक पुनर्वास पर जोर देना है। लगभग 60,000 सशस्त्र सेना कार्मिक प्रति वर्ष सक्रिय सेवा से सेवानिवृत्त या कार्यमुक्त किए जाते हैं और उनमें से अधिकांशतः 35 से 45 वर्ष के आयु वर्ग में अपेक्षतया कम उम्र के होते हैं। ये कार्मिक राष्ट्र के लिए एक बहुमूल्य अनुशासित सुप्रशिक्षित तथा समर्पित प्रतिभा पूल तैयार करते हैं जिसका राष्ट्र निर्माण में उपयोग किया जाना है। इसे निम्न तरीकों से प्राप्त करने का प्रयास किया गया है-

(क) भूतपूर्व सैनिकों के लिए समुचित रोजगार ढूंढना तथा नए कार्य को संभालने के लिए उन्हें तैयार करने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण देना।



पुनर्वास महानिदेशालय की वार्षिक बैठक

- (ख) सरकारी/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों में रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु सतत प्रयास करना।
- (ग) निजी क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों को पुनः रोजगार देने हेतु पहले से कार्रवाई करना।
- (घ) स्वरोजगार की योजनाओं के जरिए नौकरी देना।
- (ङ) उद्यम संबंधी जोखिमों में सहायता करना।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

11.4 महानिदेशालय (पुनर्वास) को भूतपूर्व सैनिकों एवं अवकाश प्राप्त करने वाले सैन्य कार्मिकों, दोनों को दूसरे रोजगार के लिए तैयार करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। चूंकि प्रशिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु भूतपूर्व सैनिकों का सिविल जीवन में पुनर्वास करने पर है, अतः इस प्रकार के पाठ्यक्रम माड्यूल्स बनाए गए हैं जो सार्वजनिक/निजी एवं कारपोरेट क्षेत्र की आवश्यकताएं पूरा कर सकें।

11.5 अधिकारियों का प्रशिक्षण: पुनर्वास महानिदेशालय एक से तीन महीने की अवधि वाले और कुछेक छः महीने की अवधि वाले छोटे पाठ्यक्रमों पर आधारित पुनर्वास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। विभिन्न क्षेत्रों में ये पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। छः महीने की अवधि वाले प्रबंधन पाठ्यक्रमों का आयोजन भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, बेंगलूर, कोलकाता, इंदौर, लखनऊ और 'ए' ग्रेड के अन्य व्यावसायिक स्कूलों में किया जाता है।

11.6 नियमित औद्योगिक सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा तथा आई टी दक्षता विकास पाठ्यक्रमों के अलावा रिटेल प्रबंधन, आपदा प्रबंधन एवं उद्यमकारी/लघु व्यावसायिक प्रबंधन पाठ्यक्रमों में विशेष रूप से बनाए गए कार्यक्रम भी अधिकारियों के लिए शुरू किए गए हैं।

11.7 जूनियर कमीशनप्राप्त अफसरों/अन्य रैंकों के समतुल्य अफसरों का प्रशिक्षण: अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों के लिए देशभर में फैले सरकारी, अर्ध सरकारी तथा निजी संस्थानों में छह से नौ महीने तक की अवधि के लिए विविध क्षेत्रों में पुनर्वास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। 24 हफ्तों के प्रबंधन पाठ्यक्रम भी अफसर रैंक से नीचे के रैंक के कार्मिकों के लिए शुरू किए गए हैं। रिटेल पर माड्यूलर प्रबंध पाठ्यक्रम, सूचना एवं प्रौद्योगिकी कंपनी में व्यवसाय संबंधी परियोजना, उद्यमकारिता, बीमा, परिवहन एवं पर्यटन तथा इसके जैसे क्षेत्रों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से शामिल किया गया है, इस प्रकार उन्हें अधिक विकल्प प्रदान करता है। डी ओ इ ए सी सी का ओ स्तर, कंप्यूटर हार्डवेयर अनुरक्षण, इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रानिक उपकरणों की मरम्मत एवं अनुरक्षण तथा इसी प्रकार के अन्य पाठ्यक्रम जैसे कंप्यूटर अनुप्रयोगों पर लोकप्रिय व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी जारी हैं। अधिकारी वर्ग से नीचे के उन कार्मिकों की संख्या नीचे तालिका 11.1 में दी गई है जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रम पूरे किए हैं

11.8 भूतपूर्व सैनिक (ई एस एम) प्रशिक्षण: यह योजना प्रमुखतया उन भूतपूर्व सैनिकों के लिए है जो सेवा में रहते हुए पुनर्वास प्रशिक्षण की सुविधा का लाभ नहीं उठा सके और इसका विस्तार विधवा/भूतपूर्व सैनिक के एक आश्रित तक भी

तालिका 11.1

योजना	2006-07	2007-08	2008-09
अफसर रैंक से नीचे के रैंकों के लिए प्रशिक्षण	7379	14503	32398*

*इसमें अधिकारी वर्ग के नीचे के वे कार्मिक भी शामिल हैं जिन्होंने सभी रेजीमेंटल केंद्रों पर करियर ट्रांजीसन कैम्पस कोर्स का प्रशिक्षण लिया है।

किया गया है। गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिए गए कार्मिकों का ब्यौरा तालिका 11.2 में दिया गया है

तालिका 11.2

योजना	2006-07	2007-08	2008-09
भूतपूर्व सैनिक प्रशिक्षण	279	411	1432

11.9 प्रशिक्षण में सुधार के लिए निम्नलिखित नए कदम उठाए गए हैं

- (क) **रेजिमेंटल केंद्रों पर सुरक्षा पाठ्यक्रमों का संचालन :** अधिकारी वर्ग के नीचे के कार्मिकों की महत्वकांक्षा को पूरा करने के लिए रेजीमेंटल केंद्रों पर सुरक्षा संबंधी पाठ्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
- (ख) नियोजनीयता के स्तर को बढ़ाने के लिए कंपनियों के वित्तीय विवरण और वित्तीय कार्य निष्पादन पर एक माड्यूल भी स्वतंत्र निदेशक पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है।
- (ग) पिछले 10 महीनों से पाठ्यक्रम वृत्तों की तैयारी के साथ-साथ सभी रेजीमेंटल केंद्रों पर करियर ट्रांजीसन पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाना जारी है जिसका मुख्य उद्देश्य अधिकारी वर्ग से नीचे के कार्मिकों को सिविल वातावरण में आने वाली चुनौतियों के प्रति जागरूक बनाना है। करियर ट्रांजीसन कैम्पस को 4 सप्ताह की अवधि वाले रोजगार रूपांतरण करियर ट्रांजीसन पाठ्यक्रम में पुनर्प्रतिस्थापित करने की योजना जारी है, ताकि अधिकारी वर्ग से नीचे के कार्मिकों को सशक्त बनाकर उनके लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जा सके।
- (घ) रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए 24 सप्ताह के प्रबंधन पाठ्यक्रम के पश्चात शोध प्रबंधन कार्य के पूर्ण होने पर डिप्लोमा देने जैसा कि कुछ

संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाता है, की शुरुआत की गयी है।

पुनः रोजगार

11.10 केंद्र और राज्य सरकारें

भूतपूर्व सैनिकों को केंद्रीय/राज्य सरकार के पदों पर पुनः रोजगार दिए जाने के लिए कई रियायतें प्रदान करती हैं। इसमें पदों का आरक्षण/आयु और शैक्षणिक योग्यताओं में छूट, आवेदन/परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट, अशक्त भूतपूर्व सैनिकों तथा दिवंगत सैन्य कार्मिकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार में प्राथमिकता शामिल है।

11.11 सरकारी नौकरियों में आरक्षण: केंद्र सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए नौकरियों में निम्नवत् आरक्षण रखा है :

- (क) समूह 'ग' पदों में 10% समूह 'घ' पदों में 20%।
- (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में समूह 'ग' पदों में 14.5 प्रतिशत आरक्षण तथा समूह 'घ' पदों में 24.5 प्रतिशत आरक्षण।
- (ग) अर्ध-सैन्य बलों में सहायक कमांडेंटों के 10% पद।
- (घ) रक्षा सुरक्षा कोर में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 100% रिक्तियां।

11.12 पुनर्वास महानिदेशालय के

जरिए नौकरी : भूतपूर्व सैनिकों के रूप में उपलब्ध बहुमूल्य मानव संसाधनों की उपलब्धता पर कारपोरेट क्षेत्र/निजी क्षेत्र के बीच जागरूकता बढ़ाने एवं कारपोरेट/निजी क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों के लिए

वर्ष 2008 के दौरान 47,300 के लक्ष्य के मुकाबले 51,057 भूतपूर्व सैनिकों ने रोजगार प्राप्त किया।

रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के दोहरे लक्ष्य के साथ पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा निरंतर प्रयास किए गए हैं जो कारपोरेट क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पी एम एफ से अब इन भूतपूर्व सैनिकों के

बड़ी मांग आने के रूप में फलीभूत हुआ है। वर्ष 2008 के दौरान 47,300 के लक्ष्य के मुकाबले 51,057 भूतपूर्व सैनिकों ने रोजगार प्राप्त किया। मुहैया कराए गए कुछ प्रमुख रोजगारों का विवरण निम्नलिखित है:-

- (क) **सुरक्षा एजेंसियां :** पुनर्वास महानिदेशालय (डी जी आर) सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र में उद्योगों को सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को पंजीकृत/प्रायोजित करता है। इस योजना से सेवानिवृत्त अधिकारियों तथा अधिकारी रैंक से नीचे के भूतपूर्व कार्मिकों को उनके पर्याप्त विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलते हैं।
- (ख) **खजाने की तिजोरियों की सुरक्षा:** बैंकिंग क्षेत्र में भी नए आगाज किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी अनुदेश जारी किए हैं कि बैंकों के खजाने की तिजोरियों की सुरक्षा के लिए पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा प्रायोजित भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा एजेंसियों/कंपनियों/निगमों की सेवाएं ली जाएं।

(ग) सरकारी स्कूल :

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के शिक्षा विभाग ने दिल्ली की सरकारी स्कूलों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा प्रायोजित निजी सुरक्षा कंपनियों को संविदा प्रदान किया है।

वर्ष 2008 के दौरान 1491 अफसरों को विभिन्न रोजगार अवसरों के लिए प्रायोजित किया गया है।

(घ) **अधिकारियों का नियोजन** : वर्ष 2008 के दौरान 1491 अधिकारियों को विभिन्न नियोजन अवसरों के लिए प्रायोजित किया गया।

स्व-रोजगार की योजनाएं :

11.13 सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों के पुनर्वास के लिए कई स्व-रोजगार उद्यम संस्थापित किए हैं। स्व-रोजगार के ब्यौरे तथा उपलब्धि अनुवर्ती पैराओं में दिए गए हैं।

11.14 **सेना अधिशेष वाहनों का आबंटन** : भूतपूर्व सैनिक तथा सेवाकाल के दौरान दिवंगत रक्षा कार्मिकों की विधवाएं सेना अधिशेष श्रेणी-5 बी वाहनों के आबंटन के लिए आवेदन करने हेतु पात्र हैं। सेना अधिशेष वाहनों के पंजीकरण तथा आबंटन संबंधी आंकड़े तालिका 11.3 में दिए गए हैं।

तालिका 11.3

वर्ष	पुनर्वास महानिदेशालय के पास पंजीकृत आवेदन	एम जी ओ शाखा द्वारा आबंटित वाहनों की संख्या
2006	695	1893*
2007	1082	933
2008	2642	1653

* अग्रेषित किए गए पंजीकरण पर आबंटन।

11.15 **कोयला दुलाई योजना** : यह एक लोकप्रिय योजना है जो पिछले 28 वर्षों से चल रही है। वर्ष 2008 में भूतपूर्व सैनिकों की 10 कोयला कंपनियों को पुष्ट मांग के प्रति कोल इंडिया लिमिटेड को प्रायोजित किया गया था जिसमें 213 भूतपूर्व सैनिकों को लाभ हुआ।

11.16 **कोयला टिपर योजना**: विधवाओं/अशक्त सैनिकों की कल्याण योजना कोयला दुलाई योजना के साथ जुड़ी हुई है। मौजूदा टिपर संबद्ध योजना के साथ सरल और कारगर बनाया गया है जिससे भूतपूर्व

सैनिकों की कोयला कंपनियों का इष्टतम उपयोग हुआ और इससे अधिक विधवाओं को लाभ मिला तथा अधिक संतुष्टि प्राप्त हुई।

11.17 **तेल उत्पादक एजेंसियों का आबंटन** : पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने रक्षा श्रेणी के आवेदकों के लिए, जिनमें शांतिकाल/युद्ध काल की विधवाएं तथा अशक्त सैनिक शामिल हैं, को तेल उत्पादक एजेंसियों जैसे एल पी जी वितरण, पेट्रोल पंप तथा अच्छी किस्म के मिट्टी के तेल का वितरण प्रणाली आदि में 8 प्रतिशत आरक्षण रखा है। इस प्रयोजन के लिए पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा पात्र आवेदकों को प्रायोजित किया जाता है। वर्ष 2008 में 168 पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे।

मदर डेरी दूध वितरण केंद्र तथा फल एवं सब्जी (सफल) शॉप

11.18 अधिकारी वर्ग के नीचे के भूतपूर्व सैनिकों के लिए यह एक विश्वसनीय लाभप्रद स्व-रोजगार योजना है। मदर डेरी के साथ सहमति से इस योजना का विस्तार न केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जैसे गुडगांव, नोएडा और ग्रेटर नोएडा तक किया गया बल्कि इसे अन्य राज्यों में भी फैलाया गया। जयपुर को मार्च 2009 में इस योजना में शामिल किया गया है।

11.19 मदर डेरी, सफल (फल एवं सब्जी) चलाने वाले इच्छुक व्यक्तियों द्वारा पहले प्राप्त की गई पारिश्रमिक को बढ़ाकर अब आकर्षक 10,000/-रुपए प्रतिमाह (सिर्फ प्रथम छः माह के लिए) अथवा किए गए कुल बिक्री का 9%, जो भी अधिक हो, कर दिया गया है। वर्ष 2008 के दौरान योग्य पाए गए भूतपूर्व सैनिकों का विवरण तालिका 11.4 में दिया गया :

11.20 **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों (अधिकारी) द्वारा सी एन जी स्टेशनों का प्रबंधन** : वर्ष

तालिका 11.4

मदर डेरी दुग्ध वितरण केंद्र		मदर डेरी फल एवं सब्जी शॉप	
भूतपूर्व सैनिक प्रायोजित	चुने गए भूतपूर्व सैनिक	भूतपूर्व सैनिक/आश्रित प्रायोजित	चुने गए भूतपूर्व सैनिक/आश्रित
407	227	187	80

2008 के दौरान 13 भूतपूर्व सैनिकों (अधिकारियों) के नाम प्रायोजित किए गए थे जिनमें से 7 भूतपूर्व सैनिकों (अधिकारियों) का चयन किया गया है। मार्च, 2009 में 16 और नामों को उनके अनुरोध के प्रत्युत्तर में प्रायोजित किया गया।

11.21 **हर्बल खेती** : जिन क्षेत्रों में हर्बल खेती अधिक फायदेमंद है वहां भूतपूर्व सैनिकों को हर्बल खेतीबाड़ी करने के प्रति शिक्षित, प्रेरित और उत्साहित किया जा रहा है। विभिन्न फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशनों में इस्तेमाल होने वाली “सफेद मूसली” की खेती “स्टेविया” चीनी का विकल्प जो मधुमेह के रोगियों के लिए उपयोगी है और जटरोफा और पोंगामिया, जो कि बायो डीजल फसल है, की खेतीबाड़ी को भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरंभिक परियोजना के रूप में लिया गया है।

प्रचार

11.22 सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं एवं नीतियों का व्यापक प्रचार करना परम आवश्यक है ताकि यह देश में फैली प्रत्येक इकाई और पूर्व सैनिकों/विधवाओं तक पहुंचें। यह पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा आवधिक पत्रिकाओं जैसे कि ‘सैनिक पुनर्वास न्यूज फ्लायर्स’, ब्रोशर, पर्चियों, ‘सैनिक समाचार’ और

‘बातचीत’ में लेखों के प्रकाशन, प्रदर्शनियों/सेमिनारों तथा भूतपूर्व सैनिक रैलियों के माध्यम से किया जाता है।

11.23 भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने “मानव संसाधन तक उत्कृष्ट पहुंच” नामक थीम पर 11 फरवरी से 15 फरवरी, 2009 तक येलहंका एयर फोर्स स्टेशन, बंगलूर में “एयरो इंडिया 2009” में एक स्टाल लगाया ताकि भूतपूर्व सैनिकों के रूप में प्रशिक्षित एवं अनुशासित मानव संसाधन की उपलब्धता के बारे में कारपोरेट क्षेत्र में जागरूकता लाई जा सके।

कल्याण

11.24 **केंद्रीय सैनिक बोर्ड** : रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय सैनिक बोर्ड, राज्य/जिला सैनिक बोर्डों के संपर्क से भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों के कल्याण की देखभाल करने के लिए एक नोडल संस्था है। केंद्रीय सशस्त्र बोर्ड “सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष” के माध्यम से कल्याण योजनाओं का संचालन करता है। वृद्ध और शारीरिक रूप से असक्षम भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की देखभाल के लिए अधरांगता केंद्रों (पैराप्लीजिक होम्स), रेडक्रास सोसायटी, चेशाचर होम्स, सैनिक अस्पतालों, सेंट डस्टन आफ्टर केयर संगठन (नेत्रहीन सैनिकों के लिए) और होम्स जैसे संस्थानों को वित्तीय सहायता दी जाती है। तंगहाली में रह रहे इस प्रकार के उन भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को भी वित्तीय सहायता दी जाती है जो अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं।

सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष

11.25 **सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष**: केंद्रीय सैनिक बोर्ड भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध में शहीद हो गए सैनिकों की



केंद्रीय सैनिक बोर्ड की 28वीं बैठक में झण्डा दिवस निधि के लिए सभी राज्यों में अधिकतम धन इकट्ठा करने पर दिल्ली की मुख्य मंत्री रक्षा मंत्री से ट्रॉफी लेते हुए

विधवाओं/अपंग हो गए सैनिकों और उनके आश्रितों के पुनर्वास के लिए इस कल्याण कोष पर प्रशासनिक तौर पर नियंत्रण रखता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष का प्रबंध और प्रशासन संबंधी कार्य एक प्रबंध समिति के पास होता है जिसके अध्यक्ष माननीय रक्षा मंत्री होते हैं। 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार इस कोष में 154.5 करोड़ रुपए की समग्र निधि है।

11.26 रक्षा मंत्री का विवेकाधीन कोष: सशस्त्र सेना दिवस कोष में एकत्र की गई राशि के एक भाग को रक्षा मंत्री के विवेकाधीन कोष के रूप में अलग रखा जाता है जिसे जरूरतमंद भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध में शहीद हो गए सैनिकों की विधवाओं और उनके बच्चों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जैसे कि पुत्रियों के विवाह, तंगहाली में रह रहे भूतपूर्व सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों

की विधवाओं के लिए सहायता, मकान की मरम्मत के लिए अनुदान, बच्चों की शिक्षा के लिए अनुदान अनाथ पुत्रियों को सहायता, चिकित्सीय उपचार और अधिकतम 48000 रुपए की अधिकतम सीमा वाला एक बार दिया जाने वाला गरीबी अनुदान के लिए वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान 3,336 लाभार्थियों में लगभग 6.00 करोड़ रुपए की धनराशि वितरित की गई है।

11.27 प्रधान मंत्री की छात्रवृत्ति योजना : इस योजना के तहत दी जाने वाली छात्रवृत्ति की धनराशि निम्न प्रकार से है :

- (क) बालकों के लिए प्रतिमाह 1250/-रुपए (वर्ष में दी जाने वाली)
- (ख) बालिकाओं के लिए प्रतिमाह 1500/-रुपए (वर्ष में दी जाने वाली)

वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान 3573 नई छात्रवृत्तियों के लिए और 2907 पुनर्नवीकरण के मामलों के लिए 10.55 करोड़ रुपए की धनराशि वितरित की गई है।

भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना संगठन

11.28 भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना 1 अप्रैल, 2003 को शुरू की गई। इसका लक्ष्य पेंशनधारियों और उनके आश्रितों सहित इसके लाभार्थियों को गुणवत्ता वाली चिकित्सीय देखभाल प्रदान करना और सभी बीमारियों के लिए कवरेज देना है। देश भर में 227 पॉलिक्लीनिकों को चालू किया गया है। 227 पालिक्लीनिकों में से 84 स्थानों पर निर्माण पूरा कर लिया गया है और 21 स्थानों पर यह कार्य प्रगति पर है। इस योजना के तहत कुल लाभार्थियों की संख्या 29.83 लाख रुपए है जिसमें 09.39 भूतपूर्व सैनिक और 20.44 लाख उनके आश्रित शामिल हैं। 'रेफरल' सुविधाओं के लिए सैनिक/सरकारी अस्पतालों/मेडिकल कालेजों के अलावा देशभर में 165 स्थानों पर 1234 अस्पतालों/नैदानिक केंद्रों को सूचीबद्ध किया गया है। युद्ध के दौरान अशक्त हो गए कार्मिकों को भूतपूर्व सैनिक अंशदायी योजना की सदस्यता के लिए एकबारगी के अंशदान का भुगतान करने से छूट दी गई है।

सशस्त्र सेना कार्मिकों को पेंशन

11.29 अनुमानतः 22.18 लाख रक्षा पेंशनभोगियों की पेंशन का संवितरण संपूर्ण भारत में फैले सार्वजनिक क्षेत्र के 27 बैंकों, निजी क्षेत्र के चार बैंकों अर्थात् एच डी एफ सी बैंक, आई सी आई सी आई बैंक, एक्सीस बैंक और आई डी बी आई बैंक, 640 कोषागारों, 61 रक्षा पेंशन संवितरण कार्यालयों, 2 डाकघरों तथा 5 वेतन एवं लेखा कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है। नेपाल में रह रहे सशस्त्र सेना पेंशनभोगियों के लिए पेंशन का संवितरण नेपाल स्थित तीन पेंशन भुगतान कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है।

11.30 रक्षा पेंशनों पर वार्षिक व्यय का ब्यौरा सारणी संख्या 11.5 में दिया गया है।

तालिका 11.5

	वर्ष	(करोड़ रु. में)
(i)	संशोधित प्राक्कलन 2008-09	20,233.20
(ii)	बजट प्राक्कलन 2009-10	21,790.00

11.31 दिनांक 1.4.2008 की स्थिति के अनुसार रक्षा पेंशनधारियों की श्रेणीवार आकलित संख्या का ब्यौरा तालिका 11.6 में दिया गया है।

11.32 रक्षा पेंशन संवितरण अभिकरण और पेंशनधारियों की संख्या का ब्यौरा तालिका 11.7 में दिया गया है।

11.33 छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के कार्यान्वयन के फलस्वरूप 2006 से पहले के सशस्त्र सेना के पेंशनधारियों/परिवार पेंशनधारियों की पेंशन को संशोधित करने के आदेश जारी किए गए हैं।

11.34 पेंशन के लिए अर्हक सेवा

(क) **कमीशनप्राप्त अफसरों के लिए:** कमीशनप्राप्त अफसरों के लिए अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों के लिए अर्हक सेवा की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष है। देर से सेवा में आने वाले अधिकारियों के लिए निवृत्ति पेंशन अर्जित करने के लिए अर्हक सेवा की अवधि न्यूनतम 15 वर्ष होगी।

तालिका 11.6

श्रेणी	सेवा पेंशन	परिवार पेंशन	कुल योग
कमीशनप्राप्त अधिकारी	37,710	13,249	50,959
अधिकारी वर्ग से नीचे के कार्मिक	12,21,684	4,29,240	16,50,924
रक्षा सिविलियन	3,82,595	1,34,426	5,17,021
कुल	16,41,989	5,76,915	22,18,904

तालिका 11.7		
एजेंसी	पेंशनधारियों की संख्या	प्रतिशत
सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की बैंक शाखाएं (46000)	13,79,214	62.16
रक्षा पेंशन संवितरण कार्यालय-61	5,86,395	26.44
कोषागार-640	1,55,000	6.99
भारतीय दूतावास नेपाल	89,530	4.03
डाकघर-2	5,478	0.24
वेतन एवं लेखा कार्यालय-5	3,287	0.14
कुल	22,18,904	100

(ख) अफसर रैंक के नीचे के कार्मिकों के लिए: पेंशन अर्जित करने के लिए अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों के लिए अर्हक सेवा की न्यूनतम अवधि 15 वर्ष है और गैर-योधियों के मामले में 20 वर्ष है।

(ग) सेना में सेवारत जूनियर कमीशनप्राप्त अधिकारियों/अन्य रैंक के कार्मिक तथा नौसेना व वायुसेना के सदृश रैंक के अधिकारी/कार्मिक जिन्हें इमरजेंसी कमीशन/लघु सेवा कमीशन प्राप्त हुआ हो, 12 वर्ष की अर्हक सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पेंशन के लिए पात्र होंगे।

11.35 निवृत्तिमान/सेवा पेंशन

(क) कमीशनप्राप्त अधिकारियों के लिए : 2 सितंबर, 2008 से 33 वर्ष की अर्हक सेवा के साथ पूरी पेंशन दिए जाने की संबद्धता को समाप्त कर



रक्षा पेंशन अदालत-रायपुर

दिया गया है। 2 सितंबर, 2008 को या इसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले/असमर्थ होने के कारण बाहर होने वाले कमीशनप्राप्त अधिकारियों की सेवानिवृत्ति पेंशन की गणना अंतिम आहरित परिलब्धियों के 50 प्रतिशत पर अथवा पिछले 10 महीनों के दौरान आहरित औसत गणनीय परिलब्धियों पर इनमें से जो कोई भी अधिक लाभकारी हो, की जाएगी। 01 जनवरी, 2006 से 1 सितंबर, 2008 तक के दौरान सेवानिवृत्त हुए/असमर्थ होने के कारण बाहर हुए कमीशनप्राप्त अधिकारियों की सेवानिवृत्ति पेंशन उन्हीं नियमों/आदेशों द्वारा अधिशासित रहेगी जो संशोधित आदेशों के प्रभावी होने से तत्काल पूर्व लागू हो।

(ख) **अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों के लिए:** अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों के मामले में 1 जनवरी, 2006 से 33 वर्षों की अर्हक सेवा के साथ पूरी पेंशन दिए जाने की संबद्धता को समाप्त कर दिया गया है। अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों की सेवा पेंशन की गणना अंतिम आहरित परिलब्धियों के 50 प्रतिशत अन्यथा पिछले 10 महीनों के दौरान आहरित औसत गणनीय परिलब्धियों पर, इनमें से जो कोई भी अधिक लाभकारी हो, पर की जाएगी।

11.36 पेंशन का संराशीकरण : सशस्त्र सेना के कार्मिक अपनी पेंशन के 50 प्रतिशत भाग तक एकमुश्त भुगतान के लिए संराशीकरण करवाने हेतु पात्र होंगे।

11.37 अतिरिक्त पेंशन और पुराने पेंशनधारियों को परिवार पेंशन: पुराने पेंशनधारियों को उपलब्ध पेंशन की मात्रा में वृद्धि की जाएगी जैसा कि तालिका 11.6 में दिया गया है।

11.38 न्यूनतम/अधिकतम पेंशन : उपबंधों के तहत स्वीकार्य यदि किसी मासिक पेंशन अर्थात् निवृत्तिमान पेंशन/सेवा पेंशन/अशक्तता पेंशन/विशेष पेंशन/ पारिवारिक पेंशन की धनराशि प्रतिमाह 3500 रुपए से कम बैठती है तो इसे बढ़ाकर 3500 रुपए प्रतिमाह कर दिया जाएगा, उन मामलों में जहां अशक्तता पेंशन में सेवा तत्व के कारण पेंशन प्रतिमाह 3500 रुपए से कम बैठती है, उसे बढ़ाकर 3500 रुपए प्रतिमाह कर दिया जाएगा। सेवा पेंशन/अशक्तता पेंशन/विशेष पेंशन और सामान्य परिवार पेंशन की धनराशि सरकार में उच्चतम वेतनमान के क्रमशः 50% और 30% तक की अधिकतम सीमा तक होगी।

11.39 न्यूनतम सीमा: पेंशनरों को यदि सिविल और सैनिक पेंशन दोनों प्राप्त होती है तो ऐसे मामलों में दोनों पेंशनों को मिलाकर एक मानने पर 3500 रुपए की न्यूनतम सीमा लागू नहीं होगी और अलग-अलग

तालिका 11.8

पेंशनभोगियों की आयु	पेंशन की अतिरिक्त मात्रा
80 वर्ष से 85 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 20%
85 वर्ष से 90 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 30%
90 वर्ष से 95 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 40%
95 वर्ष से 100 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 50%
100 वर्ष या उससे अधिक	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 100%

पेंशनें संबंधित पेंशन नियमों द्वारा अधिशासित होंगी। तदनुसार 3500/-रुपए की न्यूनतम सीमा सिविल और सैनिक पेंशनों पर अलग-अलग से लागू होंगी। यदि कोई पेंशनभोगी पेंशन और परिवार पेंशन प्राप्त करता है तो इस प्रकार की पेंशन और परिवार पेंशन में 3,500/- रु. की न्यूनतम सीमा अलग-अलग लागू होगी।

11.40 दोहरी पारिवारिक पेंशन: 27 जुलाई, 2001 से कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अधीन कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 और परिवार पेंशन योजना, 1971 के तहत पुनर्नियुक्त पेंशनभोगियों को परिवार पेंशन के अलावा मिलिटरी पक्ष की ओर से देय परिवार पेंशन लेने की अनुमति दे दी गई है।

11.41 कैडेटों (सीधे भर्ती) की मृत्यु के मामलों में अनुग्रह राशि देना : सैन्य प्रशिक्षण के कारण कैडेट की मृत्यु होने की दशा में कतिपय शर्तों के अध्वधीन निम्नलिखित दरों पर अनुग्रह राशि देय है-

(क) 2.5 लाख रुपए का एकमुश्त अनुग्रह

(ख) उपर्युक्त के अलावा विवाहित और अविवाहित कार्मिकों के निकटतम संबंधी को 1275 रुपए प्रतिमाह की अनुग्रह राशि 01 अगस्त 1997 को या उसके बाद कैडेटों की मृत्यु होने के बाद एक मुश्त अनुग्रह राशि स्वीकार्य है। तथापि, जैसाकि उपर्युक्त (ख) में वर्णित है संशोधित मासिक अनुग्रह राशि का लाभ 01 अगस्त, 1997 से 01 अगस्त 1997 के पूर्व के मामलों में भी वित्तीय लाभों के साथ अनुमन्य है।

हाल में किए गए सुधार

11.42 विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों के समान ही 25 वर्ष की आयु से अधिक अविवाहित पुत्रियों को

पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र बनाया गया है बशर्ते कि वे एक संदर्भ में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती हों तथा ये प्रावधान नेपाल में बस जाने वाले कार्मिकों पर समान रूप से लागू हैं।

11.43 आजीवन विकलांग बच्चे को परिवार पेंशन मंजूर करने की प्रक्रिया को और सरल बना दिया गया है। अब एक मेडिकल बोर्ड द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। इस मेडिकल बोर्ड में अध्यक्ष के तौर पर एक मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट अथवा प्रिंसिपल अथवा एक निदेशक अथवा संस्थान के प्रमुख अथवा उनके द्वारा नामजद व्यक्ति और दो अन्य सदस्य होंगे जिनमें से कम से कम एक सदस्य मानसिक अथवा शारीरिक विकलांगता से संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा। यदि विकलांगता स्थायी है तो एकबारगी का विकलांगता प्रमाण पत्र ही अपेक्षित होगा और यदि अस्थायी विकलांगता है तो पांच वर्षों के बाद फिर से विकलांगता प्रमाण पत्र लेना अपेक्षित होगा।

11.44 अधिकारी रैंक से नीचे के सैनिकों के प्रतिमाह 2000 रुपए की दर से और ब्रिगेडियर और समतुल्य स्तर के कमीशनप्राप्त अधिकारियों को प्रतिमाह 6000 रुपए की दर से सैनिक सेवा वेतन अनुमत किया गया है। इसे 1 जनवरी, 2006 को या इसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों और अधिकारियों का वेतन और पेंशन का निर्धारण करने के उद्देश्य के लिए ध्यान में रखा जाएगा। संशोधित समानता के उद्देश्य के लिए 1.1.2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए सैनिकों और सैन्य अधिकारियों के संबंध में सैनिक सेवा वेतन को भी ध्यान में रखा जाएगा।

सशस्त्र सेनाओं तथा सिविल प्राधिकारियों के बीच सहयोग



सेना द्वारा बाढ़ राहत कार्य

सशस्त्र सेनाएं देश की सीमाओं की रक्षा करने के मुख्य दायित्व के साथ-साथ राष्ट्रीय विपदाओं के दौरान कानून व्यवस्था, आवश्यक सेवाएं बनाए रखने और बचाव एवं राहत कार्य में समय पर सिविल प्राधिकारियों को सहायता प्रदान करती हैं

12.1 सशस्त्र सेनाएं देश की सीमाओं की रक्षा करने के मुख्य दायित्व के साथ-साथ राष्ट्रीय विपदाओं के दौरान कानून व्यवस्था, आवश्यक सेवाएं बनाए रखने और बचाव एवं राहत कार्य में समय पर सिविल प्राधिकारियों को सहायता प्रदान करती हैं। सशस्त्र सेनाओं द्वारा इस अवधि में प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा आगामी पैराओं में दिया गया है।

सेना

आंतरिक सुरक्षा

12.2 **गुर्जर आन्दोलन - राजस्थान** : 24 मई, 2008 को राजस्थान में गुर्जर आंदोलन के पुनः उभरने के परिणामस्वरूप और राज्य सरकार द्वारा मांग करने पर 33 सेना टुकड़ियों को प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया था।

12.3 **श्री अमरनाथ गुफा बोर्ड आन्दोलन** : पहली अगस्त, 2008 को श्री अमरनाथ गुफा बोर्ड आन्दोलन के पुनः उभरने के परिणामस्वरूप और राज्य सरकार की मांग पर 34 सैन्य टुकड़ियों को प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया था ताकि संचार की सामरिक लाइनों को खुला रखा जा सके और केंद्रीय पुलिस संगठनों /पुलिस को स्थिति संभालने में मदद दी जा सके ।

12.4 **मुंबई में आतंकवादी हमले:-** 26 नवंबर, 2008 को मुंबई में आतंकी हमलों के

परिणामस्वरूप, सिविल प्रशासन ने सेना टुकड़ियों की मांग की। तदनुसार, 10 टुकड़ियाँ, 2 बम निपटान दलों और एक बारूदी सुरंग दल को 26 से 30 नवंबर, 2008 तक तैनात किया गया ।

आपदा राहत

12.5 **म्यांमार** : 2 मई, 2008 को म्यांमार में चक्रवात (नरगिस) के बाद, आपदा सहायता भंडार (लगभग 5.4 करोड़ रुपए की लागत का), जिसमें तम्बू, तिरपाल, एफआरपीएस, एमआरईएस, जल शोधक पुआल और दवाएं शामिल थे, को आई एल-76 की छह और ए एन-32 की दो उड़ानों में भेजा गया था। दो चिकित्सा दलों को चक्रवात से उजड़े लोगों की देख-भाल करने और लगभग 15,000 व्यक्तियों को राहत तथा सहायता देने के लिए तैनात किया गया था।

12.6 **चीन** : चीन में 12 मई, 2008 को आए भूकम्प के बाद आपदा राहत भंडार (लगभग 6.2 करोड़ रुपए की लागत का), जिसमें तम्बू, कम्बल, स्लिपिंग बेग, एम आर ई एस, जल शोधक पुआल और दवाईयां शामिल थीं, को आई एल-76 की नौ उड़ानों में भेजा गया थीं।

12.7 **पाकिस्तान** : एन डब्ल्यू एफ पी में आई बाढ़ के बाद 6000 कम्बल, 10,000 मच्छरदानियां और एक चिकित्सा 'ब्रिक' 5 सितंबर, 2008 को पाकिस्तान भेजे गए थे।

12.8 श्रीलंका : श्रीलंका की घटनाओं के पश्चात, एक भारतीय फील्ड चिकित्सा यूनिट (जिसमें 7 अफसर, 2 एमएनएस, 6 जूनियर कमीशन-प्राप्त अफसर और 37 अन्य रैंक थे) को सिविलियनों और संघर्ष-क्षेत्र से आंतरिक तौर पर विस्थापित बाहर निकाले जा रहे व्यक्तियों की तात्कालिक चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए श्रीलंका भेजा गया। इसमें मार्च, 2009 में दस सदस्यों वाले एक शल्य चिकित्सा दल, चिकित्सा उपस्कर और अतिरिक्त दवाईयां भेजकर वृद्धि की गई।

12.9 बाढ़ राहत :

(क) कुसाहा (भारत-नेपाल सीमा के निकट) में आई दरार और कोसी नदी द्वारा अपना रास्ता बदलने के पश्चात, लगभग 400 गांव बिहार राज्य में गंभीर रूप से प्रभावित हुए। सिविल प्रशासन के अनुरोध पर, 37 सेना टुकड़ियां और इंजीनियर कार्य बल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किए गए थे। इसके अतिरिक्त, 11

बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 37 सेना टुकड़ियां और इंजीनियर कार्य बल तैनात किए गए थे।

अक्टूबर, 2008 को मधेपुरा के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग - 106 पर एक बेली पुल स्थापित किया गया था।

(ख) असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, गुजरात और हरियाणा के कई प्रभावित क्षेत्रों में भी बाढ़ राहत सहायता की गई थी। कुल 28 सेना टुकड़ियां और ई टी एफ तैनात किए गए थे।

12.10 ऑपरेशन सद्भावना : सेना ने संघर्ष समाधान के लिए रणनीति के भाग के रूप में जम्मू तथा कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों का 'दिल और दिमाग जीतने' के उद्देश्य से कई नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम शुरू किए हैं। ये कार्यक्रम लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उनकी समस्याओं को कम करने; दूर-दराज तथा दुर्गम क्षेत्रों का विकास करने पर केंद्रित थे ताकि अलगाव की भावना को कम किया जा सके और जनता की राय को शांति एवं विकास की ओर मोड़ा जा सके। इन नागरिक कार्रवाइयों में विकास संबंधी संपूर्ण



सेना द्वारा राहत कार्य



प्रशिक्षण शिविर

क्षेत्र के क्रिया-कलाप शामिल हैं और इनसे सैनिक का 'मानवोचित चेहरा' प्रदर्शित होता है। जम्मू तथा कश्मीर और उत्तर-पूर्व में ऐसे क्रिया-कलापों को 'ऑपरेशन सद्भावना' के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। ऐसे ही क्रिया-कलाप ऑपरेशन 'गुड सेमेरिटन' के भाग के रूप में उत्तर-पूर्व में चलाए जा रहे हैं।

12.11 निधियों का आबंटन : वित्त वर्ष 2008-09 के लिए जम्मू तथा कश्मीर और उत्तर-पूर्व राज्यों के लिए आबंटित निधियों का विवरण इस प्रकार है-

(क) ऑपरेशन सद्भावना :

- i) जम्मू तथा कश्मीर - 48.16 करोड़ रुपए
- ii) उत्तर-पूर्वी राज्य - 15.00 करोड़ रुपए

(ख) ऑपरेशन सेमेरिटन - 1.0 करोड़ रुपए

12.12 इस संबंध में सेना की मूल संकल्पना यह रही है कि मानव सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अंग है जिसे मानवीय तथा आधारभूत ढांचे के विकास के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है।

12.13 महत्वपूर्ण क्षेत्र : पहचाने गए महत्वपूर्ण क्षेत्र इस प्रकार हैं :-

- क) मानव संसाधन विकास
- ख) आधारभूत ढांचे के विकास हेतु पहल
- ग) स्वास्थ्य संबंधी देखभाल
- घ) महिला सशक्तीकरण सहित सामाजिक क्षेत्र के प्रयास
- ङ) राष्ट्रीय एकीकरण दौरे

12.14 प्रधान मंत्री की जम्मू तथा कश्मीर नदी-जल लघुपरियोजनाओं के लिए पुनर्निर्माण योजना: प्रधान मंत्री की जम्मू तथा कश्मीर के लिए पुनर्निर्माण योजना के तहत सेना ने 1000 नदी जल लघु परियोजनाओं (एम एच पीएस.) के निर्माण का कार्य हाथ में लिया है। इनमें से कुल 300 एम एच पीएस. ऑपरेशन सदभावना के तहत हैं, 265 एम एच पी एस सीमा क्षेत्र के विकास कार्यक्रम द्वारा वित्तपोषित की गई है और 435 एम एच पीएस को गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा निधियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। 28 फरवरी, 2009 की स्थिति के अनुसार पूरी की गई और सिविल प्रशासन को सौंपी गई परियोजनाओं का ब्यौरा सारणी 12.1 में दिया गया है।

सारणी 12.1

क्षेत्र	आबंटित	पूरी की गई	सौंपी गई
लद्दाख क्षेत्र	100	93	93
कश्मीर क्षेत्र	550	550	550
जम्मू क्षेत्र	350	350	350
कुल	1000	993	993

लद्दाख क्षेत्र में 7 परियोजनाओं का निर्माण कार्य वर्तमान में चल रहा है।



आपदा प्रबंधन

भारतीय नौसेना

12.15 रक्षा-सिविल सहयोग कार्य वर्दीधारी कार्मिकों की ड्यूटी का एक अभिन्न अंग है और भारतीय नौसेना इस पहलू को बड़ा महत्व देती है। रक्षा सिविल सहयोग को बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा की गई पहल का ब्यौरा आगामी पैराग्राफों में दिया गया है।

12.16 पुलिस हताहतों को सुरक्षित बाहर निकालना : एलीट ग्रेहाउन्ड्स (पुलिस कमांडो), जो उड़ीसा-आंध्र प्रदेश सीमा के पास बोड्डापाडु से चित्राकोन्डा एक लांच में जा रहे थे, पर सी पी आई (माओवादी) ग्रुप द्वारा हमले के संबंध में विशाखापट्टनम जिला प्राधिकारियों से अनुरोध प्राप्त होने पर 29 जून से 12 जुलाई, 2008 तक पूर्वी नौसेना कमान द्वारा खोज और बरामदगी संबंधी प्रयास किए गए थे। प्रतिकूल भू-भाग, कठिन गोताखोरी स्थल और प्रतिकूल जलवायु स्थितियों के बावजूद भारतीय वायुसेना द्वारा पुलिस और सिविल प्रशासन के समन्वय से यह ऑपरेशन 14 दिन चलाया गया। लापता बताए गए सभी 38 शवों

को ढूँढ लिया गया था और उन्हें विजाग ले जाया गया। इसके अतिरिक्त, 15 ज़ख्मी कार्मिकों को भी विजाग ले जाया गया। भारतीय नौसेना और सिविल गोताखोर डूबी हुई नाव को सफलतापूर्वक तैराने और बरामद करने में समर्थ हुए। कुल 12 लघु शस्त्र, एक ग्रेनेड लांचर, एक दो इंची खोल, ग्रेनेडें, मैगजीन सहित गोलाबारूद, झोले, बुलेट प्रूफ जैकेटें और पुलिस दल का एक मोबाइल फोन अथक गोताखोरी प्रयासों के द्वारा प्राप्त किए गए थे। दो भारतीय नौसेना चेतक, एक सीकिंग 42 सी और भारतीय वायुसेना के दो एम आई-17 हेलिकॉप्टरों को भी बरामदगी ऑपरेशन के लिए तैनात किया गया था।

12.17 बिहार में बाढ़ राहत ऑपरेशन : भारतीय नौसेना के कुल 217 कार्मिकों और मुंबई, विशाखापट्टनम और कोच्चि से रबड़ की 66 रबड़युक्त जैमिनी नावों को सितंबर, 2008 में बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया था। इन दलों ने 14 दिनों से भी अधिक समय तक रात-दिन चलाए गए राहत ऑपरेशनों के दौरान 11,141 से भी अधिक कार्मिकों को बचाया। सभी नौसेना कार्मिकों का दो



मंत्रिमंडल सचिव तथा रक्षा सचिव द्वारा बिहार में बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण

दिन का 93 मीट्रिक टन राशन लगभग अनुमानित लागत 37.5 लाख रु. स्थानीय प्रशासनिक अफसरों के माध्यम से 4 तथा 5 सितंबर, 2008 को बेगूसराय, सहरसा और मधेपुरा की प्रभावित जनता में बांटा गया था।

सिविल प्राधिकारियों को सहायता - विदेश में

12.18 म्यांमार में आपदा राहत कार्रवाई : भा.नौ.पो.राणा और भा.नौ.पो.कृपाण को चक्रवात 'नरगिस' के बाद म्यांमार को मानवीय सहायता देने और आपदा राहत एच ए/डी आर के मिशन पर विजाग से तत्काल तैनात कर दिया गया था। ये पोत 5 मई, 2008 को पोर्ट ब्लेयर से राहत और पुनर्वास सामग्री लेकर यांगोन बन्दरगाह के लिए चल पड़े। भारतीय पोत चक्रवात के बाद यांगोन बन्दरगाह में प्रवेश करने वाले सबसे पहले पोत थे। खाद्य सामग्री और चिकित्सा सामान के अतिरिक्त ये पोत कपड़े, बर्तन, पोर्टेबल जनरेटर और पानी की टंकियां भी ले गए थे। राहत सामग्री की समय पर की गई सप्लाई की म्यांमार सरकार द्वारा बहुत प्रशंसा की गई और उसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी सराहा।

12.19 बांग्लादेश में आपदा राहत कार्रवाई : बांग्लादेश को राहत सामग्री भेजने के लिए चट्टगांव में भा.नौ.पो.घड़ियाल को लगाया गया। इस पोत को उक्त कार्य करने के लिए 9 दिसम्बर, 2007 से 26 जनवरी, 2008 तक चार चरणों में लगाया गया। यह पोत इन चार चरणों में कुल 4000 मीट्रिक टन से भी अधिक चावल ले गया।

12.20 गोताखोरी सहायता : 'मारकोस' आक्रामक आतंकवादरोधी कार्रवाई करने के अतिरिक्त, 'ऑपरेशन सद्भावना' के अंतर्गत बचाव तथा खोज सहायता भी उपलब्ध कराता है। सिविल प्राधिकारियों की सहायता करने में, 'ऑपरेशन खानपुरा' (फरवरी, 2008) तथा 'ऑपरेशन निंगली' (अगस्त 2008) के दौरान झेलम नदी से शव बरामद करने हेतु गोताखोरी कार्रवाई की गई।

नौसेना दलों ने बिहार में 14 दिनों से भी अधिक समय तक रात-दिन चलाए गए राहत आपरेशनों के दौरान 11, 141 से भी अधिक कार्मिकों को बचाया।

12.21 हताहतों को सुरक्षित निकालना : जिला प्रशासन के अनुरोध पर, पूर्वी नौसेना कमान में भारतीय नौसेना विमान ने समुद्र में फंसे मछुआरों और सिविलियनों को खोजकर उन्हें बचाने के लिए कई खोज तथा बचाव मिशन चलाए। वर्ष के दौरान भारतीय नौसेना ने नस्लवाद के विरुद्ध संघर्ष में विभिन्न अवसरों पर घायल पुलिस कर्मियों को सही समय पर सुरक्षित स्थान पर ले जाकर राज्य प्रशासन की भी सहायता की।

12.22 बाढ़ राहत दल भेजना: पश्चिमी नौसेना कमान से मानसून के दौरान 2 जून से सितंबर, 2008 की समाप्ति तक सिविल प्रशासन को सहायता प्रदान करने के लिए मुंबई में घाटकोपर, मलाड तथा कोलाबा में बाढ़ राहत दल भेजे गए।

तटरक्षक बल

12.23 बाढ़ राहत कार्य :

(i) **पश्चिम बंगाल :** तटरक्षक बल जिला मुख्यालय सं. 8 पश्चिम बंगाल ने 21 से 22 जून तक पूर्वी मिदनापुर तथा नारघाट जिलों में बाढ़ राहत कार्य किए। तटरक्षक राहत दल ने प्रभावित क्षेत्र में लगभग 4-5 क्विंटल खाद्य सामग्री, दवाइयां तथा प्लास्टिक सीटें वितरित की।

(ii) **उड़ीसा तट :** लगातार वर्षा होने के कारण कुंजंग क्षेत्र में बाढ़ आने पर उड़ीसा में तटरक्षक बल जिला मुख्यालय सं. 7 को 20 सितंबर, 2008 को स्थानीय सिविल प्रशासन से बाढ़ राहत सहायता प्रदान करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ। तटरक्षक बल द्वारा सिविल प्रशासन के साथ मिलकर बाढ़ में फंसे लोगों को खाने की चीजें तथा दवाइयां वितरित की गईं। तटरक्षक बल के हेलिकॉप्टर ने प्रभावित क्षेत्र में खाने के पैकेट गिराए।

वायुसेना

12.24 इस वर्ष के दौरान सिविल प्राधिकारियों की सहायता हेतु भारतीय वायुसेना के परिवहन बेड़े की सेवाएं अनेक बार मांगी गईं जो उन्हें तत्काल तथा अनुकरणीय तरीके से उपलब्ध कराई गईं। कुछेक प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार रहीं :-

- (क) **अर्ध-सैनिक बलों की तैनाती** : बहुत ही कम समय में केंद्रीय रिजर्व पुलिस के लगभग 5700 कार्मिकों तथा सीमा सुरक्षा बल के 980 कार्मिकों को तैनात करने में भारतीय वायुसेना के परिवहन बेड़े का इस्तेमाल किया गया।
- (ख) **बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में बाढ़ राहत** : वर्ष 2008 में बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में बाढ़ ने तबाही मचाई जिसमें लाखों लोगों के घर नष्ट हो गए और वे बेघर हो गए। भारतीय वायुसेना के परिवहन बेड़े ने इस अवसर पर सहायता की चुनौती को स्वीकार किया। इस बेड़े द्वारा समय पर की गई कार्रवाई तथा इसकी चौबीसों घंटे तैनाती न केवल लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण रही अपितु इससे संकट को और गहराने से रोका जा सका। राहत सामग्री एवं दवाइयां उपलब्ध कराने, कार्मिकों की तैनाती तथा हताहतों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने, आदि



बिहार में भारतीय वायुसेना द्वारा बाढ़ राहत कार्रवाई

के लिए रात-दिन कुल बाईस आई.एल-76, छियालीस ए.एन. -32 तथा नौ एवरो विमान तैनात किए गए। कुल मिलाकर परिवहन बेड़े ने 620 टन राहत सामग्री की दुलाई की तथा 5600 कार्मिकों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई। भारतीय वायुसेना के हेलिकाप्टर बेड़े ने 635 लघु उड़ानों में 641 घंटे उड़ान भरकर श्रेयस्कर कार्य किया।

- (ग) **आतंकवाद से लड़ने में सहायता** : 26 नवंबर, 2008 को आतंकवादियों के मुंबई में धावा बोल देने के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कमांडो को वहां तैनात करने में एक एम आई-17 IV हेलिकाप्टर का इस्तेमाल किया गया।
- (घ) **वायु अनुरक्षण**: भारतीय वायुसेना के हेलिकाप्टरों द्वारा जम्मू-कश्मीर के दूर-दराज के क्षेत्रों, उत्तराखण्ड तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों की पहाड़ियों में निरंतर हवाई अनुरक्षण किया जाता है। देश के दूर-दराज के क्षेत्रों जैसे लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश आदि को नेमी हवाई अनुरक्षण के तहत परिवहन बेड़े के जरिए वर्षभर संपोषित किया जाता है जिसमें सिविल आबादी को खाद्य सामग्री, वस्त्रादि तथा मेडिकल साज-सामग्री की आपूर्ति शामिल है। सर्दियों के महीनों में वायु अनुरक्षण कार्यकलाप विशेष महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब बर्फबारी और तूफानी मौसम इन स्थानों के सामान्य परिवहन सम्पर्क मार्गों को बाधित कर देते हैं।
- (ङ) **जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन** : फरवरी, 2009 में जम्मू व कश्मीर में भारी वर्षा तथा भूस्खलन के कारण उत्पन्न होने वाली आकस्मिकताओं पर काबू पाने के लिए भारतीय वायुसेना ने 207 मीटरी टन आवश्यक सामग्री और दवाइयां तथा कार्मिकों को हवाई मार्ग से पहुंचाया। यह जम्मू व कश्मीर के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा रूटीन तौर पर किए जाने वाले 200 मीटरी टन वायु अनुरक्षण कार्य के अलावा है।

राष्ट्रीय कैडेट कोर



रक्षा राज्य मंत्री राष्ट्रीय कैडेट कोर गणतंत्र दिवस कैंप में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों के गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करते हुए

एनसीसी प्रतिबद्धता, समर्पण, आत्म-अनुशासन और नैतिक मूल्यों की भावना के साथ-साथ देश के युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें अवसर मुहैया कराने का प्रयास करता है, जिससे वे भविष्य में योग्य नागरिक बन सकें

13.1 राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की स्थापना एनसीसी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत हुई। यह अपने अस्तित्व के 60 वर्ष पूरे कर चुका है। एनसीसी प्रतिबद्धता, समर्पण, आत्म-अनुशासन और नैतिक मूल्यों की भावना के साथ-साथ देश के युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें अवसर मुहैया कराने का प्रयास करता है, जिससे वे भविष्य में योग्य नागरिक बन सकें। राष्ट्रीय कैडेट कोर का आदर्श वाक्य है- **“एकता और अनुशासन”**।

13.2 एनसीसी कैडेटों की कुल प्राधिकृत नफरी 13 लाख है जिसका स्कंधवार ब्यौरा इस प्रकार है-

(क) सेना स्कंध	-	822858
(ख) वायुसेना स्कंध	-	56111
(ग) नौसेना स्कंध	-	56941
(घ) छात्रा स्कंध	-	285719
कुल	-	1221629

देश भर के 606 जिलों के 8454 स्कूलों और 5377 कालेजों में एनसीसी का जाल फैला है।

कैडेटों का प्रशिक्षण

13.3 **शिविर प्रशिक्षण** : शिविर प्रशिक्षण एनसीसी पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण भाग है। ये शिविर कैडेटों में भ्रातृत्व-भावना, परिश्रम का महत्व, आत्म-विश्वास तथा सर्वाधिक

शिविर, कैडेटों में भ्रातृत्व-भावना, परिश्रम का महत्व, आत्म-विश्वास तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकता एवं अनुशासन की भावनाओं का विकास करने में सहायता करते हैं।

महत्वपूर्ण एकता एवं अनुशासन की भावनाओं का विकास करने में सहायता करते हैं। एनसीसी में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न शिविर इस प्रकार है:-

(क) **वार्षिक प्रशिक्षण शिविर (एटीसी)** : वार्षिक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन राज्य निदेशालय स्तर पर किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एनसीसी कैडेटों की नामांकित नफरी का कम से कम 50% अर्थात् 6.5 लाख कैडेट प्रति वर्ष कम से कम एक शिविर में अवश्य भाग ले सकें। एक प्रशिक्षण वर्ष में ऐसे लगभग 900 शिविरों का आयोजन किया जाता है। वरिष्ठ छात्र/छात्रा कैडेटों के लिए यह अवधि 12 दिन तथा कनिष्ठ छात्र/छात्राओं के लिए यह 10 दिन होती है।

(ख) **राष्ट्रीय एकता शिविर (एनआईसी)** : प्रशिक्षण वर्ष 2008-09 के दौरान कुल 38 राष्ट्रीय एकता शिविर आयोजित करने की योजना थी और मौजूदा प्रशिक्षण वर्ष के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 24918 कैडेटों ने इन राष्ट्रीय एकता शिविरों में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, 12 दिन की अवधि वाले विशेष राष्ट्रीय एकता शिविरों का आयोजन भी निम्न स्थानों पर किया गया :-

(1.) **विशेष एनआईसी, लेह** : जुलाई 2008 में लेह में एक विशेष एनआईसी का आयोजन किया गया जिसमें देशभर के 200 कैडेटों ने भाग लिया।



एनसीसी कैडेटों से बात करते हुए वायुसेनाध्यक्ष

- (2.) **विशेष एनआईसी, कोहिमा** : नवंबर-दिसंबर 2008 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के कोहिमा में विशेष एनआईसी का आयोजन किया गया, जिसमें देशभर के 600 कैडेटों ने भाग लिया।
- (3.) **विशेष एनआईसी, पोर्ट ब्लेयर** : विशेष एनआईसी पोर्ट ब्लेयर (अंडमान एवं निकोबार) का आयोजन फरवरी 2009 में किया गया तथा देशभर के सभी भागों से 180 कैडेटों ने इसमें भाग लिया।
- (4.) **विशेष एनआईसी, काकीनाडा** : अक्टूबर 2008 में काकीनाडा में विशेष एनआईसी का आयोजन किया गया जिसमें देशभर के कुल 500 कैडेटों ने भाग लिया।
- (5.) **विशेष एनआईसी, जैसलमेर** : नवंबर, 2008 के पहले पखवाड़े में जैसलमेर में विशेष

एनआईसी का आयोजन किया गया जिसमें देश भर के 300 कैडेटों ने भाग लिया।

- (ग) **वायुसैनिक शिविर (वीएससी)** : वायुसेना स्कंध के वरिष्ठ कैडेटों के लिए हर वर्ष 12 दिन के लिए अखिल भारतीय वायुसैनिक शिविर का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष शिविर का आयोजन 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2008 तक जाकुर एयर फील्ड में किया गया, जिसमें 420 छात्र व 180 छात्रा कैडेटों ने भाग लिया।
- (घ) **नौसैनिक शिविर (एनएससी)** : यह शिविर वरिष्ठ कैडेटों के लिए वर्ष में एक बार 12 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। इस वर्ष इस शिविर का आयोजन 04 से 15 सितंबर 2008 तक विशाखापत्तनम में किया गया। इस



एनसीसी कैडेटों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करते हुए नौसेनाध्यक्ष

शिविर में 16 राज्य निदेशालयों के 400 छात्र व 160 छात्रा कैडेटों ने भाग लिया।

- (च) **थल सैनिक शिविर (टीएससी)** : प्रतिवर्ष एनसीसी परेड ग्राउंड दिल्ली में दो थल सैनिक शिविरों का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष इन शिविरों का आयोजन 22 सितंबर से 03 अक्टूबर 2008 तक किया गया। जिनमें 640 छात्र 640 छात्रा कैडेटों ने भाग लिया।
- (छ) **नेतृत्व शिविर** : इन शिविरों का आयोजन अखिल भारतीय स्तर पर किया जाता है। इनमें चार एडवांस नेतृत्व शिविर (एएलसी) तथा तीन बेसिक नेतृत्व शिविर भी शामिल होते हैं। इन शिविरों में 3220 छात्र व छात्रा कैडेटों को प्रशिक्षण दिया जाता है।
- (ज) **रॉक क्लाइंबिंग शिविर** : कैडेटों को रॉक क्लाइंबिंग का मूलभूत प्रशिक्षण देने और रोमांच की भावना का संचार करने के लिए प्रतिवर्ष 08 रॉक क्लाइंबिंग शिविरों का आयोजन किया

जाता है। इनमें से 04 शिविरों का आयोजन मध्यप्रदेश में ग्वालियर में तथा अन्य 04 शिविरों का आयोजन केरल में तिरुवनन्तपुरम के नजदीक नैय्यर बांध पर किया जाता है। इस वर्ष 1080 छात्र व छात्रा कैडेटों ने इन शिविरों में भाग लिया।

- (झ) **गणतंत्र दिवस शिविर 2009** : गणतंत्र दिवस शिविर - 2009 का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति महोदय द्वारा किया गया और रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, दिल्ली की मुख्य मंत्री, तीनों सेनाओं के अध्यक्षों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इस शिविर का दौरा किया। शिविर के दौरान एक हॉर्स शो और दो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम (वाईईपी) के अंतर्गत मित्र देशों से 10 अफसर तथा 66 कैडेटों ने भी इस कैंप का दौरा किया। 28 जनवरी, 2009 को गणतंत्र दिवस शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

13.4 संलग्नता प्रशिक्षण : सशस्त्र सेना यूनिटों के साथ जुड़कर एनसीसी कैडेट अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त करते हैं इस वर्ष के संलग्नता कार्यक्रम निम्न प्रकार रहे :-

440 अफसरों तथा 20,000 कैडेटों को नियमित सेना यूनिटों के साथ अटैच किया गया, जिनमें महिला अफसर व 560 वरिष्ठ छात्रा कैडेट भी शामिल थीं ।

(ग) 1000 छात्रा कैडेटों को विभिन्न सैन्य अस्पतालों में अटैचमेंट पर नियुक्त किया गया।

(घ) वायुसेना स्कंध के वरिष्ठ प्रभाग के 38 छात्र और वरिष्ठ स्कंध की 12 छात्रा कैडेटों को 13 दिन के लिए दो बैचों में वायुसेना अकादमी डुंडीगल में अटैच किया गया।

(क) 440 अफसरों तथा 20,000 कैडेटों को नियमित सेना यूनिटों के साथ अटैच किया गया जिनमें महिला अफसर व 560 वरिष्ठ छात्रा कैडेट भी शामिल थीं।

(च) वरिष्ठ प्रभाग के 200 छात्र कैडेटों तथा 15 एसोसिएट एनसीसी अफसरों को 14 दिनों की अवधि के लिए विभिन्न एयर फोर्स फ्लाइट स्टेशनों से अटैच किया गया।

(ख) वरिष्ठ प्रभाग के 120 छात्र कैडेटों को भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से अटैच किया गया जबकि वरिष्ठ स्कंध की 48 छात्रा कैडेटों को अफसर प्रशिक्षण अकादमी, चैन्नई से जोड़ा गया। ये दोनों अटैचमेंट्स दो सप्ताह के लिए थीं।

(छ) **नेवल अटैचमेंट-आईएनएस मांडवी** : नौसेना अकादमी, भानौपो मांडवी, गोवा में दिसंबर, 08 से जनवरी, 2009 के दौरान 12 दिनों की अवधि के लिए नौसेना स्कंध के वरिष्ठ प्रभाग के 25 छात्र कैडेटों के लिए अटैचमेंट प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया।



गणतंत्र दिवस कैम्प के दौरान पाइप बैण्डों का प्रदर्शन करते हुए एनसीसी कैडेट

13.5 ग्लाइडिंग तथा माइक्रोलाइट फ्लाईंग : 47 एनसीसी एयर स्कवाड्रनों में माइक्रोलाइट/ग्लाइडिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। पिछले वर्ष के दौरान एनसीसी एयर स्कवाड्रन ने 8210 लांच किए। वायुसेना स्कंध के एनसीसी कैडेटों को हवाई अनुभव कराने के उद्देश्य से एनसीसी में माइक्रोलाइट फ्लाईंग का आयोजन किया जाता है। गत वर्ष कुल 7212 घंटों की माइक्रोलाइट फ्लाईंग की गई।

13.6 समुद्री प्रशिक्षण : नौसेना स्कंध के एनसीसी कैडेटों को उनके समुद्री प्रशिक्षण तथा संलग्नता के दौरान विभिन्न नौसेना विषयों का गहन प्रशिक्षण दिया जाता है। इस वर्ष के दौरान समुद्री प्रशिक्षण के लिए 295 कैडेटों को नौसेना की पूर्वी तथा पश्चिमी नौसेना कमानों तथा तटरक्षक बल के जहाजों पर अटैच किया गया।

13.7 विदेश क्रूज : इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित विदेश क्रूज आयोजित किए गए:

(क) नौसेना क्रूज : 08 सितंबर से 05 अक्टूबर 2008 तक 09 वरिष्ठ नौसेना छात्र कैडेटों ने कोलम्बो और मारिशस तक भारतीय नौसेना के जहाज पर नौकायन किया।

(ख) तटरक्षक क्रूज : वरिष्ठ स्कंध के 05 छात्र कैडेटों ने तटरक्षक द्वारा जनवरी, 2009 में आयोजित क्रूज पर इंडोनेशिया और आस्ट्रेलिया तक नौकायन किया।

13.8 रोमांचकारी प्रशिक्षण :

(क) पर्वतारोहण कोर्स : नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग तथा पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल निदेशालय मनाली में विभिन्न पर्वतारोहण पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए सभी निदेशालयों से इस वर्ष 300 छात्र व छात्रा कैडेटों को नामित किया गया।

(ख) पर्वतारोहण अभियान : इस वर्ष एनसीसी द्वारा दो पर्वतारोहण अभियानों का आयोजन किया गया जिनमें से एक वरिष्ठ छात्र कैडेटों के लिए व दूसरा वरिष्ठ छात्रा कैडेटों के लिए था। मई/जून 2008 में छात्र कैडेटों ने भागीरथी चोटी (6454 मी.) पर चढ़ाई की तथा छात्रा टीम ने अगस्त-सितंबर 2008 में थेलू चोटी (6000 मी.) पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। 1970 से एनसीसी 62 पर्वतारोहण अभियानों का संचालन कर चुकी है जिनमें से 33 छात्रों के लिए और 29 छात्राओं के लिए थे।

(ग) साइकिल एवं मोटर साइकिल अभियान : इन अभियानों का आयोजन राष्ट्रीय व राज्यीय, दोनों स्तरों पर किया जाता है। इस वर्ष के दौरान भी कैडेटों में साहस की भावना का संचार करने के लिए विभिन्न निदेशालयों द्वारा अनेक साइकिल व मोटरसाइकिल अभियानों का आयोजन किया गया। ये अभियान भारत को जोड़ने का सामाजिक संदेश देते हैं और देश के सामने खड़ी विभिन्न चुनौतियों से सावधान करते हैं।

(घ) ट्रैकिंग अभियान : वर्ष 2008-09 के दौरान कुल 10 ट्रैकिंग अभियानों का आयोजन किया गया जिनमें से प्रत्येक ट्रेक में 1000 कैडेटों ने भाग लिया। वैली ऑफ फ्लावर के लिए एक अन्य ट्रेक का आयोजन किया गया जिसमें 500 वरिष्ठ छात्र कैडेटों ने भाग लिया।

(च) पैरासेलिंग : राष्ट्रीय कैडेट कोर के बाल एवं बालिका कैडेटों के लिए साहसिक गतिविधियों के एक भाग के रूप में प्रत्येक ग्रुप स्तर पर पैरासेलिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। पिछले वर्ष 13000 कैडेटों ने इन गतिविधियों में भाग लिया। इनके प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए दिल्ली कलकत्ता, बेंगलूरु, शोलापुर तथा कामठी में पांच पैरासेलिंग केंद्र (नोड्स) स्थापित किए गए हैं।



पैरासेलिंग

- (छ) **पैरा बेसिक पाठ्यक्रम** : थल सेना विमानन प्रशिक्षण स्कूल (एएटीसी) आगरा में प्रत्येक वर्ष 40 बालक तथा 40 बालिका कैडेट 24 दिन तक पैरा बेसिक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।
- (ज) **स्लिदरिंग प्रदर्शन** : जनवरी 2009 में प्रधानमंत्री रैली के लिए 10 वरिष्ठ बाल तथा 10 वरिष्ठ बालिकाओं को स्लिदरिंग प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षित किया गया।
- (झ) **रेगिस्तान केमल सफारी** : यह गतिविधि राजस्थान के जैसलमेर जिले में 22 नवंबर से 02 दिसंबर 2008 तक आयोजित की गई जिसमें 20 कैडेटों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, सिंगापुर से आए 2 अफसरों तथा 10 कैडेटों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।
- (ट) **व्हाइट वाटर राफटिंग** : रायवाला हरिद्वार में इस नोड की स्थापना की गई है और पंजाब तथा पश्चिम बंगाल क्षेत्रों के लिए भी व्हाइट वाटर राफटिंग नोड खरीदे गए हैं।

- (ठ) **हॉट एयर बैलूनिंग** : भोपाल में हॉट एयर बैलूनिंग नोड्स की स्थापना की गई है।
- (ड) **सेलिंग अभियान** : वर्ष के दौरान 23 मुख्य व्हालर सेलिंग अभियान आयोजित किए गये।

युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम (वाईईपी)

13.9 युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम में विदेशी यात्राएं: युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के एक भाग के रूप में वर्ष के दौरान आठ यात्राएं की गईं। जिन देशों की यात्रा की गई, वे हैं - मालदीव, रूस, सिंगापुर (तीन अलग-अलग यात्रा), श्रीलंका, वियतनाम तथा कजाकिस्तान।

13.10 युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम में विदेशियों का आगमन : इस वर्ष 09 बाहरी मित्र देशों के विभागाध्यक्षों, अधिकारियों तथा कैडेटों ने हमारे एनसीसी गणतंत्र दिवस समारोह जनवरी 2009 में



हॉट एयर बैलूनिंग

भाग लिया। फरवरी 2009 में बंगला देश के कैडेटों ने चिलका में नौकायन रेगेटा में भी भाग लिया।

समाज सेवा तथा सामुदायिक विकास:-

13.11 कैडेटों में समाज की निःस्वार्थ सेवा की भावना विकसित करने, पर्यावरण की सुरक्षा तथा कमजोर वर्गों के उत्थान में उनकी सहायता करने जैसी भावनाओं का संचार करने के उद्देश्य से एनसीसी ने सामुदायिक विकास क्रियाकलापों को अपनाया है जिनके तहत प्रौढ़ शिक्षा, वृक्षारोपण, रक्तदान, वृद्धाश्रमों/दृष्टि हीन बालकों के लिए विद्यालयों, अनाथाश्रमों, मलिन बस्तियों की

कैडेटों में समाज की निःस्वार्थ सेवा की भावना विकसित करने, पर्यावरण की सुरक्षा तथा कमजोर वर्गों के उत्थान में उनकी सहायता करने जैसी भावनाओं का संचार करने के उद्देश्य से एनसीसी ने सामुदायिक विकास कार्यकलापों को अपनाया है।

सफाई, ग्राम उत्थान तथा अन्य ऐसी विभिन्न सामाजिक योजनाओं को शुरू किया। हमारे एनसीसी कैडेटों ने निम्नलिखित सामुदायिक विकास गतिविधियों में भाग लिया।

- (क) **वृक्षारोपण** : एनसीसी कैडेट पौधारोपण करते हैं तथा संबंधित राज्य विभाग/कालेज तथा स्कूल एवं गांवों के सहयोग से उनकी देखभाल करते हैं। इस वर्ष एनसीसी कैडेटों द्वारा लगभग 03 लाख पौधे लगाए।
- (ख) **रक्तदान** : जब भी हास्पिटलों तथा रेड क्रॉस को रक्त की आवश्यकता होती है तो कैडेट स्वेच्छा से सेवा के रूप में रक्तदान करते हैं। इस वर्ष 18,817 कैडेटों ने रक्तदान दिया।
- (ग) **वृद्धाश्रम** : एनसीसी कैडेट देश में वृद्धाश्रमों का संरक्षण करते हैं और वृद्धों की सहायता करने के लिए नियमित रूप से वृद्धाश्रमों का दौरा करते हैं।
- (घ) **प्रौढ़ शिक्षा** : एनसीसी कैडेट शिक्षा की आवश्यकता पर बल देने के लिए तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के संचालन में सहायता करने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों/गांवों तथा अर्धविकसित क्षेत्रों का दौरा करते हैं।

(च) **सामुदायिक परियाजनाएं** : एनसीसी कैडेट ग्राम तथा अर्द्ध शहरी सामुदायिक कार्यक्रमों तथा गांवों में सड़कें बनवाने तथा कुओं की सफाई जैसी दूसरी गतिविधियों में भाग लेते हैं।

(छ) **आपदा राहत कार्य** : एनसीसी ने प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं एवं दुर्घटनाओं के समय हमेशा सहायता प्रदान की

है। वर्षों से एनसीसी कैडेटों ने बाढ़, भूकंप, चक्रवात एवं रेल दुर्घटना आदि के समय अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दी हैं और प्रभावित लोगों के प्रति मानवीय संवेदनाएं व्यक्त की हैं।

- (ज) **कुष्ठ निवारण अभियान** : एनसीसी कैडेटों ने देशभर में कुष्ठनिवारण अभियान चलाया है तथा ये अनेक स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता कर रहे हैं।
- (झ) **एड्स जागरूकता कार्यक्रम** : एनसीसी कैडेट ने देशभर में एड्स एचआईवी जागरूकता कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर भाग लिया है। इनके अनेक कैंपों में एचआईवी/एड्स पर व्याख्यान तथा आपसी वार्तालाप कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।
- (ट) **कैंसर जागरूकता कार्यक्रम** : एनसीसी कैडेट विभिन्न शहरों में आयोजित कैंसर जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। कैंसर केयर इंडिया (सीएसीआई) नामक एनजीओ तथा एनसीसी ने मिलकर देशभर में कैंसर जागरूकता कार्यक्रम प्रारंभ किया है। अब तक ऐसे 25 कैंसर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं।
- (ठ) **यूनिसेफ, एचआरडी एवं एनसीसी साक्षरता कार्यक्रम** : एनसीसी तथा यूनिसेफ के बीच अर्द्ध-शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका कैडेटों को शिक्षित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड क्षेत्र आते हैं और यह कार्यक्रम 31 दिसंबर, 2008 तक चला।

खेल तथा शूटिंग

13.12 **जवाहरलाल नेहरू हॉकी कप टूर्नामेंट** : 2008 में इस टूर्नामेंट के अंतर्गत कुल चार टीमों ने

भाग लिया जिनमें से एक सब जूनियर लड़कों की तथा एक जूनियर लड़कियों की थीं और दो टीमों जूनियर बाल कैडेटों की थीं।

13.13 **सुब्रोतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट** :- एनसीसी की 02 टीमों प्रतिवर्ष प्रतिष्ठित सुब्रोतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट के जूनियर वर्ग में हिस्सा लेती हैं। इस प्रतियोगिता में एनसीसी की टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन करती रही है तथा इस साल दोनों ही टीमों टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची।

13.14 **अखिल भारतीय जीवी मावलंकर शूटिंग चैम्पियनशिप** : फायरिंग एनसीसी का एक महत्वपूर्ण अंग है और शूटिंग प्रतियोगिता में भी एनसीसी का अपना एक स्थान रहा है। एनसीसी की टीमों अखिल भारतीय जीवी मावलंकर शूटिंग प्रतियोगिता तथा प्रत्येक वर्ष होने वाली राष्ट्रीय शूटिंग चैम्पियनशिप प्रतियोगिता में भाग लेती हैं।

13.15 **शूटिंग नोड्स** : फायरिंग के स्तर में वृद्धि करने के लिए पांच क्षेत्रीय नोड्स आसनसोल (पूर्वी जोन), बड़ोदरा (पश्चिमी जोन), चंडीगढ़ (उत्तरी जोन), कोयंबटूर (दक्षिणी जोन) तथा कामठी (मध्य जोन) स्थापित किए गए हैं ताकि एनसीसी कैडेटों को अधिक से अधिक प्रशिक्षण दिया जा सके और वे विभिन्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें।

स्टाफ का प्रशिक्षण

13.16 एसोसिएट एनसीसी अफसरों तथा स्थायी अनुदेशकों को प्रशिक्षण देने के लिए एनसीसी की 02 प्रशिक्षण अकादमियां हैं - एक ग्वालियर में (महिला अनुदेशकों के लिए) तथा एक कामठी में (पुरुष अनुदेशकों के लिए)। इन दो अकादमियों में एएनओज के लिए कमीशन पूर्व तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और

पीआई स्टाफ के लिए प्रतिवर्ष पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। नौसेना स्कंध के एएनओ तथा पीआई स्टाफ के प्रशिक्षण के लिए भा.नौ.पो. सरकार, विशाखापट्टनम तथा सीमैनशिप स्कूल कोच्चि की सुविधाओं का उपयोग किया गया है जबकि एयर विंग के सहायक एनसीसी अधिकारियों तथा पीआई स्टाफ के प्रशिक्षण के लिए वायुसेना स्टेशन तूतीकोरिन में ये प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं।

वरिष्ठ स्कंध/विंग कैडेटों की प्रवेश अवधि को मौजूदा 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष किया गया ।

नए कदम

13.17 एनसीसी का पुनर्गठन (नामांकन अवधि में कमी) : 13 लाख की मौजूदा कैडेट नफरी के अंतर्गत ही प्रतीक्षा सूची से और अधिक स्कूलों तथा कॉलेजों

को शामिल करने के लिए मौजूदा वरिष्ठ स्कंध कैडेटों की एनरालमेंट अवधि को वर्तमान 03 वर्ष से घटाकर 02 वर्ष कर दिया गया है। इससे एनसीसी कैडेट संख्या में वृद्धि किए बिना ही एनसीसी का काफी हद तक विस्तार हुआ है।



विदेशों के साथ रक्षा सहयोग



रक्षा मंत्री के साथ मालदीव के रक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री श्री अमीन फैजल, जिन्होंने फरवरी 2009 में भारत की यात्रा की

रक्षा सहयोग में सशस्त्र सेनाओं सहित रक्षा मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले वे सभी क्रियाकलाप आते हैं जिनमें लड़ाई से बचने, विश्वास कायम करने और उसे बनाए रखने तथा संघर्ष के निवारण और समाधान में सहयोग करना शामिल है

14.1 रक्षा सहयोग राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। इसमें सशस्त्र सेनाओं सहित रक्षा मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले वे सभी क्रियाकलाप आते हैं जिनमें लड़ाई से बचने, विश्वास कायम करने और उसे बनाए रखने तथा संघर्ष के निवारण और समाधान में सहयोग करना शामिल है।

14.2 भारत का सुदूर पश्चिम से सुदूर पूर्व तक कई देशों के साथ रक्षा सहयोग का लंबा इतिहास रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के कई शांति स्थापना अभियानों में सक्रियता से भाग लिया है; 7000 से अधिक भारतीय सैन्य टुकड़ियों ने सूडान, आइवरी कोस्ट, लेबनान, इजरायल और तिमोर लिस्ते में संयुक्त राष्ट्रसंघ के शांति स्थापना अभियानों में भाग लिया। एक प्रमुख क्षेत्रीय देश होने के कारण हमने अपने पड़ोसी देशों के साथ रक्षा सहयोग सुदृढ़ करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं।

14.3 अपने सबसे बड़े पड़ोसी चीन के साथ हमारे संबंध सुचारू रूप से आगे बढ़ रहे हैं। चीन के साथ दूसरी वार्षिक रक्षा वार्ता नई दिल्ली में 15 दिसंबर, 2008 को हुई थी। भारतीय पक्ष की ओर से रक्षा सचिव, श्री विजय सिंह और चीनी पक्ष की ओर से जनरल मा जियाओटियन, डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, पी.एल.ए. ने इसका नेतृत्व

भारत ने कई संयुक्त राष्ट्र शांति-स्थापना मिशनों में सक्रिय रूप से भाग लिया; कांगो, सूडान, आइवरी कोस्ट, लेबनान, इजरायल और तिमोर लेस्ट में 7000 से अधिक भारतीय सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में भाग लिया।

किया। दूसरा संयुक्त सेना प्रशिक्षण अभ्यास 'प्रतिआतंकवाद' की धीम पर 'हाथ में हाथ' 4 से 13 दिसंबर, 2008 में बेलगांव, भारत में आयोजित किया गया था। पी.एल.ए. के नौसेना प्रमुख एडमिरल वू सांगली ने नवंबर, 2008 में भारत का दौरा किया था। हमारे वायुसेनाध्यक्ष, एयर चीफ मार्शल एफ.एच.मेजर ने 2 से 6 नवंबर, 2008 तक चीन का दौरा किया।

14.4 हम अफगानिस्तान को उसकी राजनैतिक और सुरक्षा स्थिति को स्थिर करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। इस्लामिक गणराज्य अफगानिस्तान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री श्री अब्दुल रहीम वारडाक ने 6 से 11 अप्रैल, 2008 के दौरान भारत का दौरा किया। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्री

और वायुसेनाध्यक्ष से भेंट की और रक्षा सहयोग से संबंधित मामलों पर चर्चा की।

14.5 बांग्लादेश के साथ हमारा रक्षा सहयोग में द्विपक्षीय यात्राएं और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में एक-दूसरे के सशस्त्र सेना कार्मिकों की भागीदारी शामिल है। थलसेनाध्यक्ष जनरल दीपक कपूर ने जुलाई, 2008 में बांग्लादेश की यात्रा की।

14.6 **मालदीव** के साथ भी रक्षा सहयोग तेज़ी से बढ़ रहा है। मालदीव के रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री श्री अमीन फैज़ल ने सितंबर, 2008 और फरवरी, 2009 में भारत का दौरा किया था। अध्यक्ष सी.ओ. एस.सी. और सी.एन.एस., एडमिरल सुरीश मेहता ने 22 से 24 फरवरी, 2009 तक मालदीव का दौरा किया।

14.7 **मंगोलिया** के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध मित्रतापूर्ण हैं। मंगोलिया के थलसेनाध्यक्ष ने फरवरी, 2008 के दौरान डिफेंस-एक्सपो में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। उन्होंने रक्षा राज्यमंत्री से 19 फरवरी, 2008 को भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। संयुक्त राष्ट्रसंघ शांति स्थापना संक्रियाओं पर 'खान क्विस्ट' अभ्यास सितंबर, 2008 के दौरान मंगोलिया में आयोजित किया गया था। 'नोमेडिक एलीफेंट' नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का चौथा दौर 17 से 30 नवंबर, 2008 तक भारत में आयोजित किया गया।

14.8 **सिंगापुर** के साथ रक्षा संबंध तेज़ी से बढ़ रहे हैं। वर्ष 2008 के दौरान रक्षा राज्यमंत्री ने मई-जून, 2008 में 7वीं सांगरी-ला वार्ता के लिए सिंगापुर का दौरा किया। द्विपक्षीय सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों ने संबद्ध नयाचार सहित संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और अभ्यासों के लिए 12 अगस्त, 2008 को एक द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए। भारत-सिंगापुर रक्षा कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक 15 जुलाई, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। रक्षा सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल ने पांचवीं भारत-सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता में भाग लेने के लिए 7 और 8 अक्टूबर, 2008 को सिंगापुर का दौरा किया।

14.9 **मलेशिया** के साथ हमारे संबंध सौहार्दपूर्ण हैं। रक्षा मंत्री के नेतृत्व में एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल ने मलेशिया के उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री श्री मोहम्मद नजीब के आमंत्रण पर 6 से 8 जनवरी, 2008 को मलेशिया का दौरा किया। रक्षा



आठवीं आई आर आई जी सी बैठक में रूस के रक्षा मंत्री एई सर्दियुकोव रक्षा मंत्री के साथ

मंत्री ने मलेशिया के प्रधान मंत्री श्री अब्दुल्लाह बदावी और विदेश मंत्री श्री सईद हामिद अल्बर से भेंट की। 7 जनवरी, 2008 को प्रतिनिधि मण्डल स्तर की वार्ताएं आयोजित की गईं जिनमें दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। यात्रा के दौरान एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया जो सहयोग कार्यान्वयन तंत्र को अभिनिर्धारित करता है। भारतीय वायुसेना 5 दिसंबर, 2007 को हस्ताक्षरित नयाचार के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार रॉयल मलेशियाई वायुसेना के कार्मिकों (आर.एम.ए.एफ.) के लिए संतोषजनक रूप से प्रशिक्षण आयोजित कर रही है।

14.10 **वियतनाम** के साथ हमारे संबंध हमेशा मधुर और सौहार्दपूर्ण रहे हैं। रक्षा सचिव के नेतृत्व में चार-सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने चतुर्थ भारत-वियतनाम सुरक्षा वार्ता के लिए 9 और 10 अक्टूबर, 2008 के दौरान हनोई का दौरा किया। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के संपूर्ण परिदृश्य अर्थात् यात्राओं का आदान-प्रदान, भारत में अध्ययन करने के लिए वियतनामी अफसरों की छात्रवृत्ति की संख्या को बढ़ाना, नौसैनिक सहयोग, प्रशिक्षण, मानवीय उद्देश्यों के लिए खोज और बचाव पर अभ्यास, इत्यादि पर चर्चा की।

14.11 **जापान** के साथ रक्षा संबंधों में तेज़ी से वृद्धि हुई है। नौसेनाध्यक्ष ने अगस्त, 2008 में जापान का दौरा किया। जापानी नौसेनाध्यक्ष ने अगस्त, 2008 में भारत (मुम्बई) का दौरा किया। अतिथि जापानी विदेश मंत्री श्री माशाहिको कूमुरा ने 5 अगस्त, 2008 को रक्षा मंत्री से मुलाकात की। जापान के साथ नौसेना से नौसेना स्टाफ स्तर पर वार्ताएं हुई हैं। नई दिल्ली में 11 और 12 नवंबर, 2008 को वार्ता आरम्भ हुई। जापान के

साथ पांचवीं सेना से सेना वार्ता नई दिल्ली में 09 फरवरी, 2009 को आयोजित की गई थी।

14.12 भारत और **ऑस्ट्रेलिया** के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। दोनों देश आशियान क्षेत्रीय मंच के पूर्ण वार्ता सहभागी हैं। भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधी संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठक 14 फरवरी, 2008 को कैनबरा में आयोजित की गई थी। वायुसेना से वायुसेना स्टॉफ प्रारंभिक वार्ता अप्रैल, 2008 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। नौसेनाध्यक्ष और अध्यक्ष, सी.ओ.एस.सी. ने 5 से 8 नवंबर, 2008 के दौरान ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया।

14.13 भारत और **ओमान** के आपस में सौहार्दपूर्ण और मित्रतापूर्ण संबंध हैं। तृतीय भारत-ओमान संयुक्त सैन्य सहयोग समिति (जे.एम.सी.सी.) की बैठक 23 और 24 मार्च, 2009 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व रक्षा सचिव ने किया जबकि ओमानी पक्ष का नेतृत्व ओमान सल्तनत के रक्षा मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी ने किया था।

14.14 भारत और **कतर** के बीच मित्रतापूर्ण संबंधों का लंबा इतिहास है। प्रधान मंत्री की कतर यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग से संबंधित एक करार पर 9 नवंबर, 2008 को कतर के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। श्री विजय सिंह, रक्षा सचिव ने रक्षा मंत्रालय की ओर से हस्ताक्षर किए। अन्य बातों के साथ-साथ इस करार का उद्देश्य सेना से सेना सहयोग, उत्पाद सहायता और सेवाओं के क्षेत्रों सहित सहमति के विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग, रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इत्यादि में सहयोग करना है।

14.15 भारत और **संयुक्त अरब अमीरात** (यू.ए.ई.) ने रक्षा सहयोग संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर 2003 में

हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन की शर्तों में एक संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (जे.डी.सी.सी.) का गठन किया गया है। संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की दूसरी बैठक 2 से 3 जून, 2008 को आबूधाबी में आयोजित की गई थी।

14.16 भारत और **इजराइल** सौहार्दपूर्ण रक्षा संबंध बनाए हुए हैं। श्री आमिर केन, डी.एस. डी.ई. (मलमाब) के प्रमुख, के नेतृत्व में जुलाई 21-23, 2008 के दौरान एक प्रतिनिधि मण्डल भारत आया। श्री योसी बेन हनान, निदेशक, एस.आई.बी.ए. टी. ने 22-23 जुलाई, 2008 के दौरान भारत का दौरा किया। इजराइल के मेजर जनरल (रेस) एहुद शानी, रक्षा निर्यात और सहयोग विभाग के अध्यक्ष, ने भारत का दौरा किया और 08 दिसंबर, 2008 को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें की। सचिव (रक्षा उत्पादन) के नेतृत्व में सितंबर, 2008 में एक प्रतिनिधि मण्डल इजराइल गया। दोनों देश इस क्षेत्र में अधिक कारगर ढंग से सहयोग बढ़ाने के लिए रक्षा अधिप्राप्ति, उत्पादन और विकास संबंधी उप-समूह गठित करने पर सहमत हुए। इस उप-समूह की भारतीय पक्ष की ओर से महानिदेशक (अर्जन) द्वारा सह-अध्यक्षता की जाती है। इस उप-समूह की दूसरी बैठक 13-14 फरवरी, 2008 को नई दिल्ली में हुई थी जबकि इसकी तीसरी बैठक 21-23 सितंबर, 2008 को तेल अवीव में हुई थी। भारत-इजराइल संयुक्त कार्यकारी समूह की 12 नवंबर, 2008 को हुई 7वीं बैठक में भाग लेने के लिए रक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मण्डल इजराइल गया।

14.17 भारत के **fel z** के साथ पारंपरिक रूप से गहरे संबंध हैं। भारत-मिस्र संयुक्त रक्षा समिति की दूसरी बैठक विशेष सचिव स्तर पर 09 जून, 2008 को नई दिल्ली में हुई थी। मिस्र की ओर से संक्रिया प्राधिकारी के सहायक प्रमुख मेजर जनरल

मोहम्मद मोहसिन साद एल शाजली ने नेतृत्व किया था। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया और वर्ष 2008-09 के लिए सैन्य सहयोग के क्षेत्र में कार्यकलापों का निर्णय किया।

14.18 **दक्षिण अफ्रीका** के साथ हमारे संबंधों में सतत् सुधार आता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कार्य प्रमुख, उपमहानिदेशक श्री टी.ई. मोतुमी के नेतृत्व में एक दक्षिण अफ्रीकी प्रतिनिधि मण्डल ने 13-14 मार्च, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित भारत-दक्षिण अफ्रीका संयुक्त रक्षा समिति की छठी बैठक में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। सेनाध्यक्ष ने नवंबर, 2008 में दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया।

14.19 **रूसी** संघ के साथ भारत के रक्षा संबंध आपसी विश्वास और समझ पर आधारित लंबे समय से चले आ रहे हैं। रूस भारत के लिए रक्षा उपस्करों का महत्वपूर्ण पूर्तिकार है। केवल यही एक देश है जिसके साथ दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के स्तर पर संस्थागत वार्षिक रक्षा सहयोग तंत्र है। भारत-रूस कार्यकारी समूह 'सैन्य तकनीकी सहयोग' और 'पोत निर्माण विमानन और भू-प्रणालियां' संबंधी बैठकें 18-19 अगस्त, 2008 को नई दिल्ली में हुई थी। इन कार्यकारी समूहों की भारत की ओर से क्रमशः महानिदेशक (अर्जन) और सचिव (रक्षा उत्पादन) ने सह-अध्यक्षता की थी। दो कार्यकारी समूहों के 8वें नयाचार पर इन बैठकों के सम्पन्न होने पर हस्ताक्षर किए गए थे। सैन्य तकनीकी सहयोग संबंधी भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग की 8वीं बैठक 29 सितंबर, 2008 को नई दिल्ली में हुई थी। इस बैठक की सह-अध्यक्षता रक्षा मंत्री और रूस के रक्षा मंत्री श्री ए.ई. सर्दयुकोव ने की थी। बैठक के दौरान रक्षा के क्षेत्र में आपसी हित के बहुत-से मसलों पर विचार-विमर्श किया गया था। यह भी सहमति हुई थी कि सैन्य तकनीकी सहयोग संबंधी कार्यक्रम को 2010 से आगे

बढ़ाया जाए और सम्मत सैन्य तकनीकी सहयोग कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करने तथा सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए रक्षा सचिव के स्तर पर एक उच्च-स्तरीय निगरानी समिति स्थापित की जाए। सैन्य तकनीकी सहयोग संबंधी भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग की 8वीं बैठक सम्पन्न होने पर दोनों रक्षा मंत्रियों ने एक नयाचार पर हस्ताक्षर किए थे। नई गठित उच्च-स्तरीय निगरानी समिति की पहली बैठक भारत में 2-3 दिसंबर, 2008 को हुई। भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व रक्षा सचिव और रूसी प्रतिनिधिमण्डल का सैन्य और तकनीकी सहयोग संबंधी संघीय सेवा के निदेशक, श्री मिखाइल दमित्रीव ने किया। विक्रय बाद उत्पाद सहायता संबंधी अंतर-सरकारी करार के प्रारूप पर विचार-विमर्श करने के लिए रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल 5-7 नवंबर, 2008 के दौरान रूस गया। रूसी रक्षा मंत्री श्री ए.ई. सर्दियुकोव ने रूसी राष्ट्रपति के नेतृत्व में उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य के रूप में 4-5 दिसंबर, 2008 के दौरान भारत का दौरा किया।

14.20 भारत के रक्षा संबंध **पोलैंड** के साथ सौहार्दपूर्ण रहे हैं। दोनों पक्षों ने 2003 के रक्षा सहयोग संबंधी भारत-पोलैंड करार के उपबंधों के अधीन रक्षा सहयोग संबंधी संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन किया है। संयुक्त कार्यकारी समूह की चौथी बैठक अक्टूबर, 2008 में नई दिल्ली में हुई थी। पोलैंड के प्रतिनिधिमण्डल की अध्यक्षता श्री जेनन कोसीनियाक-कमीज्ज, सेक्रेटरी आफ स्टेट, राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय, पोलैंड और भारत की ओर से सचिव (रक्षा उत्पादन) ने सह-अध्यक्षता की। श्री बोगदान क्लिच, पोलैंड गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री ने 4-6

नवंबर, 2008 के दौरान भारत की यात्रा की। उन्होंने 04 नवंबर, 2008 को रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात की जिसमें द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था।

14.21 **बुल्गारिया** के साथ हमारे रक्षा संबंध सुचारु रूप से आगे बढ़ रहे हैं। भारत-बुल्गारिया रक्षा सहयोग संबंधी संयुक्त आयोग का 13वां सत्र लगभग 8 वर्ष के अंतराल के बाद 8-9 मई, 2008 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस बैठक की सह-अध्यक्षता विशेष सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत और श्री यावर कुइमदजीव, आर्थिक और ऊर्जा उप मंत्री, बुल्गारिया गणराज्य द्वारा की गई थी।

14.22 **बेलारूस** के साथ रक्षा संबंधों को सैन्य तकनीकी सहयोग संबंधी भारत-बेलारूस संयुक्त आयोग का मिंस्क में 27-30 मई, 2008 के दौरान पहला सत्र आयोजित करने के साथ और मजबूत बनाए जाने की अपेक्षा थी। इस बैठक की सह-अध्यक्षता विशेष सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और मेजर जनरल रोगोहेवस्की पीटर इवानोविच, बेलारूस गणराज्य के सैन्य उद्योग संबंधी शासन समिति के पहले उपाध्यक्ष ने की थी।

14.23 **हंगरी** के साथ भारत के संबंध मैत्रीपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित रक्षा सहयोग संबंधी करार के संदर्भ में इस करार के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है। भारत हंगरी संयुक्त रक्षा समिति की दूसरी बैठक 12-15 मई, 2008 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। भारतीय

प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व सचिव (रक्षा उत्पादन) ने किया था ।

14.24 भारत और **इंग्लैंड** के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग वार्ता 1995 में 'रक्षा परामर्शदात्री समूह संबंधी विचारार्थ विषय' पर हस्ताक्षर करने के साथ स्थापित की गई थी। तब से भारत और इंग्लैंड के बीच रक्षा संबंध निरंतर आगे बढ़ रहे हैं । दोनों देशों के बीच उच्च-स्तरीय दौरों, प्रशिक्षण का नियमित आदान-प्रदान और विशेषज्ञों तथा रक्षा उत्पादन संबंधी संयुक्त परियोजनाओं का आदान-प्रदान है । वायुसेनाध्यक्ष और सेनाध्यक्ष ने 2008 में इंग्लैंड का दौरा किया । एयर चीफ मार्शल सर ग्राहम एरिक स्टिरप, रक्षा स्टाफ प्रमुख, इंग्लैंड, जनरल सर टिम ग्रानविल्ले चैपमन, उप रक्षा स्टाफ प्रमुख, इंग्लैंड और सर ग्लेन टॉर्पी, वायुसेना प्रमुख, इंग्लैंड ने 2008-09 में भारत का दौरा किया । भारत-इंग्लैंड रक्षा परामर्शदात्री समूह की 11वीं बैठक 18-21 मई, 2008 के दौरान लंदन, इंग्लैंड में हुई थी । भारत की ओर से श्री विजय सिंह, रक्षा सचिव ने इस बैठक की सह-अध्यक्षता की और इंग्लैंड की ओर से सर बिल जेफरी, रक्षा राज्य स्थायी अवर सचिव ने सह-अध्यक्षता की । भारत-इंग्लैंड सैन्य उप-समूह की 12वीं बैठक 17-18 दिसंबर, 2008 के दौरान भारत में हुई थी । भारतीय प्रतिनिधिमण्डल की अध्यक्षता ए.सी.आई.डी.एस. (डब्ल्यू एस ओ आई), मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ ने और इंग्लैंड के प्रतिनिधि मण्डल की अध्यक्षता रक्षा स्टाफ सहायक प्रमुख, इंग्लैंड ने की थी । भारत- इंग्लैंड रक्षा उपस्कर उप-समूह की बैठक 1-2 दिसंबर, 2008 के दौरान भारत में हुई थी । भारतीय प्रतिनिधिमण्डल की अध्यक्षता अपर सचिव (डीडीपी) ने और इंग्लैंड के प्रतिनिधिमण्डल की अध्यक्षता इंग्लैंड के संक्रिया निदेशक ने की थी।

14.25 भारत और **फ्रांस** में मैत्रीपूर्ण और लाभप्रद रक्षा संबंध बने रहे हैं । फ्रांस के रक्षा मंत्री मिस्टर हर्व मोरीन 24-27 जनवरी, 2008 को भारत आए थे। दौरे के दौरान, रक्षा क्षेत्र में वर्गीकृत सूचना तथा सामग्री से संबंधित एक करार पर दिनांक 25 जनवरी, 2008 को भारत गणराज्य और फ्रांस गणराज्य की सरकार के बीच नई दिल्ली में फ्रांस के रक्षा मंत्री और हमारे रक्षा मंत्री द्वारा हस्ताक्षर किए गए। फ्रांस के नौसेनाध्यक्ष ने 14-19 फरवरी, 2008 के दौरान आयोजित किए गए 'आई.ओ. एन.एस.' में भारत का दौरा किया । नौसेनाध्यक्ष ने 8-12 जुलाई, 2008 में फ्रांस का दौरा किया। फ्रांस के डिफेंस एंड वेटेरन्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट श्री जीन मेरी बोकल ने एयरो-इंडिया 2009 के दौरान 11 फरवरी, 2009 को रक्षा मंत्री से मुलाकात की। 24 से 26 नवंबर, 2008 के बीच फ्रांस के पेरिस में रक्षा सहयोग संबंधी भारत-फ्रांस उच्च-स्तरीय समिति की 11वीं बैठक आयोजित की गई थी। भारत की ओर से श्री विजय सिंह, रक्षा सचिव ने सह-अध्यक्षता की तथा फ्रांस के डिफेंस एंड वेटेरन्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट श्री जीन मेरी बोकल ने फ्रांस पक्ष की ओर से सह-अध्यक्षता की ।

14.26 **जर्मनी** के साथ हमारे रक्षा संबंध सतत् रूप से बढ़े हैं । जर्मनी के साथ रक्षा सहयोग का उल्लेखनीय रूप मई, 2008 में बर्लिन एयर शो में जर्मनी की सहभागिता में प्रदर्शित हुआ था । जर्मन चांसलर डॉ. एंजेला मर्केल के साथ बर्लिन एयर शो का उद्घाटन करने के लिए रक्षा मंत्री जर्मनी गए। अपने दौरे के दौरान रक्षा मंत्री ने जर्मन रक्षा मंत्री मिस्टर फ्रांस जोसेफ जंग के साथ भेंट की । जर्मन सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल हंस ओट्टो। बुडे ने 19 से 24 मई, 2008 के दौरान भारत का दौरा किया। एयरो इंडिया-2009 के दौरान 11 फरवरी, 2009 को जर्मन गणराज्य रक्षा मंत्रालय के संसदीय

सक्रेटरी मिस्टर क्रिश्चियन श्वमिड्त ने रक्षा मंत्री से मुलाकात की। 9-10 मार्च, 2009 को नई दिल्ली में भारत-जर्मन रक्षा सहयोग पर भारत-जर्मनी उच्च समिति की तीसरी बैठक की गई थी। भारतीय पक्ष से रक्षा सचिव श्री विजय सिंह सह-अध्यक्ष थे आर जर्मनी की ओर से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस मिस्टर रुडिगर वोल्फ सह-अध्यक्ष थे। संयुक्त सचिव (पी.आई.सी.) की अध्यक्षता में 21-22 जनवरी, 2009 को नई दिल्ली में भारत-जर्मनी रक्षा सामरिकी उप-समूह की तीसरी बैठक की गई थी। 22-23 जनवरी, 2009 को नई दिल्ली में भारत-जर्मनी रक्षा तकनीकी उप-समूह की चौथी बैठक संयुक्त सचिव एवं अर्जन प्रबंधक (वायु) की अध्यक्षता में हुई थी। भारत-जर्मनी सैन्य उप-समूह ग्रुप की तीसरी बैठक 21-22 जनवरी, 2009 को नई दिल्ली में की गई थी।

14.27 **इटली** के साथ रक्षा संबंध मधुर और सौहार्दपूर्ण रहे हैं। भारत-इटली संयुक्त रक्षा समिति की सातवीं बैठक में हिस्सा लेने के लिए रक्षा सचिव श्री विजय सिंह की अध्यक्षता में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने 17-18 मार्च, 2008 को इटली का दौरा किया। दौरे के दौरान रक्षा सचिव ने इटली के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर और सी.डी.एस. से भेंट की। वायुसेनाध्यक्ष ने 16-19 जनवरी, 2008 के दौरान इटली का दौरा किया। चीफ ऑफ इटालियन आर्मी स्टाफ लफ्टिनेंट जनरल फैब्रिजियो कास्ताजेन्टी ने 17 से 21 नवंबर, 2008 को भारत का दौरा किया। एयरो इंडिया-2009 के दौरान 12 फरवरी, 2009 को इटली के रक्षा सचिव जनरल एल्डो सिनेली ने रक्षा सचिव को बुलाया। भारत-इटली संयुक्त कार्यकारी दल की चौथी बैठक में भाग लेने के लिए संयुक्त सचिव (पीआईसी) की अध्यक्षता में एक भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने 13-14 मार्च, 2008 को इटली का

दौरा किया। 25-26 फरवरी, 2009 को नई दिल्ली में भारत-इटली सैन्य सहयोग दल की पांचवीं बैठक की गई थी।

14.28 **फिनलैंड** की संसद की रक्षा समिति ने फिनिश सेन्टर पार्टी की समिति के अध्यक्ष मिस्टर जुहा कोर्वेओजा के नेतृत्व में 22 फरवरी से 01 मार्च, 2009 तक भारत का दौरा किया। इस दौरे के दौरान 23 फरवरी, 2009 को रक्षा संबंधी भारतीय संसदीय समिति के साथ बैठक की गई थी।

14.29 **नार्वे** के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस (रक्षा उप मंत्री) मिस्टर बार्थ एस्पेन आईडे ने 5-8 मई, 2008 को भारत का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान 6 मई, 2008 को उन्होंने रक्षा मंत्री से भेंट की।

14.30 **स्वीडन** की मिनिस्टर ऑफ ट्रेड डॉ. इवा ब्जोर्लिंग ने 28 मार्च से 01 अप्रैल, 2008 के दौरान भारत का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने 31 मार्च, 2008 को रक्षा मंत्री से भेंट की।

14.31 **संयुक्त राज्य अमरीका** के साथ भारत के रक्षा संबंध दोनों देशों के बीच व्यापक भागीदारी का महत्वपूर्ण कारक हैं। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के क्षेत्र में वृद्धि हुई है जो सैन्य सहयोग के कार्यकलापों के नियमित आयोजन, विशेषज्ञों के बारंबार आदान-प्रदान, उच्च-स्तरीय दौरों और रक्षा अनुसंधान, अधिप्राप्ति और उत्पादन के क्षेत्र में बढ़ते हुए सहयोग से दृष्टिगत हो रहा है। 26-27 फरवरी, 2008 को संयुक्त राज्य के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने भारत का दौरा किया। अपनी यात्रा

के दौरान सेक्रेटरी गेट्स ने प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से भेंट की। 7 से 10 सितंबर, 2008 के बीच रक्षा मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल ने संयुक्त राज्य अमरीका का दौरा किया। अमरीकी सेना के सेनाध्यक्ष जनरल जॉर्ज डब्ल्यू केसी ने भारत का दौरा किया। संयुक्त राज्य अमरीका की स्टाफ समिति के अध्यक्ष संयुक्त प्रमुख एडमिरल माइकेल मुलेन भारत आए और 4 दिसंबर, 2008 को रक्षा मंत्री को बुलाया। 16-17 जनवरी, 2008 को भारत-अमरीका रक्षा नीति समूह की नौवीं बैठक संयुक्त राज्य अमरीका के वाशिंगटन में हुई थी। भारतीय प्रतिनिधि मण्डल की अध्यक्षता रक्षा सचिव और अमरीकी

प्रतिनिधिमण्डल की अध्यक्षता नीति संबंधी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मिस्टर एरिक एस एडेल्मेन द्वारा की गई थी। 7-8 अगस्त, 2008 को भारत-अमरीकी रक्षा अधिप्राप्ति और उत्पादन समूह की छठी बैठक की गई थी। इस बैठक की सह-अध्यक्षता भारतीय पक्ष से महानिदेशक (अर्जन) और अमरीकी पक्ष से निदेशक एवं डी.एस.सी.ए. वाइस एडमिरल जेफरी वीरिंगा द्वारा की गई थी। भारत-अमरीकी सैन्य सहयोग दल (एम.सी.जी.) की नौवीं बैठक नई दिल्ली में 17-18 दिसंबर, 2008 को की गई थी।

14.32 दि एटलांटिक कनाडा ऑपॉरच्युनिटीज़ एजेंसी (ए.सी.ओ.ए.) के मिनिस्टर एवं मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा मिस्टर



भारत-चीन संयुक्त अभ्यास 'हैंड-इन-हैंड' 2008 का उद्घाटन समारोह

पीटर गोर्डन मकाय ने भारत का दौरा किया और 19 फरवरी, 2008 को रक्षा मंत्री से भेंट की ।

14.33 कोलंबिया के साथ रक्षा सहयोग संबंधी समझौता-झापन पर 4 फरवरी, 2009 को कोलंबिया में हस्ताक्षर किए गए थे ।

14.34 वैश्विक शांति और सौहार्द में योगदान के उद्देश्य से भारत ने मित्र राष्ट्रों के साथ अपने रक्षा सहयोग कार्यक्रमों में विस्तार और वृद्धि की है।



समारोह और अन्य कार्यक्रमलाप



गणतंत्र दिवस समारोह, 2009 के दौरान भारतीय वायुसेना के विमानों का आकाश में उड़ान-प्रदर्शन

रक्षा मंत्रालय स्वायत्त संस्थाओं के माध्यम से शैक्षिक तथा साहसिक कार्यकलाप दोनों को प्रोत्साहित करता है तथा उनको बढ़ावा देता है

15.1 रक्षा मंत्रालय स्वायत्त संस्थानों को नियमित रूप से आर्थिक सहायता देकर शैक्षिक तथा साहसिक दोनों प्रकार के कार्यकलापों को प्रोत्साहन देता है। ये संस्थाएं हैं :-

- (i) रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली ;
- (ii) दार्जिलिंग और उत्तरकाशी स्थित पर्वतारोहण संस्थान; और
- (iii) पहलगांव में जवाहर पर्वतारोहण शीत क्रीडा संस्थान ।

15.2 चालू वर्ष के दौरान इन संस्थानों के महत्वपूर्ण कार्यकलाप आगे के अनुच्छेदों में दिए जा रहे हैं ।

रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आई डी एस ए)

15.3 रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान 1965 में स्थापित एक संस्थान है जो नीति संबंधी मुद्दों, प्रमुखतः रक्षा, विदेश नीति और सुरक्षा संबंधी क्षेत्रों में अनुसंधान करता है । आई.डी.एस.ए. का अनुसंधान एजेंडा आतंकवाद तथा प्रति-आतंकवाद, अप्रसार और

रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान नीति संबंधी मुद्दों, प्रमुखतः रक्षा, विदेश नीति और सुरक्षा संबंधी क्षेत्रों में अनुसंधान करता है।

शस्त्र-नियंत्रण युद्ध पद्धति का रूपांतरण और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों जैसे विषयों के बड़े दायरे तक विस्तृत हो गया है।

15.4 कालांतर में, संस्थान का दर्जा बढ़ा है । पेन्सिलवानिया विश्वविद्यालय के बौद्धिक वर्ग एवं सिविल सोसाइटी कार्यक्रम (टी टी सी एस पी) के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार आई डी एस ए को एशिया के शीर्ष 25 बौद्धिक वर्गों में तृतीय स्थान दिया गया है । विश्वविद्यालय जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर आई डी एस ए को मद्रास विश्वविद्यालय ने भी रक्षा अध्ययन संकाय में पी एच डी उपाधि तक अग्रणी अनुसंधान के संचालन के लिए एक केंद्र के रूप में मान्यता दी है ।

15.5 आई.डी.एस.ए. के सशक्त अनुसंधान कार्य के परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकाशन तैयार किए गए। संस्थान द्वारा चार पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। स्ट्रेटेजिक एनेलिसिस (द्विमासिक), स्ट्रेटेजिक डाइजेस्ट (मासिक) जर्नल आफ डिफेंस स्ट्रेटेजिक (त्रैमासिक) और सी बी डब्ल्यू मैगजीन (रासायनिक एवं जैविक हथियारों पर एक त्रैमासिक पत्रिका) और चार समाचार सार संग्रह नामतः पी ओ के न्यूज डाइजेस्ट (मासिक), केमिकल एंड बायोलॉजिकल न्यूज

डाइजेस्ट (मासिक), द वीक इन रिव्यू (साप्ताहिक) और करेंट जनरल कंटेन्टस (मासिक)। इस अवधि के दौरान, संस्थान ने भी चौदह पुस्तकें प्रकाशित की।

15.6 वर्ष भर में आई डी एस ए द्वारा संगोष्ठियां, गोल मेज सभाओं तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर अन्य बौद्धिक वर्गों के साथ व्याख्यान एवं संवाद आयोजित किए गए। 'एशिया में युद्ध का बदलता स्वरूप एवं विकसित होने वाली युद्ध नीतियों' के बारे में 11 वीं एशियाई सुरक्षा सम्मेलन 3-4 फरवरी, 2009 को आयोजित किया गया। द्विपक्षीय संवाद श्रृंखला के तहत राजनीतिक एवं अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान (आई पी आई एस) के साथ "क्षेत्रीय सुरक्षा गति विज्ञान : भारतीय एवं ईरानी परिप्रेक्ष्य" पर एक विचार-विमर्श आयोजित किया गया था। आई डी एस ए ने भी दिसंबर, 2008


में जापान इंस्टीट्यूट ऑफ इन्टरनेशनल अफेयर्स के साथ दसवें द्विपक्षीय संवाद की मेजबानी की।

15.7 वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, (i) भारत में जलवायु परिवर्तन होने पर सुरक्षा पर पड़ने वाला प्रभाव (ii) नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का नेपाल में सत्तारूढ़ होना: भारत पर इसका प्रभाव (iii) भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका (आईवीएसए) वार्ता मंच से संबद्ध दृष्टिकोण; (iv) रूस का पुनरुत्थान और (v) जम्मू-कश्मीर में ताजा घटनाक्रम। रक्षा क्षतिपूर्ति विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री द्वारा किया गया।

15.8 इस अवधि के दौरान आई डी एस ए की अन्य महत्वपूर्ण पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:-



11वां एशियाई सुरक्षा सम्मेलन, 3-4 फरवरी, 2009



रक्षा उद्योग पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, 23-24 जनवरी, 2009

‘भारत के पड़ोस में बदलता राजनीतिक संदर्भ: सुरक्षा एवं क्षेत्रीय सहयोग के अवसर’, रक्षा मंत्रालय, ब्रिटेन के विकास अवधारणाओं एवं सिद्धांत केंद्र के साथ एक सामरिक मामला कार्यशाला का आयोजन तथा "रक्षा बजट" पर राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन; तृतीय विश्व अध्ययन अकादमी, जामिया मिलिया इस्लामिया के सहयोग से "पाकिस्तान एवं बांग्लादेश" के 'रक्षा उद्योग तथा सैन्य' और राष्ट्र निर्माण अनुभव" ।

पर्वतारोहण संस्थान

15.9 रक्षा मंत्रालय संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर तीन पर्वतारोहण संस्थान- पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग स्थित हिमालय पर्वतारोहण

संस्थान, उत्तराखंड में उत्तरकाशी स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान तथा जम्मू कश्मीर में पहलगाम स्थित जवाहर पर्वतारोहण संस्थान एवं शीत क्रीड़ा संस्थान चलाता है । ये संस्थान स्वायत्त पंजीकृत सोसायटियों के रूप में चलाए जाते हैं और उन्हें निकायों का दर्जा प्रदान किया गया है। रक्षा मंत्री इन संस्थानों के अध्यक्ष होते हैं । संबंधित राज्य के मुख्य मंत्री संस्थानों के उपाध्यक्ष होते हैं । इन संस्थानों का प्रशासन पृथक कार्यकारी परिषदों द्वारा चलाया जाता है जिनमें आम सभा द्वारा चुने गए सदस्य, दानदाताओं और/अथवा संस्थान के उद्देश्य को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों में से नामित सदस्य तथा केंद्र व राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं ।

15.10 हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग की स्थापना नवंबर, 1954 में तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा सर एडमंड हिलेरी के साथ तेनजिंग नोरगे के 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर ऐतिहासिक पर्वतारोहण की स्मृति में की गई थी। यह संस्थान पर्वतारोहण को भारत में एक खेल के रूप में गति प्रदान करता है। पर्वतारोहणों को और अधिक बढ़ावा देने और युवाओं में साहसिक भावना भरने के लिए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी की अक्टूबर, 1965 में और जवाहर पर्वतारोहण संस्थान पहलगांव (जम्मू कश्मीर) की अक्टूबर, 1983 में स्थापना की गई थी।

15.11 पर्वतारोहण संस्थानों के व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

- (क) पर्वतारोहण तथा चट्टानों पर चढ़ने की तकनीकों के विषय में सैद्धांतिक ज्ञान देना और व्यावहारिक प्रशिक्षण देना ;
- (ख) पर्वतों तथा साहसिक यात्राओं के प्रति रुचि और प्रेम उत्पन्न करना ; और
- (ग) शीत-क्रीडाओं के प्रति प्रोत्साहित करना तथा उनका प्रशिक्षण देना।

15.12 ये पर्वतारोहण संस्थान आधारभूत और उन्नत पर्वतारोहण पाठ्यक्रम, अनुदेश पद्धति पाठ्यक्रम, तलाश व बचाव पाठ्यक्रम और साहसिक क्रियाकलाप संबंधी पाठ्यक्रम आयोजित करते हैं। सभी संस्थानों में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों के पाठ्य विवरण, उनकी अवधि, सहभागियों की आयु सीमा और ग्रेडिंग पद्धति लगभग एक जैसी हैं।

15.13 इन पाठ्यक्रमों के लिए देश के सभी भागों से प्रशिक्षणार्थी आते हैं और इनमें सेना, वायुसेना, नौसेना, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक, राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट और प्राइवेट विद्यार्थी शामिल होते हैं। इन पाठ्यक्रमों में

विदेशियों को भी शामिल होने की अनुमति दी जाती है।

15.14 इन संस्थानों द्वारा अप्रैल 2008 से जनवरी, 2009 तक संचालित पाठ्यक्रमों का ब्यौरा सारणी संख्या 15.1 में दिया गया है।

15.15 इन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित छात्रों की संख्या सारणी सं. 15.2 में दी गई है :-

सारणी 15.1

संस्थान	आधारभूत	उन्नत	साहसिक	अनुदेश पद्धति पाठ्यक्रम	खोज व बचाव
नेहरू पर्वतारोहण	10	06	10	02	02
जवाहर पर्वतारोहण	शून्य	शून्य	22	शून्य	शून्य
हिमालय पर्वतारोहण	05	03	02	--	--

सारणी 15.2

संस्थान	आधारभूत	उन्नत	साहसिक	अनुदेश पद्धति पाठ्यक्रम	खोज व बचाव
(एनआईएम/जेआईएम और एचएमआई)	1124	316	2320	46	68

15.16 हिमालय पर्वतारोहण संस्थान ने छह विशेष साहसिक और रॉक क्लाइम्बिंग पाठ्यक्रम भी संचालित किए, जिनमें 255 पुरुषों और महिलाओं को इस अवधि में प्रशिक्षण दिया गया।

15.17 नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ने भी अप्रैल, 2007 से 31 दिसंबर, 2008 तक विभिन्न संगठनों के लिए 42 विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किए जिनमें 852 पुरुषों और महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया।

15.18 प्राथमिक कक्षाओं की लड़कियों (कुल 677) के लिए जज्जर, कोटली में 7 दिनों की अवधि के लिए विशेष तदर्थ साहसिक पाठ्यक्रम आयोजित किया गया।

समारोह, सम्मान व पुरस्कार

15.19 रक्षा मंत्रालय गणतंत्र दिवस परेड, समापन समारोह, शहीदी दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे

राष्ट्रीय समारोहों का आयोजन करता है। रक्षा मंत्रालय, राष्ट्रपति सचिवालय के सहयोग से वीरता तथा विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए जाने के लिए राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोहों का आयोजन भी करता है। वर्ष 2008-09 के दौरान आयोजित किए गए समारोहों का ब्यौरा आगामी पैराओं में दिया गया है।

**रक्षा मंत्रालय
गणतंत्र दिवस
परेड, समापन
समारोह, शहीदी
दिवस तथा स्वतंत्रता
दिवस जैसे राष्ट्रीय
समारोहों का आयोजन
करता है।**

15.22 स्वतंत्रता दिवस समारोह, 2008 : स्वतंत्रता दिवस समारोह का शुभारंभ, लालकिले पर स्कूली बच्चों द्वारा विभिन्न भारतीय भाषाओं में सामूहिक देशभक्ति गान के साथ हुआ। तीनों सेनाओं तथा दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री को सलामी दी। तत्पश्चात, प्रधानमंत्री ने सेनाओं के बैंड द्वारा बजाए गए

15.20 अलंकरण समारोह, 2008 : रक्षा अलंकरण समारोह, 2008, 7 से 14 मई 2008 के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति ने समारोह में स्वतंत्रता दिवस-2007 एवं गणतंत्र दिवस 2008 को घोषित विजेताओं एवं निकट संबंधियों को निम्नलिखित वीरता एवं विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए जो सारणी 15.3 एवं 15.4 में दिए गए हैं।

सारणी संख्या 15.3

वीरता पुरस्कार		
कीर्ति चक्र	10	(6 मरणोपरांत)
शौर्य चक्र	42	(16 मरणोपरांत)

सारणी संख्या 15.4

विशिष्ट सेवा पुरस्कार	
परम विशिष्ट सेवा मेडल	30
अति विशिष्ट सेवा मेडल-बार	3
अति विशिष्ट सेवा मेडल	52

15.21 विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, नौसेना मेडल, वायुसेना मेडल तथा इन मेडलों के बार जैसे अन्य पुरस्कार, संबंधित सेनाध्यक्षों तथा सीनियर कमांडरों द्वारा अलग अलंकरण समारोहों में दिए गए थे।

राष्ट्रीय गान के साथ ही लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर 21 तोपों की सलामी दी गई। प्रधानमंत्री के राष्ट्र के संबोधन के बाद समारोह का समापन दिल्ली के स्कूलों से आए बच्चों और एन सी सी कैडेटों द्वारा राष्ट्रीय-गान गाने तथा गुब्बारे छोड़ने के साथ हुआ। बाद में दिन के दौरान, राष्ट्रपति ने उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर फूल माला चढ़ाई जिन्होंने मातृभूमि की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे।

15.23 गणतंत्र दिवस, 2008 को घोषित वीरता पुरस्कारों का ब्यौरा सारणी संख्या 15.5 में दिया गया है :-

सारणी संख्या 15.5

पुरस्कार	कुल	मरणोपरांत
अशोक चक्र	2	2
कीर्ति चक्र	9	6
शौर्य चक्र	18	7
बार टु सेना मेडल (जी)	1	-
सेना मेडल (जी)	87	10
नौसेना मेडल (जी)	6	2
वायुसेना मेडल (जी)	1	-

15.24 **विजय दिवस** : 16 दिसम्बर 2008 को विजय दिवस मनाया गया । इस अवसर पर, रक्षा मंत्री ने इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर फूलमाला चढ़ाई ।

15.25 **अमर जवान ज्योति समारोह, 2009** : रक्षा मंत्री ने प्रातःकाल 26 जनवरी, 2008 को इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर पुष्प-माला चढ़ाई । उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दो मिनट का मौन रखा जिन्होंने देश की अखण्डता की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर किए थे ।

15.26 **गणतंत्र दिवस समारोह, 2009** : राजपथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह का शुभारम्भ हुआ । राष्ट्रपति के अंगरक्षकों ने सेनाओं के बैंडों द्वारा बजाए गए राष्ट्र गान और



राष्ट्रपति रक्षा अलंकरण समारोह में एक वीरता पुरस्कार विजेता के निकटतम संबंधी के साथ

21 तोपों की सलामी के बाद राष्ट्रीय सलामी दी । इस अवसर पर कजाकिस्तान के राष्ट्रपति महामहिम नुरुलसुल्तान नजरबायेव मुख्य अतिथि थे। भारत के राष्ट्रपति ने एक अलंकरण समारोह में उन ग्यारह सैनिकों को मरणोपरांत उनके निकट संबंधियों को ग्यारह अशोक चक्र (दो पुरस्कारों की घोषणा 15 अगस्त, 2008 को और नौ पुरस्कारों की घोषणा 26 जनवरी, 2009 को की गई) प्रदान किए, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया ।

15.27 राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए 20 बच्चों में से एक को यह मरणोपरांत प्रदान किया गया था। सुसज्जित सेना जीपों पर सवार राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार विजेता बच्चों ने परेड में भाग लिया । राज्यों/संघ शासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की झांकियां और स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम परेड के अन्य आकर्षण थे । इन झांकियों और सांस्कृतिक मदों के प्रदर्शन से राष्ट्र का सांस्कृतिक वैविध्य दृष्टिगोचर हुआ । सेना (सिग्नल) के जवानों द्वारा मोटर साइकिल पर प्रदर्शन और तत्पश्चात् भारतीय वायुसेना के विमानों की सलामी के साथ परेड का समापन हुआ ।

15.28 गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित वीरता तथा विशिष्ट सेवा पुरस्कारों का ब्यौरा सारणी संख्या 15.6 में दिया गया है ।

15.29 **शहीदी दिवस समारोह, 2009**: 30 जनवरी, 2009 को, राष्ट्रपति ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर फूलमाला चढ़ाई । उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री तथा अन्य पदाधिकारियों ने भी पुष्पांजलि अर्पित की । इसके बाद 1100 बजे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दो मिनट का मौन



रक्षा मंत्री तीनों सेनाध्यक्षों के साथ अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए

रखा जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे ।

15.30 रक्षा अलंकरण समारोह 2009 : रक्षा अलंकरण समारोह 2009 का 19 एवं 25 मार्च 2009 को राष्ट्रपति भवन में आयोजन किया गया था । समारोह में स्वतंत्रता दिवस-2008 और गणतंत्र दिवस-2009 को घोषित विजेताओं और निकट संबंधियों को राष्ट्रपति ने निम्नलिखित वीरता एवं विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किया जो सारणी 15.7 एवं 15.8 में दिए गए हैं।

15.31 अन्य पुरस्कार जैसे विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल,

नौसेना मेडल, वायुसेना मेडल और इन मेडलों के बार अलग अलंकरण समारोहों में संबंधित सेवा प्रमुखों एवं वरिष्ठ कमांडरों द्वारा सम्मानित किया गया था ।

राजभाषा प्रभाग

रक्षा मंत्रालय, इसके अधीनस्थ कार्यालयों, रक्षा उपक्रमों आदि में सरकार की राजभाषा नीति को लागू करना मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग की जिम्मेदारी है ।

15.32 रक्षा मंत्रालय, इसके अधीनस्थ कार्यालयों, रक्षा उपक्रमों आदि में सरकार की राजभाषा नीति को लागू करना मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग की जिम्मेदारी है ।

15.33 रिपोर्टाधीन वर्ष में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

सारणी संख्या 15.6

पुरस्कार	कुल	मरणोपरांत
अशोक चक्र	9	9
कीर्ति चक्र	13	6
शौर्य चक्र-बार	1	1
शौर्य चक्र	30	8
सेना मेडल/नौसेना मेडल/वायुसेना मेडल (वीरता) - बार	2	-
सेना मेडल/नौसेना मेडल/वायुसेना मेडल (वीरता)	99	14
परम विशिष्ट सेवा मेडल	29	-
अति विशिष्ट सेवा मेडल-बार	1	-
अति विशिष्ट सेवा मेडल	50	-
उत्तम युद्ध सेवा मेडल	2	-
युद्ध सेवा मेडल	5	-
विशिष्ट सेवा मेडल-बार	2	-
विशिष्ट सेवा मेडल	122	-
सेना मेडल (वीरता) - बार	1	-
सेना मेडल/नौसेना मेडल/वायुसेना मेडल (कर्तव्यपरायणता)	62	-

सारणी संख्या 15.7

वीरता पुरस्कार		
कीर्ति चक्र	22	(12 मरणोपरांत)
शौर्य चक्र	01	(मरणोपरांत)
शौर्य चक्र	48	(15 मरणोपरांत)

सारणी संख्या 15.8

विशिष्ट सेवा पुरस्कार	
परम विशिष्ट सेवा मेडल	29
उत्तम युद्ध सेवा मेडल	02
अति विशिष्ट सेवा मेडल-बार	01
अति विशिष्ट सेवा मेडल	50

द्वारा बनाए गए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास किए गए। हिंदी पत्राचार, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के प्रावधानों और राजभाषा नियम 5 का पालन करने, अधिकाधिक सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं

चलाने, रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों/स्टाफ को हिन्दी, हिंदी आशुलिपि तथा हिंदी टंकण में प्रशिक्षण दिलाने संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने पर मुख्य रूप से बल दिया गया था। इसकी प्रगति के बारे में तिमाही बैठकों में नियमित आधार पर समीक्षा की गई।

15.34 **अनुवाद कार्य** : वर्ष भर प्रभाग अनुवाद कार्य में लगा रहा । हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद के लिए सामग्री में सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, संकल्प, करार, मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्ताव, वार्षिक रिपोर्टें, प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्ट, संसद प्रश्न आदि शामिल हैं ।

15.35 **हिंदी प्रशिक्षण** : इस अवधि के दौरान मंत्रालय के अधिकारियों/स्टाफ को हिंदी, हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण देने के लिए नियमित रूप से नामित किया गया।

15.36 **हिंदी सलाहकार समिति** : मंत्रालय में रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में दो हिंदी सलाहकार समितियां कार्य करती हैं अर्थात् एक रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के लिए और दूसरी रक्षा उत्पादन विभाग के लिए । पहली सलाहकार समिति की बैठक 5 मई, 2008 को आयोजित की गई ।

15.37 **हिंदी पुस्तक लेखन एवं गृह पत्र-पत्रिकाओं के लिए योजनाएं** : मंत्रालय 1980 से रक्षा संबंधी विषयों पर मूलतः हिंदी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए एक अनन्य योजना लागू करता आ रहा है । वर्तमान में, इस योजना के अंतर्गत नकद पुरस्कार (क्रमशः 50,000, 30,000, 20,000 एवं 10,000 रूपए के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं प्रोत्साहन पुरस्कार) प्रदान करने

सभी योधी पदों को निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 और 47 से छूट दी गई है।

का प्रावधान है । अब तक 36 पुस्तकों को पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं ।

15.38 **हिंदी पखवाड़ा** : रक्षा मंत्रालय में दिनांक 1-15 सितंबर, 2008 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया । पखवाड़े में ग्यारह प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनमें 152 अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। तीनों सेना मुख्यालयों, सभी अंतर सेवा संगठनों, रक्षा उपक्रमों तथा देश भर में स्थित रक्षा कार्यालयों में भी इस तरह के पखवाड़ों का आयोजन किया गया ।

15.39 **राजभाषायी निरीक्षण** : इस वर्ष के दौरान संसदीय राजभाषा समिति की प्रथम उप समिति ने देश के विभिन्न भागों में स्थित 32 रक्षा कार्यालयों के राजभाषायी निरीक्षण किए। विभिन्न रक्षा कार्यालयों में सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का जायजा लेने के लिए, मंत्रालय, संबंधित मुख्यालयों और राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) के अधिकारियों ने 22 कार्यालयों के राजभाषायी निरीक्षण किए। इसके अलावा, दिल्ली स्थित आठ मुख्यालयों/अनुभागों के निरीक्षण भी किए गए।

निशक्त व्यक्तियों का कल्याण

15.40 रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग को छोड़कर) तथा रक्षा उत्पादन विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' में निशक्त

सारणी संख्या 15.9

रक्षा मंत्रालय में (रक्षा उत्पादन विभाग को छोड़कर) सेवाओं में (01 जनवरी, 2008 तक) निःशक्त व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

समूह	कर्मचारियों की संख्या				
	कुल	अभिनिश्चित पदों में	दृष्टि से निःशक्त	श्रवण से निःशक्त	शारीरिक रूप से विकलांग
समूह क	12649	3255	1	1	44
समूह ख	18082	1770	6	6	97
समूह ग	139415	6069	122	166	986
समूह घ	127585	4047	257	276	660
कुल	297731	15141	386	449	1787

सारणी संख्या 15.10

रक्षा उत्पादन विभाग के तहत अधीनस्थ कार्यालयों में सेवाओं में (01 जनवरी, 2008 तक) निःशक्त व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

समूह	कर्मचारियों की संख्या				
	कुल	अभिनिश्चित पदों में	दृष्टि से निःशक्त	श्रवण से निःशक्त	शारीरिक रूप से विकलांग
समूह क	2095	17	1	0	4
समूह ख	14320	137	2	4	85
समूह ग	76477	1891	88	124	745
समूह घ	26433	913	117	125	389
कुल	119325	2958	208	253	1223

व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व सारणी संख्या 15.9 और 15.10 में प्रस्तुत किया गया है।

15.41 सशस्त्र बल : निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की संरक्षा तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 तक 47 के अधीन

स्थापित उपबंधों में सेवा में भर्ती तथा बनाए रखने के मामले में निशक्त व्यक्तियों के लिए सुरक्षोपाय निर्धारित किए गए हैं। तथापि, सशस्त्र सेना कार्मिकों द्वारा निष्पादित की जाने वाली ड्यूटियों की किस्म के मद्देनजर, सभी युद्धक कार्मिकों को, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी विशेष

अधिसूचनाओं के कारण, उक्त धाराओं की प्रयोज्यता से छूट दी गई है।

15.42 रक्षा उत्पादन विभाग : रक्षा मंत्रालय के तहत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में, निशक्त व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ उपलब्ध कराने के लिए निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अवकाशों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है। सरकार द्वारा निर्धारित के अलावा कई रियायतें एवं छूट निशक्त व्यक्तियों को प्रदान की जाती हैं।

15.43 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर. डी.ओ): निशक्तता वाले व्यक्तियों के कल्याण के

संबंध में सरकार की नीतियों एवं अनुदेशों को लागू करने में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन वचनबद्ध है। भर्ती एवं पदोन्नति में 3% आरक्षण सरकार के अनुदेशों के अनुसार निशक्तता वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जा रहा है।

15.44 भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग : युद्ध के दौरान या दुर्घटनाओं एवं अन्य कारणों से कुछ सैनिक अशक्त होते हैं और उन्हें सेवा से बाहर निकाल दिया गया है। इन भूतपूर्व सैनिकों के विशेष चिकित्सा सेवा और स्वावलंबी होने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। देखरेख एवं पुनर्वास केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा वित्तीय रूप से समर्थित विशेष संस्थानों द्वारा किया जाता है।



रक्षा मंत्री एक भूतपूर्व निशक्त सैनिक को तिपहिया साइकिल भेंट करते हुए

(क) ई.एस.एम. अधरंगघात से पीड़ित को मोटरीकृत ट्राइसाइकलों की भेंट : अशक्तता 50% से ज्यादा या चिकित्सा प्राधिकारियों की सिफारिश के आधार पर के.एस.बी., अशक्त ई.एस.एम. को मोटरीकृत ट्राइसाइकिल प्रदान की जाती है।

(ख) भूतपूर्व सैनिक तकनीशियनों के लिए टूल किट :- सशस्त्र सेना झण्डा दिवस निधि में से ई.एस.एम. तकनीशियनों को टूल किट प्रदान की जाती है।

(ग) युद्ध स्मारक होस्टलों के लिए अनुदान : युद्ध विधवाओं तथा युद्ध-विकलांगों के बच्चों को आश्रय मुहैया कराने के लिए युद्ध स्मारक होस्टलों के निर्माण तथा कार्यकरण हेतु प्रत्येक रेजिमेंटल केंद्र को के एस बी द्वारा गैर-आवर्ती अनुदान उपलब्ध कराया गया था। युद्ध कारणों तथा गैर-युद्ध कारणों के मामलों में रक्षा कार्मिकों के आश्रितों के लिए क्रमशः 400 रुपये प्रति माह तथा 450 रुपये प्रतिमाह युद्ध स्मारक होस्टलों के लिए आवर्ती अनुदान भी उपलब्ध कराये जाते हैं।

(घ) अधरंगघात पुनर्वास केंद्र के लिए अनुदान: खड़की तथा मोहाली स्थित अधरंगघात पुनर्वास केंद्र अधरंगघात तथा पूर्णांगघात ई एस एम अंतरवासियों, जिन्होंने सक्रिय सेवा के दौरान अपने अंग खो दिए, की देखभाल करते हैं। इन अधरंगघात पुनर्वास केंद्रों को के एस बी द्वारा प्रति अंतरवासी प्रति वर्ष 14,600 रुपये की दर से वार्षिक अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

(ङ) क्वीन मैरी तकनीकी संस्थान को अनुदान: के एस बी विकलांगों के लिए क्वीन मैरी

निशक्त भूतपूर्व सैनिकों को आत्मनिर्भर होने के लिए विशेष चिकित्सा देखभाल तथा प्रशिक्षण मुहैया कराया जाता है। देखभाल तथा पुनर्वास कार्य विशेष संस्थाओं में किया जाता है जिनकी आर्थिक सहायता केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा की जाती है।

तकनीकी संस्थान को अनुदान उपलब्ध कराता है जो अधरंगघात सैनिकों को शैक्षिक प्रशिक्षण प्रदान करता है।

(च) संत डनस्टन पश्च-देखभाल संगठन, देहरादून को अनुदान: संत डनस्टन का संगठन अंधे सैनिकों, नाविकों तथा वायु-सैनिकों को अंधेपन के आघात पर काबू पाने के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराता है तथा समाज में अपना स्थान पाने के लिए अंधे भूतपूर्व सैनिकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है तथा देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराता है।

15.45 निशक्त सशस्त्र सेना कार्मिकों को पेंशन/उपदान : चिकित्सा-आधार पर सेवा मुक्त होने वाले कैडेटों सहित निशक्त हुए अथवा सेवा के दौरान घायल हुए सशस्त्र सेना कार्मिक संवर्धित दरों पर विभिन्न निम्नलिखित पेंशन संबंधी तथा अन्य लाभों के हकदार हैं :-

(क) निशक्तता पेंशन : कोई व्यक्ति, जिसे सेवा से, किसी बीमारी या घाव की वजह से जो सैन्य सेवा के कारण हुआ हो अथवा सैन्य सेवा के कारण इसमें वृद्धि हुई हो, मुक्त किया गया हो वह निशक्तता पेंशन का हकदार है बशर्ते निशक्तता को चिकित्सा बोर्ड द्वारा 20 प्रतिशत या इससे अधिक आंका गया हो।

(ख) युद्ध घायल पेंशन : युद्ध घायल पेंशन उन कार्मिकों को प्रदान की जाती है जो युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति अथवा अतिवादियों या असामाजिक तत्वों के विरुद्ध युद्ध के दौरान घायल अथवा निशक्त हो जाते हैं।


(ग) निशक्तता पेंशन : निशक्तता पेंशन अनुमन्य है जहां व्यक्ति को निशक्तता के आधार पर सैन्य सेवा से

मुक्त कर दिया जाता है यह निशक्तता न तो सैन्य सेवा के कारण होती है और न ही सैन्य कारणों से इसमें वृद्धि होती, ऐसे मामलों में वास्तविक सेवा का 10 वर्ष या अधिक परंतु 15 वर्ष को कम होनी चाहिए। 10 वर्ष से कम की सेवा के मामले में निशक्तता उपदान का भुगतान किया जाता है।

(घ) **कैडेटों (सीधे) की मृत्यु के मामले में अनुग्रह राशि प्रदान करना :** सैन्य प्रशिक्षण के कारण अथवा इसके कारण से इसमें वृद्धि होने की वजह से चिकित्सा के आधार पर कैडेट (सीधे) के निशक्त होने की अवस्था में कतिपय शर्तों के अधधीन अनुग्रह राशि निम्नलिखित दरों के अनुसार भुगतानीय है :

- (i) 1275/- रुपये प्रतिमाह अनुग्रह राशि।
- (ii) निशक्तता अवधि के दौरान 100 प्रतिशत निशक्तता के लिए 2100/- रुपये प्रतिमाह की दर से निशक्तता संबंधी अनुग्रह राशि प्रदान करना। 100 प्रतिशत से कम निशक्तता होने की अवस्था में निशक्तता अनुग्रह राशि में से उसी अनुपात में राशि कम कर दी जाती है।

निशक्तता अनुग्रह राशि 1 अगस्त, 1997 से लागू है। तथापि, 1 अगस्त 1997 से पहले के मामलों में भी 1 अगस्त, 1997 से लागू वित्तीय लाभ के साथ लाभ अनुमन्य है।



महिलाओं का सशक्तीकरण और कल्याण



गणतंत्र दिवस परेड में नेटवर्क ऑपरेशन सेन्टर का नेतृत्व करते हुए एक महिला अफसर

सशस्त्र सेनाओं की संभारिकी और विधि जैसी विभिन्न अयोधी शाखाओं में महिलाओं की भर्ती करके उनके लिए व्यापक भूमिका की परिकल्पना की गई है

17.1 राष्ट्रीय रक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका में क्रमिक रूप से वृद्धि हो रही है। महिलाओं को रक्षा उत्पादन यूनिटों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और सशस्त्र सेनाओं में डाक्टर और नर्सिंग अफसर के रूप में नियुक्त किया जाता है। सशस्त्र सेनाओं की संभारिकी और विधि जैसी विभिन्न अयोधी शाखाओं में महिलाओं की भर्ती करके उनके लिए व्यापक भूमिका की परिकल्पना की गई है।

भारतीय सेना

17.2 सेना में महिला अफसर : एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अल्प-सेवा कमीशन में महिला अफसरों के कार्यकाल को 10 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दिया गया है। इसके अलावा, उनके पदोन्नति अवसरों में भी काफी वृद्धि की गई है। इससे पहले, वे 5 वर्ष की सेवा के बाद केवल एक ही पदोन्नति अर्थात् मेजर रैंक के लिए ही पात्र थीं। सरकार के हाल ही के एक निर्णय के अनुसार, सेना में अल्पकालीन सेवा कमीशनप्राप्त महिला अफसरों को 2, 6, तथा 13 वर्ष की संगणनीय सेवा के बाद क्रमशः कैप्टन, मेजर तथा लेफ्टि. कर्नल रैंकों पर निर्धारित समयानुसार निश्चित पदोन्नतियां दी जाती हैं।

सरकार ने सशस्त्र सेनाओं की चुनिंदा शाखाओं/संवर्गों में अल्प सेवा कमीशन (महिला) अफसरों के लिए भविष्य में स्थायी कमीशन प्रदान करने का अनुमोदन दिया है।

यह स्थायी कमीशनप्राप्त अफसरों को उपलब्ध पदोन्नतियों के समान है। इसके अलावा, महिला तथा पुरुष अफसरों में समानता सुनिश्चित करने की दृष्टि से सेना में अल्पकालीन सेवा कमीशन में महिला अफसरों की प्रशिक्षण अवधि को 24 सप्ताह से बढ़ाकर 49 सप्ताह कर दिया गया है जो अल्पकालीन सेवा कमीशन के पुरुष अफसरों के समान है।

17.3 सशस्त्र सेनाओं में महिला अफसर लगभग 80 वर्षों से सेवा कर रही हैं, पहली बार इन्हें सैन्य परिचर्या सेवा में 1927 में तथा फिर 1943 में चिकित्सा अफसर संवर्ग में शामिल किया गया था। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा में स्थाई तथा अल्पकालीन सेवा कमीशन, दोनों प्रकार के अफसर हैं।

17.4 तोपखाना रेजिमेंट, सिग्नल कोर, इंजीनियर कोर, वैद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियर कोर, सेना सेवा कोर (खाद्य वैज्ञानिक तथा खान-पान अफसर), सेना आयुध कोर, आसूचना कोर, सेना शिक्षा कोर, जज एडवोकेट जनरल विभाग तथा सेना डाक सेवा में महिला अफसर अल्पकालीन सेवा कमीशन अफसर के रूप में शामिल होती हैं।

17.5 सरकार ने सेना की चुनिंदा शाखाओं/संवर्गों अर्थात् जज एडवोकेट जनरल विभाग और शिक्षा कोर में अल्प सेवा कमीशन (महिला) अफसरों के लिए भविष्य में स्थायी कमीशन प्रदान करने का अनुमोदन दिया है ।

भारतीय नौसेना

17.6 भर्ती के समय से ही महिला अफसरों को हर तरह से उनके पुरुष समकक्षों के समान, व्यवहार्य सीमा तक और सेवा की आकस्मिकताओं के अध्यक्षीन, समान अवसर दिए गए हैं ताकि अंततोगत्वा सेना की संक्रियात्मक प्रभावकारिता सुनिश्चित हो सके।

17.7 अल्प सेवा कमीशन : महिलाओं को नौसेना में कार्यपालक (प्रेक्षक, ए टी सी, विधि और संधारिकी संवर्गों), शिक्षा शाखा और इंजीनियरी शाखा के नौसेना के वास्तुशिल्प संवर्ग में अल्प सेवा कमीशन अफसरों के रूप में शामिल किया जा रहा है ।

17.8 स्थायी कमीशन : सरकार ने कार्यपालक शाखा (विधि संवर्ग), शिक्षा शाखा और इंजीनियरी शाखा (नौसेना वास्तुविद संवर्ग) की अल्प सेवा कमीशन महिला अफसरों के लिए भावी रूप से स्थायी कमीशन प्रदान करना शुरू किया है ।

17.9 आउटवर्ड बाउंड टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज: महिला कर्मचारियों में आत्म-विश्वास, साहसिक भावना, सहिष्णुता और टीम भावना, जो संवर्द्धित संतुष्टि, विश्वास और उपलब्धि की भावना के जारिए उनके वैयक्तिक जीवन को समृद्ध करता है, विकसित करने के लिए सर्व महिला आउटवर्ड बाउंड टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज भी संचालित की जा रही है ।

भारतीय वायुसेना

17.10 भारतीय वायुसेना में महिलाओं को सबसे पहले 15 वर्ष पूर्व शामिल किया गया था। सेना का यह प्रयास है कि महिलाओं को नियोजन तथा अवसरों के सभी क्षेत्रों में भाग लेने और विशिष्टता दिखाने के लिए पूरा अवसर दिया जाए । महिलाओं को उड़ान शाखा सहित भारतीय वायुसेना की सभी शाखाओं में नियोजित किया जाता है । भारतीय वायुसेना पात्रता मानदंडों, प्रशिक्षण तरीकों और अवधि तथा कैरियर पाठ्यक्रमों आदि के संदर्भ में एकसमान मानदंड अपनाती है । महिला अफसर अपने पुरुष समकक्षों की तरह सेवा के एकसमान वर्षों और मानदंडों पर पदोन्नति के लिए पात्र हैं और वे इस



भा.वा.से. की एक महिला अफसर वायुसेना दिवस परेड में एक टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए

समय इस सेना में ऐसी नियुक्तियों पर तैनात हैं जो पर्यवेक्षी स्वरूप की हैं।

17.11 पात्र महिलाओं को उड़ान, वैमानिकी (एयरोनॉटिकल) इंजीनियरी, (इलेक्ट्रानिक्स) वैमानिकी (एयरोनॉटिकल) इंजीनियरी (यांत्रिक), शिक्षा, प्रशासन, संचारिकी लेखा और मौसम विज्ञान की शाखाओं में अल्प सेवा कमीशन अफसर के रूप में भर्ती किया जाता है। हाल ही में, भारतीय वायुसेना की शिक्षा, लेखा और प्रशासन (विधि) शाखाओं में महिलाओं को स्थाई कमीशन देने का निर्णय किया गया है। तदनुसार, जनवरी 2009 में इन शाखाओं में शुरू होने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली महिलाएं रिक्तियों की उपलब्धता, प्रदर्शित कार्य निष्पादन और सेवा संबंधी आवश्यकताओं के अध्यक्षीन स्थायी कमीशन प्राप्त करने की पात्र होंगी।

भारतीय तटरक्षक

17.12 तटरक्षक बल में महिलाओं को सामान्य ड्यूटी, सामान्य ड्यूटी (पायलट/नौचालन) और सामान्य ड्यूटी (वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस धारक अल्प सेवा भर्ती) शाखाओं में केवल अफसर के रूप में भर्ती किया जाता है। महिला उम्मीदवारों के लिए चयन प्रक्रिया पुरुष उम्मीदवारों के समान ही है। समुद्र में जाने के अलावा, अन्य पदों पर महिला अफसरों की तैनाती की जाती है। अन्य सशस्त्र सेनाओं के विपरीत सामान्य ड्यूटी (वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस धारक) अल्प सेवा भर्ती को छोड़कर तटरक्षक में कार्यरत महिला अफसरों के पास अधिवर्षिता की आयु तक नौकरी करते रहने का विकल्प है।

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन यह सुनिश्चित करता है कि महिला कर्मचारियों को अपनी कार्य कुशलता और जानकारी को बढ़ाने तथा क्षमताओं के पूर्ण उपयोग के लिए समान अवसर मिलें व संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के कार्य में उनके योगदान की सराहना की जाती है।

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डी आर डी ओ)

17.13 रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन अपनी महिला कर्मचारियों के सशक्तीकरण और कल्याण के प्रति संवेदनशील है। इस विषय पर जारी सरकारी अनुदेशों का पूरी तरह अनुपालन किया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि महिला कर्मचारियों को अपनी कार्यकुशलता और जानकारी को बढ़ाने तथा अपनी प्रभावकारिता को परिपूर्ण करने के लिए समान अवसर मिलें। उनकी क्षमता को पूरा करने और संगठनात्मक उद्देश्यों को बढ़ाने का महत्व समझा गया है और उसे सम्यक रूप से मान्यता दी गई है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशालाओं को महिला कर्मचारियों के कल्याण के लिए महिला प्रकोष्ठ गठित करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं। इस प्रयोजन के लिए इसी तरह का एक प्रकोष्ठ रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन मुख्यालय में भी गठित किया गया है।

17.14 इसी तरह से, इस संगठन में महिला कर्मचारियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपाय भी किए गए हैं। पूरे देश में विभिन्न रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं में कल्याणकारी उपाय के रूप में शिशु-गृह भी खोले गए हैं।

रक्षा उत्पादन विभाग

17.15 हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड (एच ए एल) : महिला कर्मचारियों के लिए सभी प्रकार की सांविधिक कल्याणकारी सुविधाएं मुहैया करवा दी गई हैं। काफी संख्या में महिला कर्मचारी पर्यवेक्षी और कार्यपालक संवर्गों में कार्यरत हैं।

सभी महिला कर्मचारियों को अपना कैरियर बढ़ाने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। महिला कर्मचारियों को सार्वजनिक उद्यमों के स्थाई सम्मेलन (स्कोप) के तत्वावधान के अंतर्गत 'सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएं' (विप्स) मंच के सभी कार्यक्रमों/कार्यकलापों में भागीदारी के अवसर भी प्रदान किए गए हैं। हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड विप्स फोरम का एक सदस्य है। दिशा-निर्देशों के आधार पर कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं।

17.16 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बी ई एल) : कई वर्षों से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में महिलाओं ने काफी प्रगति की है और इस समय वहां पर कई यूनिटों में महाप्रबंधक और अपर महाप्रबंधक, वरिष्ठ उप-महाप्रबंधक, उप-महाप्रबंधक और प्रबंधक महिलाएं हैं। अपनी यूनिटों में विप्स कार्यकलाप संचालित करने के लिए कम्पनी के पास विप्स प्रतिनिधि हैं। इसके अतिरिक्त भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बंगलूर द्वारा समन्वयक और खजांची नामांकित किए गए हैं।

17.17 वर्ष 2008-09 के दौरान आत्मविकास, स्वास्थ्य रक्षा, परिवार संबंधी परामर्श, किशोर बच्चों की देखभाल, घर पर सुरक्षा, परिवार में पोषक तत्वों को बढ़ावा देना इत्यादि कुछ विशेष अभिरुचि के विभिन्न विषयों पर महिलाओं के लिए अलग से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और अतिथि व्याख्यानों का कार्यक्रम बनाया गया है।

17.18 कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए एक वरिष्ठ महिला कार्यपालक के नेतृत्व में 'शिकायत समिति' का गठन किया गया है जो निर्बाध रूप से अपना कार्य कर रही है।

17.19 भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बी ई एम एल): कम्पनी ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप, महिला कर्मचारियों का यौन उत्पीड़न रोकने, अपनी महिला कर्मचारियों की शिकायतें दूर

करने के लिए सभी विनिर्माण यूनिटों तथा कारपोरेट कार्यालय में महिला प्रकोष्ठों का गठन किया है। प्रसूति लाभ अधिनियम के प्रावधान सभी महिला कर्मचारियों/अफसरों के लिए लागू किए जाते हैं।

17.20 माझगांव डॉक लिमिटेड : कम्पनी महिला कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक महिला चिकित्सक तथा एक महिला परिचर की देखरेख में एक शिशुगृह की सुविधा मुहैया कराती है। कम्पनी की महिला कर्मचारियों के लिए मुंबई विश्वविद्यालय के जमनालाल बजाज प्रबंधन संस्था ने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

17.21 महिला कर्मचारियों की क्षमता का पूर्ण उपयोग करने की दिशा में उनकी प्रगति तथा विकास संबंधी अर्थोपायों पर विचार-विमर्श करने के लिए महाप्रबंधक बैंक के एक अधिकारी की अध्यक्षता में एक महिला प्रकोष्ठ गठित किया गया है। महिला कर्मचारियों की प्रोफाइल पर व्यापक सूचना एकत्र करने के लिए एक डाटाबेस तैयार किया गया है ताकि महिला कर्मचारियों के स्तर और स्थिति को सुधारने के क्रम में सार्थक नीति बनाई जा सके। इसी प्रकार, यौन उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान के वास्ते एक स्थाई समिति भी गठित की गई है।

17.22 गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जी एस एल) : महिलाओं को कार्य-अवसरों तथा वित्तीय स्वावलंबन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 'स्व सहायता समूह' पर एक कार्यशाला गठित की गई है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड आशा सदन नाम के एक गैर सरकारी संगठन का वित्तपोषण कर रही है जो सैक्स वर्कर्स के बच्चों के पुनरुत्थान के लिए बैना में उन्हें शिक्षा, पोषण (न्यूट्रीशन) और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का कार्य कर रही है।

17.23 मोरमुगाव ताल्लुका की महिलाओं के लाभ के लिए गोवा क्रीडा प्राधिकरण हर वर्ष महिला क्रीडा उत्सव का आयोजन करता है। इस अवसर पर वित्तीय सहायता देने के अलावा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड अपनी महिला कर्मचारियों को आयोजित

की गईं भिन्न-भिन्न क्रीडाओं में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित करती है ।

17.24 गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एवं इंजीनियर लिमिटेड (जी आर एस ई) : कार्य-स्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान के लिए एक महिला अधिकारी की अध्यक्षता तथा गैर सरकारी संस्था के एक प्रतिनिधि के साथ 11 सदस्यीय एक शिकायत समिति गठित की गई है । कर्मचारियों को उनके अधिकारों और दायित्वों के प्रति सचेत करने के लिए आवधिक कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं ।

17.25 भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बी डी एल): यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिए एक वरिष्ठ महिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक 'शिकायत समिति' गठित की गई है । महिला कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए कम्पनी, सी पी एस यू फोरम द्वारा आयोजित सम्मेलनों/कार्यक्रमों, अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के लिए आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराती है तथा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाती है । महिला कर्मचारियों के लिए विशेष शक्तिसम्मत कार्यक्रमों का आयोजन/ इनकी पेशकश की जा रही है ।

17.26 मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि) :

7 मार्च, 2009 को महिला दिवस मनाया गया तथा इस अवसर पर प्रख्यात शख्सियतों के व्याख्यानो का आयोजन किया गया ।

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

17.27 भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग लगभग बीस लाख भूतपूर्व सैनिकों और सशस्त्र सेनाओं के भूतपूर्व कर्मिकों की चार लाख विधवाओं और उनके परिवार के सदस्यों के पुनर्वास और कल्याण संबंधी कार्य करता है। नौकरी, प्रशिक्षण और स्वरोजगार की योजनाएं उनके लिंग-भेद पर विचार किए बिना सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए समान रूप से उपलब्ध हैं । तथापि, महिलाओं की ओर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए राज्य सैनिक बोर्डों को अपने कर्मचारियों में महिला अधिकारियों को रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि महिलाओं की समस्याओं/शिकायतों का समाधान किया जा सके । केन्द्रीय सैनिक बोर्ड में एक महिला अफसर की तैनाती करके इसकी शुरुआत भी कर दी गई है ।



सतर्कता इकाइयों के क्रियाकलाप

सतर्कता प्रभाग संवेदनशील स्थानों की नियमित तथा औचक जांच करता है, प्रक्रियाओं की समीक्षा करता है और उन्हें सुप्रवाही बनाता है तथा भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अन्य उपायों की शुरुआत करता है

16.1 रक्षा मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग को रक्षा मंत्रालय तथा इसके अधीन विभिन्न इकाइयों के कर्मचारियों के संबंध में भ्रष्ट आचरण, कदाचार, अनियमितता इत्यादि से संबंधित शिकायतों की सुनवाई का कार्य सौंपा गया है। यह प्रभाग सतर्कता संबंधी मामलों तथा शिकायतों के संबंध में रक्षा मंत्रालय की ओर से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) तथा प्रधान मंत्री कार्यालय के साथ कार्रवाई करने हेतु एक नोडल बिंदु के रूप में कार्य करता है। सतर्कता प्रभाग संवेदनशील स्थानों की नियमित तथा औचक जांच करता है, प्रक्रियाओं की समीक्षा करता है और उन्हें सुप्रवाही बनाता है तथा भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अन्य उपायों की शुरुआत करता है। वर्ष के दौरान 07 राजपत्रित अधिकारियों (समूह 'क') पर बड़ी शास्ति (एमईएस-4, नौसेना मुख्यालय-3) लगाई गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त पांच शिकायतों की जांच करके उन पर न्यायोचित कार्रवाई की गई।

16.2 केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेजे गए मामलों की मानीटरी के लिए उत्तरदायी एक विशेष सेल सतर्कता प्रभाग के अधीन कार्यरत है।

16.3 प्रशासनिक सुविधा के लिए, रक्षा विभाग (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन सहित) और रक्षा उत्पादन विभाग की बाबत सतर्कता कार्य उनके

अपने-अपने मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा देखा जा रहा है।

16.4 केंद्रीय सतर्कता आयोग के निदेशों के अनुसार रक्षा मंत्रालय के अधीन सभी विभागों/संगठनों/यूनिटों ने वर्धित सुरक्षा के महत्व पर जोर देने और भ्रष्टाचार के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के आशय से नवंबर 2008 में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया था।

रक्षा विभाग

16.5 सेना की सर्वोच्च परम्पराओं को कायम रखते हुए, संपूर्ण सशस्त्र सेनाओं को प्रारंभिक प्रशिक्षण चरण से ही सभी स्तरों पर नियमित रूप से भ्रष्ट आचरण के खिलाफ जागरूक किया जाता है।

रक्षा उत्पादन विभाग

16.6 आयुध निर्माणी बोर्ड :

मुख्य सतर्कता अफसर, सतर्कता ढांचे के प्रमुख होते हैं जिनकी सहायता के लिए दो निदेशक, दो समूह सतर्कता अफसर तथा एक मुख्य तकनीकी जांच-कर्त्ता होते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर विशेष जोर दिया

जाता है। समूह सतर्कता अफसर अथवा निर्माणी के महाप्रबंधक द्वारा इनकी समग्रता से जांच की जाती है तथा जांच के निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक सतर्कता कार्रवाई की जाती है जिसमें अनुशासनिक कार्यवाही, निवारक प्रशासनिक उपाय, व्यवस्था में सुधार हेतु

रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों/संगठनों/इकाइयों ने संवर्धित सुरक्षा के महत्व पर जोर देने तथा भ्रष्टाचार के हानिकर प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के इरादे से 2008 के नवंबर माह में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया।

अनुदेश शामिल हैं। निर्माणियों की आवधिक निवारक सतर्कता जांच समूह सतर्कता अफसर द्वारा की जाती है तथा सामग्री संयंत्र एवं मशीनरी, सिविल संकर्म, आदि की अधिप्राप्ति जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

16.7 निवारक सतर्कता कार्रवाई तथा अनुशासनिक उपायों के साथ-साथ कतिपय प्रणाली सुधार पहलों की शुरूआत की गई है ताकि अनियमितता तथा कदाचार की संभावना को कम किया जा सके। केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों की अनुपालना में निर्माणियों के संवेदनशील क्षेत्रों को देख रहे अफसर तथा स्टाफ को गैर-संवेदनशील क्षेत्रों में तथा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर नियमित आधार पर स्थानांतरित किया जाता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक वर्ष कड़ाई और माकूल ढंग से सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। निवारक तथा दण्डात्मक सतर्कता कौशल प्राप्त करने और इसे और अधिक धारदार करने के लिए अफसरों तथा स्टाफ को नियमित आधार पर जानकारी प्रदान की जाती है।

सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम

16.8 हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड: व्यवस्थित सतर्कता जांच संचालित करने तथा विद्यमान व्यवस्था में कमियों को दूर करने हेतु उपाय सुझाने के लिए सतर्कता विभाग द्वारा भ्रष्टाचार-रोधी उपाय के संबंध में एक व्यापक कार्य योजना बनाई गई थी। निवारक सतर्कता के भाग के रूप में 1265 जांचें की गई थीं तथा प्रभागों/परिसरों और कारपोरेट कार्यालयों में 15 बड़ी संविदाओं और खरीदों की जांच की गई थी जिसके परिणामस्वरूप 5 सतर्कता मामले बने। सतर्कता विभाग को 91 शिकायतें प्राप्त हुईं जिसमें 45 शिकायतों की जांच की गई थी तथा 46 शिकायतें विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार बंद कर दी गई थीं। कंपनी के निविदा दस्तावेज डाउनलोड किए जा सकने वाले स्वरूप में डाले जा रहे हैं तथा पूछताछ/निविदाएं/पीओएस/संविदा जारी करने/विक्रेताओं को भुगतान आदि से संबंधित जानकारी भी वेबसाइट पर डाली जा रही है।

16.9 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड : सतर्कता व्यवस्था के अध्यक्ष मुख्य सतर्कता अफसर हैं जो मुख्य प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करते हैं। मुख्य सतर्कता अफसर की सहायतार्थ 20 सतर्कता समितियां हैं। प्रत्येक यूनिट में एक सतर्कता समिति होती है जो विभिन्न केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन तथा सतर्कता कार्यों का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार होती है। संवेदनशील तथा भ्रष्टाचार संभावित क्षेत्रों में तैनात स्टाफ को बारी-बारी से स्थानांतरित किया जाता है। नियमित औचक जांचें भी की जाती हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल, बागवानी, उप-संविदा, उच्च मूल्य के खरीद मद, सेवा आदेश तथा परामर्शी सेवाओं की केंद्रीय सतर्कता आयोग की सीटीई विंग के दिशानिर्देशों के अनुसार नियमित आधार पर सघन जांच भी की जाती है।

16.10 भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड : सतर्कता ढांचे के अध्यक्ष मुख्य सतर्कता अफसर हैं जिनकी सहायतार्थ दो निदेशक, दो समूह सतर्कता अफसर तथा एक मुख्य तकनीकी जांचकर्ता होते हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों, जिला कार्यालयों, पोत-परिवहन विभाग, बीईएमएल की यूनिटों की गश्त शायिकाओं में आवधिक जांचें शुरू की गई हैं तथा ये जांचें नियमित ढंग से की जाती हैं। उच्च मूल्य के क्रयादेशों की छटनी की गई तथा संवेदनशील क्षेत्रों में औचक जांच की गई थी। बिक्री आदेश, चिकित्सा दावों, व्यय रिपोर्टों तथा एपीआर की छटनी नियमित आधार पर की जाती हैं। विभिन्न स्रोतों से 25 शिकायतें प्राप्त हुई थीं तथा जांच-पड़ताल के बाद 22 शिकायतों को निपटा दिया गया तथा उन्हें आगे की कार्रवाई हेतु संबंधित प्राधिकारियों को अग्रेषित किया गया। सतर्कता संबंधी मामलों पर ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण बीईएमएल वेबसाइट में शामिल किया गया तथा अब तक दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनकी जांच की जा रही है। बीईएमएल के कार्यकारियों तथा गैर-कार्यकारियों के लिए सतर्कता जागरूकता के संबंध में प्रशिक्षण सत्र/कार्यशालाएं संचालित की गई हैं।

16.11 माझगांव डॉक लिमिटेड : सतर्कता विभाग, कंपनी में केंद्रीय सतर्कता विभाग के एक अंग के रूप में कार्य करता है। यह कंपनी के अफसरों के मध्य

सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने का प्रयास करता है तथा कंपनी की विभिन्न गतिविधियों जैसे अधिप्राप्ति, भर्ती आदि में पारदर्शिता तथा निष्पक्षता को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। विभाग निविदाकरण तथा अन्य वाणिज्यिक प्रक्रियाओं की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि इन्हें केंद्रीय सतर्कता आयोग के परिपत्रों तथा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया जाए। विभाग पर्याप्त प्रचार भी सुनिश्चित करता है जिसमें एमडीएल की वेबसाइट का कारगर इस्तेमाल भी शामिल है।

16.12 गोवा शिपयार्ड लिमिटेड : मुख्य सतर्कता अफसर की अध्यक्षता में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का सतर्कता ढांचा कदाचार निवारण के उद्देश्य से संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित तथा औचक जांच करने तथा प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार हेतु सुझाव देने का कार्य करता है। कंपनी के साथ व्यापार तथा अन्य संबंध रखने वाले व्यक्तियों तथा कर्मचारियों को सतर्कता की दृष्टि से सूचना तथा शिकायत हेतु आगे आने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु छह सतर्कता शिकायत बॉक्स, जिन्हें प्रत्येक सोमवार को खोला जाता है, कंपनी परिसर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। पारदर्शिता लाने के लिए सामान और सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु जीएसएल ने अपनी वेबसाइट का सघन इस्तेमाल शुरू कर दिया है तथा भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स नकद प्रणाली को अपनाया गया है।

16.13 धोखाधड़ी निवारण नीति तैयार की गई है तथा लेखापरीक्षा समिति तथा निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित की गई है और इसे प्रख्यापित किया गया है।

16.14 गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड : सतर्कता विभाग की प्राथमिक भूमिका सीवीसी/सीटीई/डीपीई द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न आदेशों/दिशानिर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए भ्रष्टाचार-रहित संगठन बनाना रहा है और यह भी सुनिश्चित करना रहा है कि अधिप्राप्ति/विभिन्न मर्दों, विभिन्न संविदाओं के निपटान और कार्मिकों की भर्ती संबंधी फाइलों की संवीक्षा कर ली गई है।

16.15 भारत डायनामिक्स लिमिटेड : सतर्कता विभाग का वर्ष के दौरान मुख्य जोर अतिसक्रिय निवारक सलाह

देने तथा व्यवस्थागत सुधार/सुझाव देने के अलावा प्रौद्योगिकी को लीवरेजिंग देकर सतर्कता प्रशासन में सुधार करने, वेबसाइट का कारगर इस्तेमाल करके पारदर्शिता में वृद्धि करने पर रहा है। वेबसाइट का सघन इस्तेमाल करने संबंधी सीवीसी के सभी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है। ई-भुगतान का पालन नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी के बैंक आंध्रा बैंक को अभी इस कार्य के लिए तैयारी करनी है।

16.16 मिश्र धातु निगम लिमिटेड : इस अवधि के दौरान कंपनी में सतर्कता प्रशासन में सुधार करने के लिए कारगर उपाय किए गए। सतर्कता विभाग ने विभिन्न विभागों में औचक जांच की। रद्दी प्रबंधन की भी जांच की तथा जहां अपेक्षित हुआ वहां निवारक सतर्कता सलाह दी गई तथा प्रणाली में सुधार जारी किए। सतर्कता विभाग सामग्री जांच मानदण्डों को तैयार करने में सहायक रहा।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग

16.17 वर्ष के दौरान रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग की सतर्कता यूनितों के मुख्य क्रियाकलाप निम्नवत हैं :-

- 0 सतर्कता पहलुओं के संबंध में विभिन्न स्तरों पर अफसरों तथा स्टाफ को आवधिक रूप से सजग करना।
- 0 भ्रष्टाचार तथा सरकारी धन तथा सरकारी संसाधनों के कुप्रबंधन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाना।
- 0 यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्थायी अनुदेशों तथा आदेशों का कार्यान्वयन किया जा रहा है प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं की सतर्कता जांच करना।
- 0 कदाचारों के खिलाफ गोपनीय जांच करना तथा दोषी पर कानूनी कार्रवाई करना।
- 0 सतर्कता मामलों/जांचों पर कार्रवाई करना तथा सतर्कता आरोप पत्रों हेतु दस्तावेज तैयार करना।
- 0 प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं की आवधिक जांच के माध्यम से डीआरडीओ द्वारा निर्धारित खरीद प्रबंधन प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना।

रक्षा मंत्रालय के विभागों के कार्यों की सूची

क. रक्षा विभाग

1. भारत और उसके प्रत्येक भाग की रक्षा करना, इसमें रक्षात्मक तैयारियां तथा ऐसे सभी काम आते हैं जो युद्ध के समय युद्ध का ठीक ढंग से संचालन करना तथा युद्ध के बाद सेना को कारगर ढंग से विसंगठित करने के लिए सहायक हैं।
2. संघ की सशस्त्र सेनाएं अर्थात् सेना, नौसेना, वायुसेना।
3. रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय जिनमें सेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय, वायुसेना मुख्यालय और रक्षा स्टाफ मुख्यालय भी शामिल हैं।
4. सेना, नौसेना तथा वायुसेना के रिजर्व।
5. प्रादेशिक सेना।
6. राष्ट्रीय कैडेट कोर।
7. सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित कार्य।
8. रिमाउंट, वेटर्नरी और फार्म संगठन।
9. कैंटीन स्टोर्स भंडार विभाग (भारत)।
10. रक्षा प्राक्कलनों से भुगतान की जा रही सिविलियन सेवाएं।
11. हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेवीगेशनल चार्ट बनाना।
12. छावनियों के निर्माण, छावनी क्षेत्रों की हदबंदी और कुछ क्षेत्रों को उसकी सीमा के बाहर निकालना, ऐसे क्षेत्रों के स्थानीय स्वायत्त शासन, ऐसे क्षेत्रों में छावनी बोर्डों का गठन तथा प्राधिकारी और उनकी शक्तियां तथा उनसे आवास संबंधी विनियम (इसमें किराया नियंत्रण भी शामिल है)।
13. रक्षा प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्ति का अर्जन, अधिग्रहण, अभिरक्षा और उसकी वापसी, अनधिकृत कब्जा करने वालों को रक्षा भूमि और संपत्ति से बेदखल करना।
14. रक्षा लेखा विभाग।
15. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को जिस खाद्य सामग्री की खरीद का काम सौंपा गया है उसे छोड़कर, सेना की जरूरतों की पूर्ति के लिए खाद्य सामग्री की खरीद और उसका निपटान।
16. तटरक्षक संगठन से संबंधित सभी मामले जिनमें निम्नांकित भी शामिल हैं :-
 - (i) तेल बिखराव के प्रति समुद्री क्षेत्र की निगरानी ।
 - (ii) बंदरगाहों के पानी और अपतटीय पर्यवेक्षण और उत्पादन प्लेटफार्मों, तटीय रिफाइनरियों और अनुषंगी सुविधाओं जैसे कि सिंगल बॉय मूरिंग (एस बी एम), क्रूड तेल टर्मिनलों (सी ओ

टी) और पाइपलाइनों के 500 मीटर के भीतर के सिवाय, विभिन्न समुद्री क्षेत्रों में तेल बिखरने से बचाना।

(iii) तटीय तथा विभिन्न समुद्री क्षेत्रों के समुद्री पर्यावरण में तेल प्रदूषण को दूर करने के लिए केंद्रीय समन्वय एजेंसी।

(iv) तेल बिखराव विनाश हेतु राष्ट्रीय आकस्मिकता योजना का कार्यान्वयन, और

(v) तेल बिखराव रोकथाम और नियंत्रण कार्य हाथ में लेना, देश में जलपोतों और अपतटीय प्लेटफार्मों का निरीक्षण कार्य करना, इसमें वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार बंदरगाहों की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र शामिल नहीं है।

17. देश में गोताखोरी और संबंधित कार्यकलापों से संबद्ध मामले।

18. केवल रक्षा सेवाओं के लिए अधिप्राप्ति ।

ख. रक्षा उत्पादन विभाग

1. आयुध निर्माणी बोर्ड और आयुध निर्माणियां

2. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड

3. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

4. माझगांव डॉक लिमिटेड

5. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड

6. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड

7. भारत डायनामिक्स लिमिटेड

8. मिश्र धातु निगम लिमिटेड

9. गुणता आश्वासन महानिदेशालय और वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय सहित रक्षा गुणता आश्वासन संगठन

10. मानकीकरण निदेशालय सहित रक्षा उपस्करों और भंडारों का मानकीकरण

11. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड

12. वैमानिकी उद्योग का विकास और नागर उड्डयन मंत्रालय तथा अंतरिक्ष विभाग से संबंधित प्रयोक्ताओं को छोड़कर अन्य के बीच समन्वय

13. रक्षा उपस्करों का स्वदेशीकरण, विकास तथा उत्पादन और रक्षा उपस्करों के निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी

14. रक्षा निर्यात और रक्षा उत्पादन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

ग. रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग

1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रही प्रगति का राष्ट्रीय सुरक्षा पर होने वाले प्रभाव का जायजा लेकर रक्षा मंत्री को उसकी जानकारी और सलाह देना।

2. हथियारों, हथियार-प्लेटफार्मों, सैन्य संक्रियाओं, निगरानी, सहायता संधारिकी आदि से संबंधित सभी वैज्ञानिक पहलुओं के संबंध में और संघर्ष के सभी संभावित क्षेत्रों में रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं और अंतर सेवा संगठनों को सलाह देना।

3. ऐसी प्रौद्योगिकियों, जिनका भारत को निर्यात विदेशी सरकारों के राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी नियंत्रण का

विषय है, के अर्जन के बारे में विदेशी सरकारों के साथ समझौता प्रलेखों से संबंधित सभी मामलों पर रक्षा मंत्रालय की नोडल समन्वय एजेंसी के रूप में विदेश मंत्रालय की सहमति लेकर कार्य करना।

4. राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा डिजाइन, विकास परीक्षण और मूल्यांकन संबंधी कार्यक्रम तैयार करना और उन्हें कार्यान्वित करना।

5. विभाग की एजेंसियों, प्रयोगशालाओं, स्थापनाओं, रेंजों, सुविधाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का निर्देशन और प्रशासन।

6. वैमानिकी विकास एजेंसी।

7. सैन्य विमानों के डिजाइन, उड़ान योग्यता का प्रमाणन, उनके उपस्करों तथा भंडारों से संबंधित मामले।

8. विभाग के कार्यकलापों से तैयार प्रौद्योगिकी के संरक्षण और हस्तांतरण से संबंधित सभी मामले।

9. रक्षा मंत्रालय द्वारा प्राप्त की जाने वाली सभी शस्त्र प्रणालियों और तत्संबंधी प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण और मूल्यांकन के कार्यों में भाग लेना तथा वैज्ञानिक विश्लेषण में सहायता करना।

10. उत्पादन यूनिटों और उद्यमों द्वारा सशस्त्र सेनाओं के लिए उपस्कर और भंडारों के विनिर्माण या विनिर्माण के प्रस्तावों के लिए प्रौद्योगिकी के आयात के प्रौद्योगिकीय तथा बौद्धिक संपदा संबंधी सभी पहलुओं पर सलाह देना।

11. पेटेंट अधिनियम 1970 (1970 का 39) की धारा 35 के अंतर्गत प्राप्त मामलों पर कार्रवाई करना।

12. राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधी पहलुओं के अध्ययन और जनशक्ति को प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों, संस्थाओं तथा कारपोरेट निकायों को वित्तीय तथा अन्य सामग्री संबंधी सहायता देना।

13. विदेश मंत्रालय के साथ परामर्श में राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की भूमिका से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय मामलों में निम्नलिखित मामले शामिल हैं-

(i) अन्य देशों और अंतःसरकारी एजेंसियों के अनुसंधान संगठनों से संबंधित मामले विशेष रूप से जो अन्य कार्यों के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय पहलुओं से संबंधित हैं।

(ii) इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकी-विदों को प्रशिक्षण और विदेशी छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के लिए विदेश स्थित विश्वविद्यालयों, शैक्षिक और अनुसंधान-उन्मुख संस्थाओं के साथ व्यवस्था करना।

14. विभाग के बजट से निर्माण कार्य करना और भूमि खरीदना जो विभाग के बजट के नाम डाले जाते हैं।

15. विभाग के नियंत्रणाधीन कार्मिकों से संबंधित सभी मामले।

16. इस विभाग के बजट में डेबिट योग्य सभी प्रकार के भंडारों, उपकरणों और सेवाओं का अर्जन।

17. विभाग से संबंधित वित्तीय मंजूरियां।

18. राष्ट्रीय सुरक्षा के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय पहलुओं को प्रभावित करने वाले कार्यकलापों से संबंधित भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय, विभाग, एजेंसी के साथ समझौता अथवा व्यवस्था करके इस विभाग को सौंपे गए और इस विभाग द्वारा स्वीकार किए गए कोई भी अन्य कार्य।

घ. भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (पूर्व सेनानी कल्याण विभाग)

1. सशस्त्र सेनाओं के पेंशनभोगियों सहित सेनानियों (भूतपूर्व सैनिकों) से संबंधित मामले।
2. सशस्त्र सेना सेनानी (भूतपूर्व सैनिक) अंशदायी स्वास्थ्य योजना।
3. पुनर्वास महानिदेशालय तथा केंद्रीय सैनिक बोर्ड से संबंधित मामले।
4. निम्नलिखित का प्रशासन
(क) सेना के वास्ते पेंशन विनियम, 1961 (भाग 1 और 2);
(ख) वायुसेना के वास्ते पेंशन विनियम, 1961 (भाग 1 और 2);
(ग) नौसेना पेंशन विनियम, 1964; और
(घ) सशस्त्र सैन्य कार्मिकों को हताहत पेंशनरी अवार्डों के हकदारी विनियम, 1982

ड. रक्षा (वित्त) प्रभाग

1. वित्तीय प्रभाव डालने वाले सभी रक्षा मामलों की जांच करना।

2. रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालयों के विभिन्न अधिकारियों को वित्तीय सलाह देना।
3. रक्षा मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग के रूप में कार्य करना।
4. व्यय संबंधी सभी योजनाओं/प्रस्तावों को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन में सहायता करना।
5. रक्षा योजनाएं तैयार करके उनके कार्यान्वयन में सहायता करना।
6. रक्षा सेनाओं के लिए रक्षा बजट और अन्य प्राक्कलन, रक्षा मंत्रालय के सिविल प्राक्कलन, रक्षा पेंशनरों के संबंध में प्राक्कलन तैयार करना और बजट के अनुरूप योजनाओं की प्रगति पर निगरानी रखना।
7. बजट बनाने के बाद यह सुनिश्चित करना कि व्यय न तो बहुत कम हो और न ही अनपेक्षित रूप से अधिक हो।
8. सशस्त्र सेना मुख्यालयों की शाखाओं के अध्यक्षों को अपने वित्तीय दायित्व का निर्वाह करने के लिए सलाह देना।
9. रक्षा सेवाओं के लिए लेखा प्राधिकारी के रूप में कार्य करना।
10. रक्षा सेवाओं के लिए विनियोजन लेखा तैयार करना।
11. रक्षा लेखा महानियंत्रक के माध्यम से रक्षा व्यय, रक्षा भुगतानों और आंतरिक लेखापरीक्षा के दायित्व का निर्वाह करना।

1 जनवरी, 2008 से आगे पदासीन मंत्री, सेनाध्यक्ष और सचिव

	रक्षा मंत्री	
श्री ए.के.अन्टनी		24 अक्टूबर, 2006 से आगे
	रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री	
राव इंद्रजीत सिंह		29 जनवरी, 2006 से आगे
	रक्षा राज्य मंत्री	
श्री एम.एम.पल्लम राजू		29 जनवरी, 2006 से आगे
रक्षा सचिव		सेनाध्यक्ष
श्री विजय सिंह		जनरल दीपक कपूर,
31 जुलाई, 2007 (अपराह्न) से आगे		पीवीएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम, एडीसी
		30 सितंबर, 2007 (अपराह्न) से आगे
सचिव रक्षा उत्पादन		नौसेनाध्यक्ष
श्री प्रदीप कुमार,		एडमिरल सुरीश मेहता,
1 जनवरी, 2008 (अपराह्न) से आगे		पीवीएसएम, एवीएसएम, एडीसी
		31 अक्टूबर, 2006 (अपराह्न) से आगे
सचिव भूतपूर्व सैनिक कल्याण		वायुसेनाध्यक्ष
डॉ सत्यनारायण दास		एयर चीफ मार्शल एफ.एच.मेजर,
31 दिसंबर, 2007 से 03 मार्च, 2008 तक		पीवीएसएम, एवीएसएम, एससी, वीएम, एडीसी
श्रीमती दीपा जैन सिंह		31 मार्च, 2007 (अपराह्न) से आगे
20 मार्च, 2008 से 31 जुलाई, 2008 तक		
श्री सिद्धार्थ महावीर आचार्य		
28 अगस्त, 2008 से आगे		
सचिव (रक्षा अनुसंधान एवं विकास) तथा		
रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार		
श्री एम.नटराजन		
31 अगस्त, 2004 से आगे		
वित्त सलाहकार (रक्षा सेवाएं)		
श्रीमती एन.के.नारंग		
1 जुलाई, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक		
श्रीमती एच.के.पन्नू		
1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक		

रक्षा मंत्रालय के कार्य-निष्पादन पर नियंत्रक - महालेखापरीक्षक (सी एंड ए जी) की अद्यतन रिपोर्ट का सार

वर्ष 2008 की रिपोर्ट सं. 4 : संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) थलसेना एवं आयुध फैक्टरियां

II रक्षा मंत्रालय

पैरा 2.1 बुलेट प्रूफ वाहनों की खरीद में अनियमितताएं

रक्षा मंत्रालय ने एक निजी फर्म से जुलाई, 2005 में 31.64 करोड़ रुपए मूल्य के 200 बुलेट प्रूफ वाहन खरीदे। प्रयोक्ताओं द्वारा इन वाहनों के त्रुटिपूर्ण होने की सूचना दी गई। सुरक्षा की अनदेखी करने के अलावा, सेना मुख्यालय ने तात्कालिक आवश्यकता बताते हुए एक फर्म विशेष द्वारा विनिर्मित वाहन ही खरीदे। इसके अलावा, महानिदेशक आयुध सेवाएं ने फरवरी, 2007 में इसी फर्म से अलग तरह के नौ बुलेट प्रूफ वाहन 4.12 करोड़ रुपए की लागत से खरीदे। ऐसे ही वाहन अपेक्षाकृत नीची दर पर सप्लाई करने की एक आयुध निर्माणी की पेशकश पर विचार न करके 68 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय भी किया गया।

III. सेना

पैरा 3.1 विशेष वस्त्र और पर्वतारोहण उपस्करों की अधिप्राप्ति

सेना मुख्यालय, बिना किसी तकनीकी विनिर्दिष्टि के और अधिप्राप्ति के बुनियादी मानदंडों का उल्लंघन करते हुए, सियाचिन ग्लेशियर जैसे अत्यधिक ठण्डे जलवायु वाले स्थानों पर तैनात सैनिकों के लिए दो दशकों से भी अधिक समय से विशेष वस्त्रों की खरीद करता रहा है। इसके परिणामस्वरूप, 2002 से 2006 तक के वर्षों में की गई 48.88 करोड़ रुपए

मूल्य की 10 संविदाओं में से 28.81 करोड़ रुपए की विशेष वस्त्र मर्दे निरीक्षण के समय अथवा वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा नामंजूर कर दी गई। 9.98 करोड़ रुपए मूल्य की मर्दे पुनः निरीक्षण के बाद अथवा थोड़ा जुर्माना लगाकर मंजूर की गई।

पैरा 3.2 कम्बलों की अधिप्राप्ति में परिहार्य अतिरिक्त व्यय।

अक्टूबर, 2001 में दर्शाई गई जरूरत के बावजूद, महानिदेशक आयुध सेवाएं ने सैनिकों के लिए कम्बलों की खरीद के लिए शुरू में समुचित रूप से योजना नहीं बनाई और बाद में आपात आवश्यकता दर्शाते हुए हैंडलूम सेक्टर द्वारा प्रस्तुत दर की तुलना में दुगुनी ऊंची दर पर एक प्राइवेट फर्म से 3.5 लाख कम्बल खरीदे। महानिदेशक आयुध सेवाएं ने एक ओर तो प्राइवेट फर्मों से खरीद पर 9.17 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय किया और दूसरी ओर इससे यह भी सुनिश्चित नहीं हो सका कि 2005-06 की सरदी में सैनिकों को कम्बल समय पर मिल जाएं। इस प्रकार, महानिदेशक आयुध सेवाएं द्वारा की गई अदक्ष आयोजना और खराब अधिप्राप्ति प्रबंधन से परिहार्य व्यय हुआ और सैनिकों को भी असुविधा हुई।

पैरा 3.4 त्रुटिपूर्ण गोला-बारूद स्वीकार करने से परिहार्य हानि

महानिदेशक आयुध सेवाएं ने एक विदेशी फर्म द्वारा सप्लाई किए गए गोला-बारूद के 10,000 राउंडों, जो प्राप्ति के समय किए गए निरीक्षण में त्रुटिपूर्ण पाए

गए थे, को बदलवाने की बजाय केवल 1071 राउंड ही बदलवाए। बाद में, फायरिंग में हुई एक दुर्घटना के कारण संपूर्ण लॉट छोड़ दिया गया, जिससे 13.65 करोड़ रुपए की हानि हुई। 10,000 राउंड के एक अन्य लॉट जो निरीक्षण में त्रुटिपूर्ण पाया गया था और सैनिकों की सुरक्षा के लिए खतरा था, को अभी निकाला जाना था।

IV संकर्म कार्य तथा सेना इंजीनियरी सेवाएँ

पैरा 4.1 परियोजना आकस्मिक व्यय का दुरुपयोग

मुख्य अभियंता भोपाल ने सक्षम वित्तीय प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त किए बिना ही अलग-अलग स्टेशनों पर कार्यालय आवास बनाने के लिए निष्पादित इस अलग-अलग परियोजनाओं के एक करोड़ रुपए के परियोजना व्यय का दुरुपयोग किया।

पैरा 4.2 त्रुटिपूर्ण वाटर मीटर के कारण अधिक भुगतान

त्रुटिपूर्ण वाटर मीटर को बदलवाने में हुई देरी के कारण, सेना इंजीनियरी सेवा, जोधपुर को जुलाई, 2004 से मार्च, 2007 की अवधि के लिए जल प्रभारों के रूप में जन स्वास्थ्य इंजीनियर विभाग, राजस्थान को 76.74 लाख रुपए का अधिक भुगतान करना पड़ा।

V सीमा सड़क संगठन

पैरा 5.1 संविदा में अस्पष्टता के कारण परिहार्य अतिरिक्त व्यय

दो पुलों के सुपर ढांचे में इस्तेमाल के लिए संविदाओं में इस्पात संबंधी विनिर्दिष्टि में अस्पष्टता के परिणामस्वरूप, परियोजनाओं के कार्यनिष्पादन में विलंब होने के अलावा 64.51 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ क्योंकि इस निर्माण कार्य के लिए पुनः ठेका देना पड़ा।

VI आयुध निर्माणी बोर्ड

पैरा 6.1 आयुध निर्माणी संगठन का कार्यनिष्पादन

आयुध निर्माणी संगठन, जिसके अंतर्गत 1.12 लाख की जनशक्ति वाली 39 आयुध निर्माणियां हैं, मुख्यतः देश की सशस्त्र सेनाओं के लिए हथियारों, गोला-बारूद उपस्करों, वस्त्र, आदि के उत्पादन में लगा हुआ है। 2006-07 में उत्पादन का मूल्य कुल 7957.53 करोड़ रुपए था जो 2005-06 के 8811.59 करोड़ रुपए के उत्पादन मूल्य की तुलना में 09.69 प्रतिशत कम था।

2005-06 से 2006-07 के दौरान आयुध निर्माणी संगठन का कुल व्यय 6847.13 करोड़ रुपए से घट कर 6191.89 करोड़ रुपए हो गया है।

2006-07 के दौरान 438 मदों, जिनके लिए मांग मौजूद थी और लक्ष्य नियत किए गए थे, में से 117 मदों का उत्पादन निर्धारित कार्यक्रम से पीछे था।

2006-07 के दौरान, 2005-06 की तुलना में निर्यात लक्ष्य में 66.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

पैरा 6.3 आयुध निर्माणी परियोजना नालन्दा के कार्यान्वयन में अपसामान्य विलंब

गोलाबारूद के बाई-मॉड्यूलर चार्ज प्रणाली का उत्पादन करने के लिए आयुध निर्माणी, नालन्दा की स्थापना से संबद्ध अपर्याप्त योजनाकरण, जिसकी वजह से परियोजना लागत प्राक्कलनों में बार बार संशोधन करना पड़ा और परियोजना की वर्द्धित लागत के संदर्भ में रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्णय न ले पाने के कारण परियोजना ही खतरे में पड़ गई है। इसके परिणामस्वरूप, जुलाई, 2007 को निवेश की गई 376.93 करोड़ रुपए की भारी राशि से कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ इसके अलावा, परियोजना की प्राक्कलित लागत 941.3 करोड़ रुपए से बढ़कर 1570 करोड़ रुपए हो गई।

पैरा 6.5 विकल्प खंड का प्रयोग करने में विफलता के कारण अतिरिक्त व्यय

आयुध निर्माणी-कटनी की आवश्यकता पूर्ति के लिए, मैसर्स मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन पर आयुध निर्माणी अम्बरनाथ के मौजूदा क्रयादेश के प्रति कॉपर केथोड की अतिरिक्त मात्रा की अधिप्राप्ति में विकल्प खंड का प्रयोग करने हेतु उसे निदेश देने में आयुध निर्माणी बोर्ड की विफलता, जबकि ऐसा करने के लिए अवसर था, के परिणामस्वरूप आयुध निर्माणी अम्बरनाथ द्वारा कॉपर केथोड की खरीद में 7.77 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय किया गया।

पैरा 6.10 अनुपयुक्त भूमि के पट्टे पर व्यर्थ निवेश

आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा कोलकाता में एक अतिथि गृह सेमिनार एवं कांफ्रेंस कक्ष और प्रदर्शनी एवं प्रदर्श कक्ष के निर्माण के लिए मई, 2001 में कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण से 1.05 करोड़ रुपए की लागत पर पट्टे पर ली गई भूमि का कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि भवन बनाने में इसकी अनुपयुक्तता के कारण यह आशयित उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकती थी। इसके अलावा, आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा आशयित उद्देश्य की पूर्ति हेतु कोलकाता में एक पृथक स्थान पर पांच एकड़ भूमि अर्जित करने को देखते हुए वैकल्पिक उपयोग की संभावना भी अनिश्चित है।

कार्य-निष्पादन लेखा परीक्षा

सेना में सामान्य सामान और वस्त्रों का आपूर्ति शृंखला प्रबंधन

वस्त्र और सामान्य सामान सेना की महत्वपूर्ण जरूरतें हैं। सेना, यूनिटों के प्रचलनीकरण और सैनिकों की

देखभाल के लिए अपेक्षित वस्त्र तथा सामान्य सामान की 20,000 से भी अधिक मदों, जिनमें ग्लेशियर क्षेत्र में सैनिकों के लिए पहनने की विशेष मदें और पर्वतारोहण उपस्कर भी शामिल हैं, की अधिप्राप्ति करती है और उनकी सामान-सूची रखती है। सामान्य सामान और वस्त्रों की लगभग 20400 मदें हैं, जिनमें पेंट, डिटरजेंट, खाना पकाने के बर्तन, डेरा-तंबू मदें, पैराशूट और वैयक्तिक वस्त्र, ग्लेशियर क्षेत्र में कार्यरत सैनिकों के लिए विशेष वस्त्र और पर्वतारोहण मदें शामिल हैं।

सामान्य सामान और वस्त्र मदों की व्यवस्था, अधिप्राप्ति, संग्रहण, निर्गम, उपयोग और प्रयोक्ता संतुष्टि के सभी पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए इन मदों के संपूर्ण आपूर्ति शृंखला प्रबंधन के कार्य-निष्पादन की लेखा-परीक्षा की गई थी। कार्य-निष्पादन लेखा-परीक्षा से यह पता चला कि सेना में सामान्य सामान और वस्त्रों की आपूर्ति शृंखला प्रबंधन में व्यवस्था संबंधी बहुत-सी कमियां थीं। सेना मुख्यालय के केंद्रीय अधिप्राप्ति कक्ष और निचले कार्यालयों के बीच कोई प्रभावी समन्वय नहीं था जिसके परिणामस्वरूप 169.37 करोड़ रुपए की स्थानीय खरीद की सूचना नहीं दी गई। सामान एकत्र करने की प्रक्रिया में इस कमी के चलते केंद्रीय अधिप्राप्ति कक्ष द्वारा मदों का अधिक स्टॉक जमा करने का जोखिम है। महानिदेशक आयुध सेवाएं ने आवश्यकता विश्लेषण, परीक्षण मूल्यांकन और मापदंडों के संशोधन के बिना ही 89 करोड़ रुपए की लागत पर प्रीफेब्रिकेटिड हट्स, सुपीरियर ब्लेंकेट्स बैरक, डिटरजेंट्स, सुपीरियर पेंट्स और मॉड्यूलर ग्लव्स जैसे नए उत्पाद शामिल किए। सामान्य सामान और वस्त्रों की अधिप्राप्ति की मौजूदा प्रणाली अत्यधिक केंद्रीयकृत होने के कारण अधिप्राप्ति प्रक्रिया को निर्धारित समय के

भीतर पूरा नहीं किया जा सकता। अतः 67 प्रतिशत क्रयादेश उपलब्ध लीड टाइम के भीतर नहीं दिए जा सके और इस प्रकार सैनिकों के लिए सामान की अधिप्राप्ति और उसकी आपूर्ति में विलंब हुआ। जीओसी-इन-सी, उत्तर कमान ने, वास्तविक विनिर्दिष्टियों का ब्यौरा दिए बिना और महानिदेशक गुणता आश्वासन द्वारा निरीक्षण किए जाने की अपेक्षा को छोड़ते हुए एक प्राइवेट फर्म से 58.92 करोड़ रुपए मूल्य की 25,754 बुलेट प्रूफ जैकटें खरीदी, जिसके परिणामस्वरूप संक्रियात्मक क्षेत्र में सप्लाई की गई महत्वपूर्ण मदों के गुणता आश्वासन के अभाव के अलावा 13 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

सेना मुख्यालय सियाचिन जैसे संक्रियात्मक क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाने वाले विशेष वस्त्र और पर्वतारोहण मदों की समय पर अधिप्राप्ति करने में विफल रहा जिससे इन महत्वपूर्ण मदों का स्टॉक 44 से 70 प्रतिशत तक घट गया। इन मदों की कमी पूरी करने के लिए सेना ने ग्लेशियर क्षेत्र में सैनिकों को आंशिक रूप से खराब सामान जारी करने की अप्राधिकृत प्रथा का सहारा लेना पड़ा। विशेष वस्त्र मदों के पुनर्वितरण का ऐसा कार्य स्वास्थ्य, संक्रियात्मक उपयुक्तता और सैनिकों के समग्र मनोबल की दृष्टि से वांछनीय नहीं है। लेखा परीक्षा द्वारा किए गए प्रयोक्ता सर्वेक्षण ने यह दर्शाया कि 50 प्रतिशत डिजीजने/रेजिमेंट सप्लाई किए गए वस्त्रों की गुणवत्ता और फिटिंग से संतुष्ट नहीं थे।

सेना ने आयुध निर्माणी की तुलना में ट्रेड को तरजीह देते हुए उसे क्रयादेश दिए जिससे आयुध निर्माणियों, जिनकी स्थापना सेना और अन्य सेवाओं के लिए विनिर्माण और आपूर्ति के

समर्पित स्रोत के रूप में की गई है, की उत्पादक क्षमता को हानि हुई। महानिदेशक, आयुध सेवाएं और सेना कमांडरों ने आयुध निर्माणियों को क्रयादेश न देकर 2006-07 के दौरान ट्रेड से 54.48 करोड़ रुपए की लागत से 20,741 टेंट खरीदे। सेना मुख्यालय ने भी महानिदेशक आयुध निर्माणियों के क्रयादेश देने के अनुरोध की अनदेखी की और 2.65 करोड़ रुपए मूल्य के कवर वाटर प्रूफ ट्रेड से खरीदे।

सामान्य सामान और वस्त्रों जैसी गैर-युद्ध मदों के लिए एक उपयुक्त और मजबूत परिवहन मॉडल और एक विस्तृत व्यवसाय प्रक्रिया पुनः इंजीनियरी का विकास किए बिना ही आयुध आपूर्तियों का कम्प्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण शुरू किया गया है। सेना मुख्यालय के विगत 40 से भी अधिक वर्षों के आधुनिकीकरण के बहुत से प्रयास तदर्थ और दिशाहीन रहे हैं तथा उनमें अधिक समय और लागत लगी है। इसके अलावा, 432 कार्मिकों को दूसरे काम में लगाने और 243 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद, जनवरी, 2008 को कोई स्पष्ट लाभ दिखाई नहीं दिया।

सैनिकों को सही सामग्री, सही स्थान और सही समय पर तुरंत उपलब्ध कराने के लिए अनुसंधान स्टॉक होल्डिंग के पूर्वनिश्चित स्तरों सहित एक बहु-स्तरीय स्टॉकिंग और वितरण प्रणाली के प्रचालन के बुनियादी उद्देश्य पूरी तरह से पूरे नहीं किए जा सके क्योंकि डिपुओं में सामान की लगातार कमी रही और 30 प्रतिशत प्रयोक्ता मांग पूरी नहीं की गई, ग्लेशियर क्षेत्र में सैनिकों को पुराने वस्त्रों से काम चलाना पड़ा और सप्लाई किए गए वस्त्रों की गुणवत्ता के बारे में सैनिकों में भारी असंतोष था।

[(वर्ष 2008 की रिपोर्ट सं. पीए 4 का अध्याय-1 सेना और आयुध निर्माणियां (कार्य-निष्पादन लेखा परीक्षा)]

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की जीव विज्ञान प्रयोगशालाएं

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के अधीन जीव विज्ञान समूह की प्रयोगशालाएं कृषि, भोजन, जीवन सहायता प्रणालियों, न्यूक्लियर औषधि, उच्च तुंगता सहित विभिन्न जलवायु स्थितियों में सैनिकों के मनोविज्ञान और शरीर विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के संबंधी कार्य में लगी हुई हैं। इन प्रयोगशालाओं द्वारा दो तरह की परियोजनाएं अर्थात् स्टाफ परियोजनाओं और अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का कार्य हाथ में लिया जाता है। स्टाफ परियोजनाएं सेनाओं के कहने पर मौजूदा अथवा भावी आवश्यकताओं के लिए शुरू की जाती हैं और उनके द्वारा दर्शाई गई गुणात्मक अपेक्षाओं को प्राप्त करने की इससे आशा की जाती है।

जीवन विज्ञान समूह प्रयोगशालाओं के अनुसंधान एवं विकास संबंधी क्रियाकलाप ही सशस्त्र सेनाओं के प्रति प्रासंगिकता पर केंद्रित कार्य-निष्पादन लेखा-परीक्षा से निम्नलिखित बातों का पता चला :

जीवन विज्ञान समूह प्रयोगशालाओं की परियोजना आयोजना में प्रयोक्ता की जरूरत पर ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि बड़ी संख्या में शुरू की गई परियोजनाएं प्रयोक्ताओं द्वारा बताई गई आवश्यकताओं पर आधारित नहीं थी और वे पूर्णतः अनुसंधान एवं विकास पर केंद्रित थी। योजना का अत्यल्प अनुपालन किया गया क्योंकि 30 प्रतिशत नियोजित योजनाएं कार्यान्वयन हेतु हाथ में नहीं ली गईं और प्रयोगशालाओं द्वारा शुरू की गई 50 प्रतिशत परियोजनाएं अनियोजित और तदर्थ थीं।

योजना और बजट के मध्य समुचित संबंध स्थापित नहीं किया गया क्योंकि प्रयोगशालाओं को बजटीय आवंटन, यथानियोजित परियोजना-कर आवंटन की एक प्रणाली अपनाने की बजाय, एकमुश्त आधार पर किए गए। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की जीवन विज्ञान प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित अधिकांश उत्पाद अनन्य रूप से सशस्त्र सेनाओं के लिए उपयोज्य नहीं थे क्योंकि विगत 17 वर्षों के दौरान विकसित 29 प्रतिशत उत्पाद ही सशस्त्र सेनाओं द्वारा इस्तेमाल किए गए थे। प्रयोक्ताओं अर्थात् तीनों सेनाओं और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के बीच समन्वय करने वाली एकीकृत अनुसंधान परिषद की बैठकें जैसाकि निर्धारित किया गया था, नियमित रूप से नहीं हुई थीं। जिससे प्रयोक्ता भागीदारी का अभाव प्रदर्शित हुआ। प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित केवल 50 प्रतिशत उत्पादों के लिए ही प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्राप्त किया जा सका। विकसित उत्पादों का पेटेंट करवाने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। इसी प्रकार, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा विकसित उत्पादों/प्रौद्योगिकियों के लिए पेटेंट दाखिल/प्राप्त करने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।

[वर्ष 2008 की रिपोर्ट सं. पीए 4 का अध्याय-II सेना और आयुध निर्माणियां (कार्य-निष्पादन लेखा-परीक्षा)]

आयुध निर्माणियों में 23 मिमी और 30 मिमी गोलाबारूद का विनिर्माण और निर्गम

आयुध निर्माणियां सशस्त्र सेनाओं के लिए 23 मिमी और 30 मिमी गोलाबारूद का विनिर्माण करती हैं। 23 मिमी गोलाबारूद चार बैरलों वाली शिल्का तोप से दागा जाता है ताकि नीची उड़ान भरने वाले हवाई लक्ष्यों और जमीनी लक्ष्यों को नष्ट करके शत्रु के हवाई हमलों से कवचित सैनिकों की संरक्षा की जा सके। हल्के कवचित लक्ष्यों, नरम आवरण वाले लक्ष्यों, कुछ दूरी पर स्थित कार्मिकों और एकल शॉट फायरिंग तथा ऑटोमेटिक फायरिंग की रेंज में नीची उड़ान भरते विमानों के खिलाफ 30 मिमी गोलाबारूद

इन्फैंट्री समाघात वाहन पर लगी ऑटोमेटिक गन में इस्तेमाल किया जाता है।

आयुध निर्माणियों द्वारा 2002-07 के दौरान विनिर्मित और जारी किए गए 23 मिमी तथा 30 मिमी गोलाबारूद के कार्य-निष्पादन लेखा-परीक्षा से निम्नलिखित बातें सामने आईं :

आयुध निर्माणी बोर्ड, 30 मिमी गोलाबारूद के उत्पादन हेतु उपलब्ध फालतू संसाधनों ने अधिक मांग वाले 23 मिमी गोलाबारूद के उत्पादन के लिए संसाधनों को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर लगाने में विफल रहा, हालांकि परवर्ती गोलाबारूद की मांग में गिरावट का रुख था। यहां तक कि आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा 23 मिमी गोलाबारूद की जिस मात्रा के उत्पादन और आपूर्ति का सेना से वायदा किया गया था उसकी भी आपूर्ति नहीं की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप 44.72 करोड़ रुपए मूल्य के गोलाबारूद का परिहार्य आयात करना पड़ा।

संघटक विनिर्माण निर्माणियों में संघटकों के उत्पादन और भरण निर्माणियों में गोलाबारूद में तालमेल नहीं था। उत्पादन आयोजना में इस कमजोरी से संघटक और भरण निर्माणियों में विषम उत्पादन के साथ-साथ प्रत्येक उत्पादन वर्ष की पहली दो तिमाहियों में उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सका।

आयुध निर्माणी बोर्ड ने भरण निर्माणियों की वास्तविक आवश्यकता और उपलब्ध स्टॉक का आकलन किए बिना ही संघटक विनिर्माण निर्माणी को उत्पादन लक्ष्य दिया। इसके परिणामस्वरूप, अलग-अलग चरणों में परिहार्य उत्पादन हुआ और माल जमा हुआ। इसके अलावा अदक्ष और गैर-किफायती उत्पादन से 12.91 करोड़ रुपए का परिहार्य/अतिरिक्त व्यय हुआ।

तीन निर्माणियां (धातु एवं इस्पात निर्माणी, आयुध निर्माणी खमरिया और तोप एवं गोला निर्माणी)

ने आयुध निर्माणी बोर्ड के उद्धरण के बिना और सह-निर्माणियों से अंतर-निर्माणी मांग प्राप्त किए बिना उत्पादन कार्यशालाओं को वारंट जारी किए, जिसके परिणामस्वरूप 12.09 करोड़ रुपए मूल्य के संघटकों का अनावश्यक उत्पादन हुआ।

धातु तथा इस्पात निर्माणी तथा आयुध निर्माणी बाडमल ने निर्धारित प्रक्रियाओं को दरकिनार करके उत्पादन में 6.84 करोड़ रुपए की सामग्री/संघटकों की अधिक खपत को छुपाया।

अत्यधिक अस्वीकृति दर के चलते, आयुध निर्माणी बोर्ड को 2002-07 के दौरान उत्पादन तथा 23 मिमी. और 30 मिमी. गोला-बारूद को जारी करने में 99.11 करोड़ रुपए का घाटा हुआ।

विभिन्न निर्माणियों में एक जैसी मदों के उत्पादन की लागत में असाधारण अंतर था, आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा निर्गम मूल्य कम नियत करने तथा आयुध निर्माणियों में ट्रेड के मुकाबले गोलाबारूद/संघटकों का उत्पादन लागत अधिक होने की वजह से 23.24 करोड़ रुपए की लागत की कम उगाही हुई।

[सेना तथा आयुध निर्माणियों संबंधी 2008 की रिपोर्ट सं. पीए 4 का अध्याय -IV (कार्य-निष्पादन लेखा-परीक्षा)]

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा अभिमतों का सारांश

मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए वायुसेना, नौसेना तथा सम्बद्ध रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठनों से संबंधित रक्षा मंत्रालय की लेखा-परीक्षा के परिणामों से संबंधित लेखा-परीक्षा रिपोर्ट 2008 की रिपोर्ट सं. सीए 5 14 मार्च, 2008 को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं-

I. विमान का उन्नयन

भारतीय वायुसेना के 'ए' विमान के उन्नयन कार्यक्रम, जो अगस्त, 1999 में 430 करोड़ रु० की लागत पर अनुमोदित किया गया था, की व्यवहार्यता सीमित होगी क्योंकि विमान तथा इंजनों के सम्मुख आ रही आंतरिक समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। इस परियोजना की व्यवहार्यता प्रारंभ से ही संदिग्ध थी और इसको पूरा करने के समय को बार-बार बढ़ाना इस परियोजना के लाभ को और कम कर देगा क्योंकि उन्नयित विमान का बहुत कम जीवनकाल शेष रह जाएगा। लागत को कम करने के उद्देश्य से विमान के उन्नयन के क्षेत्र में कमी करने से स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को बताई गई विमान की भूमि में भी कमी आएगी। इसके अलावा सीमित संख्या में संशोधित विमानों को भी भारतीय वायुसेना के प्रतिबंधों के साथ स्वीकार किया है। परियोजना लागतों को अत्यधिक कम बताया गया है जोकि वस्तुतः 900 करोड़ रु० से भी अधिक अर्थात् अनुमोदित लागत से दुगने से भी अधिक होगी जबकि विभिन्न गैर-परिशोधित तथा अप्रत्यक्ष लागत परियोजना के क्षेत्र से बाहर रह गई। स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी के अनुमोदन के पहले ही हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को 156 करोड़ रु० की अग्रिम अदायगी बजटीय तथा वित्तीय नियंत्रणों का उल्लंघन था। परियोजना के अनुमोदन के आठ वर्षों के बाद भी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ संविदा को अंतिम रूप देने में विफलता ने परियोजना के नियंत्रण ढांचे को निष्प्रभावी बना दिया।

(पैरा 2.6)

II. वी आई पी बोइंग बिजनेस जेट

मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के संचार स्क्वाड्रन के दो मौजूदा बोइंगों को प्रतिस्थापित करने हेतु वी आई पी इस्तेमाल के लिए कुल 963.93 करोड़ रु० की लागत पर तीन बोइंग बिजनेस जेट अधिप्राप्त करने हेतु अमेरिका की मै० बोइंग कंपनी के साथ संविदा

की। वी आई पी विमान की अधिप्राप्ति प्रक्रिया में निर्धारित प्रक्रियाओं तथा औचित्य के सुमान्य मानकों में विचलन हुआ। 50 मिलियन अमरीकी डालर के मूल्य की आपूर्तियों की प्रतिस्पर्धा के लाभ के बिना संविदा की गई। इसके अलावा, विमान तथा स्वयं सुरक्षा स्यूट— दोनों की अधिप्राप्ति में असाधारण विलंब किया गया जिससे 19.70 अमरीकी डालर की लागत वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, मौजूदा वी आई पी विमानों के वी आई पी उडानों के लिए अनुपयुक्त होने के चार वर्ष बाद भी प्रतिस्थापित विमानों को अभी तक शामिल नहीं किया जा सका। 312.44 करोड़ रु० की लागत से तीसरे अतिरिक्त विमान की अधिप्राप्ति परिहार्य थी। 936.93 करोड़ रु० व्यय करने के बाद भी नए अधिप्राप्त वी आई पी विमानों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जिससे इसके सभी विपरीत प्रभाव के साथ एयर इंडिया के विमानों का इस्तेमाल करना जारी रखना पड़ेगा।

(पैरा 2.1)

III. लैंडिंग प्लेटफार्म डॉक की अधिप्राप्ति

नौसेना ने पोत का वास्तविक मूल्यांकन किए बिना विदेशी सरकार से 50.63 अमरीकी डालर की लागत पर पुनर्सज्जा कराकर एक 36 वर्ष पुराना पोत अधिप्राप्त किया है। पोत की खराब हालत के कारण पुनर्सज्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने पड़े जिससे पुनर्सज्जा की लागत 15 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 36.94 मिलियन अमरीकी डालर हो गई। नौसेना स्वीकृति लेते समय सभी लागतें सक्षम अधिकारी के विचारार्थ नहीं लाई।

(पैरा 2.3)

IV. भारतीय वायुसेना में अप्रचलित तथा सेवा से हटाए गए रडारों के प्रतिस्थापन में विलंब

मंत्रालय ने 193.10 करोड़ रु० की कुल लागत से 17 परिशुद्ध संपर्क रडारों की खरीद के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मार्च, 2002 में

संविदा की। अप्रचलित/सेवा से हटाए गए रडारों को प्रतिस्थापित करने हेतु इन महत्वपूर्ण रडारों की अधिप्राप्ति में काफी विलंब हुआ तथा भारतीय वायुसेना सोलह वर्ष पूर्व अप्रचलित निर्धारित किए गए पुराने रडारों से प्रचालनात्मक प्रतिबंधों के साथ वायुसेना बेसों में उड़ानों का संचालन कर रही है। अधिप्राप्ति प्रक्रिया में भी निर्धारित प्रक्रिया से विचलन हुआ। इसके अलावा, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा आपूर्ति किए गए दस रडारों में से केवल एक रडार कार्य करने के योग्य बनाया जा सका और वह भी समय-समय पर असफलता के साथ। 100.52 करोड़ ₹ की लागत वाले शेष नौ रडार अभी चालू किए जाने हैं।

(पैरा 2.2)

V. संविदा किए जाने में पारदर्शिता का अभाव

मंत्रालय ने तटस्थक बल के लिए तीन प्रदूषण नियंत्रक यान अधिप्राप्त करने हेतु मार्च, 2004 में एक निजी शिपयार्ड- मै0 एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक संविदा को अंतिम रूप दिया। तटस्थक बल मुख्यालय द्वारा अपनाई गई अधिप्राप्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव था तथा उसमें निर्धारित क्रय प्रक्रियाओं से विचलन किया गया जिसके कारण भी विलंब हुआ। तटस्थक बल और मंत्रालय द्वारा प्रक्रियाओं में की गई त्रुटियों और विरूपणों के कारण ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला कि एक निजी शिपयार्ड को 368 करोड़ ₹ की लागत से विशिष्ट यानों के विनिर्माण की संविदा देने का निर्णय तकनीकी दृष्टि से सही तथा वित्तीय तौर पर विवेकपूर्ण था। इससे परियोजना की प्रगति असंतोषजनक रही और यानों की सुपुर्दगी कार्यक्रम में बदलाव करने पड़े। शिपयार्ड को दिया गया 221 करोड़ ₹ का भुगतान विनिर्दिष्ट लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है।

(पैरा 5.1)

VI. चालकरहित लक्ष्य विमान का इष्टतम से कम कार्य-निष्पादन

भारतीय वायुसेना को चालक रहित लक्ष्य विमान की आवश्यकता वायु चालक दल तथा भू-स्थित चालक

दल को हवा से हवा में तथा जमीन से हवा में मार करने वाले हथियारों के संबंध में प्रशिक्षण हेतु वास्तविक वायुवाहित लक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए होती है। यद्यपि चालकरहित लक्ष्य विमान के अभिकल्पन एवं विकास का कार्य 1980 में प्रारंभ हुआ, किंतु रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड 165 करोड़ ₹ का व्यय करके 27 वर्षों के बाद भी भारतीय वायुसेना की प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लिए स्वदेश निर्मित चालकरहित लक्ष्य विमान देने में असफल रहे। इस तथ्य के बावजूद कि प्रारंभतः विकसित एक प्रोटोटाइप भारतीय वायुसेना की गुणात्मक आवश्यकताओं को पूर्णरूप से प्राप्त करने में असफल रहा, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने चालकरहित लक्ष्य विमान का सीमित श्रृंखला में विनिर्माण कार्य जारी रखा। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा चालक रहित लक्ष्य विमान के सीमित श्रृंखला में उत्पादन का मूल्यांकन किए बिना बड़ी मात्रा में उत्पादन को स्वीकृति देना प्रौद्योगिकी के विकास तथा उत्पादन कार्यक्रम में गंभीर खामियों को दर्शाता है। सुपुर्द किए गए तीन चालकरहित लक्ष्य विमानों के इष्टतम से कम कार्य-निष्पादन के कारण भारतीय वायुसेना ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिए गए शेष 12 चालकरहित लक्ष्य विमानों को स्वीकार करना रोके रखा। भारतीय वायुसेना ने पीटीए-II कार्यक्रम के प्रति वचनबद्धता को आयात के हक में वापस ले लिया। भारतीय वायुसेना को शस्त्र प्रशिक्षण के लिए वास्तविक वायुवाहित लक्ष्य उपलब्ध कराने का मूल लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया जिससे प्रशिक्षण प्रयास गंभीर रूप से प्रभावित हुए।

(पैरा 2.5)

VII. प्रशिक्षण सिमुलेटर की खरीद, स्थापना तथा उसे चालू करने में विलंब

मंत्रालय ने एक नौसेना प्रशिक्षण स्थापना में लगाए गए मौजूदा सिमुलेटर को 31 करोड़ ₹ की लागत पर उन्नयित करने के लिए मै0 टीएसएल टेक्नॉलाजीज लिमिटेड, नई दिल्ली के साथ मार्च, 2004 में एक संविदा की। सीकिंग हेलिकाप्टर के पायलटों तथा पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण के लिए

महत्वपूर्ण समझे जाने वाले इस सिमुलेटर का एक दशक बीत जाने तथा 18.52 करोड़ रु0 व्यय हो जाने के बावजूद उन्नयन करके उसे भारतीय नौसेना में शामिल नहीं किया जा सका जिससे प्रशिक्षण की गुणता प्रभावित हुई। यदि यह परियोजना समय पर पूरी हो जाती तो हेलिकाप्टरों के इस्तेमाल के कारण 3 करोड़ रु0 की सहयोजित लागत से बचा जा सकता था। सम्बद्ध गतिविधियों के कारण 18.50 करोड़ रु0 के अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव के साथ अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति बिना ही संविदा को निरस्त करना पड़ सकता है।

(पैरा 2.8)

VIII. ओवरहाल सुविधाओं की स्थापना करने में विलंब

नौसेना की एक पोत श्रेणी के लिए गैस टर्बाइन की मरम्मत और ओवरहाल सुविधाओं की वृद्धि हेतु वर्ष 1980 में परिकल्पित एक परियोजना दो दशकों के बाद भी पूरी होने की प्रतीक्षा में है। 21.16 करोड़ रुपए की लागत पर अधिप्राप्त किए गए विभिन्न परियोजना क्रियाकलापों, उपस्कर तथा अतिरिक्त हिस्से के संबंध में सहक्रियात्मक तालमेल की कमी के परिणामस्वरूप अधिप्राप्ति की तारीख से आठ वर्ष बाद भी अप्रयुक्त पड़े हैं। परियोजना के पूरा होने के बाद भी, नौसेना के लिए इसकी उपयुक्तता सीमित ही रहेगी क्योंकि गैस टर्बाइन पहले ही मूल उपस्कर विनिर्माता से निर्धारित ओवरहाल प्राप्त कर चुके हैं तथा परियोजना से प्राप्त लाभ आंशिक होंगे क्योंकि पोतों का आधे से अधिक सेवाकाल, जिसके लिए सुविधाएं सृजित की जा रही हैं, समाप्त हो जाएगा।

(पैरा 2.7)

IX नौसेना तथा तटरक्षक बल संगठन के लिए अनुपयुक्त तोपों की अधिप्राप्ति

नौसेना तथा तटरक्षक बल ने इसके आदिरूप की उचित अनापत्ति प्राप्त किए बिना एक किस्म की तोप के विनिर्माण के लिए एक आयुध निर्माणी को आदेश

दिए। नौसेना तथा तटरक्षक बल को जारी करने के लिए आयुध निर्माणी की ओर से नौसेना सशस्त्र जांच महानिदेशालय द्वारा 28.44 करोड़ रुपए की लागत के तोपों की स्वीकृति अनुचित थी क्योंकि हथियार प्लेटफार्म स्थायीकृत ओप्ट्रोनिक पीठिका के बिना अधूरा है जिससे प्रचालनात्मक कारगरता से समझौता हुआ, इस प्रकार इन तोपों की अधिप्राप्ति का उद्देश्य ही निष्फल हो गया।

(पैरा 2.4)

X. भारतीय नौसेना के एक हवाई अड्डे का उन्नयन

सरकार ने एक विद्यमान नौसेना हवाई अड्डे, संयुक्त रूप से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रयुक्त, के उन्नयन की 191.52 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर मंजूरी अक्टूबर 2002 में दी थी। नौसेना की तरफ से एकीकृत उपागम, सहक्रियात्मक तालमेल में कमी तथा योजनाकरण में कमी के परिणामस्वरूप मैगजीनों के निर्माण तथा एक नौसैन्य शस्त्रास्त्र डिपों के पुनर्स्थापन में विलंब हुआ। चूंकि विमानों तथा विस्फोटक भंडारों से संबंधित जोखिम अभी भी विद्यमान है इसलिए उन्नयनकृत हवाई अड्डा नौसेना के दीर्घ रेंज समुद्री टोही विमान तथा सिविल एयरलाइनों के बड़े विमानों द्वारा प्रचालन हेतु प्रयोज्य नहीं है। इस प्रकार, 145.16 करोड़ रुपए के निवेश का मूल्य निष्फल रहा।

(पैरा 4.4)

XI. भारतीय वायुसेना के लिए नकद निर्गम लाभ नहीं दिया जाना

मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए एक मिसाइल परियोजना हेतु वर्ष 1998-99 में भारत डायनामिक्स लिमिटेड को 370 करोड़ रुपए का अग्रिम का भुगतान किया। बीडीएल ने मार्च, 2003 तक भारतीय

वायुसेना को 52.19 करोड़ रुपए का नकद निर्गम लाभ जारी किया। वर्ष 2002-03 के बाद, बी डी एल ने अपने पास धारित अग्रिम से भारतीय वायुसेना की नकद निर्गम लाभ जारी नहीं किया। परिणामस्वरूप, भारतीय वायुसेना 91.33 करोड़ रुपए के राजस्व से वंचित हो गई जिसे परियोजना में लगाया जा सकता था जिससे भारतीय वायुसेना की वित्तीय देयता कम होती।

(पैरा 3.7)

XII. तदर्थ अग्रिम पर बकाया ब्याज की वसूली न होना

मंत्रालय द्वारा प्रदत्त मंजूरी के अंतर्गत, रक्षा लेखा नियंत्रक ने परियोजना के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मार्च 2002 को 113.40 करोड़ रुपए ब्याज धारित तदर्थ अग्रिम जारी किया था। संविदा में स्पष्ट प्रावधान के बावजूद, रक्षा लेखा नियंत्रक बीईएल को मुहैया कराए गए तदर्थ अग्रिम पर 46.70 करोड़ रुपए का ब्याज वसूलने में असफल रहा।

(पैरा 3.6)

XIII. हेलिकाप्टर के लिए अवमानक पुर्जों की खरीद

मंत्रालय ने हेलिकाप्टर 'डी' के लिए 12.43 करोड़ रु० की लागत से रोटेबलों की खरीद के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी- इंडो रशियन एविएशन लिमिटेड के साथ अक्टूबर, 2003 में एक संविदा की। उक्त कंपनी ने ईंधन नियंत्रक यूनितों की किसी अविश्वसनीय स्रोत से आपूर्ति की जो अवमानक पाई गई जिससे हेलिकाप्टर 'डी' की उड़ान सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हुआ और ईंधन नियंत्रक यूनितों के अभाव में हेलिकाप्टरों की उड़ानें नहीं भरी जा सकीं। 1.06 करोड़ रु० लागत की पांच सहायक पावर यूनितें भी असफल रहीं और उन्हें अभी तक नहीं बदला गया। वायुसेना मुख्यालय द्वारा की गई

दण्डात्मक कार्रवाई अनंतिम और अपर्याप्त होने के कारण निष्प्रभावी थी तथा मंत्रालय और वायुसेना मुख्यालय द्वारा कंपनी को भारतीय वायुसेना के लिए उपस्कर तथा हिस्से-पुर्जे आपूर्ति करने की और संविदाएं की गईं। यह फर्म हिस्से-पुर्जे और उपस्करों की 82 किस्मों में से 12 की आपूर्ति करने में भी असफल रही।

(पैरा 3.2)

XIV रक्षा भवन में अप्राधिकृत रूप से एंटीना लगाना

एक वायुसेना स्टेशन ने संवदेनशील सुरक्षा क्षेत्र में अवस्थित एक रक्षा भवन में एक प्राइवेट कंपनी को एंटीना लगाने दिया और उसने इस तरह वित्तीय औचित्य के कानून का उल्लंघन किया है तथा सुरक्षोपायों की अवहेलना की है। हालांकि कंपनी सरकारी संपत्ति की सुविधाओं का लाभ उठा रही है, कंपनी द्वारा किया गया भुगतान निरंतर वायुसेना स्टेशन के गैर-सरकारी खाते में जमा कराया जा रहा है। वायुसेना के अधिकारियों को कंपनी ने निःशुल्क मोबाइल फोन भी दे रखे हैं। इस मामले में उल्लंघन तथा चूक की जिम्मेदारी तय किए जाने की जांच किए जाने की आवश्यकता है।

(पैरा 3.9)

XV. आयातित हिस्से-पुर्जों की आवश्यकता से अधिक खरीद

सामग्री संगठन, कोच्चि तथा नौसेना मुख्यालय ने हिस्से-पुर्जों की नौ मदों की भंडार में कमी बताते हुए मांग की जबकि उन हिस्से-पुर्जों की कोई मांग बकाया नहीं थी। हिस्से-पुर्जों की मांग का सही मूल्यांकन करने में असफल रहने से 6.20 करोड़ रु० की लागत की अधिक खरीद की गई।

वे हिस्से-पुर्जे 2004-06 में उनकी खरीद से ही अप्रयुक्त पड़े हैं।

(पैरा 4.3)

XVI. काटे गए वृक्षों के निपटान से राजस्व अर्जित न करना

एजिमाला में नौसेना अकादमी स्थापित करने के लिए परियोजना स्थल को साफ करने के लिए परियोजना अधिकारियों ने बहुत सारे पेड़ काटे। रक्षा संपदा अधिकारी चेन्नई के काटे गए 25,605 पेड़ों का न्यूनतम आरक्षित मूल्य न रख पाने तथा उनके निपटान में विलंब होने से नौसेना 1.87 करोड़ रु0 तक का राजस्व अर्जित नहीं कर पाई। नौसेना प्राधिकारी काटे गए पेड़ों की क्षतिपूर्ति के रूप में दस गुना वृक्षारोपण करने में भी असफल रहे और इस तरह के पर्यावरण मंत्रालय की उक्त अपेक्षा जिसके तहत कि परियाजना को स्वीकृति दी गई थी, की भी अवज्ञा की है।

(पैरा 4.7)

XVII. विमानों के लिए गेयर बक्सों की तुरंत अधिप्राप्ति

मंत्रालय ने जून, 2005 में भारतीय वायुसेना के विमानों के लिए एक विदेशी फर्म से 44 गियर बक्सों की खरीद का आर्डर दिया। लेखा-परीक्षा जांच से पता चला है कि भारतीय वायुसेना के पास पहले ही उपलब्ध गियर बक्सों की उनके द्वारा समय पर मरम्मत तथा उनके जीवनकाल को बढ़ाने के लिए पर्याप्त आयोजना सुनिश्चित न करने के कारण 164.78 करोड़ रु0 की लागत पर 44 गियर बक्सों की खरीद की गई जिससे बचा जा सकता है।

(पैरा 3.1)

XVIII. निकल कैडमियम सेलों के आयात पर परिहार्य व्यय

नौसेना वायु सामग्री निदेशालय ने निकल कैडमियम सेलों की स्वदेशी खरीद के उदाहरण मौजूद होने के बावजूद अनुमोदित स्वदेशी फर्मों की मौजूदगी को नजरअंदाज किया जिनकी दरें विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से काफी कम थीं। इसके परिणामस्वरूप निदेशालय ने अनुमोदित स्वदेशी सेलों की दरों से तीन गुना ऊंची दर पर 14.70 निकल कैडमियम सेल आयात किए गए जिससे 1.31 करोड़ रु0 का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

(पैरा 4.2)

XIX. अपतटीय गश्ती पोतों के हिस्से-पुर्जों की खरीद

तटरक्षक बल के तीन अपतटीय गश्ती यान अप्रैल, 2006 और जनवरी, 2007 के बीच अपनी 24000 घंटों के बाद की नेमी मरम्मत के लायक हो गए। यानों के त्रुटिपूर्ण रख-रखाव योजना तथा इंजनों के निर्धारित नेमी रख-रखाव में विलंब के कारण 7.90 करोड़ रु0 के हिस्से-पुर्जे अप्रयुक्त पड़े रहे। इसके अलावा, हिस्से-पुर्जों की आवश्यकता से अधिक व्यवस्था करने के कारण 57 लाख रु0 का परिहार्य व्यय हुआ।

(पैरा 5.2)

XX. नई दिल्ली स्थित वायुसेना मुख्यालय और अन्य वायुसेना यूनिटों में यातायात प्रबंधन

वायुसेना स्टेशन ने नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने पास स्वीकृत संख्या से अधिक बड़ी संख्या में यात्री वाहन तथा एम टी ड्राइवर रखे हैं और इस प्रकार उन्होंने सरकार के किफायत बरतने के उपयों की अनदेखी की है। सेवा वाहनों के अंधाधुंध प्रयोग से उनका अप्राधिकृत इस्तेमाल हुआ जिससे पिछले

तीन वर्षों में 5.60 करोड़ ₹ का अतिरिक्त व्यय हुआ जिसे वायुसेना मुख्यालय ने अप्राधिकृत रूप से नियमित कर दिया।

(पैरा 3.10)

लेखा परीक्षा रिपोर्ट संख्या 2008 की सी. ए. 12 (नियमितता लेखा परीक्षा)

गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड

उद्यम संसाधन प्रणाली में सामग्री प्रबंधन

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड ने सामग्री प्रबंधन मॉड्यूल के प्रचालन को शामिल करते हुए उद्यम संसाधन योजना के चरण-I के कार्यान्वयन पर जून, 2007 तक 3.76 करोड़ रुपए खर्च किए। इस अनुप्रयोग की सूचना प्रौद्योगिकी लेखा परीक्षा से प्रणाली के अनुकरण में कमियां परिलक्षित हुई थी और उसमें साधन और वैधीकरण नियंत्रणों के अपर्याप्त होने के उदाहरण मिले जिनसे सटीक और समय पर डॉटा ग्रहण करने में बाधा आई। वहां पर सुरक्षा व्यवस्थाओं में कमियां थीं जिससे प्रणाली को अनधिकृत पहुंच और धोखेबाजी का जोखिम था। यह प्रणाली कंपनी की लेखाकरण नीति के अनुसार माल-सूची मूल्यांकन को संचालित नहीं कर सकती थी। इस प्रकार इस प्रणाली का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा सका था।

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलूरु

उद्यम संसाधन योजना पैकेज के अंतर्गत वित्तीय मॉड्यूल

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (कम्पनी) ने जुलाई, 2004 और जनवरी, 2006 के बीच एक-समान पद्धति और प्रक्रियाओं, निर्णय लेने के लिए ऑन-लाइन सूचना और स्वचालन के विलगित भागों

को समाप्त करने के उद्देश्य के साथ अपने तीन प्रमुख स्थानों अर्थात् कारपोरेट कार्यालय, विमान डिवीजन और हेलीकॉप्टर डिवीजन में एक उद्यम संसाधन योजना (ई.आर.पी.) पैकेज नामक औद्योगिक वित्तीय प्रणाली (आई.एफ.एस.) कार्यान्वित की थी। उद्यम संसाधन योजना पैकेज के अधिग्रहण और कार्यान्वयन तथा तीन प्रमुख स्थानों पर लगे औद्योगिक वित्त प्रणाली के वित्तीय मॉड्यूल के उपयोग की पुनरीक्षा की गई और निम्नलिखित बातें देखी गई थीं :-

- ई.आर.पी.सॉफ्टवेयर की चयन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी क्योंकि इसे कार्यान्वित करने वाला भागीदार सॉफ्टवेयर के आकलन और उसे स्वीकार करने में परामर्शदाता के रूप में भी शामिल था। कंपनी ने प्रणाली डिजाइन दस्तावेज प्राप्त नहीं किए थे और कंपनी पूरी तरह विक्रेता पर निर्भर थी जिसके परिणामस्वरूप आवर्ती व्यय के अतिरिक्त भार उठाना पडा।
- सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा नीति सहित सूचना प्रौद्योगिकी नीति तैयार नहीं की गई थी।
- भौतिक एवं तार्किक नियंत्रण कमजोर थे और डाटा को इसकी जटिलता और संवेदनशीलता की दृष्टि से उचित रूप से वर्गीकृत नहीं किया गया था।
- प्रणाली डिजाइन त्रुटियों के कारण प्रणाली संतुलन और लेखाकरण संतुलन का समाधान करने के लिए मानवीय हस्तक्षेप करना पडा।

लेखा परीक्षा रिपोर्ट संख्या 2008 की सी.ए. 11 (नियमित लेखा परीक्षा)

भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड

ब्याज दर की पुष्टि के बिना अग्रिम राशि स्वीकार करने के परिणामस्वरूप 7.54 करोड़ रुपए के ब्याज का अनावश्यक भुगतान।

(पैरा 8.1.1)

मद आपूर्तिकर्ता द्वारा मांगी गई निर्णीत हरजाने संबंधी धारा में संशोधन करने के लिए कार्रवाई शुरू करने में विलंब होने के परिणामस्वरूप पूर्ण रूप से खुले संघटकों की प्राप्ति में विलंब हुआ और 4.44 करोड़ रुपए छोड़ने पड़े ।

(पैरा 8.1.2)

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड

निविदा के मूल्यांकन में चूक होने और एस.वी.ई. सी. कन्सट्रक्शन लिमिटेड को संविदा देने के कारण कंपनी को 5.99 करोड़ रुपए का परिहार्य व्यय हुआ।

(पैरा 8.2.1)

कम्पनी ने निशुल्क आधार पर 11 इंजनों की मरम्मत की । जबकि यह स्थापित नहीं हुआ था कि ये त्रुटियां स्पष्ट तौर पर कंपनी की ओर से थीं । इसके परिणामस्वरूप कंपनी का 5.53 करोड़ रुपए का राजस्व जब्त हो गया था ।

(पैरा 8.2.2)

कम्पनी ने सेवा मूल्यांकन परीक्षण के लिए एस. एन.एफ.ए. बैरिंगों की समिति अधिप्राप्ति करने के बजाय सेना मुख्यालय की स्वीकृति के बिना बड़ी मात्रा में अधिप्राप्ति की जिसके परिणामस्वरूप 5.08 करोड़ रुपए की माल-सूची निष्प्रयोज्य हो गई ।

(पैरा 8.2.3)

भारत का हल्का युद्धक विमान 'तेजस' बंगलुरु में आयोजित एयरो इंडिया-2009 के दौरान एक फार्मेशन में उड़ान भरते हुए



एशिमाला, केरल में आरंभ की गई विश्व-स्तरीय नौसेना अकादमी का एक विहंगम दृश्य

